खण्ड-430, अंक-7
बुधवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1921
(24 मार्च, 1999 ई0)

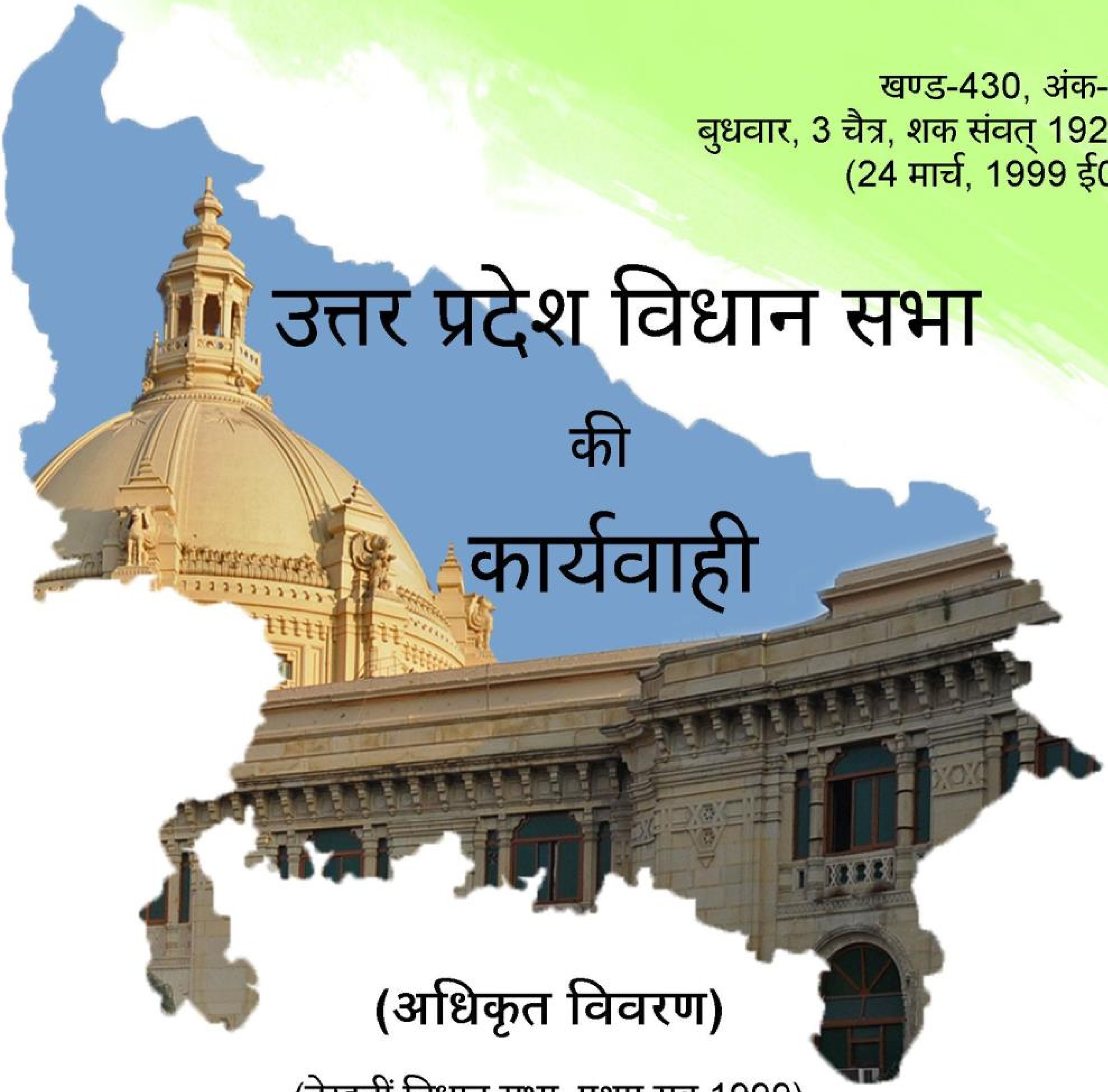

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ण
प्रश्नोत्तर	1
भूतपूर्व सदस्य जी कल्लूराम रत्नाकर के निधन पर शोकोद्गार	
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु विशेष पैकेज घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	126
डी०आर०डी०ए० की बैठक में विधायक के प्रतिनिधि भेजे जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न	126
अतारांकित प्रश्न संख्या 178 का गलत उत्तर दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न	127
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	127–128
श्रीमती फूलमती चपरासी तहसील–खागा, जनपद-फतेहपुर को उनके मृतक पति श्री गनेशी लाल, संग्रह अमीन के सामूहिक बीमा, पेंशन आदि के भुगतान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
वाराणसी में गोताखोरी में दक्ष मल्लाहों की जल पुलिस में नियुक्ति तथा महाजाल एवं मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
श्री बी० के० सिंह, संयुक्त निदेशक (विद्युत) स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच, सचिव स्तर से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129–130
जनपद कौशम्बी के क्षतिग्रस्त मूरतगंज महेवा मार्ग का पुननिर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
हिन्दू इण्टर कालेज रूदौली जनपद-फैजाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच तथा श्री प्रवीन कुमार निगम की मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130–131
कलवार जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131–132
जनपद लखीमपुर के श्रीनगर क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा धन का दुरूपयोग किये जाने की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132

अध्यक्ष विधान सभा

जनपद खीरी में "हिन्दू स्मित ग्रामीण उद्योग गोला" नामक संस्था को श्री एस०पी० शुक्ला, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, द्वारा अनियमित ढंग से लाखों रुपये का लाभ पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कौड़िया, बिजनौर एवं कुनाव के ग्रामीणों को स्थायी पट्टे पर बसाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद फर्रुखाबाद के श्री फूल सिंह व श्री अरविन्द सिंह का छिबरामऊ की पुलिस द्वारा उत्पीड़न तथा मुलजिम सिपाहियों की तत्काल गिरफ्तारी व पीड़ितों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133–134
जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा में कोहरगढ़ी बांध पर बने फिट्टर चैनल की मरम्मत कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद बुलन्दशहर के कृषकों की एक हजार एकड़ भूमि को यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा जबरन अधिग्रहित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134–135
लखनऊ की विकास नगर कालोनी के सेक्टर 5 में भवन संख्या–5/877 तथा 878 के समक्ष लगे बिजली के खम्भे को जनहित में पार्क की ओर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135
अपर निदेशक स्वास्थ्य गोरखपुर कार्यालय में पूर्व में तैनात श्री मो० हनीफ स्टोनों की अनियमित नियुक्ति की जांच तथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही व गबन की रिकवरी आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद सीतापुर में सराय नदी पर अर्द्धनिर्मित बांध को जनहित में पूर्ण किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	136–137
डा० एल० पी० पाण्डेय पूर्व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० के विरुद्ध शासनादेश एवं राजाज्ञाओं का उल्लंघन करके मनमानी कार्य प्रणाली अपनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137–138
श्री रामजी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ के स्वीकृत देयकों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138–139
जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत बडहरा कोट के मजरे गौरी वनडीह में अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को मुआवजा/आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139
ग्राम सभा बरांवा, विकास खण्ड मछली शहर जनपद–जौनपुर में जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	139–140

थाना जी०आर०पी० मानिकपुर, जनपद-चित्रकुट की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के प्रकरण की सी०बी०आई० से जांच की मांग सम्बन्धी नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 140

आगरा के मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा लागू करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 140–141

वर्ष 1999-2000 के लिए मुरादाबाद जिले में "नहर पटरी योजना" का लक्ष्य विधानसभा क्षेत्र 34 मुरादाबाद देहात को प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 141–142

जल निगम की महोबा यूनिट द्वारा, जनपद चित्रकूट के ग्राम घुटेटनपुर के राजकीय इण्टर कालेज के भवन निर्माण में, प्रयुक्त घटिया सामग्री और किये जा रहे भ्रष्टाचार की टी०ए०सी० से जांच कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 142

सर्वेन्ट क्वाटर्स कोठी नं०-6 जमादारी लेन, दारुलशफा लखनऊ में अवैध कब्जे हटाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 143

शिल्पकार समिति उ०प्र० लखनऊ की उपशाखा पिथौरागढ़ को जिला प्रोजेक्ट यूनिट स्वजल परियोजना, पिथौरागढ़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 143–144

चन्द्रशेखर आजाद उद्यान प्रयाग में 'शहीद भवन' बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 144

विधान सभा क्षेत्र ददरौल के ग्राम गन्धार, परगना जमौर, तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर में भू-माफियाओं से कृषकों को मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 144–145

विधायक विकास निधि की अवशेष धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 145

मौजा रुकनापुर, तहसील बुढ़ाना, जनपद–मुजफ्फरनगर का गजट प्रकाशित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 145–146

शारदा नगर आवासीय योजना, रजनीखण्ड लखनऊ की सड़कों की मरम्मत अविलम्ब कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 146

जनपद गाजियाबाद के ग्राम मीरपुर हिन्दू की, चकबन्दी योजना में नये चकों पर कब्जा दिये जाने तथा लम्बित मुकदमों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 146–147

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा नेबुआ, नौरंगियाँ व खोटही में फायर ब्रिगेड की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 147

जनपद कुशीनगर में आधुनिक चीनी मिलें और नये उद्योग धन्धे लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 147–148

जनपद कुशीनगर, महराजगंज व गोरखपुर के मध्य छोटी गण्डक नदी के बेलवाघाट, कप्तानगंज घाट रास्ता जोड़ व छितौनी घाट पर पक्के पुलों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 148

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पेट्रान इण्डिया नेशनल लि० को चीनी मिल लगाने हेतु सरकार द्वारा आदेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 148–149

श्रीमती सुन्दरी देवी व रामरती देवी पुत्री मृतक श्री हसनू को अपने पिता की भूमि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 149–150

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में एक्सरे प्लेट, कुत्ते की सुई का अभाव व अल्ट्रासाउण्ड मशीन की खराबी आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 150

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर में काली नदी की बाढ़ से बचाव हेतु बांध बनवाने एवं गरीब किसानों को मुआवजा दिलाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 150–151

जनपद बस्ती के खैर इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति से मुस्लिम समुदाय में व्याप्त घोर असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 151

जनपद बांदा में साधन सहकारी समिति लि०, गड़रिया, विकास खण्ड जसपुरा में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धन का आहरण, दुरुपयोग एवं गबन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 151

जनपद सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिल्स, महमूदाबाद द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 152

जनपद जौनपुर के क्षेत्र बयालसी में स्थित बेंलाव नाला पर पुल न होने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 152

श्री अभिनन्दन आदि पुत्रगण श्री कोदई ग्राम–करहकोल तहसील–रूद्रपुर देवरिया के संयुक्त भू-अराजी से नाम गलत ढंग से खारिज करके श्री हरी आदि पुत्रगण श्री राम चन्दर के खाते में किये जाने सम्बन्धी प्रकरण को ठीक किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 152–153

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 98-99 में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 153

जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर में अटरा–मितावाँ भोसिला, सहौदरपुर ग्रामों के मध्य तालाब के पानी के निकासी न होने के कारण हो रही फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 154

उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० किसान सहकारी भवन, लखनऊ में हुए करोड़ों के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — 154–155

निदेशक (होम्योपैथी) आवासीय–चिकित्साधिकारी डा० एस० पी० सिंह, प्रवक्ता डा० पी०एन० मिश्र व महिला छात्रावास वार्डेन डा० रेनू महेन्द्रा की सह पर प्राचार्य के विरुद्ध झूठी शिकायतों के कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 155

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र सोहावल के विकास खण्ड मसौधा के कतिपय गाँवों को सदर तहसील से हटाने से उत्पन्न स्थिति के कारण नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 155–156

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टर्मिनल रजवाहा इरादतनगर माइनर वांगरी माइनर की सफाई न होने तथा पानी न आने से हो रही किसानों की क्षति के कारण नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 156–157

जनपद बरेली मण्डी समिति के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा व्यापारियों तथा किसानों के साथ किये जा रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 157

भारतीय संस्कृत पाठशाला सरैया जनपद-बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 157–158

जनपद हरदोई के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग राज्य योजना, जिला योजना, अम्बेदकर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता सुधारने तथा अधूरे पड़े मार्गों को पूर्ण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 158–159

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिर खाना में अस्थाई संग्रह अमीनों, चपरासियों की भर्ती में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 159

जनपद आगरा की सीवर लाइन चोक होने से चारो तरफ हो रही गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 160

ए०ई०टी० प्रोडेक्शन के बैनर तले "अक्स-ए-ताज" नाम से बन रही ऐतिहासिक धारावाहिक को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 160–161

जनपद सुल्तानपुर नगर परिषद में सुपर मार्केट के स्कूटर स्टैण्ड तथा बोरिंग हेतु सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 161

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज जवाहर नवोदय विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अध्यापकों में गुटबाजी के कारण व्याप्त असंतोष विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 162

नगर पालिका परिषद् सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने से हो रही गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 162–163

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी के ग्राम जलियामऊ (मधवापुर) एवं ग्राम भलिया के पास अनधिकृत रूप से लगे कुलाबे से हो रही किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 163

जनपद मथुरा में पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	164–165
यू०पी०जी० छात्र तथा आयुर्वेद एवं युनानी छात्रों के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	165
जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामों के ग्राम-दुलापुर गोरियाबाद उमराडीह के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों के पदोन्नति के बाद स्थानान्तरण के कारण छात्रों के समक्ष उत्पन्न स्थिति के कारण नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	166
चित्रकूट मण्डल व झांसी मण्डल के जिलों के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण केन्द्र चरखारी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लेखपालों को प्रशिक्षित लेखपाल न मानने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	166
राम कुमार मेमोरियल इन्टर कालेज हरदोई में खुली नकल कराकर पास कराने तथा मोटी रकम लेने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	166–167
जनपद सुल्तानपुर पारकोन्सगंज के गन्दा नाला रोड स्थित "निलांचल स्टुडियों" में अश्लील फोटो खींचने ब्लू फिल्म बनाने की शिकायत विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	167–168
स्वामी विवेकानन्द बाल विकास एवं शोध संस्थान विनय खण्ड–2 गोमती नगर में आवंटित भूखण्ड में की गई धांधली एवं अनियमितता विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	169–170
जनपद रायबरेली के गन्ना क्रय केन्द्र भोजपुर पर गन्ना किसानों का गन्ना, गन्ना तोल बाबू द्वारा कम तौलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद सीतापुर के मोहल्ला सन्त नगर, कस्बा सिधौली में नवीन विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	170–171
विद्युत कर की दर में आकस्मिक वृद्धि के कारण प्रदेश के छोटे-छोटे उद्यमियों में भारी असन्तोष विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	171
जनपद गोण्डा के नगर परिषद् में उपाध्यक्ष पद के चुनाव कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	171–172
प्रदेश में एस० एन० मेडिकल कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट के विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	172
जनपद फतेहपुर में जिला-पंचायत राज अधिकारी द्वारा जवाहर रोजगार स्वच्छता योजना द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु प्राप्त धन में की गई हेरा-फेरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	172–173
प्रतापगढ़ लखनऊ मार्ग पर विक्रमपुर ग्राम सभा के मुख्य मार्ग पर टूटे पुल को बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	173
मृतक श्री शशि भूषण सिंह, नायब तहसीलदार महोबा के आश्रितों के देयों के भुगतान में हो रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	173–174

पशुपालन विभाग, उ०प्र० में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों में अवैध वसूली व शोषण करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 174

औद्योगिक नगरी जनपद-फतेहपुर तहसील-मुख्यालय बिन्दकी में विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण बन्द इकाइयों की वजह से मजदूरों व मालिकों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 174–175

जनपद सीतापुर तहसील व थाना–लहरपुर में फायर सर्विस स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 175

जिला मैनपुरी के क्षेत्र घिरौर के गांवों में पेयजल समस्या के दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 175–176

निर्वाचन क्षेत्र मेजा, विकास खण्ड कोरांव गुरमा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 176

जिला टिहरी गढ़वाल में टिहरी पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 176

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खण्ड-23 के ठेकमा रजबहा हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 25 वर्ष बाद भी न मिलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 176–177

लखनऊ इन्दिरा नगर में पेयजल समस्या के संकट को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 177

आत्मसुरक्षार्थ शस्त्र लाइसेन्स लेने वाले व्यक्तियों को तत्काल लाइसेन्स देने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 177

विधायक निधि सम्बन्धी शासनादेश प्रत्येक जनपदों में भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 178

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए विधान-मण्डल में प्रस्तुत आय-व्ययक में संशोधन (शुद्धि-पत्र) जारी किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य का प्रश्न 178–197

विनियोग विधेयक प्रस्तुत किये जाने के समय में कार्य-मंत्रणा समिति में लिये गये निर्णय एवं कार्य सूची में मुद्रित सिफारिश में भिन्नता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 197–198

वर्तमान सत्र के प्रथम मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–53 को विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 198

शासन द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने पर औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास 198–199

इनायत नगर (फैजाबाद) जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई) 199

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 199–200

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 200

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 200

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 200

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 200–201

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का 19वां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया) 201

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) समिति का 20वां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया) 201

उत्तर प्रदेश की तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति (1998-99) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 201

जनपद मुरादाबाद की तहसील विलारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने सम्बन्धी श्री हनीफ आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 201

जनपद उन्नाव के ग्राम-पिपरी, ब्लाक-सिकन्दरपुर सरोसी में सिंचाई हेतु राष्ट्रीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र प्रधान आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 202

जनपद कानपुर के जाजमऊ में स्थित सड़कों की मरम्मत कराने एवं अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी श्री राजकुमार आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 202

सन्त रविदास नगर के ग्राम-आनन्द डीह विकास खण्ड सुरियावां में पानी की टंकी स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 202

जनपद सीतापुर के ग्राम मडोर में केवानी नदी पर पुल या पीपे का पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री मोहिउद्दीन आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 202

जनपद सीतापुर के रेउसा तम्बौर में अग्नि-शमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर बहादुर सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 202

जनपद फैजाबाद में ग्राम-छोड़वल, तहसील–मिल्कीपुर में एक ओवर टैंक बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजस मिश्र आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की 203

जनपद फैजाबाद के कुमारगंज में निर्माणाधीन विद्युत स्टेशन चालू किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश प्रताप सिंह आदि को हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 203

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर मुख्यालय पर महिला अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 203

जनपद गोण्डा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बख्श सिंह की आदमकद प्रतिमा राजधानी लखनऊ एवं गोण्डा में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु नाथ सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 203

जनपद गोण्डा के मनकापुर में श्रवण पाकर तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में श्री शीतला पाण्डेय की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 203

जनपद सीतापुर के ग्राम सभा जार में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नन अली की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 204

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड एलिया से होकर सीतापुर बड़ागांव मितौली (लखीमपुर) तक मार्ग बनाये जाने सम्बन्धी श्री मुन्नालाल आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 204

जनपद सीतापुर के ग्राम मूसेपुर से रामपुर के मध्य में नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभाल की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 204

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के मुख्यालय इमिलिया सुल्तानपुर इन्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 204

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोलीं के ग्राम रजुवापुर बेरिहा के बीच कढ़ना नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 204

जनपद मिर्जापुर में सोनपम्प नहर परियोजना को बन्द न करने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 205

जनपद संत रविदास नगर के ग्राम पूरेकेशी नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशीधर उपाध्याय की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 205

उ०प्र० विनियोग विधेयक, 1999 के प्रस्तुतीकरण का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 205

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 205–210

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में लम्बित को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	211
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	211–228
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं० 26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	228–251
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं०-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	252
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	252
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	252–253
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 कार्य सूची की मद सं० 25 (8) के उपरांत प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	253
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	253
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	254
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं०-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	254
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 (पारित)	254–263
श्री बी० आर० वर्मा द्वारा प्रश्न को स्थानान्तरित करने तथा तत्कालीन सत्र में उत्तरित न होने की सम्भावना से उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	263–265
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	265
मेरठ मण्डल पुलिस का आधुनिकीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित कार्य योजनाओं को तत्काल सम्पूर्ण मण्डल में लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	265–267
जनपद मुरादाबाद की कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा अरिल नदी में दूषित जल छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम-51 के अतंर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	267–269

प्राथमिक शिक्षकों के चयन में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा दी गई श्रेणियों के प्राप्तांकों में भिन्नता तथा अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 269–271

विधान सभा में प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित आम-फल पट्टी बक्शी का तालाब लखनऊ का पुनः सर्वेक्षण कराकर अधिसूचना के निरस्तीकरण का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 271–272

जनपद-एटा, थाना जैथरा की जमीन बिकवा कर थानाध्यक्ष किरनवीर सिंह द्वारा लाखों रुपये हड़प लिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 273

जनपद उन्नाव अन्तर्गत असेवित ब्लाक सिकन्दरपुर सरोसी में कोई हाई स्कूल व इन्टर कालेज न होने से छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 273–274

जनपद गोण्डा की मनकापुर तहसील के अन्तर्गत महिला अस्पताल न होने के कारण जन-सामान्य को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 274–275

आगरा महानगर में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण तथा शास्त्रीपुरम् एवं कालिन्दी विहार के क्षेत्र में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के अनुरूप एक ग्राम की स्थापना के सम्बन्ध में मा० विधायक डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 275–276

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की भांति 25 वर्ष की आयु सीमा तक पारिवारिक पेंशन सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में डा० अशोक बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 276

प्रदेश के विभिन्न जनपदों विशेषतः जनपद बहराइच में कैसरगंज में नाव डूबने से मरने वालों मृतकों के परिवारों को समुचित सहायता दिये जाने तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके जाने के सम्बन्ध में श्री राम तेज यादव एडवोकेट आदि द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 277

जनपद जालौन थाना रेढर के अन्तर्गत ग्राम अतरौली में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की सामूहिक मारपीट से दलितों द्वारा गांव से पलायन कर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 278–279

जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत चार लोगों की हुई हत्या तथा बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए थाना का पुनः सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग, नियम-51 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	279–280
प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए बने हितकारी केन्द्रों के चिकित्सालयों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के 1 अप्रैल, 1999 से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	281–282
जनपद बाराबंकी में लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयनित लेखपालों को प्रशिक्षण पर न भेजे जाने के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	282–283
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही सहित) कतिपय अन्य जनपदों में कालीन एवं दरी निर्माण कार्य में कार्यरत परिवारों को बाल श्रम के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	283–285
जनपद चित्रकूट के थाना कोतवाली कर्वी के ग्राम सिद्धपुर निवासी श्री छोटा पुत्र लक्ष्मण को दिनांक 22-1-99 को थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा कथित रूप से हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ददू प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	285–286
जनपद बांदा के थाना जसपुरा के ग्राम बुधेला में कतिपय पट्टेदारों की फसल को दबंगों द्वारा जबरन काटे जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	286–287
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित मेहनगर डीहा मार्ग पर डीहा के पास मृगई नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम जग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	287
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि और विभिन्न विकास योजनाओं से सेन्टेज जार्चेज कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	287–288
जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जल निगम द्वारा उमैदोपुरा पेयजल योजना के अन्तर्गत उमैदोपुरा गांव में पानी की टंकी का निर्माण पूर्ण कराने तथा इसी योजना के अन्तर्गत ग्राम बरोली में बोरिंग को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	288–289

जनपद ज्योतिबाफूले के ग्राम-पखरौला जाने वाले सम्पर्क मार्ग को ग्राम-सिहाली में जबरन बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रिफाकत हुसैन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 289

जनपद गोण्डा के मुजहैना एवं मनकापुर क्षेत्रों की जीर्ण-शीर्ण विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने तथा धानेपुर-मनकापुर के बीच विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल सिंह, श्री राम बिशुन आजाद नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 290–291

हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड मेरठ के अधीन परीक्षा केन्द्रों में भारी हेरा-फेरी एवं गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 291

जनपद उन्नाव के श्रेणी-3 के जलाशयों, आसीवन, ताल, कुण्डरा झील व रैण्ड झील के ठेके के सम्बन्ध में श्री मुश्ताक सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 292

जनपद आगरा के परगना व तहसील आगरा में ग्राम-लश्करपुर में विद्युतनगर दयालबाग से गन्दा पानी का नाला बनाने हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 292–293

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा जनपद सीतापुर के परीक्षा केन्द्र भारतीय विद्या मन्दिर, उ०मा० विद्यालय कम्भरिया के 10वीं कक्षा के 23 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित कर देने से उत्पन्न स्थिति के समबन्ध में श्री श्याम लाल रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 293–295

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर उत्तर प्रदेश से जाने वाले यात्रियों को हज यात्रियों की भांति सम्मानजनक आर्थिक सहायता व सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 295–296

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के मुख्यालय स्थित ज्ञानसरोवर का पानी गन्दा होने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 296–297

नत्थियाँ 298–301

बिहार पंचायत सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
गंगा बक्श सिंह, श्री	उन्नाव
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुवंर	एटा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पीटर फैन्थम	नाम-निर्देशित सदस्य
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
मंजू, श्रीमती	बलिया
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजा गज़नफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजाराम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999
(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देने की मांग

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

** 1-क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य देने हेतु समर्थन मूल्य के अलावा बोनस का भुगतान करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

विपणन वर्ष 1999-2000 हेतु रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है। फसलों के घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन-किन फसलों का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है क्या उसमें आलू का भी समर्थन मूल्य घोषित किया गया है या फिर इसके समर्थन मूल्य को घोषित किये जाने की कोई योजना है ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अतिरिक्त बोनस दिये जाने के बारे में भारत सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या माननीय मंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस के लिए मांग की गयी है यदि की गयी है तो कब की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, 1999-2000 के लिए रबी फसल के अन्तर्गत गेहूं, जौ, चना, लाई, सरसों, कुसुम का समर्थन मूल्य क्रमशः गेहूं का 550 रुपये क्विंटल, जौ का 385 रुपये क्विंटल, चने का 895 रुपये प्रति क्विंटल, लाई और सरसों का 1000 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम का 990 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। आलू के समर्थन मूल्य की सूचना मेरे पास नहीं है। यह जो सूचना मैंने दी है वह रबी फसल के बारे में बतायी है जहां तक बोनस दिये जाने की बात है प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से बोनस की मांग नहीं की है।

श्री राजधारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किये हैं। मान्यवर, अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग भौगोलिक स्थिति और जलवायु होती है और सिंचाई की भी अलग-अलग क्षमता होती है, क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सिंचन क्षमता तथा बीज की उपलब्धता और अन्य तमाम अभावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समर्थन मूल्य को घोषित करने हेतु भारत सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं और क्या उन सुझावों को माना गया है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, वर्ष 1999-2000 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य हेतु 600 रुपये प्रति क्विंटल की रिकमडेशन भेजी गयी थी परन्तु भारत सरकार ने 550 रुपये घोषित किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो संस्तुति की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के लिये, उसका आधार क्या था? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय पाण्डेय जी ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देने पर विचार करेगी? मान्यवर, आगे मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा केन्द्र सरकार ने न दिया न केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई योजना घोषित की है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उनको लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये बोनस देने पर विचार करेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

अभी मैंने माननीय सदन के समक्ष रखा है कि 600 रुपये की हम लोगों ने मांग की थी और 550 रुपये भारत सरकार ने घोषित किया है। निश्चित रुप से हम जो मांग करते हैं बढ़ाकर रखते हैं। भारत सरकार सभी बिन्दुओं पर विचार करके अपनी घोषणा करती है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि आधार क्या है? आधार में हम लागत देखते हैं। फसल की लागत कितनी आई है और उस लागत के अनुरूप आज जो परिस्थितियां हैं उन पर विचार करके अपनी संस्तुति भेजते हैं। फसल की जो लागत है, हमारे पास जो सूचना है विभिन्न विश्वविद्यालयों के आंकड़े हैं उसके अनुसार 426.40 रुपये लागत गेहूं की आई है और उस पर जो किसानों का मार्केटिंग का खर्चा लगता है उसको मिलाकर 596.28 पैसे हमारी लागत आई थी जिसमें किसानों का लाभ भी शामिल है। हमने उसके आधार पर 600 रुपये की संस्तुति की थी। 550 रुपये भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। जहां तक अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अपेक्षा नहीं की है। मैंने यह नहीं कहा था। उत्तर में यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से बोनस की मांग नहीं की है। अपेक्षा की बात नहीं कही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने निजी संसाधनों से बोनस देने पर विचार करेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमान, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि इन्होंने 600 रुपये संस्तुति की थी भारत सरकार से गेहूं के समर्थन मूल्य के लिये किसानों की उत्पादन लागत को देखते हुए। इन्होंने कहा कि इनके पास विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से लागत मूल्य 26.40 पैसा है और किसानों की उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर इन्होंने 600 रुपये की संस्तुति केन्द्र सरकार से की क्योंकि इनके अनुसार लागत 596.28 पैसे आ रही थी। केन्द्र सरकार ने 550 रुपये 28 पैसे घोषित किया है। श्रीमान यह माननीय मंत्री जी और सरकार इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों का जो लागत मूल्य है उससे कम पर देना पड़ रहा है। कोई उत्पादन किसी फैक्ट्री का हो वह लागत मूल्य के कम पर अपने उत्पादन को नहीं बेचेगा। लागत मूल्य के कम समर्थन मूल्य की संस्तुति केन्द्र सरकार ने की है।

श्रीमान केन्द्र सरकार का समर्थन मूल्य लागत मूल्य से अलग है, अन्य राज्यों में समर्थन मूल्य को बनाए रखने के लिए बोनस देते हैं तो क्या सरकार 596 रु0 लागत मूल्य को देखते हुए 600 रुपया प्रति कुन्टल अतिरिक्त बोनस देने पर विचार करेगी? क्या इन्होंने लागत मूल्य के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से बात की है?

श्री अध्यक्ष-

छोटा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो किसानों का उत्पादन मूल्य तय किया जाता हैं इसमें कम से कम दो कृषि प्रतिनिधि रखें, चाहे गेहूं, चावल या किसी का भी समर्थन मूल्य घोषित करने की बात क्यों न हो उस समिति में किसानों के दो प्रतिनिधि रखने पर विचार करेंगे? आलू मंडियों में, जो आलू कोल्ड स्टोरेज में दे रहें हैं क्या उसमें भी समर्थन मूल्य के लिए रखेंगें?

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट में अनुपूरक करेंगे तो उत्तर कब आयेगा?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जैसा मैंने कहा था कि 426 रुपये 46 पैसे था 426 रुपये को बढ़ाकर संस्तुति की थी मुनाफा और विपणन व्यय आदि जोड़कर संस्तुति की थी जो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य 550/- रुपये घोषित किया है जो निश्चित रूप से 426.46 रुपये से अधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब विचार करना सम्भव नहीं है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बोनस दिए जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो पूरा आ जाने दीजिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

दूसरी बात पाल जी ने पूछी है कि किसानों के प्रतिनिधि इस कमेटी में रखने के लिए, तो कोई भी कमेटी जो कृषि से सम्बन्धित बनती है जो लागत मूल्य निर्धारित करती है उसमें सांसद प्रतिनिधि रहते हैं और उनकी राय उसमें रहती है वह किसान प्रतिनिधि माने जाते हैं आलू के बारे में कहा उसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

कोई जरूरी नहीं है कि सांसद प्रतिनिधि किसानों के प्रतिनिधि हों, या वह खेती करते हों।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, अनुपूरक को अनुपूरक की तरह रहने दीजिए, तर्क-वितर्क तो हो नहीं रहा है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह प्रदेश के 80 फीसदी किसानों से जुड़ा सवाल है। मंत्री जी ने स्वीकार किया है लागतमूल्य के आधार पर संस्तुति भेजी है आप इस बात से भिज्ञ है कि 6 महीने के अन्दर जिस तरह चीजों के मूल्य बढ़े हैं खाद के दाम बढ़े हैं कीटनाशक के दाम बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक पूछें।

श्री अवधेश प्रसाद-

किसानों के हित को देखते हुए भारत सरकार इस बढ़ती मंहगाई को देखते हुए किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एक महीने के अन्दर, लाभकारी मूल्य दिलाने को तैयार है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जिस समय गेंहू की बुआई हुई उस समय जो उर्वरक का मूल्य था उसको ध्यान में रखकर संस्तुति भेजी गई, आज यदि बोआई के बाद दाम बढ़ गये तो उसका असर जो गेहूं बोया जा चुका है उसकी लागत पर नहीं पड सकता है।

श्री अफजाल अंसारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि सरकार ने पहले यह अनुमान लगाया था कि इस वर्ष प्रदेश में आलू की भारी पैदावार होगी और एक अनुमान के अनुसार 95 लाख मीट्रिक टन आलू की भारी पैदावार हुई। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि आलू के लिए कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है। आलू की जो पैदावार हुई है उसमें किसान की लागत क्या लगी है? क्या इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या इस समय सरकार को जानकारी है कि प्रदेश की मण्डियों में जब किसान आलू स्टोर नहीं कर पा रहा है तो 125/- रुपये क्विंटल के हिसाब से आलू बेचने पर मजबूर हो रहा है? इस समय टमाटर की पैदावार भी पूर्वांचल में अच्छी हुई है। आज वहां पर 25/- रुपये क्विंटल टमाटर बिक रहा है और जितना बिकता नहीं है उससे ज्यादा सड़ा जा रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, आलू या टमाटर यह उद्यान विभाग से सम्बन्धित है और कृषि मंत्री से प्रश्न किया गया है।

श्री अवधेश प्रसाद- (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अवधेश जी आप बैठ जायें यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद- मान्यवर, (× × ×)

इसके विरोध में हम और हमारा दल इस सदन का त्याग करते हैं।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 600/- रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित करने का अनुरोध किया था। प्रदेश सरकार ने जो नीति बनायी है उससे 596.28 पैसे मूल्य मिलना चाहिए तो लाभकारी मूल्य मिलेगा। लेकिन केन्द्र सरकार ने 550/- रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। पहला प्रश्न मेरा यह है कि जो सरकारी फार्म हैं, कृषि विभाग के अधीन चल रहें हैं, उनमें गेहूं की लागत मूल्य क्या आ रही है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जिस अनुपात में किसानों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम बढ़ रहें हैं उसी अनुपात में फसलों के भी दाम बढ़ाये जायेगें?

नोट :-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 596.28 पैसे आंका था संस्तुति 600/- रुपये की थी। यह जरूरी नहीं है कि जितना मुनाफा उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा हो उतना केन्द्र सरकार दे ही। 426.46 पैसे की लागत थी जबकि 550/-रुपया घोषित किया गया है। यह निश्चित रूप से लागत को देखते हुए लाभकारी मूल्य है। यह जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार जितनी लागत देना चाहें उसमें भारत सरकार पूर्णरूपेण सहमत हो।

मान्यवर, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं किसान ग्रुप हैं गांव हैं, जो वास्तविक लागत आती है हम तो उसके हिसाब से गणना करते हैं कृषि फार्म की लागत से देखेंगे तो किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, जब से इन्होंने लागत मूल्य भेजा है तब से इनकी सरकार ने डीजल, बिजली और पेट्रोल पर अधिभार बढ़ा दिया है उससे निश्चित रूप से लागत ज्यादा आयेगी तो जितना बढ़ाया है उस अनुपात में बोनस देने की घोषणा करेगें?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, गेहूं की बुवाई के बाद सिंचाई के बाद यह दाम कुछ बढ़े हैं लेकिन उससे फसल की उत्पादन लागत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो सुनिश्चित करते हैं कि उस समय जो लागत आ रही थी उसके आधार पर। मान्यवर, यह पहली सरकार माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हैं जिसने क्षतिपूर्ति किया है। हमने पिछली बरसात में 25 प्रतिशत सब्सिडी गेहूं के बीज पर उपलब्ध कराई है जिसमें 8 करोड़ रुपये व्यय किये गये इस वर्ष बाढ़ में 25 करोड़ रुपया सरकार ने अपने पास से व्यय करके मुफ्त बीज उपलब्ध कराया है।

श्री प्रमोद कुमार -

मान्यवर, चूंकि यह किसानों को उचित दाम नहीं दे पा रहें हैं इसलिए मैं और मेरे दल के सदस्य इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री समरपाल सिंह -

मान्यवर, यह किसानों को वाजिब दाम नहीं दिला पा रही है यह सरकार किसान विरोधी है इनको नीतियों के विरोध में हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश की बड़ी नदियों को गहरा करने तथा उनकी सिल्टिंग हटाने की योजना की जानकारी

डा0 सरजीत सिंह डंग-

** 2-क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की बड़ी नदियों यथा-गंगा, यमुना, गोमती एवं सरयू को गहरा करने तथा उनकी सिल्टिंग हटाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न पूछें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

श्रीमन परम्परा यह रही है कि जब प्रश्नकाल हो तब सम्बन्धित विभाग के अधिकारी दीर्घा में रहते हैं, आप देख लें पूरी दीर्घा खाली पड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

दीर्घा में कोई रहे या न रहे हम उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

श्रीमन एक ऐसा आदमी जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वह भी जानता है कि बड़ी नदियों की जल धारा बढ़ेगी जब उनकी सिल्ट हट जायेगी, सूखा समाप्त हो जायेगा, यातायात का नया और सस्ता साधन मिलेगा और सिल्ट से जो बालू निकलेगी उससे एक अच्छी प्राकृतिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि यह तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिसके आधार पर कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है ?

श्री धनराज यादव-

उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है और जितनी नदियां हैं उनके द्वारा वरदान मिलता है और उन्हीं के द्वारा समस्या भी पैदा होती है उनको देखते हुए डंग साहेब की बात सत्य हो सकती है लेकिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह व्यवहारिक नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह पूछ रहें है कि क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराया है ?

श्री धनराज यादव-

मान्यवर, कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, तो उत्तर कैसे आ गया ? बिना सर्वेक्षण किये, बिना किसी तरह का अध्ययन कराये इस तरह का उत्तर दे दिया गया है । मान्यवर, मेरे पास इस सम्बन्ध का साहित्य है, अगर सिल्ट हटा ली जायेगी तो इससे अच्छी प्राकृतिक उर्वरक और कोई नहीं होगी । क्या मंत्री जी इससे इन्कार करेंगे कि इससे यातायात का सस्ता साधन मिलेगा ? अगर सिल्ट हटा दी जाय तो नदियों की पेटी गहरी हो जायेगी और बाढ़ समाप्त हो जायेगी । बाढ़ से जो जनता का हजारों रुपया बर्बाद होता है और उसकी सहायता के लिए शासन द्वारा जो हजारों रुपया दिया जाता है यह सब बचेगा ।

श्री धनराज यादव-

आपने जो कहा कि सिल्ट हटा कर उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि बालू से उर्वरक क्षीण होता है उसमें कुछ मिट्टी ऐसी आती है जो उर्वरक के लिए ठीक होती है । सिल्ट हटाने के लिए हमें नदियों में बांध बनाने पड़ेगें, उनके पानी को दूसरी तरफ मोड कर ले जाना पड़ेगा उसमें पैसा लगेगा और तभी नदियों की खुदाई की जा सकती है फिर भी वह एक वर्ष में पट सकती हैं या 4 साल में पट सकती है, कुछ अनुभव भी तकनीक में आता है ।

श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि मिट्टी हटाई जा सकती है, कितने समय तक लाभ रहेगा यह मालूम नहीं । दूसरी तरफ कहा है कि तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है तो यह दोनों बातें कैसे सम्भव हैं, यह बता दें ?

श्री धनराज यादव-

सम्भव नहीं है, यह नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह काफी लम्बा काम है, इसके लिये लम्बी पूंजी चाहिये, इसका प्रतिफल भी अनिश्चित है, सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, यह मैंने कहा है ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी सिल्टिंग हटाने के महत्व को समझते हुये, क्या कोई अध्ययन/सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से कराकर, सदन के सामने उसकी रिपोर्ट रखेगें ?

श्री धनराज यादव-

मान्यवर, अभी इतने बड़े काम के लिये न तो धन है और न सरकार इसकी आवश्यकता महसूस करती है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालय को चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने एवं के0जी0एम0सी0 तथा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को सम्बद्धता से बाहर रखने की योजनाओं की जानकारी

डा0 सरजीत सिंह डंग-

*1.-क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कालेजों एवं संस्थान) को किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सम्बद्ध करने की कोई योजना है? क्या लखनऊ स्थित के0जी0एम0सी0 तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ को इस सम्बद्धता से बाहर रखने की योजना है? यदि हां, तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)-

जी हां।

शासन द्वारा दिनांक 15-01-99 को प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जी हां।

दोनों संस्थानों को प्रस्तावित मेडिकल विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं किया गया। के0जी0 मेडिकल कालेज जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय का घटक कालेज है, के विषय में निर्णय स्थगित कर दिया गया है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, अतः उसे इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना आवश्यक नहीं है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कृपापूर्वक उत्तर दिया है, जी हां और यह भी बताया कि 15-01-99 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। जहां तक मेरी जानकारी है इसमें न केवल पश्चिमी चिकित्सा बल्कि भारतीय चिकित्सा पद्धति वाले विद्यालयों को इसमें जोड़ा गया है और मजे की बात यह है कि एक की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, उसकी लड़े बिल्कुल अलग है, उसको भी जोड़ा गया है। प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है। आज कानपुर में कैन्सर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट, जे0के0 इंस्टीट्यूट, हैलेट अस्पताल की हालत बहुत खराब है तो क्या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कालेजेज को इससे अलग रखने का आश्वासन देंगे?

श्री शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, सम्मानित डंग साहब ने जो सवाल उठाये हैं, हमें उसमें यह कहना है कि हमने जो धन्वतरि विश्वविद्यालय बनाया है, उस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी पैथीज को फैकल्टीज के रूप में बनाने का प्रस्ताव किया है। चाहे ऐलोपैथी हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, प्राकृतिक शिक्षा, यूनानी हो, सब फैकल्टीज होंगी। उन फैकल्टीज के भीतर जो भी-विद्यालय, महाविद्यालय आ रहे हैं, को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। लेकिन के0जी0 मेडिकल कालेज और संजय गांधी इंस्टीट्यूट को इसलिये सम्मिलित नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि यह लखनऊ विश्वविद्यालय का घटक था और किसी विश्वविद्यालय से अगर किसी कालेज को निकालने के लिये, उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव होने पर ही संभव हो सकता है। यह विश्वविद्यालय की इच्छा शक्ति का विषय है, यदि लखनऊ विश्वविद्यालय यह प्रस्ताव करेगा, तब हम उसको अपने यहां ला सकते हैं। जहां तक संजय गांधी का सवाल है, वह अपने आप में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसका क्षेत्र दूसरा है....

इसलिए उसको लाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने जो कैंसर इंस्टीट्यूट का सवाल उठाया है वह भी कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर मेरा प्रश्न यह है कि के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है। आज कानपुर में कैन्सर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट, जे0के0 इंस्टीट्यूट की हालत खराब है, इसका अन्दरूनी कारण क्या है?

श्री शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर अन्दरूनी कारण तो हमको और सरकार को भी नहीं पता कोई विशेष कारण हो तो मैं नहीं बता सकता।

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्या उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से कोई विचार विमर्श किया है?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां, सम्पर्क किया गया है। हमने अपनी सीमाओं के अन्तर्गत जितने कालेज आते हैं उनको ले किया है और विश्वविद्यालय जब प्रारम्भ हो जायेगा तो हम, उच्च शिक्षा विभाग से जरूर सम्पर्क करेंगे अन्य मेडिकल कालेजों के बारे में।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूंछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने के0जी0एम0सी0 के विषय में जो निर्णय स्थगित कर दिया है तो क्या कानपुर विश्वविद्यलय से सम्बद्ध आयुर्वेद और यूनानी कालेजों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करेंगे या उसको यथावत रखना चाहते हैं ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, यह कानपुर विश्वविद्यालय का मामला है और के0जी0एम0सी0 गवर्नमेन्ट का नहीं है इसलिए इनको विश्वविद्यालय से कैसे सम्बद्ध किया जा सकता है। यह लखनऊ विश्वविद्यालय का घटक है हम केवल उन्हीं कालेजों को लेने की बात कर रहे हैं जो किसी विश्वविद्यालय के घटक नहीं हों।

श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के (मेडिकल कालेजों एवं संस्थान) को किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सम्बद्ध करने की कोई योजना है ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

माननीय मेहरा जी ने जो सवाल उठाया है, मैंने 6 गवर्नमिन्ट के जो मेडिकल कालेज थे, उनको स्वायत्तशासी घोषित कर दिया है। जहां तक के0जी0एम0सी0 कालेज जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय का घटक कालेज है, के विषय में निर्णय स्थगित कर दिया गया है। इस मेडिकल कालेज को प्रस्तावित मेडिकल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना अनिवार्य नहीं किया गया है। उसकी गवर्निंगबाडी इस सिलसिले में विचार करेगी।

प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

*2-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में किसी मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब तक खोल दिया जायेगा ? क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति के विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पृथक से आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

शासनादेश संख्या-9522/71-3-98-347/87 दिनांक 15-01-99 द्वारा मेडिकल विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में दिनांक 15-01-99 के शासनादेश का हवाला देते हुए यह कहा है कि इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह प्रस्तावित चिकित्सा विश्वविद्यालय है, उसमें किस पद्धति का व्यक्ति वाइस चान्सलर के रूप में नामित करेंगे और उससे अन्य चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, हमने तो शासनादेश निर्गत किया है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि धन्वन्तरि विश्वविद्यालय का जो वाइस चान्सलर होगा, वह एक ख्याति प्राप्त चिकित्साविद होगा। वह ख्याति प्राप्त चिकित्साविद आयुर्वेद का भी हो सकता है, होम्योपैथ का भी हो सकता है, एलोपैथ का भी हो सकता है या अन्य किसी पद्धति का ख्याति प्राप्त चिकित्साविद हो सकता है। जो प्रश्न बाजपेई जी ने उठाया है कि इसका क्या प्रभाव होगा? मेरा मान्यवर, यह कहना है कि आज जो भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की फैकल्टीज हैं, उसमें कामर्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, साइंस भी है और बहुत सी फैकल्टीज होती हैं, विश्वविद्यालय का जो भी वाइस चान्सलर होता है वह एक विषय का विद्वान हो सकता है, एक विषय का ज्ञाता हो सकता है, क्या उसके आ जाने से अन्य सभी फैकल्टीज का कार्य एफेक्टेड हो जाता है? वाइस चान्सलर का कार्य तो पूरे विश्वविद्यलय को डवलप करना और उसकी हैसियत को अच्छा बनाना ही हो सकता है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था कि जो 15-01-99 को शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कार्य रूप में कब से अस्तित्व में आ जायेगा? क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति का विश्वविद्यालय, सन् 1975 से हरिद्वार में कई सौ एकड़ जमीन पर बनने हुए प्रस्तावित है, और सरकार के विचाराधीन है, क्या सरकार पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी?

श्री शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, बाजपेयी जी ने एक साथ दो सवाल उठाये हैं। पहला कि विश्वविद्यालय कब से काम करना शुरू करेगा तो इस सम्बन्ध में सरकार का प्रयास है कि इस एकेडेमिक सेशन का अंत आते-आते यह विश्वविद्यालय व्यवहारिक धरातल पर खड़ा हो जाय। दूसरे आपने हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है तो वहां पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

(तारांकित प्रश्न)

जनपद भदोही व सन्त रविदास नगर में जवाहर रोजगार योजना तथा एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में अवमुक्त धनराशि एवं इसके कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में जानकारी

*1. श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही व संत रविदास नगर में जवाहर योजना योजनान्तर्गत तथा एस0आर0आई0 द्वारा 1997-98 में नलकूपों पर पाइप लाइन बिछाने तथा नलकूपों पर कार्य हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया? उन पर कहां-कहां कौन सा कार्य कराया गया? क्या दीघ ब्लाक में बेरवां पहाड़पुर नाली निर्माण हेतु दी गयी धनराशि का दुरूपयोग किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धनराज यादव-

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में जवाहर रोजगार योजना अथवा एस0आर0 वाई0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में नलकूपों पर पाईप लाईन बिछाने हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई।

वर्ष 97-98 में जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में नलकूपों पर कार्य कराये जाने हेतु जवाहर रोजगार योजना एवं एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि के विवरण निम्न प्रकार है-

(1)- **जवाहर रोजगार योजना:-**

इस योजना के अन्तर्गत जनपद संतरविदास नगर में वर्ष 97-98 में नलकूपों पर कार्य कराये जाने हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुयी।

(2)- **एस0आर0वाई0:-**

इस योजना के अन्तर्गत 1.20 लाख रुपये की धनराशि तत्कालीन अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड ज्ञानपुर के पक्ष में नलकूपों की नालियों के जीर्णोद्धार हेतु अवमुक्त हुयी थी। नलकूप खण्ड ज्ञानपुर पुनर्गठन के फलस्वरूप नलकूप खण्ड-2 जौनपुर के रूप में स्थानान्तरित हो जाने के कारण अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड ज्ञानपुर ने परियोजना निदेशक संत रविदास नगर से चेक को वापस करते हुए, उक्त धनराशि नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही के पक्ष में अवमुक्त करने का अनुरोध किया। यह धनराशि पुनः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से अवमुक्त नहीं हुई।

इस प्रकार प्रश्नान्तर्गत योजनाओं से नलकूपों पर पाइप लाइन बिछाने तथा नलकूपों पर किसी अन्य कार्य के लिये कोई धन अवमुक्त नहीं हुआ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 1.20 लाख रुपये की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड - ज्ञानपुर के पक्ष में नालियों के जीर्णोद्धार हेतु अवमुक्त हुयी थी परन्तु नलकूप खण्ड ज्ञानपुर के पुनर्गठन के कारण वह धनराशि नलकूप खण्ड-2 जौनपुर में स्थानान्तरित हो गयी। तो यह धन कब अवमुक्त हुआ और नलकूप खण्ड-2 में कब पहुंचा। इस बीच धन का उपयोग नहीं किया जा सका। यदि यह धनराशि उपयोग की जा सकती थी और अधिशासी अभियन्ता की लापरवाही के कारण उपयोग नहीं की जा सकी तो क्या इसकी जांच कराकर अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्री धनराज यादव-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि यदि समय था और कार्य हो सकता था तो क्यों नहीं किया गया इसकी जांच के आदेश हो गये हैं जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और दण्डित किया जायेगा।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत की योजना की जानकारी

*2 श्री राजधारी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो बलिया जनपद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त नलकूप नालियों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धनराज यादव-

बाढ़ से क्षतिग्रस्त नलकूपों की नालियों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु शासन स्तर पर अलग से कोई योजना नहीं बनाई गयी है। नलकूपों की नालियों का पुनर्स्थापन वार्षिक अनुरक्षण तथा जनपद योजना से होता है।

जनपद बलिया में नलकूपों की नालियों के पुनर्स्थापन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को परियोजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री राजधारी-

मान्यवर, बाढ़ के प्रभावित इलाके में सारे नलकूपों की नालियों के निर्माण की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। पूरा सदन जानता है कि बाढ़ की विभीषिका से बंधे, नालियों, का नुकसान हुआ है। जहां सरकार अन्य विभागों को विशेष पैकेज दे रही है और ट्यूबवेल आदि के लिये अलग से पैसा दिया गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि ट्यूबवेल की नालियां जो बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुयी हैं उनके लिये विशेष निर्माण योजना न बनाने का क्या कारण है। दूसरा प्रश्न यह है कि सरकारी नलकूपों के पुनर्स्थापन और अनुरक्षण के लिये प्रति ट्यूबवेल प्रतिवर्ष जो धनराशि दी जाती है क्या वह पर्याप्त है यदि नहीं है तो क्या सरकार उसको बढ़ाने पर विचार करेगी?

श्री धनराज यादव-

मान्यवर, अभी तक अनुरक्षण की मद में प्रति वर्ष, प्रत्येक ट्यूबवेल 7 हजार रुपया दिया जाता है इसको बढ़ाने का प्रस्ताव है और बढ़ाकर 12 हजार करने पर विचार किया जा रहा है। बाढ़ क्षेत्र के 22 नलकूपों के निर्माण के लिये प्राक्कलन बना लिया गया है और 12 लाख 50 हजार रुपये का यह प्रोजेक्ट डी0आर0डी0ए0 को भेजने का निर्देश दे दिया गया है। पैसा प्राप्त होने पर उनका पुनर्निर्माण करा दिया जायेगा।

श्री राजधारी-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि मूल्यांकन करा लिया गया है और डी0आर0डी0ए0 को लिख दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह शासन स्तर पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? दूसरा यह कहा कि 7 हजार से 12 हजार रुपया अनुरक्षण के लिए बढ़ाने की सोच रहे हैं वह बढ़ोत्तरी कब तक कर देंगे?

श्री धनराज यादव-

मान्यवर, 12 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी अगले वित्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से हो जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मंत्री जी कह रहे हैं कि 7 हजार से 12 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी अगले वित्तीय वर्ष से हो जायेगी। एक तरफ यह ट्यूबवेल को गांव सभाओं को देने जा रहे हैं तो क्या यह बढ़ायी गयी धनराशि गांव सभाओं को देंगे?

सिंचाई तथा गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, 7 हजार रुपये से 12 हजार बढ़ाने का मामला विचाराधीन था और वह कार्य शासन के पास होता तो निश्चित रूप से हम उसे करते। चूंकि एक नीतिगत निर्णय ले लिया गया है और उसे क्रियान्वित करने के लिए शासन स्तर पर विचाराधीन है। इसलिए अनुरक्षण राशि बढ़ाने का जो प्रकरण विचाराधीन था उसके कार्यान्वयन में बाधा आयेगी और उसकी व्यवहारिकता नहीं रह जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अभी सदन में राज्यमंत्री ने कहा कि 12 हजार रुपया दिया जायेगा। कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि व्यवहारिकता नहीं रह जायेगी। क्या राज्यमंत्री को जानकारी नहीं है कि कैबिनेट में क्या डिसाइड हो रहा है। मान्यवर, पूरे प्रदेश के ट्यूबवेल्स के अनुरक्षण का सवाल है, सरकार इसका अनुरक्षण कर रही है तो वह कर नहीं पा रही है, कभी मोटर जल गया, कभी ट्रांसफार्मर जल गया। अभी राज्यमंत्री ने कहा कि 12 हजार रुपया बढ़ाने का निर्णय हुआ तथा अगले वित्तीय वर्ष से वह लागू भी हो जायेगा। जबकि कैबिनेट मंत्री कह रहें हैं कि 12 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी लागू नहीं होगी, गांव सभाओं को हम नहीं देंगे। गांव सभाओं को ट्यूबवेल ट्रांसफर हो जायेंगे और आप उनको अनुरक्षण के लिए पैसा नहीं देंगे तो गांव सभायें किस श्रोत से मीट-आऊट करेंगी अगर आप धनराशि नहीं देंगे तो सारे ट्यूबवेल बन्द हो जायेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इस विषय पर सदन में एक बार नहीं कई बार प्रश्न उठा और शासन का जबाव भी आया 7 हजार रुपये से 12 हजार रुपया बढ़ाने का विचार था अगर वह शासन के पास होता तो निश्चित रूप से हम लागू भी करते। चूंकि एक नीतिगत निर्णय ले लिया गया है और शीघ्र ही गांवों को देने का काम सम्पन्न कराया जायेगा इसलिए उसको क्रियान्वित करने की व्यवहारिकता नहीं रह गयी है। जहां तक संचालन का सवाल है मैंने कई बार कहा है कि नलकूप पंचायतों को देने के बाद भी सुचारुरूप से जैसे आज चल रहे हैं, चले, सुरक्षित रहें, किसानों को पानी मिले। इसकी व्यवस्था करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श शासन स्तर पर चल रहा है, उच्चाधिकारियों के स्तर पर चल रहा है।

(व्यवधान/शोर)

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। जब यह नहीं कर पा रहे हैं तो पंचायतें उस काम को कैसे कर पायेंगी?

श्री अध्यक्ष-

शासन अभी विचार कर रहा है। मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि पंचायतों को देने के बाद भी सुचारुरूप से चलाया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, शासन ने ग्राम सभाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए राज्य के जो राजस्व का अंश है उसका 11 प्रतिशत लोकल बाडीज को दिया नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को 230 करोड़ रुपया दिया गया। पिछलें वर्षों में यह 20-25 करोड़ रुपया राज्य अंश से दिया जाता था।

यह सरकार 230 करोड़ और इससे भी ज्यादा देने पर विचार कर रही है। 20 करोड़ की जगह 230 करोड़ देने का निर्णय लिया है। यह भी विचार किया जा रहा है कि कहां से उसको राजस्व के स्रोत मिले। जिससे वह नलकूपों को अच्छी तरह से चला सके।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जांए मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

{ * * * }

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

आप किसानों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

समय के अनुसार संरक्षण दिया जायेगा। मैंने अब अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

{श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।}

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के किसानों से जुड़ा सवाल है सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन कर रहा है।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

*3-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।

नोट :- { * * * } यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वर्ष 1998-99 में जिला योजना में स्वीकृत मार्गों पर रोक एवं देय धनराशि अवमुक्त किये जाने की जानकारी

*4-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998-99 में जिला योजना में स्वीकृत मार्गों पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? देय धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री-(श्री मंगल सिंह सैनी)-

जी नहीं।

समस्त स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1998-99 में जनपद मेरठ में जिला योजना अनुश्रवण समिति में एक करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी। प्रदेश सरकार को यह पैसा देना था। इतना ही पैसा गन्ना परिषद् का था। इस तरह से 2 करोड़ 30 लाख की सड़कें हमारे जनपद में बनती। लेकिन दिया गया धन है 22 लाख अम्बेडकर मार्ग मद में और सामान्य मद में 8 लाख 11 हजार रुपये इस तरह से 30 लाख 11 हजार रुपये दिये गये। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकांश सड़कें गन्ना विभाग से बनी हैं अबकी बार जल भराव से अधिकांश सड़कें टूट गई।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न करें।

प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या यह अवशेष धनराशि सभी जनपदों को भेजी जा रही है।

श्री मंगल सिंह सैनी-

जिला योजना सेक्टर में 1998-99 के लिए 732.70 करोड़ की स्वीकृति हुई वह टोटल की टोटल धनराशि अवमुक्त कर दी गई। जिसमें से 318.21 करोड़ जिला योजना समिति द्वारा और 431.6 करोड़ दूसरे विभागों को अवमुक्त कर दिया गया। सिंचाई तथा पी0डब्लू0डी0 की धनराशि भी अवमुक्त हो चुकी है।

जनपद बस्ती एवं वाल्टरगंज चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य से काटे गये कलेक्शन चार्जेज को मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार वापस करने के आदेश

*5-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में बस्ती चीनी मिल एवं वाल्टरगंज चीनी मिल पर बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये प्रदेश

सरकार द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के विरुद्ध उक्त चीनी मिलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर की थी ? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिल के पक्ष में निर्णय दे दिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ? क्या सरकार किसानों के गन्ना मूल्य से काटे गये कलेक्शन चार्ज को कोर्ट के निर्णय के अनुसार अदा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगल सिंह सैनी-

जी हाँ।

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय ने संक्षेप में निम्न निर्णय पारित किया है :-

"रिट याचिकायें स्वीकार की जाती हैं । संदर्भित आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1992, एनेक्जर-4 तथा आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1992 निरस्त किये जाते हैं । प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वादियों से संग्रह वसूली के लिये कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करें संग्रह व्यय का पुनर्निर्धारण यदि कोई हो, जारी किये गये प्रासेस के आधार पर याचिका को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त करेंगे ।

(बी) जो धनराशि पहले वसूल की जा चुकी है उसे आदेश दिनांक 6-3-98 के अनुपालन में वादियों को वापस लौटायी जायेगी ।

(सी) यह आदेश समस्त याचिकाओं पर लागू होगा ।

(डी) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय प्रश्नगत दो प्रकरणों के अतिरिक्त, राज्य द्वारा इससे पूर्व के प्रकरणों में वसूले जाने वाले संग्रह व्यय पर लागू नहीं होगा ।

इस आदेश पर कोई देय नहीं होगा ।

गन्ना मूल्य से काटे गये कलेक्शन चार्ज गन्ना समितियों को वापस करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा आदेश दिनांक 6 मार्च, 1999 को सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेजा जा चुका है ।

श्री राम ललित चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । सवाल पुराना है इसलिए थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी । 1991-92 में रिकवरी सर्टिफिकेट वाल्टरगंज और बस्ती चीनी मिलों को जारी किया गया इनसे कलेक्शन चार्ज काटा जाना चाहिए था लेकिन मिलों से कलेक्शन चार्ज नहीं काटा गया और गन्ना किसानों से गन्ना मूल्य का कलेक्शन चार्ज काट दिया गया । दो वर्ष बाद यह आदेश हुआ कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान वापस कर दिया जाए कलेक्शन चार्ज का लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । जब यह सवाल लगा तो मंत्री जी का जवाब है गन्ना मूल्य से काटे गये कलेक्शन चार्ज गन्ना समितियों को

वापस करने हेतु भेजे जा चुके हैं। ऐसे आदेश गई बार हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसानों से जो कलेक्शन चार्ज काट लिया गया था क्या उसे किसानों को वापस देने हेतु समयबद्ध तरीके से आदेश देने की कृपा करेंगे?

सात साल बीत गये हैं किसानों का पैसा वापस नहीं हुआ है और यदि एक करोड़ रुपये को गन्ना किसान अगर कहीं दूसरी जगह रखते तो यह आज तक दो करोड़ हो जाता। दूसरा गन्ना खरीद अधिनियम 1953 में ब्याज सहित गन्ना किसानों को भुगतान किये जाने का प्राविधान है तो जो कलेक्शन चार्ज काटा गया है क्या उसे ब्याज सहित किसानों को वापस करने की कृपा करेंगे? तीसरा, खलीलाबाद की मिल पर किसानों का 3 साल से लगभग 4 करोड़ रुपया बकाया है क्या इसके भुगतान के बारे में भी माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे?

श्री मंगल सिंह सैनी-

मान्यवर, 10 परसेन्ट के हिसाब से गन्ना मूल्य काट लिया गया था। उनसे वसूली का प्रयास किया गया परन्तु वह कोर्ट चले गये और स्टे ले आये। उसके बाद कोर्ट में यह आदेश किया और 6-3-99 को डी0एम0 को आदेश दिया गया है कि सारा पैसा समिति को दिया जाय और वहां से किसानों को पेमेन्ट हो जायेगा।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, इस तरह के आदेश तो विशेष सचिव, श्री गजेन्द्रपाल भी कर चुके हैं लेकिन आज तक एक भी पैसा वापस नहीं हुआ। 6 तारीख को आदेश हुए और आज 24 तारीख हो गयी है कोई पैसा वापस नहीं हुआ है। इसलिए इस पैसे को वापस करने हेतु समयबद्ध तरीके से माननीय मंत्री जी कोई आदेश करेंगे? दूसरा-ब्याज सहित वापस करेंगे, तीसरा, खलीलाबाद की मिल के ऊपर जो 4 करोड़ रुपया बकाया है वह किसानों को कैसे मिलेगा, इसके बारे में बता दें?

श्री मंगल सिंह सैनी-

06-03-99 का आदेश है, वह पैसा वापस हो जायेगा।

श्री राम ललित चौधरी-

आप 6 महीने में देगें या एक साल में देगें यह तो बता दें।

श्री मंगल सिंह सैनी-

मान्यवर, यथाशीघ्र दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

क्या इसके लिए आप कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जल्दी से जल्दी दो-तीन महीने में भुगतान कर देंगे उससे पहले भी भुगतान करने का प्रयास करेंगे। जहां तक खलीलाबाद मिल का सवाल है यह मिल पहले ही बन्द हो चुकी है और इस पर आर0सी0 जारी हो चुकी है और इन्हें दीपावली में जेल में भी रखा गया था। कोर्ट से स्टे है फिर भी रिर्जव प्रोसेज के द्वारा उस मिल को बेच कर किसानों के मूल्य को दिलवाने का प्रयास करेंगे।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, पहले तो इस मिल की कुर्की होगी परन्तु किसानों को तीन साल से भुगतान नहीं हो पा रहा है।...

बाकी जब कुर्की होगी तो उससे सरकारी खजाने में भर सकें। दोनों चीजें आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं। जो कलेक्शन चार्ज का पैसा काटा था उसको वापस करने की बात और जो खलीलाबाद चीनी मिल को बेचकर अपने खजाने में डाल देंगे। सरकारी खजाने से किसानों को पैसा देने का वायदा करें। किसानों को ब्याज सहित पैसा वापस करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो उत्तर देना था, दे चुके हैं। बार-बार यह जैसा चाहें उस प्रकार से नहीं हो सकता है। जो प्रक्रिया शासन की रही है उसके अनुसार कार्यवाही होती है। यह जो पैसा बकाया है यह दूसरी सरकारों के समय का बकाया है। हम उसके लिये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को पैसा मिल सके। 15 प्रतिशत ब्याज न देने की परम्परा रही है न यह व्यावहारिक है।

(कई सदस्यों को एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, तीन-तीन बार यह प्रश्न किया गया लेकिन सरकार का जबाब हमेशा हीला हवाली का रहा है। समय बद्ध तरीके से पैसा देने की बात पर माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है। खलीलाबाद चीनी मिल के बारे में भी उत्तर स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समयबद्ध तरीके से किसानों को ब्याज सहित भुगतान करायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। यह जो दो/तीन महीने की बात कही है, वह इसी सन्दर्भ में तो कही है जिसके बारे में आप जिज्ञासा प्रकट कर रहें हैं।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहें हैं। किसानों के विरोध में हमेशा ऐसी नीति बनाकर मिल मालिकों को तरजीह देते रहे हैं। यह किसान विरोधी हैं, इनको गन्ने का मूल्य नहीं देना चाहते हैं। उनके ब्याज को हड़पना चाहते हैं और अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। सरकार के इस किसान विरोध रवैये के विरोध में मैं और मेरे दल के सदस्य सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा 6 मार्च, 99 को जो कलेक्शन चार्ज लिया गया था उसको वापस करने के आदेश कर दिये हैं। किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था उसको तो शासन और प्रशासन ने नहीं दिलाया। जो भुगतान कुछ किया गया उसको कलेक्शन चार्ज के रूप में काट दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है मान्यवर, आप कह रहे हैं कि आपने कलेक्शन चार्ज वापस करने के आदेश कर दिये हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यह कलेक्शन चार्ज वापस तब तक नहीं होगा जब तक कि कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा। किसी भी कलेक्शन चार्ज में जो धनराशि जमा हो जाती है वह वापस नहीं होती है। इसमें तकनीकी कठिनाइयां हैं। कलेक्शन चार्ज को वापस करने का आदेश आपने किया है तो वह मंत्रि परिषद् से कोई निर्णय लेकर करें अन्यथा यह तो आपके उन पूर्व आदेशों की तरह ही हो गया है कि आदेश तो किये जाते हैं लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है। खलीलाबाद चीनी मिल के बारे में आपने अभी कहा कि उसका लीगल प्रोसेस करवायेगें। इसी सत्र में आपने इसके बारे में पहले जवाब दिया था कि खलीलाबाद मिल को बेचने के बारे में विचार कर रहे हैं। आज के उत्तर में कह रहे हैं कि उसके लीगल प्रोसेस देख रहे हैं। मान्यवर, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? आपके अब के और पूर्व के दिये गये उत्तर में विरोधाभास है।....

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर जहां तक कमीशन जो काटा गया उसका सवाल है तो मंत्रि परिषद् से प्रस्ताव पास करके, जितनी भी मिले हैं, सीतापुर के कुछ केस थे, कुछ बस्ती के थे, पिछले समय में डी0एम0 ने समितियों से 10 प्रतिशत रिकवरी चार्ज काट लिया है वह वापस कर लिया जाए, इस निर्णय के तहत यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। पैसा राजस्व विभाग में जमा हो गया है, इसमें राजस्व विभाग को आदेश कर दिए हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है हम व्यक्तिगत रुचि लेकर भुगतान का काम करेंगे। खलीलाबाद में निर्णय लिया गया यह कहा, अगर वह नहीं देते हैं तो मिल को बेचने की प्रक्रिया चलाई जाएगी, जो प्रक्रिया होगी वह तो विधिक होगी क्योंकि वह कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं तो विधिक प्रक्रिया के तहत ही बेचेंगे।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खलीलाबाद का प्रश्न आया तीन वर्षों से किसानों को भुगतान नहीं हुआ है इस प्रदेश के अन्दर और भी ऐसी चीनी मिलें हैं उन्होंने भुगतान नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अलग से प्रश्न करें।

श्री समरपाल सिंह-

चीनी मिलों ने कई-कई वर्षों से गन्ने का भुगतान नहीं किया है उनकी आर्थिक स्थिति पर दया करते हुए किसानों को यह सरकार अपने पास से भुगतान कर दे और जब मिल मालिकों से पैसा मिले तो उसे अपने पास रख ले। मान्यवर जबकि यह आदेश है कि 14 दिन में चीनी मिल यदि किसानों का भुगतान नहीं करती है तो 15 प्रतिशत ब्याज मिलों को देना पड़ेगा तो क्या सरकार 15 प्रतिशत ब्याज सहित किसानों को भुगतान करायेगी?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न जो पूछा गया था यह विशेष जगह के बारे में था और कोर्ट के स्थगन आदेश के बारे में था।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह कई बार इस प्रश्न को पूछ चुके हैं यह अपना टेप बजाना बन्द करें।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रश्न था वह खलीलाबाद के बारे में था आप दूसरी मिलों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री समरपाल सिंह-

क्या मंत्री जी उनको 15 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से भुगतान करायेंगे?

श्री अध्यक्ष-

यह खलीलाबाद और जिन लोगों ने रिट दाखिल की थी उसके बारे में प्रश्न था। मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह लोग आपका संरक्षण मांगते हैं हम शासन के लोग भी संरक्षण चाहते हैं। यह लोग अब टेप बजाना बन्द करें यह प्रश्न आधे दर्जन बार आ चुका

है यह सदन में बार-बार कहा जा चुका है कट मोशन इन्होंने रखा था तब भी कहा था और मैंने जबाव दिया था अगर आपकी आज्ञा है तो फिर जबाब दे रहा हूं। मान्यवर, जहां तक बकाए का सवाल है यह बकाए कई वर्षो के हैं इसमें कुछ मिल बन्द हो चुकी हैं जैसे पडरौना कटकुइया, गौरी बाजार आदि इसमें किश्त बनाकर कई सालों में भुगतान होगा इसमें निर्देश हो गए हैं।

(व्यवधान)

(श्री रामविशुन आजाद के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक सामान्य तौर पर बकाया के बारे में बात हो रही है बकाया के बारे में कई बार प्रश्न का उत्तर आ चुका है इस तरह से व्यवधान होगा तो उत्तर के लिए नहीं बुलाऊंगा।

आप अलग से प्रश्न कर लीजियेगा। जब विभाग का बजट था तो क्यों नहीं बात कही गयी? यह बात कई बार आ चुकी है। मैं प्रश्न संख्या-7 ले रहा हूं।

*6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

गन्ना उत्पादकों एवं गन्ना विकास हेतु शासन की नीति के सम्बन्ध में जानकारी

डा0 सरजीत सिंह डंग-

*7-क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे की गन्ना विकास एवं गन्ना उत्पादकों के विकास हेतु शासन की क्या नीति है? क्या गत 20 वर्षों में गन्ना तथा उसके उत्पादों के बारे में कोई अध्ययन सरकार द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो किस संस्था से? उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंगल सिंह सैनी-

गन्ना विकास एवं गन्ना उत्पादकों के विकास हेतु शासन की नीति कम से कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा गन्ना तथा चीनी उत्पादन कराने की है। इसके लिए शासन द्वारा शीघ्र पकने वाली एवं उच्च शर्करा पर्ता देने वाली प्रजातियों का चयन तथा उनका किसानों के मध्य प्रचार प्रसार कराना है। इसी प्रकार मध्य तथा देर से पकने वाली प्रजातियों का चयन कराना, उनका फैलाव कराना तथा उन्नतशील खेती करने वाले कृषकों को सस्ते दर पर बीज, उर्वरक, दवाई तथा कृषि यन्त्र उपलब्ध कराना है, जिससे प्रति हेक्टेयर गन्ना एवं चीनी का उत्पादन बढ़ सके।

गन्ने की शीघ्र, मध्य तथा देर से पकने वाली प्रजातियों का चयन कराने तथा उनके किसानों के मध्य शीघ्र फैलाव हेतु बीज सम्वर्द्धन कराना एक निरन्तर चलने वाली अध्ययन प्रक्रिया है, जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर तथा उसके द्वारा विभिन्न किस्मों के मृदा जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थापित शोध केन्द्रों पर किया जा रहा है। जहां तक गन्ने तथा उसके उत्पादों के बारे में अध्ययन का प्रश्न है, गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर तथा मुजफ्फरनगर में गुड़ उत्पादन हेतु नई प्रजातियों की खोज-गुड़ उत्पादन के उन्नत तरीके तथा उसके रख-रखाव हेतु नई विधा पर अध्ययन चल रहा है। गन्ने की खेती सम्बन्धी उन्नतिशील तकनीक, जिससे कम से कम क्षेत्र में अधिक गन्ना एवं चीनी उत्पादन हो सके, पर अध्ययन चल रहा है।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर तथा गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, सेवरही कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और सेवरही में राष्ट्रीय अभिजनन संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) से जो गन्ना बीज (फलफ) संकर प्रजातियों के प्राप्त किये जाते हैं तथा सेवरही में संकर प्रजाति के बीज बनाये जाते हैं, उन सभी में से अच्छे शस्य गुण वाले तथा चीनी पर्ता देने वाले एवं कीट तथा बीमारियों से रोधी प्रजातियों का चयन किया जाता है और उनकी प्रथम संतति और द्वितीय संतति के रूप में प्रमापी (स्टैण्डर्ड) जातियों से तुलना किया जाता है और जो प्रमापी जातियों से ऊपर तथा बराबर उपज तथा शर्करा देने वाली मिलती है उनके 'स्टैण्डर्ड बैराइटल ट्रायल' में रख कर परीक्षण किया जाता है और उनमें जो प्रजातियां प्रमापी से अच्छी सिद्ध होती हैं उनका विभिन्न मृदा, जलवायु वाले स्थापित क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों पर परीक्षण किया जाता है तत्पश्चात् किस क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त पायी जाती है उनको आधार तथा प्राथमिक पौधशालाओं में क्रमशः सम्बर्द्धन के लिए भेजा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, पूरा सदन सहमत होगा कि गन्ना की प्रजाति अच्छी है और उपज अच्छी हो। तभी गन्ने का विकास हो सकता है और गन्ने के विकास से प्रदेश का विकास हो सकता है, गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। मान्यवर, मैंने नीति के बारे में प्रश्न किया था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में जो सरकार को देने वाली प्रजाति है वह कितनी हैं और उसका जो निष्कर्ष संस्थानों ने निकाला है, का कितना प्रतिशत भूमि में उसका उपयोग हुआ है? दूसरा यह जानना चाहा है कि क्या इन संस्थानों के अलावा, मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाऊंगा 2 दिसम्बर, 98 को मैंने पत्र लिखा था और भारतीय अनुसंधान संस्थान का पत्रक भी लगाया था, इन सारे सुझावों को क्या माननीय मंत्री जी ने अपने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों, संस्थानों के पास भेजा है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सही है और वह दुखद भी है कि इस प्रदेश में गन्ना प्रजाति को बदलने के लिए और गन्ना उत्पादन और चीनी रिकवरी बढ़ाने की दृष्टि से जो प्रयास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय औसत से कम गन्ना उत्पादन प्रति हैक्टेयर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन इस सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने और गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए चार वर्षीय गन्ना प्रजाति बदलाव नीति बनायी है और उसका क्रियान्वयन भी किया है। इस समय जो प्रति हैक्टेयर गन्ने का उत्पादन है वह 59 से लेकर 60 टन है जबकि देश में 67 टन प्रति हैक्टेयर है। हमने 15 प्रजातियां चयनित की हैं, जिससे 13 प्रतिशत अरली वैरायटी की है जिससे चीनी रिकवरी हो ओर 75 टन प्रति हैक्टेयर का उत्पादन गन्ने का हो इस लिए पौली बैग वाली प्रजाति, 5 किस्मों का चयन किया गया है और 9 प्रजातियों का जिसमें चीनी की रिकवरी साढ़े 12 प्रतिशत हो व गन्ना का उत्पादन 80 टन प्रति हैक्टेयर होगा। तो इन 15 प्रजातियों का चयन किया गया है। इन बीजों के पोली बैग, 25 करोड़, शोध संस्थाओं में बनते हैं। अगले सत्र से इन बीजों को किसानों तक वितरण कराने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी जो 67 प्रतिशत क्षेत्र में प्रजातियां हैं जिनकी रिकवरी साढ़े सात से साढ़े नौ प्रतिशत हैं और उत्पादन 50 टन से लेकर 60 टन है उन 67 प्रतिशत क्षेत्रों में 2003 तक बदल दिया जायेगा और निश्चित रूप से 2003 तक 75 टन प्रति हैक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा और चीनी की रिकवरी साढ़े ग्यारह से साढे तेरह प्रतिशत हो जायेगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उन 15 प्रजातियों को लागू किया जा चुका है और बीज निर्माण शुरू हो गया है....

जिसमें कि 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक गन्ना उत्पादन स्वयं बढ़ जाता है वह प्रजाति यहां लागू की गई है। मान्यवर, आधारभूत फसलों के लिए विशेष सुविधा दी गयी हैं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने आपको राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से सम्बन्धित एक पत्र दो दिसम्बर, 1998 को भेजा आपने उसका उत्तर नहीं दिया है। इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो अधिक उत्पादन देने वाले बीज हैं और यहां की जलवायु के अनुकूल हैं उनका चयन किया गया है। मान्यवर, कोयम्बटूर जैसी प्रमुख संस्था में भी बीजों का ट्रायल लिया जाता है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, पत्र के बारे में तो बता दें?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पत्र के बारे में नहीं कह सकता हूं गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए चीनी के परता के लिए जितने भी सुझाव आये हैं उस सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह सरकार किसानों की विरोधी है सरकार की नीयत किसान विरोधी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री कौकब हमीद-

इनकी गन्ना किसानों के प्रति अपनाई जा रही नीति के विरोध में हम लोग सदन का वहिर्गमन करते हैं।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

* 8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

(दिनांक 17-2-99 को ता0 प्र0 सं0 10 द्वारा उत्तरित)

जनपद फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र टूण्डला, ब्लाक नारखी ग्राम-मिलिख को डार्क क्षेत्र घोषित करने एवं पानी समस्या के निदान हेतु उपाय

श्री शिव सिंह चक-

* 9-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या विधान सभा क्षेत्र टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम मिलिख को डार्क क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की समस्या के निदान हेतु सर्वे कराकर वहां इण्डिया मार्का-11 हैण्ड पम्प लगाये जाने की व्यवस्था करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)-

जी हां।

फ्लोराइड से प्रभावित होने के कारण ग्राम मिलिख व अन्य उपग्रामों को इण्डिया मार्का-2 से संतृप्त करना जनस्वास्थ्य के दृष्टिकोण से श्रेयष्कर नहीं है। अतः उक्त क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

नोटः-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मई, 2000 तक ग्राम मिलिख की पाइप पेयजल की अधिकांश कार्यों को पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर, नन्दगंज शिहोरी चीनी मिल बन्द होने पर किसानों का गन्ना खरीदने एवं उसको मुआवजे की व्यवस्था कराने की मांग

श्री विजय कुमार-

* 10-क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद की नन्दगंज शिहोरी चीनी मिल बन्द हो जाने से किसानों का गन्ना खेतों में पड़ा खराब हो रहा है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उक्त चीनी मिल में गन्ना खरीदने के लिये पर्याप्त क्रय (तौल) केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो कितने? क्या सरकार किसानों के गन्ना खरीदने की व्यवस्था करायेगी? यदि हां,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या गन्ना न खरीदने पर किसानों को उनके गन्ने का मुआवजा देने की सरकार व्यवस्था करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

नन्दगंज सिहोरी चीनी मिल बन्द हो जाने से पेराई सत्र 1998-99 के लिए सुरक्षण आदेश संख्या-2806/सी-क्रय/सुरक्षा दिनांक 28-11-98 से इस क्षेत्र के किसानों का गन्ना खरीदने के लिए निकटवर्ती चार चीनी मिलों (घोसी, सठियांव, रसड़ा व औराई) को क्रय केन्द्र स्थापित करके गन्ना खरीदने का आदेश जारी किया गया था उक्त चीनी मिलों ने कुल 15 क्रय केन्द्र स्थापित करके पेराई योग्य गन्ना खरीद कर क्रय केन्द्र बन्द किया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर, विकास खण्ड-टाण्डा एवं सन्त कबीर नगर, विकास खण्ड-सोथा में वर्ष 1998-99 में निर्मित इन्दिरा आवासों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आंवटित न करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*11-श्री लालजी वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा आवासों में से कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवंटित किये जाने की अनिवार्यता है? यदि हां, तो क्या विकास खण्ड-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर एवं सोथा विकास खण्ड, जनपद-संत कबीर नगर में वर्ष 1998-99 में उक्त आधार पर कुल इन्दिरा आवासों में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति को आवंटन किया गया है? यदि

नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां। प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्ग निर्देश में यह व्यवस्था है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्ति, मुक्त कराये गये बधुंआ मजदूर एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास विहीन परिवार होंगे तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की संख्या कुल लाभार्थियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*12-श्री के0सी0 सिंह बाबा-

(दिनांक 23-3-99 को ता0प्र0सं0 20 द्वारा उत्तरित)।

प्रदेश में राजकीय सिंचाई नलकूपों की स्थापना का परिव्यय न रखे जाने हेतु जनपदों को जारी आदेश के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड जनपद ब्लाक डार्क घोषित न होने पर इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखे जाने का प्रकरण

*13-श्री श्रीराम पाल-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1999-2000 की जिला योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राजकीय सिंचाई नलकूपों की स्थापना का परिव्यय न रखे जाने हेतु जनपदों को नियोजन विभाग से पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में कोई भी ब्लाक डार्क घोषित न होने पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश में नये नलकूप अब सामान्यतः नहीं लगाये जा रहे हैं।

शव विच्छेदन की वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य-

* 14-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह शव-विच्छेदन (पोस्टमार्टम) करने की वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करके कोई नई प्रक्रिया सरकार अपनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना सहकारी समितियों को देय डेबलमेन्ट कमीशन चीनी मिलों द्वारा कम करने की जानकारी

*15-श्री समरपाल सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार चीनी मिलों द्वारा गन्ना सहकारी समितियों को देय डेबलमेन्ट कमीशन कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

पेराई सत्र 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर कमीशन 3 प्रतिशत के स्थान पर रु0 एक प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल के जनपदों में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कतिपय पदों पर अनियमित नियुक्ति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*16-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के जनपदों में तृतीय श्रेणी में स्टेनों, डार्करूम सहायक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनियमित/फर्जी नियुक्तियों तथा फर्जी औषधि लाइसेन्स एवं गबन की शिकायतें प्राप्त होने पर अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, गोरखपुर द्वारा जांच कर रिपोर्ट अपने पत्रांक-953, दिनांक 20-04-96, 8803, दिनांक 1-10-98, 1424, दिनांक 11-5-98 तथा 10807, दिनांक 23-10-98 द्वारा शासन एवं महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित की गयी हैं ? यदि हां, तो उनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 20-04-96, 11-5-98 एवं 23-10-98 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को भेजी गयी थी एवं रिपोर्ट दिनांक 1-10-98 शासन को भेजी गयी थी। इनमें अनियमितताओं के लिये श्री वली मोहम्मद, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर, श्री सफी मोहम्मद तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक सम्प्रति वरिष्ठ लिपिक जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर, श्री हरीराम लाल श्रीवास्तव, तत्कालीन आशुलिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती एवं डा0 आई0ए0खान तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को दोषी पाया गया है लेकिन इनके विरुद्ध ठोस सबूत एवं साक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इन अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। अतः स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा अनियमितताओं में लिप्त प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं ठोस साक्ष्य सहित आरोप पत्र तैयार करने हेतु गया है। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, गोरखपुर अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर को निर्देशित किया गया है। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, गोरखपुर की जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित पत्र दिनांक 1-10-98 जो शासन में प्राप्त हुआ था, के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निदेशित किया गया है।

जनपद व तहसील बांदा ग्राम सभा खपटिहांकला में नलकूप संख्या-116 चालू न होने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*117-श्री बाल चन्द्र मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा खपटिहांकलां, ब्लाक-तिन्दवारी, तहसील व जनपद बांदा में लगाया गया सरकारी ट्यूबवेल संख्या-116 अभी तक चालू नहीं किया गया है? क्या यह सही है कि उक्त नलकूप की बोरिंग सफल नहीं हो सकी है? यदि हां, तो उक्त नलकूप के चालू न होने तथा बोरिंग असफल होने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा उस क्षेत्र की सिंचाई हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी हां।

बोरिंग असफल होने से सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है। प्रश्नगत क्षेत्र की सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप का पुनः निर्माण विचाराधीन है।

एस0जी0 पी0जी0आई0 लखनऊ में प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग

1-श्री सीताराम निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के एस0जी पी0जी0आई0 में उच्च चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थान ने अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्य सचिव ने दिनांक 16 नवम्बर, 1998 पत्र संख्या-2699/पी0एस0एम0एस0/1998 द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र के संदर्भ में क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्या लम्बित बिन्दुओं के शीघ्र निस्तारण के लिये सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही

2-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के तीन पत्र जो सिंचाई विभाग, शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 4-10-98 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिये गये थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ ।

(1) पत्र सं0-036232 पर जांच आदेशित कर दी गयी हैं ।

(11) पत्र सं0-036247 पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवश्यक जांच पूरी कर ली गयी है ।

(111) पत्र सं0-036298 में मांगी गयी व्यय की सूचना मा0 विधायक जी को अधीशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड कानपुर द्वारा रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से भेज दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कैनाल कालोनी के आवास आवंटन समितियों में अनुसूचित जाति के सदस्य को नामित कर आवास आवंटन किये जाने की मांग

3-श्री समरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश कैनाल कालोनियों के आवास आवंटन समितियों में क्या नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य रखकर आवास आवंटन किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या आवंटित किये गये आवासों को निरस्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य रखकर आवास आवंटित किये जायेंगें। यदि हां तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अधिकांश आवास आवंटन समितियां पद नाम से बनाई गयी हैं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य सामान्यतः रहते हैं।

आवंटित किये गये आवासों को निरस्त करने में विधिक कठिनाई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न हीं नहीं उठता।

उ0प्र0 सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मियों के आवास आवंटन में भेदभाव की जांच पर कार्यवाही की मांग

4-श्री समरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ शाखा उत्तर प्रदेश का पत्रांक 69/98-99/एस0सी0/एस0टी0, दिनांक 4-1-99 तथा पत्रांक 63/98-99 एस0सी0/एस0टी0, दिनांक 26-11-98 उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मियों के साथ आवास आवंटन में भेदभाव तथा आवासों में अनु0जाति/जनजाति का 23 प्रतिशत आरक्षण कोटा पूरा न होने की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया शहर के सुरक्षा बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि का घोषित श्रेणी व दर से प्रतिकर भुगतान विषयक पत्र पर कार्यवाही

5-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया शहर के सुरक्षा बांध हेतु अधिग्रहीत भूमि का जिलाधिकारी द्वारा घोषित श्रेणी व दर से प्रतिकर भुगतान विषयक श्री बालेश्वर प्रसाद पुत्र स्व0 भैरो प्रसाद, लाट घाट, बनकटा-बलिया के कुल कितने प्रार्थना-पत्र, वर्ष 1998-99 में शासन के सिंचाई अनुभाग-3 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई व अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड-।।, बलिया को प्राप्त हुये हैं ? प्राप्त प्रार्थना-पत्रों, पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत विषय में शासन के सिंचाई अनुभाग-3 में 4 संदर्भ एवं विभाग स्तर पर 6 संदर्भ प्राप्त हुए । इस संबंध में शासन द्वारा विभागीय आख्या प्राप्त की गई जिसके अनुसार श्री बालेश्वर प्रसाद को प्रतिकर देय नहीं है । इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता के पत्र दिनांक 5-3-99 द्वारा उन्हें दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम में कतिपय जनपदों में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

6-श्री श्याम प्रकाश-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत कतिपय जनपदों में विभागीय पदों का चयन नहीं किया गया है ? क्या इस कारण निगम का कार्य सुचारू रूप से चलने में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये जनपदों तथा अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सभी संवर्गों में स्वीकृत कुल 571 पदों के सापेक्ष 562 पद भरे गये । वर्तमान में नियुक्तियों पर रोक होने के कारण रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित है ।

रिक्त पदों के भरे जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यों के संचालन में और अधिक सुविधा सम्भव है ।

जी हाँ । संसाधनों की प्रास्थिति में सुधार होने की स्थिति में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल हेतु इण्डिया मार्क-2 नल लगवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

7-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-7-98 या इसके आसपास जो इण्डिया मार्का-2 नल खराब होने एवं पेयजल हेतु इण्डिया मार्क-2 लगाने के संबंध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड तिलहर में नलकूपों पर व्यय धनराशि विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

8-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-10-98 या इसके आस-पास जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में नलकूपों पर व्यय हुई धनराशि के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ । मा0 प्रश्नकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 28-11-98 को उपलब्ध करा दी गई है ।

जनपद मथुरा ग्राम मगोर्रा की पेयजल समस्या के हल हेतु डाली गयी घटिया पाइप लाइन के विरुद्ध कार्यवाही

9-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मगोर्रा ग्राम की पेयजल समस्या के हल हेतु वर्ष 1996 में 5 लाख रुपये की धनराशि से पाइप लाइन डलवायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जलापूर्ति सुचारू रूप से हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार घटिया किस्म के पाइप डलवाने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं । जनपद मथुरा के अन्तर्गत मगोर्रा ग्राम की पेयजल समस्या के हल हेतु वर्ष 1996-97 में मात्र रु0 1,57,300.00 की लागत से पूर्व में बिछी 750 मीटर पाइप लाइन के स्थान पर दूसरी पाइप लाइन डाली गयी थी ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन वितरण हेतु मनीआर्डर कमीशन के रूप में आवंटित धनराशि से कतिपय क्रय की गई मशीनों के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

10-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या समाज कल्य. मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन वितरण हेतु मनीआर्डर कमीशन के रूप में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में आवंटित धनराशि से मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों के लिए फैक्स मशीनें, इलेक्ट्रोस्टेट, टाइपराइटर एवं फ्रोटोस्टेट मशीनें आदि सामग्री क्रय की गयी थी? यदि हां, तो क्यों? इस हेतु दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायतित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के प्रशासनिक मद से उक्त मशीनें मुख्यालय एवं जनपदों में क्रय कर उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थापित की गयी हैं।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग द्वारा नारी बन्दियों के सुधार हेतु अक्टूबर, 94 से दिसम्बर, 98 के मध्य किए गये निरीक्षण की जानकारी

11-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी बन्दियों के सुधार का कार्य महिला कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो अक्टूबर, 94 से दिसम्बर, 98 के मध्य नारी बन्दियों के सुधार के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये और कितनी बार बन्दी कारागार का विजिट किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के कर्मचारी के वेतन पुनर्निर्धारण विषयक पत्र

12-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी में आर्टिस्ट एवं माडलर के पद पर कार्यरत कर्मचारी को विगत लंबे अर्से से वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी के वेतन पुनर्निर्धारण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 जनवरी, 99 सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण को निस्तारित न करने का कारण क्या है ? प्रकरण कब तक निस्तारित करके सभी देयों का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

जनपद मथुरा गंगा नहर, कराहटी नाले के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

13-श्री विजय पाल सिंह तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माट ब्रांच गंगा नहर मथुरा द्वारा वर्ष 1985 में कराहटी नाले के निर्माण हेतु दिनांक 26-4-84 को कराहटी गांव के श्री महेन्द्र सिंह तथा अन्य किसानों की गाटा संख्या 187 की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिकर वितरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

जनपद लखनऊ, मलिहाबाद उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों को वेतन भुगतान विलम्ब से किये जाने हेतु दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

14-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मलिहाबाद में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपचारिकाओं व अन्य कर्मचारियों का 1 जनवरी, 1997 से 1 जनवरी, 1998 तक का वेतन बिल कोषागार में किन-किन तिथियों में लगे और कर्मचारियों को वेतन किन-किन तिथियों में दिया गया ? विलम्ब से वेतन भुगतान करने में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपचारिकाओं का वेतन बिल जिन तिथियों में कोषागार में लगे तथा वेतन का भुगतान किया गया है उसका विवरण + संलग्न हैं।

कतिपय माहों में वेतन का भुगतान माह की 10 तारीख के बाद हुआ है इस विलम्ब के कुछ अपरिहार्य कारण थे जैसे बजट का अभाव कर्मचारियों द्वारा आयकर का विवरण न देना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति आदि। अतः इस विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(+ विवरण देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 298 पर)

जनपद रायबरेली राजकीय निराश्रित महिला प्रशिक्षण केन्द्र फुरसतगंज की वित्तीय अनियमितताओं की जांच

15-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के जिलाधिकारी के निर्देश पर 1 अक्टूबर, 1997 को राजकीय निराश्रित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, फुरसतगंज की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच जिला प्रोबेशन अधिकारी से करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वित्तीय अनियमितताओं में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जांच आख्या में प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये आरोपों की गम्भीरता के प्रकाश में एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई।

नर्स, कम्पाउण्डर आदि कतिपय पदों की वरिष्ठता सूची अलग-अलग बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नर्स/कम्पाउण्डर हास्टल वार्डन/पालक माता संवर्ग की वरिष्ठता सूची एक साथ बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इनकी अलग-अलग वरिष्ठता सूची बनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

विभाग की अलिपिकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है जिसके अनुसार वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

17-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

(दिनांक 17-2-99 को अता0प्र0सं0 153 द्वारा उत्तरित)

निदेशक आयुर्वेद द्वारा श्री ओम प्रकाश चतुर्थ श्रेणी के नियुक्ति प्रकरण की जांच

18-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओमप्रकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मी (स्वच्छकार/चौकीदार) के विरुद्ध कोई जांच कराई गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच में श्री ओम प्रकाश की नियुक्ति फर्जी पाये जाने एवं अधिक आयु होने के बावजूद भी दिनांक 22-7-98 को निदेशक, आयुर्वेद द्वारा प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या निदेशक, आयुर्वेद द्वारा पांच दिनों बाद दि0 28-7-98 को पत्रांक सं0-13671/11/एल/8755/94 टी0सी0 विधि/अधि0 द्वारा पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

श्री ओम प्रकाश स्वच्छक/चौकीदार के नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण कराया गया था।

जी हाँ।

उक्त सेवा से पृथक करने का आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था सम्यक् विचारोपरान्त इस स्थगन आदेश को वापस ले लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षय रोग नियंत्रण लागू करने हेतु दी जाने वाली दवाओं के साथ ही शिकायतें निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी

19-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षय रोग नियंत्रण को समुचित ढंग से लागू किए जाने संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना को प्रदेश में भी लागू किया गया है? यदि हां, तो इस रोग के रोगियों को कौन-कौन सी प्रभावशाली दवायें दी जा रही हैं? क्षय रोग हेतु निःशुल्क चिकित्सा संबंधी सुविधा दिए जाने एवं शिकायत दूर किए जाने हेतु प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है?

श्री रमापति शास्त्री-

क्षयरोग नियंत्रण को समुचित ढंग से लागू करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना प्रदेश में लागू नहीं है। विश्व बैंक सहायतित पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण परियोजना के तृतीय चरण के प्रथम वर्ष में विश्व बैंक द्वारा दो जनपदों लखनऊ एवं बाराबंकी में लागू की गयी तथा द्वितीय वर्ष में दो जनपदों उन्नाव व रायबरेली को भी आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभावकारी क्षय निरोधक औषधियां दी जा रही हैं :-

1-आइसोनेक्स

2-स्ट्रेप्टोमाइसिन

3-इथेमव्यूटाल

4-रिफाम्पिसिन

5-पैराजिनामाइड

प्रदेश के पुराने जनपदों में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं क्षय रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिये जाने व शिकायतें दूर करने के लिए वरिष्ठ जिला क्षय रोग अधिकारी की तैनाती की गयी है। शिकायतें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भी दूर की जाती है।

20-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(5वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में आई0सी0सी0/कार्डियोलोजी यूनिट्स हेतु प्रशिक्षित चिकित्सकों की तैनाती पर विचार की जानकारी

21-श्री रंग बहादुर पटेल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में आई0सी0सी0 यूनिट/कार्डियोलाजी यूनिट की स्थापना कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इन यूनिट्स में चिकित्सकों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या-4666/चिकि0-4 दि0 10-7-92 के अनुबन्ध के अनुसार उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों की तैनाती उक्त यूनिट में करने हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। प्रदेश के 45 मैदानी तथा 8 पर्वतीय कुल 53 जिला चिकित्सालयों में आई0सी0सी0 यूनिट की स्थापना की गई है।

जी हाँ।

संदर्भित शासनादेशों के अनुसार इन प्रशिक्षित चिकित्सकों को यथा सम्भव विशिष्ट इकाइयों पर तैनात किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के नलकूपों की खराबी एवं निर्माण में अनियमितता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

22-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दि0 10-10-98 या इसके आस-पास जो जनपद शाहजहांपुर के नलकूपों की खराबी एवं निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके द्वारा उक्त पत्र को दि0 16-10-98 को प्रमुख सचिव, सिंचाई के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रमुख सचिव, सिंचाई ने जांच कराकर उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये थे। शिकायत की जांच हेतु एक समिति गठित कर दी गई है।

मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग गोरखपुर को अध्यक्ष सिंचाई बन्धु देवरिया एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री का शिकायती-पत्रों के निस्तारण पर कार्यवाही

23-श्री दया शंकर शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, अध्यक्ष, जनपद सिंचाई बन्धु देवरिया का पत्र दिनांक 14-12-98, जो कि मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 गोरखपुर को संबोधित था और जो शिकायती-पत्रों के निस्तारण के संबंध में था, एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 18-9-98, जो कि सिंचाई मंत्री को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी शासन को हुई क्षति की भरपाई करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

श्री के0 एस0 राय अवर अभियन्ता को खण्डीय कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है तथा श्री प्रेम चन्द्र बेलदार को द्वितीय उपखण्ड से प्रथम उपखण्ड (हाटा) में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध कर दिये गये हैं।

प्रश्नगत शिकायती-पत्रों पर प्राप्त आख्या पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद आजमगढ़, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के कतिपय स्टाफ वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत रहने एवं अनियमितता के विरुद्ध स्थानान्तरण करने की मांग

24-श्री सुधाकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ननकू सिंह यादव, वरिष्ठ लिपिक, श्री सर्वेश चन्द्र गुप्ता, चीफ फार्मेसिस्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, आजमगढ़ व श्री मुश्तफा खां, श्री श्रीकान्त पाण्डेय, फार्मेसिस्ट एवं श्री विश्वनाथ राम, वरिष्ठ लिपिक, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन महिला जिला चिकित्सालय को एक ही स्थान पर अनेक वर्षों से तैनात होने व अनेकों भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में लिप्त पाये जाने के कारण जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 15-12-98 द्वारा प्रश्न में उल्लिखित कर्मियों को एक ही पटल पर कई वर्षों से कार्यरत होने तथा इनके विरुद्ध शिकायत होने के कारण इन्हें पटल से स्थानान्तरित किये जाने हेतु विचार करने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री मुस्तफा खां व श्री श्रीकान्त पाण्डेय व श्री विश्वनाथ राम का पटल परिवर्तन कर दिया गया है। श्री ननकू सिंह यादव, वरिष्ठ लिपिक का पटल परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशालय के पत्र दिनांक 22-3-99 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दिये गये हैं। श्री सर्वेश चन्द्र गुप्ता, चीफ फार्मेसिस्ट का पटल परिवर्तन करने के निर्देश शासन द्वारा महानिदेशक को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट लघु सिंचाई कार्यों हेतु ग्राम नारायनपुर के पैश्व नदी एवं बाल्मीकी नदी पर लघु सिंचाई हेतु स्वीकृत योजनाओं पर कार्य कराने का विवरण

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

25-क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में लघु सिंचाई के कार्यों हेतु वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के वित्तीय वर्षों में कुल कितना धन विभिन्न योजनाओं से कौन-कौन कार्यों के लिए प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त धन खर्च हो चुका है? यदि हां, तो क्या ग्राम नरायनपुर के पास पैश्वनी नदी एवं ग्राम-दुहुरूछ के पास बाल्मीकी नदी पर लघु सिंचाई हेतु स्वीकृत योजनाओं पर कार्य कराया गया है? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक कराये जायेंगे?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)-

जनपद चित्रकूट में लघु सिंचाई कार्यों हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में जो धन प्राप्त हुआ है और जिन योजनाओं-जिन कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त हुई है उसका विवरण निम्नवत् है:-

(लाख रु0 में)

योजना का नाम	प्राप्त धनराशि		योग	व्यय	अवशेष
	97-98	98-99			
1	2	3	4	5	6
(अ) दस लाख कूप योजना					
1. कल्याणपुर चैकडैम कम रपटा	5.00	5.40	10.40	10.40	--
2. उमरी खिचरी चैकडैम सुधरीकरण	--	1.50	1.50	0.70	0.80

3.	मरजादपुर बन्धी सुधरीकरण	--	7.00	7.00	6.00	1.00
4.	रुपौली तालाब	1.00	--	1.00	1.00	--
	(ब) सुनिश्चित रोजगार योजना					
1.	लिफ्ट योजना नरायनपुर	--	1.75	1.75	--	1.75
2.	लिफ्ट योजना देहरूछ	--	1.50	1.50	--	1.50
3.	नलकूप डी0 एम0कैम्पस	--	0.273	0.273	0.273	--
4.	सिकरोरपटा कम चैकडैम	--	6.00	6.00	4.50	1.50
5.	लुधौराबेरेठी रपटा कम चैकडम	--	5.00	5.00	2.75	2.25
6.	कपना रपटा कम चैकडैम	--	3.20	3.20	2.00	1.20
7.	उफरौली रपटा कम चैकडैम	--	3.00	3.00	2.223	0.777
8.	नाली निर्माण कोलगदहिया	--	2.00	2.00	--	2.00
	(स) जवाहर रोजगार योजना					
1.	कालराम का परवी चैकडैम रपटा	--	7.00	7.00	3.00	4.00
	(द) जिला योजना गहरी बोरिंग आदि।	--	41.59	41.59	25.58	16.01
	(य) राज्य सेक्टर नि:शुल्क बोरिंग आदि	--	9.20	9.20	9.20	--
	योग-	6.00	94.413	100.413	67.626	32.787

सत्यमेव जयते विधान सभा

कुल प्राप्त धनराशि रु0 100.413 लाख में से रु0 67.626 लाख खर्च हो चुका है रु0 32.787 लाख अवशेष है।

जी नहीं।

कार्य के प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, झांसी को प्रेषित है। उक्त कार्य जून, 1999 तक कर लिया जायेगा।

जनपद बस्ती विश्व संगठन "ओपेक" द्वारा स्वीकृत चिकित्सालय में शैय्या एवं दवा की मात्रा बढ़ाने पर विचार

श्री राम ललित चौधरी-

26-क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व संगठन "ओपेक" द्वारा जनपद बस्ती में कितने शैय्या के चिकित्सालय के निर्माण की योजना है और कितनी शैय्या की स्वीकृति एवं दवा व्यवस्था अब तक उपलब्ध करायी गयी है? क्या सरकार शैय्या एवं दवा की मात्रा को बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

ओपेक सहायतित बस्ती चिकित्सालय 500 शैय्या की निर्माण की योजना है। अब तक 2 चरणों में 300 शैय्याओं को क्रिया शील करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और तदनुसार दवा की व्यवस्था भी की गयी है।

जी हां। द्वितीय चरण में निर्माण कार्य पूरा होने पर चिकित्सालय में 200 शैय्याओं का और विस्तार किया जायेगा तथा तदनुसार औषधि की मात्रा बढ़ायी जायेगी।

जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर, शारदा नहर एवं माइनरों में पानी न पहुंचने से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग

27-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित शारदा नहर की नहरों एवं माइनरों में सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर, वर्ष 1998 में एक बूंद भी पानी नहीं गया है जिससे सैकड़ों एकड़ धान की फसल सूख गयी तथा सैकड़ों एकड़ भूमि बुआई से वंचित रह गयी है? यदि हां, तो क्या शासन से ऐसे कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। हरदोई शाखा के मील 40-6-0 पर खांदी हो जाने के कारण अक्टूबर-98 के पूर्ण माह एवं 22 नवम्बर, 1998 तक नहरों का पानी नहीं दिया जा सका जिसके परिणामस्वरूप धान की फसल आंशिक रूप से प्रभावित हुयी है।

क्षतिपूर्ति दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ के भवन विस्तार, पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आवंटित व्यय धनराशि का विवरण एवं निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन कराने की जानकारी

28-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-1881/60-1-96-1/16(149)/95, दिनांक 31-3-97 एवं शासनादेश संख्या-1881(2)/60-1-96/16(149)/95, दिनांक 31-03-97 द्वारा राजकीय उत्तर रक्षा, गृह, लखनऊ को भवन विस्तार, पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 12 लाख 71 हजार रुपया आवंटित किया गया ? यदि हां, तो उक्त आवंटित धनराशि से मदवार क्या-क्या कार्य कराया गया ? क्या किए गये निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ को भवन विस्तार, पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0-12,42,931/- आवंटित किया गया।

उक्त आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

(1) सिलाई-कढ़ाई कक्ष की रिपेयरिंग।
(2) मनोरंजन हाल की रिपेयरिंग।
(3) स्टोर कक्ष एवं छत मरम्मत का कार्य।
(4) रसोई कक्ष की रिपेयरिंग।
(5) अध्यापन कक्ष की मरम्मत।
(6) संवासिनी आवास गृह एवं डिस्पेन्सरी कक्ष की मरम्मत।
(7) संवासी आवास गृह के बरामदे की मरम्मत।
(8) बालबाड़ी कक्ष टीन शेड हटाकर छत डाला गया एवं आंशिक मरम्मत का कार्य। इसके अतिरिक्त 5 स्नानगृह, 5 नग शौचालय, पानी की टंकी, मोटर लगवायी गयी तथा बिजली वायरिंग का कार्य कराया गया।

जी नहीं।

प्रश्नगत निर्माण कार्य शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण ऐजेन्सी द्वारा किया गया है। अतः अलग से सत्यापन की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी।

राजकीय उत्तर रक्षा गृह लखनऊ के भवन निर्माण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

29-क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ में भवन निर्माण विस्तार के सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण ने कोई जांच की है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किशोर न्याय अधिनियम के प्रोबेशन संवर्ग के अधिकारियों से अन्य योजनाओं का कार्य लिए जाने की जानकारी

30-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रोबेशन संवर्ग के अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो क्या प्रोवेशन संवर्ग के अधिकारियों से अन्य योजनाओं का कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी हां।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा-57 (2)(च) के साथ पठित प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स ऐक्ट, 1958 की धारा-14 (ई) तथा यू0पी0 प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स रुल्स, 1980 के नियम 6(ई) में प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा अन्य ऐसे कर्तव्यों का भी पालन करने की व्यवस्था है, जो विहित किये जायें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर नई बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं के पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

31-श्री राजपाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी एवं सहायकों के पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू है। यदि हां, तो क्या जनपद सीतापुर की नई बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं के पदों पर की गई नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो आरक्षण कोटा पूरा न किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी नहीं।

आरक्षण पूरा करने हेतु पद रिक्त एवं आरक्षित रख दिये गये हैं तथा इनको भरने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, रामगढ़ से कोटकापुरवा, सदर तहसील सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

32-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजगढ़ से कोटकापुरवा, सदर तहसील प्रतापगढ़ में सम्पर्क मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो उपरोक्त सम्पर्क मार्ग कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

कार्यदायी संस्था को कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील सदर, ग्राम सभा कोपा में व्यक्ति विशेष के घर के सामने से हैण्डपम्प हटाये जाने की मांग

33-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कोपा, सदर ब्लाक, सदर तहसील, जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 29-5-98 को एक इंडिया मार्का हैण्ड पम्प व्यक्ति विशेष के घर के दरवाजे के सामने क्षेत्रीय विधायक के विरोध के बावजूद स्थापित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिनांक 30-5-98 को उक्त हैण्ड पम्प अधिष्ठापन रोकने के आदेश किये हैं ? यदि हां, तो क्या जल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र, लहुआ (रामपुर) में पूर्णकालिक डाक्टर की नियुक्ति की मांग

34-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र, लहुआ (रामपुर) में पिछले कितने महीनों से कोई पूर्ण-कालिक डाक्टर कार्यरत नहीं है ? क्या सरकार उक्त केन्द्र में पूर्णकालिक डाक्टर की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र लहुआ (रामपुर) नाम से कोई चिकित्सालय नहीं है, बल्कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लहुआ कलां, आजमगढ़ नाम से है, जिसमें डा0 सुरेन्द्र राय चिकित्साधिकारी के पद पर माह अगस्त, 1998 से कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में नये होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की मांग

35-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितने होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं? क्या सरकार जनपद आजमगढ़ की विशालता तथा उसकी अधिक जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त नये होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र खोलेगी? यदि हां, तो कितने और कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जनपद आजमगढ़ में अब तक कुल 23 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला योजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष्य उक्त जनपद के ग्राम खेतापुर, ब्लाक रौनापार में एक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर स्वा0 कार्यकर्ता (पुरुष) सा0 स्वा0 केन्द्र, जगदीशपुर में सेवारत श्री पारसनाथ के सेवा निवृत्ति के बाद समस्त देयों के भुगतान कराने की मांग

36-श्री तेजभान सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री पारसनाथ शुक्ल, स्वा0 कार्यकर्ता (पुरूष) सा0 स्वा0 केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर दिनांक 30 सितम्बर, 1997 को सेवा निवृत्त हो गये हैं? यदि हां, तो क्या इनके पेंशन ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्त के देयों का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

श्री पारसनाथ शुक्ल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) का पेंशन, ग्रेच्युटी व राशिकरण के भुगतान आदेश दिनांक 5-03-99 को निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद बिजनौर, मध्य गंगा नहर बैराज खण्ड-5 की बंजर भूमि को लीज पर आवंटित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पक्ष एवं कार्यवाही

37-श्री लाखी राम जोशी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र, संख्या क-2, नं0-063040, दिनांक 28-01-99, जो मध्य गंगा नहर, बैराज खण्ड-5, बिजनौर की बंजर भूमि को लीज पट्टे पर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

बिजनौर जनपद में बंजर भूमि को पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 विधायक का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त भूमि को पट्टे पर दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

छितौनी पनियहवा मार्ग के निर्माण विषयक जिलाधिकारी कुशीनगर को प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

38-श्री दीपलाल भारती-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-1-99, जो छितौनी पनियहवा मार्ग के निर्माण के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

दिनांक 20-01-99 द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त कर दिनांक 23-01-99 को कार्य कराने का आदेश निर्गत कर दिया गया है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

39-श्री श्रीराम यादव-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उ0प्र0 में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? इन कार्यरत कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है और कितनों को नहीं? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका विगत जनवरी, 1997 से अब तक के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? उन्हें कब तक वेतन भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

मा0 न्यायालय के आदेशों के परिपालन में कुल 485 कर्मचारी कार्यरत हैं।

268 कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है तथा शेष 217 कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है।

213 इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से धनराशि का प्राविधान करा लिया गया है। वेतन भुगतान के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के टीकरगढ़ रजबहा के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

40-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में टीकरगढ़ रजबहा के निर्माण में ग्राम-तरवा, मोकलपुर तथा बनगांव के किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांवों के किसानों को टीकरगढ़ रजबहा के निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मोकलपुर गांव के किसानों को मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिया जा रहा है। तरवां तथा बनगावं के किसानों का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है।

जी हाँ।

बनगांव का मुआवजा वर्ष 1999-2000 में दिया जाना प्रस्तावित है तथा तरवां गांवें की भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ को भेजा गया है। प्रक्रिया पूरी होने पर मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर/आजमगढ़ में कतिपय चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्टों की संख्या एवं श्री ज्ञान प्रकाश भारती, श्री दिवाकर दत्त भारती द्वारा अन्यत्र कार्य करने पर विवरणों को सेवा पुस्तिका में अंकित कराये जाने की मांग

41-श्रीमती गौरी देवी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर/आजमगढ़ में कुल कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं ? इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने महानिदेशालय चिकित्सा सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सीधी सेवा में आने से पूर्व अन्य विभागीय चिकित्सालयों जैसे किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्सालय-गांधी स्मारक चिकित्सालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कारागारों से संबंधित चिकित्सालयों-आदि में कार्य कर चुके हैं ? क्या इसमें श्री ज्ञान प्रकाश भारती, फार्मासिस्ट अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही, गोरखपुर व श्री दिवाकर दत्त भारती, फार्मासिस्ट जनपद आजमगढ़ का भी नाम है ? यदि हां, तो इन दोनों फार्मासिस्टों ने अपनी सेवा पुस्तिका में पूर्व कार्यानुभव अंकन हेतु दिनांक 23-6-97 से अब तक अपने-अपने उपमुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों (गोरखपुर व आजमगढ़) स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख संचिव, स्वास्थ्य, महानिदेशक, चिकित्सा सेवा, उ0प्र0 लखनऊ, संयुक्त निदेशक, गोरखपुर आदि को प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से प्रेषित किया है ? यदि हां तो क्या इस दिशा में जांच कराकर शीघ्र सेवा पुस्तिका में अनुभव अंकित करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद गोरखपुर में 105 तथा जनपद आजमगढ़ में 75 फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं ।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर चिकित्सा विभाग में सेवा में आने से पूर्व इनमें से किसी भी फार्मेसिस्ट का अन्य विभाग में कार्य करने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

श्री ज्ञान प्रकाश भारती एवं श्री दिवाकर दत्त भारती के उपलब्ध अभिलेखों में इसका प्रमाण नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी चीनी मिलों में एवं निजी शुगर मिलों में क्रय किये जाने वाले खाली बोरों की दर के अन्तर की जानकारी

42-श्री योगेन्द्र सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी चीनी मिलों में खाली चीनी के बोरे किस दर से क्रय किये जाते हैं ? क्या निजी शुगर फैक्ट्रियों में भी उसी दर पर चीनी के बोरे लिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो दोनों में कितना अन्तर है और क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

चीनी निगम व सहकारी संघ की सभी मिलों हेतु ए-ट्विल गनी बैग्स का क्रय आई0एस0आई0 मानकों के अनुरूप खुली निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। पेराई सत्र 1998-99 (माह फरवरी, 1999 तक) में बोरों का क्रय प्रत्येक माह गनी बैग्स ट्रेड एसोसिएशन (जी0टी0ए0) बुलिटिन की औसत दरों पर रु0 2469.00 से 2625.00 (एक्स फैक्ट्री प्राइज) के मध्य प्रति सौ बोरा की दर पर किया गया है।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पेराई सत्र 1998-99 में निजी चीनी मिलों द्वारा भी रु0 2400.00 से रु0 2650.00 (एक्स फैक्ट्री प्राइज) के मध्य प्रति सौ बोरा की दर से बोरों का क्रय किया गया है जो चीनी निगम व सहकारी संघ की दरों के अनुरूप ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

43-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

(5वें सोमवार में अता0प्र0सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

चेचक उन्मूलन योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

44-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेचक उन्मूलन योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में डा0 पी0 एन0 घई, डिप्टी डाइरेक्टर जनरल (आर0एच0एस0), नई दिल्ली का दिनांक 7-10-86 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 7-10-86 में यह उल्लेख किया गया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (कम्युनिटी हेल्थ आफिसर) न बनाया जाये, क्योंकि यह पद प्रोन्नत का है, जिसे पैरा मेडिकल स्टाफ द्वारा ही प्रोन्नत के माध्यम से भरा जाये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 11-5-81 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासनादेश दिनांक 14-2-84 में नीति निर्धारित की गयी थी। शासन के पत्र दिनांक 18-2-84 द्वारा उक्त आदेश का क्रियान्वयन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत चेचक पर्यवेक्षकों के पद समाप्त करने की जानकारी

45-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत

नियुक्त चेचक पर्यवेक्षकों की जो नियुक्तियां की गयी थीं क्या उन्हे समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस शासनादेश के तहत ? वर्तमान में चेचक पर्यवेक्षक किस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष) के पद पर कार्य कर रहे हैं।

जनपद सोनभद्र नगवां बांध के निर्माण हेतु लगे मिक्चर एवं कम्प्रेशर मशीनों की मरम्मत में विगत वर्षों में हुये व्यय की जांच/कार्यवाही की मांग

46-श्री समरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत नंगवां बांध के स्पिलवे के निर्माण अवधि 1996-97 में कांक्रीटिंग कार्य में लगे हुए कुल मात्र नौ मिक्चर मशीन तथा तीन कम्प्रेशर मशीन के मात्र चार माह मौके पर कार्य करने की अवधि का मार्च, 1997 में उपरोक्त मशीनों की फर्जी मरम्मत दिखाकर एक करोड़ रुपया (1,00,000,00/-रु0) का फर्जी भुगतान कर लिया गया है ? क्या उपरोक्त अवधि में उपरोक्त मशीनों के मरम्मत एवं ईंधन में 2 लाख रुपये से अधिक वास्तविक व्यय मौके पर नहीं हुआ है ? क्या पुनः वित्तीय वर्ष मार्च, 1997 समाप्त होते ही उपरोक्त मशीनों की पुनः फर्जी मरम्मत दिखाकर माह जुलाई एवं अगस्त, 1998 में 18 लाख रुपये (18,00,000/-रु0) का भुगतान किया गया है ? क्या स्पिलवे के कांक्रीटिंग का समस्त कार्य मार्च, 1997 में ही समाप्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, नगवां बांध के स्पिलवे के निर्माण अवधि 1996-97 में कुल 16 नं0 मिक्चर मशीन तथा 10 नं0 कम्प्रेशर कार्यरत थे। इनके मरम्मत पर मात्र रु0 9,08,981.80 का व्यय हुआ।

उपरोक्त मशीनों के मरम्मत पर रु0 9,08,981.80 तथा ईंधन पर कुल रु0 19,068.20 का वास्तविक व्यय हुआ। इस प्रकार मरम्मत एवं ईंधन पर कुल रु0 9,28,050.00 का व्यय हुआ है।

जी नहीं, इन मशीनों के मरम्मत पर माह 7/98 में मात्र रु0 7,790.00 व्यय हुआ था। माह 8/98 में कोई व्यय नहीं हुआ।

जी नहीं, स्पिलवे कांक्रीटिंग का कार्य वर्ष 1997-98 में भी कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सिद्धार्थनगर जिला चिकित्सालय के लैब टैक्निशियनों के विरुद्ध शिकायतों की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

47-श्री राम नक्षत्र-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थ नगर में कार्यरत दो लैब टैक्निशियनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्रांक महा नि0/सी-852, दि0 29-6-98 द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, गोरखपुर से करायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के अनुरूप उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश महानिदेशक को दिये गये हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

नवसृजित जनपदों में स्थापित जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति की जानकारी

48-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिलों में अब तक कितने जिला अस्पताल स्थापित हो चुके हैं ? क्या नवसृजित जिलों में मुख्य चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

दो नवसृजित जनपदों में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जा चुका है।

नवसृजित ।। जिलों में मुख्य चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। शेष जनपदों हेतु पद सृजन आदि की कार्यवाही की जा रही है।

तहसील केन्द्रों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बच्चों के रोगों की दवाएं उपलब्ध कराने की मांग

49-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बच्चों के डाक्टर नियुक्त होने के बाद भी बच्चों के रोगों से संबंधित दवा उपलब्ध नहीं रहती है ? क्या केवल जिला अस्पतालों में ही बच्चों के रोग की दवा उपलब्ध रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील केन्द्रों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बच्चों के रोगों से संबंधित दवा को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों में संबंधित मानक सूची के अनुसार दवाओं की व्यवस्था का प्राविधान है जिसमें बच्चों के रोगों से संबंधित दवायें भी सम्मिलित है । राज्य के सीमित संसाधनों में आवश्यक औषधियां अधिकाधिक मात्रा में सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराने का सरकार का प्रयास रहता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यक्रम प्रभावी बनाने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

50-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यक्रम कितने विकास खण्डों में चल रहे हैं तथा कितने विकास खण्डों के आंगनबाड़ी कार्यक्रम को संचालित करने के लिये पूर्णकालिक सी0डी0पी0ओ0 की कमी है ? क्या सरकार जनपद आजमगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिये जनपद आजमगढ़ में सी0डी0पी0ओ0 की कमी को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद आजमगढ़ के कुल 14 विकास खण्डों में कार्यक्रम संचालित है । 11 विकास खण्डों में बाल विकास परियोजना अधिकारी तैनात नहीं हैं ।

जी हां ।

रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर विकासखण्ड जलालाबाद में लगाये गये हैण्डपम्पों में रिश्वत लेने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

51-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-98 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में लगाये गये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों में ठेकेदार एवं जल निगम के अवर अभियन्ता द्वारा रिश्वत लेने की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर नेत्र शिविरों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच विषयक पत्र एवं कार्यवाही

52-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-98 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर के नेत्र शिविरों में सरकारी धन के गबन तथा व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल से जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर सी0एम0ओ0 के विरुद्ध शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

53-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-4-98 या इसके आसपास जो सी0एम0ओ0, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत के विषय में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली से कराई गई। शिकायती-पत्र में उल्लिखित बातें तथ्यगत नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, तहसील रुदौली ग्राम पूरे मल्लाह में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

54-श्री रणधीर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पूरे मल्लाह, ग्राम सभा द्वारिकापुर, तहसील रुदौली, जनपद फैजाबाद में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने

विषयक डा0 शिवकुमार अस्थाना, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30-9-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जिला योजना का भाग है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के पश्चात जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रश्नगत स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध नहीं हो सका।

प्रदेश में किसान एवं वृद्धावस्था पेंशन के वितरण की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने की मांग

55-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में किसान एवं वृद्धावस्था पेंशन वितरण की व्यवस्था ठीक न होने के कारण लाभार्थियों को समय से पेंशन नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेंशन भोगियों को नियमित हर माह पेंशन दिलाने की कोई सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

संसाधनों की उपलब्धता तथा अपरिहार्य स्थानीय कारणों को छोड़कर सामान्यतः वृद्धावस्था पेंशन के समय से वितरण की व्यवस्था है।

लाभार्थियों को प्रत्येक 6 माह की पेंशन एक साथ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त व्यवस्था वृद्ध पेंशन प्राप्तकर्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए की गयी है।

गोरखपुर मण्डल के अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56-श्री दीपलाल भारती-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गोरखपुर मण्डल के क्रियाकलापों के विरुद्ध श्री बेचन राम, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 17-10-98 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-99 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्न में उल्लिखित मा0 सदस्य, श्री बेचन राम का पत्र दिनांक 17-10-98 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-99 प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-1-99 के साथ संलग्नक के रूप में पत्र दिनांक 17-10-98 प्राप्त हुआ है।

जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु प्राप्त धनराशि से विकास खण्डों में समानुपातिक ढंग से कार्य कराये जाने की जानकारी

57-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट को सुनिश्चित रोजगार योजना से वर्ष 1998-99 में कुल कितना धन प्राप्त हुआ है? किस विकास खण्ड को कितना धन किस कार्य के लिए दिया गया है? क्या विकास खण्ड पहाड़ी में अन्य विकास खण्डों के ही बराबर कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त धन से प्रत्येक क्षेत्र में गरीबों को रोजगार दिलाने हेतु समानुपातिक ढंग से कार्य कराने की योजना बनायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जनपद चित्रकूट को सुनिश्चित रोजगार योजना से वर्ष 1998-99 में कुल 198.55 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं।

विवरण संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 299 पर)

ग्रामीण अभियंत्रण निदेशालय के लिपिकों की ज्येष्ठता सूची शासन के निर्देशानुसार निर्गत करने का मामला

58-श्रीमती सुखदेवी वर्मा-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा निदेशालय में कार्यरत लिपिकों की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 24 जनवरी, 1998 में क्रमांक 14 से 19 में अंकित कर्मियों की ज्येष्ठता में शासन के निर्देशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त का परीक्षण कराकर पुनः संशोधित ज्येष्ठता सूची शीघ्र निर्गत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय चिकित्सालयों के मा0 राज्यमंत्री (स्वास्थ्य) द्वारा निरीक्षण एवं भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के स्थानान्तरण के आदेश के पालन के सम्बन्ध में जानकारी

59-श्री सुधाकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आजमगढ़ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, आजमगढ़ एवं पंडित राहुल सांस्कृत्यायन महिला जिला चिकित्सालय का दिनांक 29-12-98 को निरीक्षण किया गया था तथा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में लिप्त पाये जाने पर श्री मुश्तफा खां, फार्मेसिस्ट के निलम्बन व श्री श्रीकान्त पाण्डेय, श्री सर्वेश चन्द्र गुप्त, फार्मेसिस्ट, श्री ननकू सिंह यादव, वरिष्ठ लिपिक, श्री विश्वनाथ राम, वरिष्ठ लिपिक को जिले से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

मा0 राज्य मंत्री (स्वास्थ्य) ने दिनांक 30-12-98 को यह निरीक्षण किया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन में हुई कथित अनियमितताओं की शिकायत की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

60-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-6-98 या इसके आसपास जो आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन में हुई व्यापक अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-6-98 प्राप्त हुआ है । जिसका विषय आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन तथा सभी विकास कार्यों के चयन हेतु ग्राम पंचायतों की खुली बैठक का व्यापक अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में है । पत्र में ब्लाक तिलहर, शाहजहांपुर के संबंध में दिये गये बिन्दुओं पर जांच करने की अपेक्षा की गयी थी ।

पत्र में उल्लिखित ब्लाक तिलहर की शिकायतों के संबंध में जांच करायी गयी । जांच के दौरान शिकायतें सहीं नहीं पायी गयी ।

61-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

(60वें गुरूवार में अता0प्र0सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

62-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद शाहजहांपुर, चीनी मिल तिलहर में नये ग्रामों को चीनी मिल से सम्बद्ध करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

63-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-7-97 या इसके आसपास जो चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में गन्ना क्षेत्रफल का सर्वे कराकर नये ग्रामों को चीनी मिल से सम्बद्ध करने के संबंध में था, मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ । सुझाये गये ग्रामों में से 1998-99 में जारी सुरक्षा आदेश संख्या-2901/सी/क्रय-सुर0/दिनांक 28-11-98 में सम्मिलित करते हुए कुल 55 नये ग्रामों को क्रयकेन्द्र बुधवाना खोलकर आवद्ध किया गया है ।

जनपद मैनपुरी तहसील भोगांव में पैक्सफैड द्वारा वर्ष 1998-99 में लगाये गये हैण्ड पम्पों पर व्यय एवं रख-रखाव हेतु की गई धन की व्यवस्था की जानकारी

64-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में पैक्सफैड द्वारा कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प वर्ष 1998-99 में लगवाये गये और उनमें अब तक कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार ने उक्त अवधि में लगवाये गये हैण्डपम्पों के रख-रखाव हेतु अलग से धन की कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में पैक्सफैड द्वारा 26 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प वर्ष 1998-99 में लगवाये गये और उनमें अब तक रु0 4,43,362.00 की धनराशि व्यय हुई है।

उक्त अवधि में लगवाये गये हैण्डपम्पों के रख-रखाव हेतु अलग से धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि दो वर्ष के फ्री मरम्मत की व्यवस्था पैक्सफेड द्वारा प्राक्कलन में कर ली गयी है।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1998 में हैण्डपम्प लगवाने हेतु आवंटित धन एवं मानक के अतिरिक्त लगाये गये हैण्ड-पम्पों के औचित्य की जानकारी

65-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 अगस्त, 1998 के बाद अब तक जनपद मैनपुरी में नलकूप निगम मैनपुरी को कितना धन ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में दिया गया और ब्लाक वाइज जनपद मैनपुरी में किस-किस के प्रस्ताव से कितने हैण्डपम्प लगवाये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त लगाये गये हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प मानक के अतिरिक्त लगवाये गये और उसका औचित्य क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, लखनऊ मुख्य अभियंता के शिविर में वैयक्तिक सहायक के स्थानान्तरण आदेश के पालन कराने की मांग

66-श्री अमर पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, (जल संसाधन) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शिविर में ऐसे कितने वैयक्तिक सहायक कार्यरत हैं जिनके वर्ष 1988 से अनेकों बार स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं

परन्तु आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? क्या स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

कोई नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

67-श्री समर पाल सिंह-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

अधिशासी अभियन्ता भवन निर्माण खण्ड-2 लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई नियुक्ति के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

68-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, भवन निर्माण खण्ड-2 लखनऊ के का0ज्ञा0सं0 169/भ0नि0ख0-2/दिनांक 25-2-93 द्वारा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? -

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69-श्री अजय भट्ट-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।)

राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली के अनुसार 50 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति की मांग

70-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 से स्वीकृत राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली के भाग 3 के 5 ख (दो) एवं 5 (ग) दो के अनुसार पिछले 7 वर्षों में आयुर्वेद एवं यूनानी अध्यापकों को प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो कितने लोगों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? 50 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी नहीं।

50 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव में अस्पताल खोले जाने की जानकारी

71-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में कौन-कौन से नये अस्पताल वित्तीय वर्ष 1998-99 में खोले गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव, मैनपुरी में कोई अस्पताल खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1998-99 में कोई भी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है।

जिला योजना 1998-99 के अन्तर्गत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव/परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण।

सम्प्रति इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

जनपद बलरामपुर तहसील उतरौला के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग के ग्राम सभा ईटइरामपुर के इन्दिरा आवास आवंटन धांधली की जांच

72-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला, जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग के ग्राम सभा इटई रामपुर में दिनांक 5-12-98 को इन्दिरा आवास वितरण करने हेतु जिला अधिकारी, बलरामपुर द्वारा मौखिक निर्णय लिया गया था कि भूमिहीन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा? क्या विधान सभा क्षेत्र उतरौला में इस आदेश का पालन न कर पैसा लेकर अपात्र लोगों को गरीबी रेखा एवं भूमिहीन की रिपोर्ट लगाकर आवास दिया जा रहा है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग, जनपद बलरामपुर के ग्राम सभा ईटइरामपुर में दिनांक 5-12-98 को जिलाधिकारी अपने ग्रामीण भ्रमण के कार्यक्रम हेतु गये थे। इन्दिरा आवास के सम्बन्ध में उपस्थित

व्यक्तियों ने आवास उपलब्ध कराने के पूर्व पात्रता सूची की पुनः जांच कराने का आग्रह किया था जिसके क्रम में प्रस्तावित सूची की जांच उप-जिलाधिकारी से करायी गयी है ।

जी नहीं । पात्रता एवं वरीयताक्रम निर्धारित करके ग्राम इटईरामपुर की सर्वेक्षित सूची खण्ड विकास अधिकारी, गैण्डास बुजुर्ग को धनराशि वितरित कराने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथास्थिति का उल्लेख ऊपर अंकित है ।

पिथौरागढ़ राजकीय विकलांग कर्मशाला व उत्पादन केन्द्र को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

73-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय विकलांग कर्मशाला व उत्पादन केन्द्र पिथौरागढ़ को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-1-99 विकलांग कल्याण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी हां ।

पत्र में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र, पिथौरागढ़ को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का उल्लेख किया गया है । वर्तमान वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र पिथौरागढ़ को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपदों में महिला कल्याण अधिकारी के पद सृजित करने की मांग

74-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदों में क्या महिला कल्याण अधिकारी के पद सृजित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलग से पद सृजन की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है ।

वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में शारदा कैनाल एवं राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना हरदोई द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता एवं भुगतान में अनियमितता की जांच की मांग

75-श्री श्याम प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में शारदा कैनाल एवं राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना हरदोई द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता के विपरीत होने के उपरान्त भी भुगतान कर, गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये सभी कार्यों की तकनीकी प्रकोष्ठ से जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं। हरदोई खण्ड, शारदा नहर, हरदोई एवं राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शारदा नहर, खण्ड, हरदोई द्वारा वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में जो कार्य कराये गये हैं, उनका भुगतान, गुणवत्ता सम्बन्धी जांच किये जाने के बाद ही किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के गृह जनपद में तैनाती की जानकारी

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को अपने ही जनपद में तैनात करने सम्बन्धी नीति क्या है? क्या यह सही है कि जनपद प्रतापगढ़ में कई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अपने गृह जनपद में तैनात हैं? यादे हां, तो क्यों? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-1998, दिनांक 14 अप्रैल, 98 के अनुसार समूह "ग" के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कर्मियों को गृह स्थान को छोड़कर उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है।

जी हां।

प्रश्नगत तैनातियां नीति के अनुसार हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ ब्लाक मार्टीनगंज ग्राम कोहरौली के चकरोड/नालों पर पुलिया निर्माण की मांग

77-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम-कोहरौली के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों के अन्तर्गत चकरोडों/नालों के ऊपर पुलिया निर्माण कार्य अपेक्षित धन न मिलने के कारण नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस हेतु कोई योजना बनायेंगे? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

उक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव एवं कार्य योजना बनायी जा चुकी है।

धनराशि की उपलब्धता पर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पालीटेक्निक महोबा से फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त छात्रों का पंजीयन मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में कराने की मांग

78-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फार्मेसी डिप्लोमा राजकीय पालीटेक्निक विद्यालयों से करने के बाद भी छात्रों का पंजीयन मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? राजकीय पालीटेक्निक महोबा के अन्तर्गत डिप्लोमा फार्मेसी किये वर्ष 1997-98 के छात्रों का उक्त पंजीयन कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

फार्मेसी डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पंजीयन का दायित्व मेडिकल फैकल्टी का नहीं है अपितु यह कार्य उ0प्र0 फार्मेसी कौंसिल द्वारा किया जाता है।

राजकीय पालीटेक्निक, महोबा के अन्तर्गत डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त नहीं है। अतएव इस संस्था से उत्तीर्ण डिप्लोमा फार्मेसी छात्रों का पंजीयन नियमानुसार सम्भव नहीं है।

जनपद बलरामपुर तहसील उतरौला में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा विगत वर्षों में कराये गये फर्जी भुगतान की जांच पर कार्यवाही की मांग

79-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157-उतरौला, जनपद बलरामपुर में वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा को खड़न्जा एवं पुलिया का कार्य कराये जाने हेतु धन दिया गया है ? क्या कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? क्या यह सही है कि जो कार्य कराये गये हैं, उसमें घटिया सामग्री लगाकर फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी हाँ

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

कराये गये निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री लगाकर फर्जी भुगतान किये जाने के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा निगम, बम्बई स्थित कार्यालय के आर0एम0एम0 के विरुद्ध लाखों रुपये घोटाले की प्राथमिकी दर्ज होने पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80-श्री लाल सिंह वर्मा-

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री को जानकारी है कि हथकरघा निगम में बम्बई स्थित कार्यालय में कार्यरत आर0 एम0 एम0 के विरुद्ध लाखों रुपयों के घोटाला को सिद्ध पाया गया है जिसके तहत वह निलम्बित भी हो चुके हैं ? क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध शहर कानपुर के थाना काकादेव में प्राथमिकी दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

जी हाँ।

जी हाँ।

थाना काकादेव शहर, कानपुर द्वारा अग्रिम विवेचना हेतु एफ0आई0आर0 एवं अन्य कागजात चेम्बूर, पुलिस थाना मुम्बई को भेजे गये हैं। निगम द्वारा मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के माध्यम से यह अनुरोध किया गया कि इनके विरुद्ध

दर्ज प्राथमिकी को अग्रिम विवेचना, कानपुर में ही की जाय। फिलहाल कार्यवाही चेम्बूर पुलिस थाना मुम्बई द्वारा की जा रही है। इस मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान कानपुर द्वारा भी की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर सखौरा पम्प कैनाल में विगत वर्षों में टेल तक पानी न पहुंचने एवं कैनाल की सफाई न होने के संबंध में जानकारी

81-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सखौरा पम्प कैनाल मिर्जापुर में रबी एवं खरीफ की फसलों के लिये पिछले कई वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंचता हैं? यदि हां, तो इसके लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं? क्या यह सही है कि उक्त नहर की सफाई पिछले 3-4 वर्षों से नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों और उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, गत पांच वर्षों में रबी फसल में सखौरा पम्प नहर एवं इसकी प्रत्येक माइनर की टेल तक पानी पहुंचा है व सिंचाई हुई है। विद्युत आपूर्ति के अभाव के कारण खरीफ फसल में मसारी एवं रामपुर की टेल पर सिंचाई हुई, शेष मुख्य नहर, विश्वनाथपुर माइनर, महादेवा माइनर एवं विसुन्दरपुर माइनर की टेल पर पानी नहीं पहुंचा।

विद्युत की निरन्तरता बनाये रखने के लिये विद्युत विभाग से प्रयास करके प्रत्येक मुख्य नहर एवं माइनर की टेल तक पानी पहुंचाये जाने का प्रयास किया जाता है।

वर्ष 96-97 में नहर सफाई का कार्य शीर्ष से टेल तक कराया गया था। वर्ष 98-99 में भी आवश्यकतानुसार धन उपलब्धता के आधार पर नहर की सफाई करायी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0 प्र0 स्टाफ नर्सेज वर्दी छः माह में दो बार परिवर्तन संबंधी शासनादेश जारी करने का औचित्य

82-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्सेज की वर्दी परिवर्तन हेतु शासनादेश संख्या-4101/5-11-98-ए0एन0-92/96, दिनांक 19 अगस्त, 1998 जारी किया गया था? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 25 जनवरी, 1999 को पुनः शासनादेश संख्या-401/5-11-90/ए0एन0/1621/98, दिनांक 25-01-99 द्वारा जारी कर वर्दी का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो छः माह में दो बार नर्सेज वर्दी परिवर्तन हेतु शासनादेश जारी करने का क्या औचित्य है?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

शासनादेश संख्या-4007/5-11-98-एन(62)/98, दिनांक 25-1-1999 द्वारा उपचारिका संवर्ग के कर्मियों का वर्दी निर्धारण किया गया।

शासनादेश दिनांक 19-8-98 द्वारा स्टाफ नर्सेज संवर्ग में केवल स्टाफ नर्स के लिये ही वर्दी का निर्धारण किया गया था। अन्य पद जैसे वरिष्ठ मातृका, मातृका, प्रधान ट्यूटर, सहायक मातृका, ट्यूटर ओ0टी0एस0 सिस्टर के लिये वर्दी का कोई उल्लेख नहीं था। अतएव उपचारिका संवर्ग के सभी पदों हेतु वर्दी का निर्धारण शासनादेश दिनांक 25-1-99 जारी किया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में सैन्य सेवा के शहीदों के आश्रितों को सहायता विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

83-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत सैन्य बाहुल्य क्षेत्र हैं ? उक्त क्षेत्र में शहीदों व सैन्य सेवा में मारे गये सैन्य कर्मियों के आश्रितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-01-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी हां।

जी नहीं, अभिलेखों की छानबीन के आधार पर संदर्भित पत्र पाया जाना प्रतीत नहीं होता है, तथापि मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में परीक्षणोपरान्त समुचित कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में ए0डी0आई0 के रिक्त पद को भरने की मांग

84-श्री अकबर हुसैन-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में ए0डी0आई0 का पद कब से रिक्त है ? रिक्त पद को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त रिक्त पद को भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में सहायक निदेशक का पद मार्च, 1992 से रिक्त है।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 से नियमित चयन के उपरान्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही पद को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशाषी अभियंता सिंचाई खण्ड एटा के साथ हुई मारपीट का प्रकरण

85-श्री नेतराम सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 12-9-98 को अधि0 अभि0, सिंचाई, खण्ड, एटा के साथ हुई जनता से मारपीट की विभागीय जांच मुख्य अभि0 रामगंगा कानपुर द्वारा दिनांक 14-09-98 को कारवाई की गयी थी? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता तथा विधायक सोरों के आचरण पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसे सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई खण्ड एटा में विगत पांच वर्षों में उपखण्डों को विभिन्न मदों में उपलब्ध कराया गया धन एवं औसत के अनुपात का विवरण

86-श्री नेतराम सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड एटा में विगत पांच वर्षों से (1993-94, 94-95, 95-96, 96-97 एवं 97-98) मद 2701, 2711 में अलग-अलग किस-किस उपखण्ड में कितना-कितना धन उपलब्ध किराया गया? उसका औसत अनुपात क्या है? क्या यह उपखण्ड के निर्धारित अनुपात के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

लेखा शीर्षक 2701 एवं 2711 में अनुरक्षण कार्यों हेतु अलग-अलग धन उपलब्ध कराया गया, जिसकी सूचना संलग्नक-1, 2, व 3 में दर्शायी गई है।

उपलब्ध कराई गयी धनराशि का औसत निम्नानुसार रहा :-

उपखण्ड	(उपलब्ध कराई गई धनराशि का प्रतिशत)
1-लेखा-शीर्षक 2701 सामान्य अनुरक्षण मद	
प्रथम	29.99
द्वितीय	44.33
तृतीय	25.68
2-लेखा-शीर्षक 2701 विशेष मरम्मत मद	
प्रथम	23.34
द्वितीय	44.30
तृतीय	32.36
3-लेखा-शीर्षक 2711 बाढ़ एवं जलोत्सारण	
प्रथम	26.12
द्वितीय	45.41
तृतीय	28.47

धनावंटन कार्य की महत्ता को देखते हुए किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 300 ...पर।)

जनपदों में सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु प्राप्त धन जन-प्रतिनिधियों की सहमति से व्यय कराने की जानकारी

87-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन को जनपदों में किस के प्रस्ताव से खर्च किया जाता है ? क्या जन-प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाकर कार्यों के प्रस्ताव लिए जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जन-प्रतिनिधियों की सहमति से कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध धन जनपदों में कार्यान्वयन प्राधिकारी/जिलाधिकारी की स्वीकृति से व्यय किया जाता है।

माननीय जन-प्रतिनिधियों यथा सांसदों विधायकों से भी परामर्श एवं प्रस्ताव प्राप्त किये जाने एवं उनके सुझावों के आधार पर कार्यवाही संस्थाओं द्वारा परियोजना पोथी (शेल्फ आफ प्रोजेक्ट) तैयार किये जाने के निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सालयों की भांति सचिवालय डिस्पेंसरी में लोकल परचेज हेतु 25 प्रतिशत धन आवंटित करने की मांग

88-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में एल0पी0 (लोकल परचेज) हेतु 25 प्रतिशत धन का आवंटन किया जाता है किन्तु सचिवालय डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) में 15 प्रतिशत ही धन दिया जाता है यदि हां, तो क्या मंत्री जी अन्य चिकित्सालयों की भांति सचिवालय डिस्पेंसरी में भी उक्त 25 प्रतिशत धन आवंटित करेंगे? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश के कतिपय जनपदों के बड़े चिकित्सालयों में औषधि मद में आवंटित धनराशि का 25 प्रतिशत तथा अन्य चिकित्सालयों (जिसमें सचिवालय डिस्पेन्सरी भी सम्मिलित है) में लोकल परचेज हेतु 15 प्रतिशत की सीमा निर्धारित है।

जी नहीं। सचिवालय में स्थापित चिकित्सा इकाई मात्र डिस्पेन्सरी है, चिकित्सालय नहीं है, और सचिवालय डिस्पेन्सरी के समीप ही डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय स्थापित है।

कतिपय जनपदों में नर्स/कम्पाउण्डर को संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान कराने की मांग

89-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, आगरा में 1 जनवरी, 86 से नर्स/कम्पाउण्डर के संशोधित वेतनमान का निर्धारण कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या वेतन निर्धारण का एरियर का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

लखनऊ में एक कम्पाउण्डर को छोड़कर सभी के संशोधित वेतनमान का निर्धारण कर दिया गया है।

सीतापुर जनपद में एरियर का भुगतान कर दिया गया है। शेष स्थानों पर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

शीघ्र भुगतान करा दिया जायेगा।

जनपद हरदोई में सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण कराने की मांग

90-श्री श्याम प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में वर्तमान वर्ष में सिल्ट

सफाई का कार्य अभी तक पूर्ण न होने के कारण किसानों की फसल की सिंचाई का कार्य प्रभावित हो रहा है ? क्या यह कार्य 15 दिसम्बर तक पूर्ण करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो सरकार यह कार्य कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी नहीं । सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्धता के अनुसार दिया जा रहा है ।

सिल्ट सफाई का कार्य कार्यक्रम के अनुसार दि0 31-1-99 तक पूर्ण कराने का प्राविधान था ।

सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, लघु डाल नहर में कथित भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

91-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-98 या इसके आसपास जो लघु डाल नहर शाहजहांपुर में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के विषय में था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी हाँ ।

जांच आदेशित कर दी गई है ।

लघु डाल नहर उपकेन्द्र शाहजहांपुर के एस0डी0ओ0 द्वारा धन दुरुपयोग की जांच विषयक पत्र एवं कार्यवाही

92-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-98 या इसके आसपास जो लघु डाल नहर उपकेन्द्र शाहजहांपुर में तैनात एस0डी0ओ0 द्वारा कथित शासकीय धन के दुरुपयोग के संबंध में जांच कराये जाने विषयक था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी हाँ ।

जांच की जा रही है।

93-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

(छठे शुक्रवार में अ0ता0प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

निदेशक, महिला एवं बाल विकास को प्राप्त जांच रिपोर्ट में दोषी के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

94-श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासकीय पत्र संख्या-2345/60-2-98-2/12(99)/98 के अनुपालन में जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट 405/व0वि0/जांच/लेखा/98-99, दिनांक 7 दिसम्बर, 1998 के द्वारा निदेशक को प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ प्रकरण में दोषी पायी गयीं। उन्हें जांच आख्या की एक प्रति भेजकर उनसे उत्तर मांगा गया है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, फुरसतगंज की करायी गयी जांच में दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

95-श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि । अक्तूबर, 1997 को जनपद रायबरेली के राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, फुरसतगंज की जांच जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांचकर्ता द्वारा किन-किन कर्मचारियों को दोषी बताया गया तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जांचकर्ता द्वारा निम्न कर्मचारियों को दोषी बताया गया है :-

1- श्री नेत्रपाल सिंह, अधीक्षक (से0 नि0 हो चुके हैं)
2- श्रीमती शीला, सिलाई प्रशिक्षिका।
3- श्री महेश प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक।
4- श्रीमती हीरामणि, रसोइया (नियत वेतन पर)

5- श्रीमती फूलन, स्वीपर (नियत वेतन पर)

जांच आख्या में विभिन्न कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए निम्न कार्यवाही की गई है :-

(अ) श्रीमती शीला, सिलाई प्रशिक्षिका के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

(ब) श्री महेश प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक को उक्त संस्था से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(स) श्रीमती हीरामणि, रसोइया जो नियत वेतन पर कार्यरत थीं, की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं।

(द) श्रीमती फूलन, स्वीपर के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर तहसील पुवायां में वर्ष 1997-98 में नहर विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता का विवरण

96-श्री चेतराम-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां में 1997-98 में नहर विभाग द्वारा कहां-कहां कार्य कराये गये तथा प्रत्येक निर्माण कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी? क्या मंत्री जी समस्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच शासन स्तर से करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

निर्वाचन क्षेत्र पुवायां में वर्ष 1997-98 में कराये गये कार्यों का विवरण एवं व्यय निम्नवत् है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	व्यय (लाख रु0 में)
1-	हरदोई ब्रांच पर कच्चे एवं पक्के पुनर्स्थापना कार्य	32.59
2-	ड्रेन सफाई का कार्य	2.82
3-	हरदोई ब्रांच से निकलने वाली नहरों पर सिल्ट सफाई एवं अन्य मरम्मत कार्य।	7.50

जी नहीं।

वर्ष 1997-98 में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु विगत पांच वर्ष में आवंटित धनराशि एवं विकास खण्ड में उक्त योजना के संचालन की स्थिति की जानकारी

97-श्री जयप्रकाश निषाद-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश को पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? प्रदेश के कितने जनपदों के विकास खण्डों में यह योजना चलायी जा रही हैं तथा कितने विकास खण्ड वंचित हैं ? क्या वंचित विकास खण्डों में भी इस योजना को चलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में प्रशासनिक व्यय हेतु कुल रु0 37603.795 लाख की राशि आवंटित की गई।

प्रदेश के 80 जनपदों के 528 विकास खण्डों में यह योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के 376 विकास खण्डों में यह योजना अभी संचालित नहीं हो सकी हैं।

भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् ही नई परियोजनायें संचालित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ सिंचाई विभाग की कतिपय कालोनियों में आवास आवंटन हेतु शासनादेश का अनुपालन कराने की मांग

98-श्री समर पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग की उदयगंज कैनाल कालोनी तथा हैबलक रोड कैनाल कालोनी, लखनऊ में शासनादेश सं0-बी-510/का-2/1995, दिनांक 29 सितम्बर, 1995 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आरक्षित वर्गों को आवंटित आवासों का प्रतिशत निर्धारित कोटे से कम है

जिसका कारण आरक्षित वर्गों के कर्मियों के आवेदन-पत्र उपलब्ध न होना है।

उपरोक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग, कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों को नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति हेतु अर्हता में छूट प्रदान करने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

99-श्री समरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 2301/97-27-सिं-7-127 कार्यप्रभारित/97, दिनांक 29 मई, 1997 द्वारा कार्यप्रभारित अधिष्ठान के यांत्रिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति हेतु अर्हता में छूट न देने का आदेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो इसका उल्लंघन कर कितने कार्यप्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति प्रदान की गयी है? क्या उक्त को प्रत्यावर्तित करके दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति हेतु अर्हता में छूट देने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सिंचाई विभाग में आरक्षण कोटे विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

100-श्री समरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/ के आरक्षण कोटे के संबंध में प्रान्तीय महामंत्री, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, शाखा उत्तर प्रदेश का पत्रांक 56/98-99/एस0सी0/एस0टी0 दिनांक 10-11-98 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

उपलब्ध विवरण के अनुसार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। यदि भविष्य में किसी के दोषी पाये जाने के तथ्य प्रकाश में आते है, तो कार्यवाही की जायेगी।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की व्यय की मदें एवं जनपद आजमगढ़ ब्लाक मार्टीनगंज ग्राम कोहरौली, पिछौरा, में वर्ष 1996 में उक्त योजना हेतु प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

101-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का ग्राम सभाओं द्वारा किन-किन मदों में खर्च किये जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा कोहरौली, पिछौरा आदि में वर्ष 1996 से अब तक उक्त विभिन्न मदों में कब-कब कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गयी ? क्या उक्त प्राप्त धनराशि से ग्राम प्रधानों द्वारा उक्त कराये गये कार्यों की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक वानिकी कार्य, भूमि संरक्षण नमी संरक्षण तथा जल संरक्षण कार्य, लघु सिंचाई कार्य, जल निकासी कार्य, मत्स्य पालन, वनरोपण, पंचायत घरों, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण, खड़न्जा कार्य, कब्रिस्तानों शमशान स्थलों शवदाह स्थानों को घेरने का कार्य कराये जाने का प्राविधान है ।

वर्ष 1996 से अब तक प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	प्राप्त धनराशि
कोहरौली	1996-97	33603.90
"	1997-98	27278.90
"	1998-99	32306.00
पिछौरा	1996-97	25315.00
"	1997-98	20660.00
"	1998-99	33499.00

ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच क्षेत्र प्रभारी द्वारा करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ ब्लाक काकोरी के ईंटगांव में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच की मांग

102-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रा0-ईंट गांव, ब्लाक काकोरी, जिला लखनऊ के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अब तक कुल स्वीकृत धनराशि से कितने आवास, शौचालय, खड़न्जे एवं नालियों का निर्माण कराया गया है ?

क्या यह सच है कि संबंधित ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी द्वारा आहरित धन का 90 प्रतिशत धन हड़प कर लिया गया है ? क्या उक्त प्रकरण के विरुद्ध जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर शिकायत करमे के बावजूद भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

103-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

(दिनांक 24-2-99 को अता0प्र0सं0 60 द्वारा उत्तरित)

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर मुख्यालय पर सामुदायिक चिकित्सालय स्थापित किए जाने की मांग

104-श्री कृपा शंकर सिंह -

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अनुसार उन्नाव जनपद की बीघापुर तहसील मुख्यालय पर कोई सामुदायिक चिकित्सालय स्थापित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वहां सामुदायिक चिकित्सालय कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण/स्थापना का कार्य जिला योजना का भाग है तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के पश्चात् जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट विकास खण्ड मानिकपुर ग्राम कोठिलिहाई से जगदेवा तक सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1996-97 में स्वीकृत धनराशि से सम्पर्क मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

105-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम कोठिलिहाई से जगदेवा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापन के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष में धन के उपभोग की सम्भावना न हो पाने की परिस्थिति में खण्ड विकास अधिकारी मानिकपुर द्वारा रु0 3.00 लाख की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा को वापस करा दी गयी थी वर्तमान में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत धनराशि के उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मलेरिया डेंगू बुखार एवं एड्स के रोकथाम के उद्देश्य से बोर्ड लगाने हेतु ठेके के फर्जी भुगतान की जांच

106-श्री हरदेव सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मलेरिया डेंगू बुखार एवं एड्स के रोकथाम के लिये कितने बोर्ड लगाने के टेंडर वर्ष 1998-99 में हुए हैं? इनका रेट क्या निर्धारित हुआ है? क्या सारे बोर्ड लग गये हैं? क्या यह सही है कि एवरेस्ट ट्रेडर्स, निशातगंज, लखनऊ द्वारा कुछ बोर्ड बनवाने व लगवाने का ठेका लिया गया है? यदि हां, तो क्या बिना बोर्ड लगाये ही काफी फर्जी पेमेन्ट कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराने तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में मलेरिया डेंगू बुखार एवं एड्स की रोकथाम हेतु वर्ष 1998-99 में बोर्ड लगाने के लिए टेण्डर नहीं हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर हिन्डन यमुना दोआब बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराने की मांग

107-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत हिन्डन यमुना दोआब बांध के निर्माण हेतु जो जमीन किसानों से ली गयी थी, उसका प्रतिकर आज तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो प्रतिकर भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रतिकर राशि कितनी है और कितने किसानों को देय है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिकर वितरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

प्रतिकर की धनराशि 224 गाटा स्वामियों को रु0 170.76 लाख तथा डिक्रीटल धनराशि 41 गाटा स्वामियों को रु0 134.11 लाख देय हैं।

जनपद फैजाबाद विकास खण्ड रुदौली के मड़हा ड्रेन की सफाई कराने की मांग

108-आचार्य रामदेव वैश्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि रुदौली विधान सभा क्षेत्र, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मड़हा ड्रेन में जल भराव तथा फैलाव के कारण हजारों बीघा जमीन कृषि के उपयोग में नहीं आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित को देखते हुए उक्त ड्रेन की सफाई की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

109-श्री नरेन्द्र कुमार शिशौदिया-

(6 ठवें गुरूवार में अता0 प्र0 सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री के पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

110-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित सिंचाई मजदूर संघ उ0प्र0 सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ

के प्रदेश महामंत्री का पत्रांक 1354/दिनांक 9-8-98 पत्रांक 1154/दिनांक 9-8-98, प्रत्रांक 720/दिनांक 14-11-98, पत्रांक 721/दिनांक 14-11-98, पत्रांक 704/ दिनांक 3-11-98 व पत्रांक 705/दिनांक 3-4-98 दिनांक 9-8-98 व पत्रांक 816/दिनांक 10-1-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

111-श्री चेतराम-

(दिनांक 10-3-99 को अता0 प्र0 सं0 166 द्वारा उत्तरित)

जनपद हरदोई के हैण्डलूम बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 बड़ा फाटक के बकाया सूत एवं मजदूरी भुगतान विषयक बीवर्स कोआपरेटिव के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो उनको सम्बोधित है और जो हैण्डलूम बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लि0 बड़ा फाटक पूर्वी मल्लावां, हरदोई के बकाया सूत एवं मजदूरी का भुगतान करने विषयक था और जिस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा कम्प्यूटर संख्या-सी-10017889,पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम-3/17889/हरदोई/98जो कि मंत्री, हथकरघा एवं रेशम उद्योग को दिनांक 7-11-98को भेजा गया, पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या बकाया सूत एवं मजदूरी का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह-

जी हां ।

उक्त पत्र में किये गये अनुरोध के अनुसार प्रश्नगत समिति को भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, यूपिका को 25-11-98 को पत्र भेजा गया था । मे0 हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, बड़ा फाटक पूर्वी मल्लावां, हरदोई को वर्ष 97-98 किया गया । इस प्रकार समिति का रु0 1.75 लाख अवशेष है ।

यूपिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण समितियों का अवशेष भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है ।

सिंचाई विभाग के सींचपाल के विरुद्ध कार्यवाही विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

113-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के सींचपाल

गोपाल दास व मुंशी नत्था लाल के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी0एम0/वि0को0/एम-2/19648/मथुरा/99, दिनांक 16-1-99, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई विभाग, मेरठ को जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद मऊ/आजमगढ़ में विगत कई वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिका के स्थानान्तरण की मांग

114-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ/आजमगढ़ में कितने स्वास्थ्य निरीक्षिका कार्यरत हैं तथा इनमें से कितने 16 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर नियुक्त हैं ? क्या ऐसी स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

जनपद मऊ/आजमगढ़ में 173 स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) (पूर्व स्वास्थ्य निरीक्षिका) कार्यरत हैं। जनपद मऊ एवं आजमगढ़ में 72 स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) 16 वर्षों से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत हैं।

शासकीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण पर यथा समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद, लोनी वार्डर, नहर विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराने की मांग

115-श्री रूप चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लोनी बार्डर, जनपद-गाजियाबाद में नहर विभाग की करोड़ों रुपये की भूमि पर तथा नहर की दोनों पटरियों पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे मुक्त कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी को भी दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी, हां।

जी, हां।

एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

दोषी कब्जादारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण में कार्यरत नर्स/कम्पाउन्डर को चिकित्सा विभाग की भांति ही वेतन मान/पदोन्नति का लाभ दिये जाने की मांग

116-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण में कार्यरत नर्स/कम्पाउन्डर की भर्ती की अर्हतायें चिकित्सा विभाग के मानक के अनुरूप है? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को चिकित्सा विभाग में स्वीकृत वेतनमान तथा पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध संख्या 358/84 दिनांक 16-6-84 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

117-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के थाना कोतवाली में दिनांक 16-6-84 को रिश्वत लेने के आरोप में अपराध संख्या-358/84 धारा-161, 613ए, तथा 165, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं, अपितु थाना कोतवाली नगर सुल्तानपुर में अपराध संख्या-352/84

के अन्तर्गत धारा-161/162/165ए आई0पी0सी0 तथा धारा-5(2)भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 14-6-84 को पंजीकृत हुआ था।

उक्त वाद में विवेचना के बाद सम्बन्धित अभियोजन कार्यालय की अन्तिम रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वर्ष 1985 से 1990 तक क्रय किये गये सामान तथा खाद्य सामग्री के वितरण का भौतिक सत्यापन

118-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-नैनीताल में जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकस परियोजना अधिकारियों द्वारा वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक क्रय किये गये समानों तथा वितरण होने वाली खाद्य सामग्री का कब-कब भौतिक सत्यापन कराया गया? यदि नहीं, तो क्या उक्त अवधि में क्रय एवं वितरण की विशेष आडिट सम्परीक्षा करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद नैनीताल में वर्ष 1985 से 90 के बीच केवल रामगढ़ परियोजना ही संचालित थी जिसमें क्रय किये गये सामानों का सत्यापन दिनांक 25-3-88, 9-3-89, 28-11-89 तथा दिनांक 7-6-90 को कराया गया। इसके अतिरिक्त परियोजना में वितरण होने वाली खाद्य सामग्री का सत्यापन भी समय-समय पर कराया जाता रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नहर के आखिरी छोर (टेल) के कुलावे के ऊपर निर्धारित माप के अनुसार पानी न पहुंचने की दशा में उस असिंचित क्षेत्र की आपासी माफी की मांग

119-श्री रूप चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर के आखिरी छोर (टेल) के कुलावे के ऊपर निर्धारित माप के अनुसार पानी न पहुंचने की दशा में क्या सरकार उस असिंचित क्षेत्र की आपासी माफ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

असिंचित क्षेत्र की कोई आपासी दर्ज नहीं की जाती है। अतः आपासी माफ करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत व गाजियाबाद में नगर विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्या निराकरण हेतु ब्लाक वाइज कैम्प लगाने की मांग

120-श्री रूप चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नीति के अनुसार क्या नहर विभाग के अधिकारी किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु गावों में कैम्प कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद बागपत व गाजियाबाद में भी इस निर्देश का पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1998 में किन-किन तिथियों में उक्त जनपदों के गांवों में अधिकारियों द्वारा कैम्प किये गये ? उक्त जनपदों की ब्लाक वाइज कैम्प की तिथियों व गांव के नाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो कब तक यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नहर विभाग के अधिकारी किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार माह में दो बार किसान दिवस, दो बार तहसील दिवस, एक बार सिंचाई बन्धु बैठक तथा दो बार जिलेदारी दिवस का आयोजन कर एवं नहरों के सामान्य निरीक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के समय किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहें हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहाँपुर, ग्राम डभौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं कर्मचारी आवास हेतु भवन निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

121-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-11-97 या इसके आसपास जो ग्राम डभौरा जिला शाहजहाँपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन व कर्मचारी आवास निर्माण के सम्बन्ध में था, मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्नगत विषय पर मा0 सदस्य का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 11-5-1997 प्राप्त हुआ है।

पत्र में किये गये अनुरोधानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा जनपद शाहजहांपुर के भवन निर्माण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष रखा गया किन्तु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन

प्राप्त नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के अधिशासी अभियंता नलकूप द्वारा कूप चालक की अवैध नियुक्ति विषयक पत्र एवं कार्यवाही

122-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-12-96 या इसके आसपास को जनपद शाहजहाँपुर के अधिशासी अभियन्ता नलकूप द्वारा कूपचालक की अवैध नियुक्ति के बारे में था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हुई है, किन्तु मा0 प्रश्नकर्ता विधायक के दो अन्य पत्र क्रमशः दिनांक 15-8-96 व 25-11-96 जो अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बरेली को सम्बोधित थे तथा प्रतिलिपि राज्यपाल महोदय को भी पृष्ठांकित थी, प्राप्त हुए, जिसमें श्री वेद प्रकाश, नलकूप सहायक कूप संख्या-13 ग्राम-खमरिया की अवैध नियुक्ति के आरोप थे। जांच से यह पाया गया कि श्री वेद प्रकाश पिछले 20 वर्षों से ग्राम खमरिया में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं तथा तिलहर विधान सभा क्षेत्र की निर्वाचन नियमावली, 1995 में इनका नाम भी अंकित है। अवैध नियुक्ति का आरोप सही नहीं पाया गया।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड पुवायां वर्ष 1997-98 में नलकूपों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं कराये गये कार्य की जांच की मांग

123-श्री चेतराम-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 1997-98 में नलकूपों एवं नलकूप के गूलों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु शासन स्तर से कितना धन प्राप्त हुआ? प्राप्त धन से कौन-कौन से नलकूप ठीक कराये गये तथा कहां-कहां गूलों का निर्माण कराया गया? क्या सरकार कराये गये कार्यों की शासन स्तर से जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां हेतु पृथक से किसी योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त नहीं हुई है परन्तु वर्ष 1997-98 में जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के विरुद्ध पुवायां निर्वाचन क्षेत्र में नलकूपों पर उपभोग की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार :-

1-राजकीय नलकूपों का अनुरक्षण लगभग रु0 9.89 लाख।

2-राजकीय नलकूपों पर उपकरण एवं गूलों का जीर्णोद्धार रुपये 27.23 लाख।

3-ग्राम विकास अभिकरण से प्राप्त धनराशि के विरुद्ध व्यय रुपये 13.20 लाख।

प्रश्नगत निर्वाचन क्षेत्र में स्थित 147 नलकूपों पर कार्य कराया गया। किसी भी नलकूप पर गूल का निर्माण नहीं कराया गया। जी नहीं, कोई विशिष्ट शिकायत न होने के कारण प्रस्तावित नहीं है।

124-श्री चेतराम-

(5वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

125-श्री मस्तराम-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बलिया द्वारा कोपाचीट के कतिपय बस्तियों के मार्ग निर्माण हेतु बिना पिच स्तर का निर्माण कार्य कराये भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

126-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र कोपाचीट के अन्तर्गत चितबड़ागांव से वासदेवा होते हुये सिंगारपुर से शहाबुद्दीनपुर अनुसूचित जाति बस्ती के मार्ग का ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, बलिया द्वारा बिना पिच स्तर तक निर्माण कराये ही 16 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है? यदि हां, तो संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बलिया के पत्र दिनांक 18-12-96 एवं पत्र दिनांक 25-2-97 द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत बासुदेवा पी0डब्लू0डी0 सड़क से शहाबुद्दीनपुर अनुसूचित जाति बस्ती तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य लम्बाई 2.00 कि0मी0 कराये जाने हेतु क्रमशः 5.00 लाख एवं 5.57 लाख रुपये अर्थात कुल 10.57 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। पिच स्तर तक कार्य अभी नहीं हुआ है। प्रखण्ड के अभिलेखों के आधार पर लगभग 12.78 लाख रुपये व्यय हुआ है।

प्रखण्ड बलिया के विभिन्न कार्यों पर ऋणात्मक व्यय में समाहित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है। पिच स्तर तक

का कार्य करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूरा कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सुमेरपुर में इन्दिरा आवासों के आवंटन में अनियमितता की जांच

127-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सुमेरपुर जनपद उन्नाव में इन्दिरा आवासों के आवंटन में की गयी अनियमितता की जांच हेतु संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 1998 को जिलाधिकारी, उन्नाव को कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के बुनकरों के दस हजार रुपये तक ऋण माफ न कर उत्पीड़न की कार्यवाही की जानकारी

128-श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के बुनकरों का दस हजार रुपया तक कर्ज माफ करने की घोषणा वर्ष 1993 में की गयी थी जिसका लगभग 24 करोड़ 30 लाख रुपया भारत सरकार से प्राप्त भी हो चुका है परन्तु अभी तक सभी बुनकरों का उक्त कर्जा माफ नहीं किया गया है और उन पर उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग अब तक न किये जाने का क्या कारण हैं ?

श्री सरदार सिंह-

बुनकरों को सहकारी बैंकों/व्यवसायिक बैंकों से लिये गये ऋण के अतिदेय से राहत दिलाने के उद्देश्य से ऋण राहत योजना वर्ष 1993 में लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा रु0 28.73 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गयी जिसमें सहकारिता क्षेत्र/व्यक्तिगत क्षेत्र के 41,369 बुनकरों को लाभान्वित कर रु0 2,589.91 लाख भुगतान किया जा चुका है तथा 28,116 बुनकरों को ऋणमुक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिये गये। ऋण राहत योजना से आच्छादित पात्र बुनकरों को उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुनकरों को ऋण माफी हेतु भारत सरकार ने सितम्बर, 1993 में रु0 24.00 करोड़ की विशेष सहायता दिये जाने की स्वीकृत जारी की थी वह अग्रिम प्लान

सहायता थी जिसे बाद में राज्य सरकार को दी जाने वाली प्लान सहायता में समायोजित कर दी गयी थी । इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई भी धनराशि योजनान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई गयी है । इस प्रकार प्रदेश सरकार को ही बुनकरों की ऋण माफी का भार वहन करना पड़ा है ।

शासनादेश के प्राविधानानुसार विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भूमि/भवन आवंटन में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

129-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि विकलांग जन एक्ट, 1995 के प्राविधानानुसार सभी राज्य सरकार एवं इसके अधीन एजेन्सियों द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि व निर्मित भवन आवंटन में विकलांग एवं विकलांगों द्वारा संचालित संस्थाओं को वरीयता दिए जाने का निर्देश है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया है ? यदि नहीं, तो शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-43 में विकलांग व्यक्तियों को भवन व व्यवसाय, मनोरंजन केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र आदि की स्थापना हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में वरीयता दिये जाने का प्राविधान है ।

आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार शासनादेश सं0-2680/9-आ-1-98-42 विविध/96, दिनांक 31-8-1998 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकारणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ।

लागू नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के राज्य मार्ग की पटरी, खड़ंजे तथा मिश्रिख-सिधौली मार्ग पर बनी पटरी में व्यय धन के दुरुपयोग के जांच की मांग

130-श्री ओम प्रकाश गुप्त-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में डी0आर0डी0ए0 द्वारा आवंटित धन से लखीमपुर-सीतापुर रोड पर बनायी गयी 12 कि0मी0 राज्य मार्ग की पटरी, खड़ंजे तथा मिश्रिख-सिधौली मार्ग में बनायी गयी पटरी में धन का दुरुपयोग एवं घटिया सामग्री प्रयुक्त की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, मुख्य सम्प्रेक्षण अधिकारी जिला चिकित्सालय की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी कर्मियों को दण्डित करने की मांग

131-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सम्प्रेक्षण अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय, हरदोई की सम्प्रेक्षण रिपोर्ट दिनांक 12-1-98 में लाखों रुपयों की वित्तीय अनियमितता पायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्व निर्धारण किये जाने की कार्यवाही चल रही है। कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण होते ही दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद की गयी नियुक्तियां

132-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990 में मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा शासन की ओर से प्रतिबन्ध के बावजूद भी कार्यालय के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या वर्ष 1991 में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के उपरान्त उक्त कर्मचारी आज तक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1990 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई द्वारा 5 कनिष्ठ लिपिकों तथा 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां नियत वेतन पर की गयी थी। नियुक्ति तिथि को नियत वेतन पर नियुक्तियां प्रतिबन्धित नहीं थी।

जी हाँ।

सम्प्रति नहीं। क्योंकि मामला मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, शारदा नहर के सहायक अभियन्ता द्वारा वर्णित भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्ष प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

133-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-10-98 या उसके आसपास जो शारदा नहर, शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता सलाउद्दीन महमूद द्वारा वर्णित व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, मा0 मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

दिनांक 31-10-98 के बजाय दिनांक 4-10-98 को प्रेषित पत्र, पत्र संख्या-क-2 पत्र संख्या-036247, दिनांक 4-10-98 जो सलाउद्दीन महमूद, सहायक अभियन्ता के वर्णित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर द्वारा जांच पूरी कर ली गयी है जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, समाज कल्याण विभाग द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के पात्र लाभार्थियों को अनुदान की स्थिति की जानकारी

134-श्री चेतराम-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग को वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी एवं निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी? निर्वाचन क्षेत्र पुवायां में कितने पात्र लाभार्थियों को अनुदान दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी हां, वर्ष 1997-98 में जनपद शाहजहांपुर में उ0प्र0 शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना में रु0 170.10 लाख की धनराशि, अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह एवं उनकी बीमारी के इलाज हेतु रु0 18.40 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

निर्वाचन क्षेत्रवार योजनाओं में हुए व्यय का विवरण तैयार नहीं किया जाता है तथापि उक्त क्षेत्र में हुए व्यय एवं लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराने हेतु

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1997-98 में आर0ई0एस0 विभाग का आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच की मांग

135-श्री चेतराम-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुवायां, जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में आर0ई0एस0 विभाग को एस0 आर0 वाई0 योजना द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि दी गयी? क्या मंत्री जी समस्त निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की जांच करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द-

वित्तीय वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र पुवायां, जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना में अनावां से पदई सम्पर्क मार्ग के कार्य हेतु मु0-रुपये- 02.40 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

निर्मित/निर्माणाधीन उक्त कार्य के गुणवत्ता की शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है, इसलिए जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मुख्य चिकित्साधीक्षक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरुद्ध कतिपय शिकायत की जांच

136-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधीक्षक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1996-97 में प्रस्तुत अवकाश यात्रा बिलों इत्यादि का भुगतान न करके, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच तत्समय निदेशक केन्द्रीय औषधि भण्डार से करायी गयी। जांचोरान्त यह पाया गया कि वर्ष 1996-97 में प्रस्तुत 18 अवकाश यात्रा बिलों में से 16 का भुगतान कर दिया गया है? आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण

दो मामलों में भुगतान सम्भव नहीं हो सका है। जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विभाग में कार्यरत स्टोर कीपर-कम-लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग

137-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत स्टोरकीपर-कम-लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 1991 से न होने के क्या कारण हैं? क्या यह सत्य है कि अनेक प्रोन्नति पद विगत लगभग 10 वर्षों से रिक्त हैं? यदि हां, तो उनकी पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

स्टीवर्ड तथा सहायक अधीक्षक ग्रेड-2 के वेतनमानों में विसंगति के कारण अधीनस्थ कार्यालयों के स्टोर कीपर-कम-लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जा सकी है।

जी हाँ।

वेतन विसंगति दूर हो जाने पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में यमुना नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण

138-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना नदी पर आकूदपुर पुस्ते को टूटने के बाद दोबारा बनाया गया है? क्या पुनः उसके टूटने का खतरा बना हुआ है? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्राप्त रु0 89.00 लाख की धनराशि से क्षतिग्रस्त कार्यों को कराया जा रहा है एवं शेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड लहरपुर में वर्ष 1997-98 में मानक के विपरीत स्थापित हैण्डपम्प की जांच एवं खराब हैण्ड पम्प को ठीक कराये जाने की मांग

139-श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर में वर्ष 1997-98 में मानक के विपरीत इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लगाये गये हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्डपम्प खराब हालत में है ? खराब हैण्डपम्प कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में अब तक लगाये गये कुल हैण्डपम्पों में से 17 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं ।

खराब हैण्डपम्पों को वर्ष 1999-2000 में जिला योजना के अन्तर्गत रिबोरिंग कर चालू किया जाना प्रस्तावित है । इन हैण्डपम्पों को 30 जून, 1999 तक रिबोर कर चालू करा दिया जायेगा ।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में एक्स कैडर पदों पर रोक के बावजूद कतिपय पदों पर अवैध नियुक्ति/प्रोन्नति

140-श्री चेतराम-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 29-11-1991 के द्वारा एक्स कैडर पदों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या दिनांक 31-8-98 एवं 3-9-98 को सम्पन्न बैठक के अनुसार समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत गठित "कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में उक्त का उल्लंघन करते हुए शोध अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी के पदों पर दिनांक 13 नवम्बर, 1997 को अवैध नियुक्तियां/प्रोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी नहीं । उपलब्ध सूचना के अनुसार निःसम्वर्गीय (एक्स कैडर) पदों के आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक शासनादेश दिनांक 29 जून, 1991 द्वारा लगायी गयी थी । कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में शोध अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी के पदों की पूर्ति कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 13 नवम्बर, 1997 के आदेश द्वारा की गयी है, जबकि दिनांक 31-8-98 एवं 3-9-98 की बैठकें इसके बाद में सम्पन्न

हुई। इससे स्पष्ट है कि कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में उक्त बैठकें सम्पन्न होने के पश्चात् नियुक्ति/पदोन्नति के कोई भी अन्य आदेश प्रसारित नहीं किये गये।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

उ0प्र0 सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियन्ता द्वारा पदस्थापना प्रोन्नति के पश्चात् उन्हें मुख्यालय में सम्बद्ध कर लेने के सम्बन्ध में जानकारी

141-श्री शिवपाल सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा शासनादेश है जिसके आधार पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) उन कर्मचारियों को, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अनुसचिवीय नियमावली, 1971 के अनुसार प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग हैं, शासनादेश संख्या-3536/23-1-87-165/85, दिनांक 15-6-87 के आधार पर अधिकार प्राप्त सक्षम अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प नियोजन) द्वारा जिन कर्मचारियों की पदस्थापना प्रोन्नति के फलस्वरूप मुख्यालय से बाहर की गयी है, उसमें संशोधन करके मुख्यालय में सम्बद्ध कर लेते हैं? यदि हां, तो इसका क्या आधार है? यदि कोई शासनादेश या नियम नहीं है तो क्या ऐसे सभी आदेशों को निरस्त करके मुख्यालय से सम्बद्ध कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जायेगा और सम्बद्ध करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

142-श्री राम नक्षत्र-

(6ठे गुरुवार में अता0प्र0सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बस्ती, ग्राम व पोस्ट बेमहरी में आंगनबाड़ी पर तैनात श्रीमती प्रभावती के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

143-श्री राम नक्षत्र-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट-बेमहरी, जनपद-बस्ती में आंगनबाड़ी पर तैनात प्रभावती देवी पत्नी श्रीराम के कक्षा-8 पास के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच कराये जाने के संबंध में निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार को प्रश्नकर्ता का फैक्स दिनांक 4-2-99 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में जनस्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति /संख्या पद समाप्ति एवं मानदेय आदि की जानकारी

144-श्री समरपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम सभा स्तर पर एक जनस्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति वर्ष, 1978 में की गयी थी? यदि हां, तो इनकी कुल कितनी संख्या थी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त जनस्वास्थ्य रक्षक को देवा आदि दी जाती थी? यदि हां, तो क्या अब जनस्वास्थ्य रक्षक का पद समाप्त कर दिया है? यदि हां, तो समाप्त करने के क्या-क्या कारण हैं और उनका मानदेय क्या था?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह-

जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति नहीं, बल्कि समुदाय द्वारा समुदाय के ही व्यक्तियों में से प्रति हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर, एक जनस्वास्थ्य रक्षक का चयन किया गया था।

78092

जी, हां।

जन स्वास्थ्य रक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जन स्वास्थ्य रक्षकों का मानदेय रु0 50/- (पचास रुपए मात्र) प्रति माह था।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, बलिया के प्रोजेक्ट मैनेजर के निलम्बन सम्बन्धी जानकारी

145-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, इन्दिरानगर, लखनऊ के अधिकारियों की जनपद आजमगढ़ में हुई दिनांक 11-11-98 की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा मीटिंग के दौरान बलिया के सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर को निलम्बित करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या उक्त का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी नहीं, दिनांक 11-11-98 के मा0 मुख्य मंत्री जी का आगमन जनपद आजमगढ़ में नहीं हुआ था, तथापि उपलब्ध सूचनानुसार संदर्भित प्रकरण में मा0 मुख्य मंत्री जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनवानी, बलिया के निर्माण कार्य में की गयी शिथिलता एवं अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर को निलम्बित करने एवं उनसे एक स्तर ऊपर के अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के आदेश

दिये गये थे। उक्त तारतम्य में प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्य से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता (सिविल) को निलम्बित किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी तथा वर्तमान में तैनात अधिशासी अभियन्ता को सचेत किया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी को उक्त से अवगत कराया जा चुका है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य भवन में सेवानिवृत्ति के पश्चात् दैनिक वेतन/संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों की जानकारी

146-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य भवन में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवा निवृत्त के उपरान्त भी दैनिक वेतन पर अथवा संविदा पर अभी वहीं कार्य कर रहें हैं? क्या सरकार उन्हें शीघ्र हटाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

स्वास्थ्य भवन में वर्तमान में सेवानिवृत्ति के उपरान्त कोई अधिकारी/कर्मचारी दैनिक वेतन अथवा संविदा पर कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ के सहायक प्रवक्ताओं को प्रोन्नति वेतनमान स्वीकार किए जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

147-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0पी0 निरंजन प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 पालीटेक्निक डिप्लोमा शिक्षक संघ का पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1999 जो राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ के सहायक प्रवक्ताओं को प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार उक्त पालीटेक्निक के सहायक प्रवक्ताओं को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी हां।

सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि कार्यकारी आदेश के आधार पर नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रतिबंधित है, जिसके परिपेक्ष्य में प्रोन्नत वेतनमान रु0 2200-4000 दिया जाना समीचीन नहीं पाया गया। शासनादेश संख्या-975/26-1-98 2(18)/96, दिनांक 4-6-98 द्वारा सहायक प्रवक्ताओं को रु0 2000-3200 का समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा, राजकीय बालवाड़ी की नर्सरी शिक्षिका एवं नर्सों के स्थानान्तरण का विवरण

148-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के राजकीय बालवाड़ी में नर्सरी शिक्षिका तथा नर्सें कब से कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि वह लगभग 10.15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद आगरा के बालबाड़ी में कार्यरत शिक्षिकाओं तथा नर्सों की तैनाती का विवरण निम्नवत् है:-

नाम	तैनाती की तिथि
नर्सरी शिक्षिकायें	
(1) श्रीमती सरोज श्रीवास्तव	26-3-80
(2) श्रीमती बीना शर्मा	25-4-80
(3) श्रीमती प्रभा सक्सेना	23-4-80
(4) श्रीमती मन्जू लता शर्मा	10-4-89
नर्स	
(1) श्रीमती स्नेहलता सिंह	18-2-88
(2) श्रीमती शारदा खेड़ा	7-7-80
(3) श्रीमती विजय आनन्द	फरवरी, 99
(4) श्रीमती नीमा खान	फरवरी, 99

जी हां।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण नीतिके अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

श्रीराम सरन लाल सक्सेना, जिला चिकित्सालय, रामपुर के पुत्र की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की मांग

150-श्री सौलत अली-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्व0 श्री राम सरन लाल सक्सेना जो जिला चिकित्सालय, रामपुर में फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत थे, जिनका निधन हो गया था, उनके सुपुत्र श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना को शासनादेश के तहत विभाग में समायोजित किया गया? यदि नहीं, तो उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

स्व0 श्री राम सरनलाल सक्सेना जिला चिकित्सालय, रामपुर में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 8-4-61 को स्वर्गवास हुए थे। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के तहत प्रश्नगत सुविधा 1974 के तहत प्रश्नगत सुविधा वर्ष 1973 से प्रभावी है। अतएव प्रश्नगत घटना वर्ष 1973 से पूर्व की होने के कारण श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड लहरपुर में कतिपय योजनाओं में सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराने की जानकारी

151-श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र, लहरपुर में सु0 रो0 योजना एवं जवाहर रोजगार योजना द्वारा निर्मित पुराने क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

सु0रो0यो0 के अन्तर्गत शासनादेशों के अनुसार पुराने क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों को मरम्मत कराये जाने का प्राविधान नहीं है। ज0रो0यो0 के अन्तर्गत अभिकरण अंश से इस वर्ष विधान सभा क्षेत्र लहरपुर में शासी निकाय की बैठक दिनांक 4-9-98 में मरम्मत कार्य हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।

जनपद शाहजहांपुर के सी0एम0ओ0 तथा सी0 एम0एस0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र

152-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-1-97 तथा 7-1-97 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर के सी0एम0ओ0 तथा सी0एम0 एस0 द्वारा किये जा रहें व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उन पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा को जांच के लिये आदेशित किया था ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव ने उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों पर जांच अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली से कराई गई। जांच के उपरान्त शिकायतें तथ्यगत नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर अपर निदेशक, स्वास्थ्य के कार्यालय में कार्यरत स्टेनों द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का प्रकरण

153-श्री दीप लाल भारती-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अपर निदेशक, स्वास्थ्य, गोरखपुर कार्यालय में कार्यरत स्टेनों ने अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर को जांच के समय बयान दिया था कि उन्होंने एक जीवित पत्नी एवं उससे कई बच्चों के रहते दूसरी शादी-शुदा औरत से शादी की है ? क्या राज्य कर्मचारी आचार संहिता के नियम 29 के अन्तर्गत एवं शासनादेश के अनुसार राज्यकर्मी बिना शासन की पूर्व अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकता है ? यदि हां, तो क्या उक्त राज्यकर्मी को शादी करने की तिथि से सेवा से पृथक मानकर शादी की तिथि से प्राप्त समस्त वेतनादि की रिकवरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

अपर जिलाधिकारी (नगर), गोरखपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 27-1-98 के अनुसार श्री मो0 हनीफ स्टेनों कार्या0 अपर निदेशक, गोरखपुर द्वारा जांच के दौरान निम्न बयान दिया गया है:-

"मेरी शादी शारदा सिद्धीकी से दिनांक 16-5-85 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, पहली 'शादी' 1960 में हुई। पहली पत्नी का नाम नासिरा खातून था। दिनांक 27-3-83 को पहली पत्नी को तलाक देकर दुसरी शादी किया हैं पहली पत्नी का तलाक भी मुस्लिम तरीके से हुआ है। शारदा सिद्धीकी से शादी करके वहं अपने पहली पत्नी के बच्चों को लेकर अलग रहते थे तथा शारदा सद्धीकी अपनी ट्रेनिंग अवधि में ट्रेनिंग सेन्टर पर रहती थी। नौकरी में आने के बाद वह अपनी मां एवं बहन के बच्चों को लेकर अलग मकान में रहती थीं।

दिनांक 10-9-95 को शारदा सिद्धीकी से मेरा तलाक हो गया। यह तलाक मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। शारदा सिद्धीकी से शादी के बाद मैंने अपनी सेवा विवरण में इन्हें नामिनी नहीं बनाया। विवाह घोषणा-पत्र मेरे तथा शारदा सिद्धीकी की सहमति से लिखा गया है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर हैं। पहली पत्नी नासिरा खातून को वर्ष 1972 में सेवा विवरणी में नामिनी बनाया गया था।

जी हां।

जी नहीं।

एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप के बारे में पूर्व में विचार किया गया था आरोप निराधार पाया गया था।

जनपद-गोरखपुर, अपर निदेशक स्वास्थ्य कार्यालय के स्टेनों के स्थानान्तरण एवं कार्य मुक्त पश्चात् निदेशक द्वारा दौरे पर ले जाने के सम्बन्ध में

154-श्री दीप लाल भारती-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अपर निदेशक, स्वास्थ्य गोरखपुर स्टैनों मो0 हनीफ को स्थानान्तरण पर सितम्बर, 1998 में कार्यमुक्त दिखाकर आज भी कार्यालय में तथा जिलों में दौरे पर साथ ले जाकर कार्य ले रहें हैं जिसका सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने ए0डी0एम0 (वित्त) गोरखपुर से जनवरी, 1999 में करायें जाने पर सही पाया गया है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जिला अधिकारी/अपर जिला अधिकारी (वित्त), गोरखपुर को प्रश्न में अभिकथित सत्यापन आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। इसे प्राप्त किया जा रहा है।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग द्वारा कर लेने हेतु प्राप्त राजस्व के अनुपालन में अनियमितता करने वाले अधिकारियों को दण्ड देने की मांग

155-श्री शिवपाल सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के अ0 शा0 पत्र संख्या-878/98-27-सिं0-7 दिनांक 24-2-98 अ0शा0 पत्र संख्या-7785/98-27-सिं0-7-59 जांच/98 दिनांक 22-12-98 तथा अ0 शा0 पत्रांक-283 सिं0 मंत्री/98-27-सिं-60-59 जांच/98 दिनांक 25-1-99 द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सिंचाई विभाग द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विलम्ब करने के लिये दोषी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर, के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग के कतिपय ग्रामों में विगत वर्षों में सिविल वर्ग/इन्दिरा आवास के फर्जी प्रस्ताव पर आवंटन एवं फर्जी भुगतान की जांच

156-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र 157-उतरौला-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग के ग्राम बौडिहार, टेढ़वा तथा बांके एवं मो0 पुर बन्जरहा में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में जिन लोगों को निर्बल वर्ग आवास तथा इन्दिरा आवास दिये गये उन्हे प्रधान तथा सक्रेटरी द्वारा फर्जी प्रस्ताव बनाकर दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि आवास का निर्माण न कराकर फर्जी बिल-बाउचरों से धन का भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर, के अतरौला तथा श्री दत्तगंज से पारिवारिक लाभ योजना में पात्र आवेदकों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

157-श्री उबैदुरहमान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेगें कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग, उतरौला तथा श्रीदत्तगंज से पारिवारिक लाभ योजना हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? क्या प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच कर ली गयी है ? यदि हां, तो कितने लोग पात्र तथा कितने अपात्र पाये गये ? क्या पात्र लोगों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

विधान-सभा क्षेत्र उतरौला के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग से 24, श्री दत्तगंज से 11 तथा उतरौला से 37 कुल 72 आवेदन-पत्र, पारिवारिक लाभ योजना से प्राप्त हुये हैं।

43 आवेदन-पत्रों की जांच कर ली गयी है शेष 29 की जांच प्रक्रियान्तर्गत है। जांच किये गये 43 आवेदन-पत्रों में 39 आवेदन-पत्र पात्र तथा 4 आवेदन-पत्र अपात्र पाये गये।

39 पात्र लोगों को धनराशि उपलब्ध करा दी गयी। अवशेष व्यक्तियों का भुगतान शेष आवेदन-पत्रों की जांच के पूर्ण होने पर पात्रता मानक में आने पर निर्भर है।

जनपद-शाहजहांपुर, के कतिपय रजवाहा की निरीक्षण रिपोर्ट विषयक प्रश्न कर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

158-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-2-98 या इसके आसपास जो जनपद-शाहजहांपुर के सिंचाई मीरानपुर कटरा कोठी तथा कटरा जैतीपुर रजवाहा की दिनांक 24-12-97 की निरीक्षण रिपोर्ट के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

निरीक्षण रिपोर्ट के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15-3-98 की प्रति प्राप्त हुई है।

निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं पर अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर से जांच कराई गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर, के कतिपय उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक की नियुक्ति विषयक प्रश्न कर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

159-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

159-क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-4-98 या इसके आसपास जो उच्चीकृत स्वा0 केन्द्र तिलहर, मीरानपुर कटरा, जैतीपुर जनपद-शाहजहांपुर में चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतीपुर और जनपद शाहजहांपुर में रिक्त चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरे जाने के उद्देश्य से जनपद शाहजहांपुर में लोक सेवा आयोग से चयनित 24 चिकित्सकों की नियुक्त/तैनात कर दिया गया है। मीरानपुर कटरा में जिला परिषदीय चिकित्सालय है, जो राजकीय चिकित्सालय नहीं है, अतः उक्त चिकित्सालय में सरकार द्वारा चिकित्सक तैनात नहीं किये जा सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर, में शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकलांग पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में जानकारी

160-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग व्यक्तियों के पात्रता का मानक क्या है? क्या 75 से 100 प्रतिशत से कम विकलांग को विकलांग पेंशन न दिये जाने का कोई शासनादेश/नियम है? क्या सरकार जनपद-बलरामपुर में जिलाधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर द्वारा 5 से 75 प्रतिशत कम विकलांग प्रमाण वालों को विकलांग पेंशन नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार जनपद-बलरामपुर में शासनादेश का पालन कराते हुए विकलांग व्यक्तियों को विकलांग पेंशन दिलाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की पात्रता के योजनावार विभिन्न मापदण्ड निर्धारित हैं।

जी नहीं।

दिया जा रहा है, यदि विकलांगता के साथ-साथ उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा मासिक आयु 225/- से कम हो, निराश्रित हो तथा जीविकोपार्जन करने में अक्षम हो। बजट संसाधनों के अधीन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने सम्बन्धी नियमावली, 1979 के अनुसार पूर्व से ही विकलांग पेंशन दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर, विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग में टेढ़वा बांध तथा मलमलिया बांध हेतु विगत वर्षों में प्राप्त धनराशि एवं उक्त बांध का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उबैदुर्रहमान-

161-क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग में टेढ़वा बांध तथा मलमलिया बांध हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी? क्या बांध का कार्य पूर्ण करा लिया गया है? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को 8 वर्ष की सेवा के पश्चात् एवं शासनादेश दिनांक 1-2-86 द्वारा नियुक्त चिकित्साधिकारियों समयमान वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अक्षयवर लाल-

162-क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को 8 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या आदेश संख्या 383(2) सेक-9/पांच-416/79 दिनांक 1-2-1986 द्वारा नियुक्त चिकित्साधिकारियों में से कितने चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान अब तक दिया जा चुका है तथा शेष चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां। नियमित रूप से नियुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। इस शासनादेश के द्वारा नियुक्त तदर्थ चिकित्साधिकारी वर्तमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन चिकित्साधिकारी

(सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर कार्यरत है। एलोपैथिक विभाग के पैरामेडिकल एशोशियेशन ने मा0 उच्च न्यायालय में इन कार्यरत चिकित्साधिकारियों (सामुदायिक स्वास्थ्य) के विरुद्ध रिट याचिका 3516/87 मा0 उच्च न्यायालय में योजित की जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया है। इससे चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0) के विनियमितीकरण हेतु कोई मौलिक पद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें विनियमित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः उन्हें समयमान वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश द्वारा नियुक्त चिकित्साधिकारियों को समायोजित एवं वरिष्ठता सूची बनाकर स्थायीकारण करने की मांग

163-श्री अक्षयवर लाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या-383 (2) सेक-9/पांच-416/79, दिनांक 1-2-1986 द्वारा एम0 ओ0 III के पद पर नियुक्त चिकित्साधिकारियों को समायोजित किया गया है उनकी वरिष्ठता सूची का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनवाकर विनियमितीकरण व स्थायीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां।

जी नहीं।

एम0ओ0 III के पद पर नियुक्त पदधारकों का समायोजन चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य)के जिन रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजन/सविलियन किया गया है, उनके पद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ में उ0प्र0 परिवार कल्याण सहायक संघ द्वारा योजित याचिका सं0-3516/87 के अन्तिम निर्णय के अधीन है, तथा सम्बन्धित याचिका मा0 न्यायालय में लम्बित है, एवं पद विवादाग्रस्त है। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त इस सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद-गाजीपुर, ग्राम चक्का बांध पोस्ट जमानियां सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहीत भूमि के बदले कृषक के परिवार के सदस्य को नौकरी दिये जाने विषयक जानकारी

164-श्री दयाशंकर वर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-चक्का बांध, पोस्ट-जमानियां जनपद-गाजीपुर, में सिचाई विभाग के प्रोजेक्ट हेतु कितनी-कितनी कृषि योग्य भूमि

कृषकों की अधिग्रहीत की गई ? क्या उक्त कृषकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितने बाकी हैं ? क्या श्री राम प्यारे अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-13 का पत्र दिनांक 19-6-97 जो कि प्रमुख सचिव, राजस्व को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

ग्राम चक्का बांध (गाजीपुर) में सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट हेतु कुल 24 कृषकों की 4.866 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है । शासनादेश सं0-5683/9 2-27 सिं-7, दिनांक 22-10-92 के अनुसार सिंचाई विभाग में ली गयी भूमि के बदले कृषकों को नौकरी देने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

भूमि के बदले कृषकों को नौकरी देने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-आजमगढ़, के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं महिला जिला चिकित्सालय में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी आजमगढ़ का पत्र

165-श्री सुधाकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री ननकू सिंह यादव वरिष्ठ लिपिक, श्री सर्वेश चन्द्र गुप्ता, चीफ फार्मेसिस्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय आजमगढ़ व श्री मुश्तफा खां, श्री श्रीकान्त पाण्डेय, फार्मेसिस्ट एवं श्री विश्वनाथ राम, वरिष्ठ लिपिक, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन महिला जिला चिकित्सालय, को एक ही स्थान पर अनेक वर्षों से तैनात होने व अनेकों भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में लिप्त पाये जाने के कारण जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 को उक्त कर्मियों को स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदी नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 15-12-98 द्वारा प्रश्न में उल्लिखित कर्मियों को एक ही पटल पर कई वर्षों से कार्यरत होने तथा इनके विरुद्ध शिकायत होने के कारण इन्हें पटल से स्थानान्तरित किये जाने हेतु विचार करने का प्रस्ताव किया गया है ।

श्री मुस्तफा खां व श्री श्रीकान्त पाण्डे, व श्री विश्वनाथ राम का पटल परिवर्तन कर दिया गया है। श्री ननकू सिंह यादव, वरिष्ठ लिपिक का पटल परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशालय के पत्र दिनांक 22-3-99 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दे दिये गये हैं। श्री सर्वेश चन्द्र गुप्ता, चीफ फार्मासिस्ट का पटल परिवर्तन करने के निर्देश शासन द्वारा महानिदेशक को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु शासन की वर्तमान नीति को शहरी क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में जानकारी

166-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन आदि के सम्बन्ध में शासन की वर्तमान नीति क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान नीति क्या शहरी क्षेत्र पर भी लागू होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

प्रदेश में हैण्डपम्प के अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 3175/38-5-98-656/98 दिनांक 15-6-98 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं। स्थल चयन के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 15-6-98 में निम्नवत व्यवस्था की गयी है:-

(1) प्रत्येक बस्ती हेतु पेयजल स्रोत निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 250 आबादी अथवा 30 से 40 परिवारों पर एक स्रोत की स्थापना का आधार बनाया जाएगा।

(2) ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था हेतु स्थल का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में किया जायेगा।

उक्त के अलावा शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या : 6751/38-5-98-656/98, दिनांक 14-12-98 द्वारा निम्न व्यवस्था भी स्थल चयन के संदर्भ में किया गया है :-

(1) जिला योजना के अन्तर्गत जो हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाये उनके स्थल चयन में माननीय विधायकगणों का विचार उसी आधार पर लिया जाना आवश्य सुनिश्चित किया जाय जिस आधार पर अन्य कार्यक्रमों में माननीय विधायकगण सम्बद्ध हैं, लेकिन सभी हैण्डपम्प भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही अधिष्ठापित किये जायें।

(2) ए0आर0पी0 कार्यक्रम (त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना) में लगाये जा रहे हैण्डपम्प के विषय में जल निगम ग्राम सभा के माध्यम से स्थल चयन करके उपयुक्त स्थान पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित करेंगें।

(3) स्वजल एवं इण्डो डच कार्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं वाह्य सहायतित अनुबंधों के आधार पर ही कार्यवाही होती है, अतः इन कार्यक्रमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे।

जी नहीं।

प्रदेश के नगरों में पाइप पेयजल व्यवस्था की नीति है। अतः हैण्डपम्प क्षेत्र विशेष की आवश्यकता व धन की उपलब्धता के अनुसार लगाये जाते हैं। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्धारित नीति प्रदेश के मैदानी जनपदों के ग्रामीण अंचलों में ही लागू हैं।

छोटे गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का नगद भुगतान करने की मांग

167-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान करने की गई व्यवस्था में कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसमें अति छोटे किसान जो 3 गाड़ी गन्ना पैदा करते हैं उसे भी बैंक से भुगतान लेना पड़ता है और बैंक खाते में स्थाई रूप से 500 (पांच सौ रुपया) जमा रखना आवश्यक है? यदि हां, तो ऐसे छोटे किसानों को नगद भुगतान प्राप्त करने हेतु क्या नियमावली में संशोधन किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

बैंक के नियम हैं। चेक धारकों को रु0 500/- तथा बिना चेक धारक कृषकों को रु0 200/- खाते में रखना अनिवार्य है।

नकद भुगतान में अनियमितताओं की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी विकास खण्डों में वर्ष 1986 से कार्यरत कनिष्ठ लेखा लिपिक को स्थायी प्रोन्नति दिये जाने की मांग

168-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सभी विकास खण्डों में वर्ष 1986 में कार्यरत कनिष्ठ लेखा लिपिक, एन0आर0ई0पी0 को 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अभी तक स्थायी प्रोन्नतियां नहीं दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसमें उदासीनता बरतने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

कनिष्ठ लेखा लिपिक, एन0आर0ई0पी0 एवं विकास खण्डों में स्वीकृत स्टोर कीपर सह कैशियर के पद, जिन्हें शासनादेश दिनांक 31 मई, 85 द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिक घोषित किया गया है, के मध्य ज्येष्ठता विवादित होने के कारण प्रश्नगत प्रोन्नतियां नहीं की गयी हैं। ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर सघन हथकरघा परियोजना द्वारा विगत वर्षों में मानक के अनुसार बी0एच0 इण्टरप्राइजेज एवं बुनकरों से खरीदी गयी दरियों का भुगतान कराने की मांग

169-श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सघन हथकरघा विकास परियोजना सीतापुर ने प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम के आदेशानुसार बड़ी दरियों की खरीद मानक के अनुसार, बी0 एच0 इण्टरप्राइजेज एवं बुनकरों से वर्ष 1996-97 और 1997-98 में की थी? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और उसका भुगतान ब्याज सहित कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सरदार सिंह-

जी हाँ।

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में बी0एच0 इण्टरप्राइजेज एवं बुनकरों से रु0 36.17 लाख कीमत की दरियों का क्रय किया जिसके सापेक्ष रु0 3.49 लाख भुगतान किया गया।

धनाभाव के कारण अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका। अवशेष का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किये जाने का प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद-सीतापुर, में राज्य हथकरघा नि0 परियोजना में जनपद के बुनकरों से क्रय की गई दरियों के भुगतान कराने की जानकारी

170-श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर जनपद के बुनकरों की जो दरियां राज्य हथकरघा निगम सीतापुर परियोजना में क्रय की थी उनका भुगतान कई वर्षों से नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की सघन हथकरघा विकास परियोजना सीतापुर के अन्तर्गत वर्ष 96-97 एवं 97-98 में क्रय की गयी दरियों का रु0 32.68 लाख भुगतान अवशेष है। हथकरघा निगम में कार्यशील पूंजी के अभाव में भुगतान सम्भव नहीं हो सका है। इसके लिये दोष निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता। यथाशीघ्र भुगतान के प्रयास किये जा रहें हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्यग्राम विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ के श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की फर्जी नियुक्ति वेतन एरियर भुगतान के प्रकरण की जांच

171-श्री आर0 के0 चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करें कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की सेवाएं शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-5109/38-2-98 एवं 755/38-2-97 दिनांक 23-6-97 के द्वारा समाप्त की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या इन्हें सेवा से पृथक किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेगें कि क्या श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की

जनवरी, 1997 में कथित फर्जी तौर पर नियुक्ति की गयी थी तथा वे दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे थे? क्या इनको पूर्व वर्ष 1996 तक दैनिक पारिश्रमिक वेतन भत्ता तथा वर्ष 1996 का रेगुलर वेतन का एरियर भी दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उपरोक्त प्रकरण पर संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच चल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को लखनऊ संस्थान लाने-ले जाने हेतु चलाई गई बसें एवं विगत वर्षों में रखरखाव, डीजल पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

172-श्री आर0 के0 चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान अधिकारियों/कर्मचारियों को लखनऊ से संस्थान लाने व छोड़ने के लिये दो बसें चलायी जा रही हैं? क्या इस हेतु शासन से अनुमति प्राप्त है? यदि हां, तो कितने बसों की? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त बसों के डीजल एवं मरम्मत में वर्ष 1996 से जनवरी, 1999 तक कितना व्यय हुआ है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां। शासनादेश सं0-5043/38-5-37 टी/85, दिनांक 2-11-85 द्वारा एक जीप, एक ट्रेकर और एक बस चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। किन्तु बड़ी बस खराब हो जाने के कारण दो छोटी बसें चलायी जा रही हैं। वर्ष 1996 से जनवरी, 1999 तक दो बसों के डीजल एवं मरम्मत पर कुल रु0 02,30,204.00 व्यय हुआ है।

राज्य ग्राम विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ में संविदा/दैनिक वेतन पर कार्यरत अधि0/कर्मचारी एवं लखनऊ यूनिवर्सिटी संस्थान में समायोजित अधि0/कर्मचारी को वेतन भुगतान आदि के सम्बन्ध में जानकारी

173-श्री आर0 के0 चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में संविदा/दैनिक वेतन पर कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहें हैं? लखनऊ युनिवर्सिटी के ग्रा0 वि0 संस्थान बन्द होने से कितने अधिकारी/कर्मचारी संस्थान में समायोजित हुये हैं? क्या उनकी सेवा पुस्तिका यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई हैं? यदि नहीं, तो किस आधार पर उनकों वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में संविदा/दैनिक वेतन पर कुल 20 अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहें हैं। संस्थान में कुल 9 अधिकारियों/कर्मचारियों का समायोजन किया गया है।

जी नहीं।

अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अन्य सुविधायें किस आधार पर प्रदान की जा रही है, इसकी जांच करायी जा रही है।

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा यूको बैंक में खोले गये खातों से मनमाना व्यय किये जाने की जांच

174-श्री आर0 के0 चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ में यूकों बैंक, बन्नौर शाखा में पूलफन्ड नाम के अन्तर्गत एस0आई0 आर0 104 नं0 का खाता है? छात्रावास समिति/प्रेस समिति/पुस्तकालय समिति तथा इस प्रकार के कितने खाते यूकों बैंक में खोले गये हैं तथा वर्ष 1997 से अब तक उसमें किस बजट से धनराशि का आहरण-वितरण किया जा रहा है और इसका नियंत्रक अधिकारी कौन है? क्या इस खाते से धनराशि निकाल कर मनमाना धन व्यय किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

छात्रावास समिति, प्रेस समिति एवं पुस्तकालय समिति के अतिरिक्त कुल सात अन्य खाते खोले गये हैं। वर्ष 1997 से इन सभी खातों में राज्य सरकार के अलावा जो धनराशि प्रशिक्षण सत्रों को संचालित करने के लिए प्राप्त होती हैं उनका आहरण वितरण किया जाता है। इस सभी खातों के नियंत्रक अधिकारी निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ हैं। बैंक में खोले गये खातों, धनराशि के आहरण वितरण एवं धनराशि के दुरूपयोग आदि के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

जनपद-आजमगढ़ ब्लाक मार्टीनगंज, ग्राम कोहरौली की जल निकासी से सम्बन्धित किसानों तथा कतिपय संगठनों द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

175-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद, मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-कोहरौली के किसानों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-7-97 व उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक 754/दिनांक 27-7-97 व सिंचाई मजदूर संघ उ0प्र0 का पत्रांक 890/दिनांक 30-8-97 व पत्रांक 1042/दिनांक 14-10-97 मा0 मंत्री जी व अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ दशम मण्डल,

सिंचाई विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-23 आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि ग्राम कोहरौली के अन्तर्गत बेसों नदी तक जाने वाले जल निकासी के वाहा को बांध कर कतिपय लोगों द्वारा मछली मारने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो मंत्री जी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करायेंगे ? धन उपलब्ध कराकर उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां । पत्रों में उल्लिखित सिंचाई विभाग से सम्बन्धित ग्राम कोहरौली विकास खण्ड मार्टीनगंज, तहसील फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ की जल निकासी हेतु 7.92 लाख रुपये का प्राक्कलन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ को प्रेषित किया गया है । प्राक्कलन की स्वीकृति तथा धनावंटन प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्य कराया जाना निर्भर करता है । प्रश्न के इस भाग का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रस्तर एक के अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-हरदोई, विकास खण्ड टड़ियांवा में निःशुल्क बोरिंग योजना में भ्रष्टाचार, गबन विषयक पत्र एवं कार्यवाही

176-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 19-9-98 जो विकास खण्ड टडियांवा, जनपद-हरदोई में निःशुक्ल बोरिंग योजना में हुए भ्रष्टाचार एवं गबन आदि से सम्बन्धित हैं, सचिव, लघु सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द-

जी नहीं ।

मा0 सदस्य का एक पत्र दिनांक 19-9-98 प्राप्त हुआ है जो जनपद-हरदोई के विकास खण्ड हरियावां के तत्कालीन तैनात अवर-अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग श्री मदन मोहन मिश्रा के द्वारा निःशुल्क बोरिंग में की गई कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में था ।

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड टड़ियांवा के सम्बन्ध में प्रकरण प्रकाश में न आने के कारण कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है । विकास खण्ड हरियांवा के तत्कालीन अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई श्री मदन मोहन मिश्रा को मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-17427, दिनांक 5-11-98

द्वारा निलम्बित किया जा चुका है और उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में रिक्त पदों पर सेक्टर अनुसार आरक्षित कोटा पूर्ण न करने पर कार्यवाही का विवरण

177-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में 43 बी0 शासी निकाय के निर्णय में यह तय हुआ था कि रिक्त पदों पर 2/3 पद पदोन्नति से भरे जायेंगे जिसमें रोस्टर भी लागू होगा? यदि हां, तो क्या कार्यालय अधीक्षक के रिक्त 10 पदों में से 8 पद पदोन्नति से भरे गये जिसमें रोस्टर के अनुसार दो पद आरक्षित वर्ग के होने चाहिये थे किन्तु उक्त अनुसूचित के आरक्षित वर्ग का कोई भी नहीं है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? उक्त आरक्षित पद पर नियमानुसार नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं? इसके लिये कौन दोषी हैं? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकन्त ओझा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला नैनीताल बेस अस्पताल के डाक्टरों को भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्राथमिकता दिये जाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

178-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेईयी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के डाक्टरों को भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय विधायकगण श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री लाखी राम जोशी के क्रमशः पत्र दिनांक 17-3-98 तथा पत्र दिनांक 29-12-98 प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

मा0 विधायकगण श्री अजय कुमार पोइया का दिनांक रहित पत्र एवं श्री लाखी राम जोशी का पत्र दिनांकित 29-12-98 प्राप्त हुआ है जो डा0के0सी0 जोशी, चिकित्साधिकारी, सोवन सिंह जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल को भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

नियमों में शिथिलीकरण प्रदान करने हेतु उक्त पत्रों के संदर्भ में महानिदेशक (उत्तरांचल) से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशक (उत्तरांचल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें से वांछित सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हरदोई, मल्लावां सण्डीला रोड पर पैट्रान इण्डिया इण्टरनेशनल लि0 द्वारा अवरुद्ध रास्ता खुलवाने की मांग

179-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में मल्लावां-निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद हरदोई में मल्लावां-सण्डीला रोड से बीकापुर-बरौना तक जाने वाली रोड पर खड़न्जा लगाकर निर्माण कार्य कराया गया था? क्या उक्त सड़क जिसकी लम्बाई 4 कि0मी0 के लगभग है, को पैट्रान इण्डिया इण्टरनेशनल लि0 के मालिकों ने बाउण्ड्री बनाकर अपने कब्जे में कर लिया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में रास्ता खुलवाकर व उक्त मार्ग को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटवायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ। पैट्रान इण्डिया प्रा0 लि0 (शुगर फैक्ट्री) द्वारा 800 मीटर खड़ंजा मार्ग के दक्षिणी सिरे पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया था।

जी हाँ। मै0 पैट्रान इण्टरनेशनल (इण्डिया) प्रा0लि0 (शुगर मिल) द्वारा मार्ग का 800 मीटर भाग पर पड़ने वाली बाउण्ड्रीवाल को पूर्व में ही तुड़वा दिया गया है। मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

जनपद लखीमपुर, कृषक सहकारी गन्ना विकास समिति अरनी खाना, की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने विषयक कार्यवाही

180-डा0 कौशल किशोर-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि कृषक सहकारी गन्ना विकास समिति अरनी खाना, लखीमपुर की लगभग 34 एकड़ भूमि ग्राम महोला जिला लखीमपुर में है? यदि हां, तो क्या यह भूमि समिति के रिकार्ड में दर्ज है? क्या इस भूमि पर अवैध कब्जा है? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का अवैध कब्जा हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला टिहरी गढ़वाल, भागीरथीपुरम टिहरी मोटर मार्ग को चालू कराने एवं उक्त मोटर मार्ग से प्रभावित भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

181-श्री लाखी राम जोशी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के जिला मुख्यालय नई टिहरी से भागीरथीपुरम् टिहरी मोटर मार्ग जो कि 19 अगस्त, 1998 से पूर्णरूप से अवरूद्ध है, को यातायात हेतु कब तक चालू कर दिया जायेगा? क्या यह सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग से प्रभावित किसानों की कृषि योग्य भूमि की क्षतिपूर्ति भुगतान में टिहरी जल विकास निगम के अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? किसानों की क्षतिपूर्ति के मुआवजा का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मुख्यालय नई टिहरी से भागीरथीपुरम नई टिहरी मोटर मार्ग को दिनांक 15-02-99 से चालू कर दिया गया है।

जी नहीं।

जी नहीं। अतिवृष्टि के कारण सड़क जगह-जगह कट गयी है, जिससे किसानों की भूमि प्रभावित हुयी है।

जनपद गाजीपुर में ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर आयोजित परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में जमा धनराशि कैश न कराने के दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

182-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1992-93 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ग्राम्य विकास अधिकारी के पद के लिए दो वर्षों पूर्व सेवा कालीन प्रशिक्षार्थियों की आयोजित परीक्षा हेतु जनपद-गाजीपुर में बीस-बीस रुपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क के रूप में मुद्रांक 52,000/- की धनराशि को जमा किया गया था जिसे अब तक कैश न कराने के कारण धनराशि लैप्स हो गयी है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन कर्मचारी है? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां, रुपये 52,000/- के नहीं अपितु रु0 43,060/- के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्राप्त हुए थे, जिसमें से रुपये 26,845/- बैंक खाते में जमा किया जा चुका है, शेष रुपये 16,215/- के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक को पुनर्जीवित कराकर

खाता में जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।

इस कार्य में विलम्ब करने वाले कर्मचारी श्री विद्या सिंह कुशवाहा, कनिष्ठ लेखा लिपिक को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास विभाग में वर्ष 1980-81 में पात्र नर्स-कम्पाउण्डरों को वेतन वृद्धि/प्रोन्नति वेतनमान का दिये जाने की मांग

183-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में वर्ष 1980-81 में नियुक्त नर्स-कम्पाउण्डरों को दस वर्ष की सेवा के उपरान्त एक वेतन वृद्धि का लाभ तथा 14/16 वर्ष की सेवा के पश्चात् वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? पात्र कर्मचारियों को उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

4 नर्सों को लाभ दे दिया गया है। शेष के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

शीघ्र ही पात्र कर्मचारियों को लाभ दे दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना गाजीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या-498-ए0आई0ई0सी0 13/4 में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग

184-श्री गोपाल कृष्ण-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता0प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ में दिनांक 2-7-1996 को मुकदमा संख्या 498 ए0आई0ई0सी0 13/4 जैसे संगेय अपराध "जिसमें गैर जमानती वारन्ट का प्राविधान है" कायम होने के बाद भी दिनांक 25-11-1997 तक आरोपित मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

जी हाँ, गृह विभाग से दिनांक 19-3-99 को प्राप्त सूचना अनुसार इस

सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ से जानकारी प्राप्त की जा रही है। तदनुसार गृह विभाग से जानकारी प्राप्त करके अवगत कराया जायेगा।

समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक (निर्माण) के विरुद्ध 1996 दहेज उत्पीड़न रिश्वत लेने एवं अपनी हैसियत से अधिक अर्जित सम्पत्तियों की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

185-श्री महाराज सिंह यादव तथा श्री विश्वनाथ-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले बुधवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-165 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता जांच किन-किन बिन्दुओं पर चल रही है ? क्या उक्त महाप्रबन्धक द्वारा अपनी हैसियत से सैकड़ों गुना अधिक चल और अचल सम्पत्ति अर्जित करने का भी मामला उक्त जांच के अधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सतर्कता जांच के अधिकारियों को उक्त महाप्रबन्धक द्वारा जांच में सहयोग न करने की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उक्त महाप्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

सतर्कता विभाग से दिनांक 19-3-99 को प्राप्त सूचनानुसार श्री विनोद कुमार चोपड़ा, महाप्रबन्धक के विरुद्ध सम्प्रति कोई सतर्कता जांच प्रचलित नहीं है।

इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं चल रही है। इसलिए महाप्रबन्धक द्वारा सहयोग न करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के राजकीय छात्रावास सिविल लाइन में विगत दस वर्षों में आवासीय संख्या/छात्रवृत्ति का विवरण

186-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय छात्रावास, सिविल लाइन मथुरा में विगत 10 वर्षों से वर्तमान तक कितने आवासीय छात्र संख्या प्रतिवर्ष थी तथा किन-किन छात्रों को हास्टल छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष वितरित की गयी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

प्राप्त सूचनानुसार राजकीय छात्रावास सिविल लाइन मथुरा में विगत 10 वर्षों से

वर्तमान तक निम्नानुसार आवासीय छात्र संख्या थी :-

वर्ष	छात्र संख्या
1989-90	63
1990-91	52
1991-92	59
1992-93	57
1993-94	33
1994-95	64
1995-96	83
1996-97	84
1997-98	100
1998-99	86

जिन-जिन छात्रों को हास्टल छात्रवृत्ति वितरित की गयी है उसकी वर्षवार सूची संलग्न है[†]। इसमें वर्ष 98-99 में अब तक प्रवेश प्राप्त छात्रों की भी सूची सम्मिलित है जिन्हें प्राप्त शिकायतों के अनुसार जिला अधिकारी द्वारा जांच संस्थित किये जाने के कारण अभी तक वर्ष 98-99 की हास्टल छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका है। इस संबंध में जिलाधिकारी, मथुरा को तत्काल जांच पूर्ण कर पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

भूतपूर्व सदस्य श्री कल्लूराम रत्नाकर के निधन पर शोकोद्गार

* संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत दुख के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस सदन में भूतपूर्व सदस्य श्री कल्लू राम रत्नाकर जी का निधन 20 मार्च, 1999 को हो गया। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई वह केवल 46 वर्ष के थे। इस युवा अवस्था में एक सामाजिक कार्यकर्ता के उठ जाने से हमें बहुत दुख है। 1980 में मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1985 में दुबारा वह चुनकर आये। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व सेवायें थीं। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवायें थीं वे मिर्जापुर के डिग्री कालेज की महामंत्री भी रहे। ऐसे मेधावी

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्ति के उठ जाने से जिसने राजनीति क्षेत्र में अपना स्थान बनाया था उनका रिक्त स्थान पूरा नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे और हमारे दल के श्रद्धासुमन उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने श्री कल्लू राम रत्नाकर जी के निधन के संबंध में जो विचार रखे हैं, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये कहना चाहूंगा कि कल्लू राम रत्नाकर जी सार्वजनिक जीवन में लम्बे अरसे तक काम करते रहे, समाज के दबे, पिछड़ों की सेवा करते रहे, उनका जन्म 25 जून, 1953 को ग्राम वैसुकिया, जिला मिर्जापुर में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एल0एल0बी0 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह 1980 तथा 1985 में निर्वाचित होकर इस विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा करते रहे और अपने बहुमूल्य सुझावों से इस विधान सभा को लाभान्वित करते रहे। जिन परिस्थितियों में श्री कल्लू राम रत्नाकर जी ऐसे समाजसेवी की हत्या कर दी गई, उसकी उन्होंने पहले भी आशंका व्यक्त की थी, लिखा भी था, यह अत्यन्त दुखद है। ऐसे समय में जब पूरे प्रदेश को उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी, ऐसे महान समाजसेवी, दलितों और पिछड़ों के बीच संघर्षशील महान योद्धा, हमारे बीच से उठ गये। मैं उनके शोक-संतप्त परिवार को अपनी और अपने दल की तरफ से शोक-संवेदना प्रेषित करना चाहता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री कल्लू राम रत्नाकर जी के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुये यह शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री कल्लू राम रत्नाकर जी, जो इस सदन के दो बार माननीय सदस्य रह चुके हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति के सम्मान और स्वाभिमान के लिये संघर्ष करते रहे, बहुत ही अल्पायु, मात्र 47 साल की उम्र में वह हत्यारों की गोली का निशाना बने, इससे पूरे मिर्जापुर जनपद में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों में बहुत बड़ी शोक की लहर है। श्री कल्लू राम रत्नाकर जी हमेशा एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में अपने सामाजिक, राजनैतिक कार्यों को सम्पादित करते हुये जनसेवा का कार्य करते रहे। हम श्री कल्लू राम रत्नाकर जी के निधन पर अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस शोक-संवेदना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)-

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री कल्लू राम जी रत्नाकर के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय अशोक बाजपेयी, नेता समाजवादी पार्टी ने तथा बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री मौर्य जी ने जो दुख के शब्द माननीय सदस्य के निधन पर व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं मान्यवर, रत्नाकर जी 1980 से 85 तक और 1985 से 90 तक इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। अल्प आयु में ही असामाजिक तत्वों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी दलितों और गरीब मजदूरों की सहायता करने में रुचि थी। वह बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे। मजदूर संगठनों का कार्य लखनऊ में किया करते थे। मान्यवर, मुझे स्मरण है कि बलिया के श्री हरदेव और श्री रत्नाकर ने रिक्शा यूनियन को बनाने में अहम् भूमिका निभाई। अल्प आयु में हत्यारों ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को छीन लिया। उन्होंने जो कार्य किये हैं, उनके न रहने पर हमेशा याद किये जाते रहेंगे। मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।*

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, डा0 अशोक बाजपेयी और श्री मारकण्डेय चन्द जी ने जो विचार और शोक-संवेदनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं और मेरा दल सम्बद्ध करता है। श्री कल्लू राम रत्नाकर के हत्यारों की जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। श्री रत्नाकर 1980-85 तक हमारे दल के सदस्य रहे थे और प्रगतिशील विचारधारा के थे। वह कानून के स्नातक थे परन्तु उन्होंने ट्रेड यूनियन लीडरशिप को स्वीकार किया। उनकी आवाज बुलन्द रहती थी। उनके निधन से केवल मिर्जापुर को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश की क्षति हुई है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री, बाजपेयी जी और श्री मारकण्डेय चन्द जी ने जो शोक-संवेदनायें श्री कल्लू राम रत्नाकर के बारे में प्रकट की हैं, उनसे मैं और मेरा दल सम्बद्ध करता हूं। श्री रत्नाकर मेरे ही दल से निर्वाचित होकर यहां पर आये थे और अल्प आयु में विधायक बने थे। छात्र नेता के रूप में उनकी ख्याति थी। विधायक बनने के बाद भी उन्होंने अपने संघर्ष को थमने नहीं दिया। मिर्जापुर और उसके आस-पास बहुत से उद्योग लगे हुये हैं। वहां पर मजदूरों का बहुत उत्पीड़न होता था। उनकी आवाज वह उठाते रहते थे। जब वह कभी बोलने के लिए खड़े होते थे तो उनकी आवाज में बड़ी कड़क रहती थी। जिन परिस्थितियों में उनकी हत्या की गयी है वह बहुत ही शर्मनाक है। हत्यारों ने उनकी दिन-दहाड़े हत्या की है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि श्री रत्नाकर की आयु बहुत थोड़ी थी इसलिए जो उनका परिवार है वह उन्हीं के सहारे चल रहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनके परिवार वालों को कुछ आर्थिक सहायता भी स्वीकार की जाय जिससे उनकी रोजी-रोटी चल सके। यह उनके परिवार के लिए सचमुच सराहनीय कार्य होगा। मेरा निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि मेरी तथा मेरे दल की शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, श्री कल्लूराम रत्नाकर जी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई उसकी जितनी निन्दा की जाये कम है। मान्यवर, उनके न रहने से एक कमी रह जायेगी और जो कि कभी पूरी नहीं होगी। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता की कोई व्यवस्था करने की कृपा करें और मान्यवर मैं आपसे चाहता हूं कि मेरी शोक-संवेदनायें आपके द्वारा उनके परिवार तक पहुंचे।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कल्लू राम रत्नाकर जी इस सम्मानीय सदन के दो बार सदस्य रह चुके हैं जिनकी 20 मार्च को 11 बजे निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना अत्यन्त निन्दनीय है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाये और स्व0 रत्नाकर जी के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। श्री कल्लूराम जी वर्ष 1980 और 1985 में इस सदन के सदस्य रहे और उन्होंने जीवन भर दलितों के हितों के लिए संघर्ष किया। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक-संवेदना प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि आप उनके परिवार तक हमारी शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजधारी-

हमारे पूर्व विधायक श्री कल्लूराम रत्नाकर जी की हत्या पर जो शोक संवेदनायें विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रकट की हैं उसी क्रम में मैं अपने और अपने दल की ओर से अपनी शोक-संवेदनाओं को प्रकट करता हूं। श्री रत्नाकर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही अपनी राजनीति और समाज सेवा का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। मैं उनके इस दुखद निधन पर अपने और अपने दल की ओर से शोक-संवेदना प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से उनके परिवार तक अपनी शोक-संवेदना को पहुंचाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन के पूर्व सदस्य श्री कल्लूराम रत्नाकर जी की 20 मार्च को हत्या कर दी गई। उनका 46 वर्ष की अल्पायु में ही निधन हो गया। श्री रत्नाकर दो बार इस सदन के सदस्य थे। अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त समिति के सदस्य रहे। उन्होंने छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति और समाज सेवा का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इण्टर में जब थे तभी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे और बी0ए0 में वह महामंत्री के पद पर रहे। उनके निधन से हमने एक राजनीतिक और समाजसेवी खो दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आप सबके साथ अपनी शोक-संवेदना उनके परिवार तक अवश्य पहुंचा दूंगा। अब हम सब उनके लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सदन ने दो मिनट का मौन रखा)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु विशेष पैकेज घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री समरपाल सिंह -

मान्यवर, जब 17 मार्च को हम लोगों ने विकास निधि की बात उठायी थी, मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित जो विशेष पैकेज इस सदन में प्रस्तुत किया जाना था, मान्यवर, आपने निर्देशित किया था कि 23 मार्च तक उस पैकेज को प्रस्तुत कर दें, किन्तु कोई भी पैकेज नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा था कि 23 तक कर दीजिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा था कि हम देख लेंगे। मुख्य बात यह है कि पैकेज के बारे में विचार करके निर्णय लेना है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, कार्यवाही चल रही है, जो पैकेज आये, कहने के लिए पैकेज नहीं आए, उसमें उच्चतम स्तर पर कार्यवाही चल रही है, मैं कार्यवाही करूंगा।

डी0आर0डी0ए0 की बैठक में विधायक के प्रतिनिधि भेजे जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

कुँवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, कुछ दिवस पहले मैंने इस बात का हवाला दिया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था कि विधायक अगर अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, डी0आर0डी0ए0 की मीटिंग में। इलाहाबाद में डी0आर0डी0ए0 की मीटिंग होने जा रही है, अभी तक प्रपत्र यहां से भेजा नहीं गया है। मैं आग्रह करूंगा कि आज ही प्रपत्र भेज दिया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके निर्देश भी इस बारे में हुए थे।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, उसमें कार्यवाही चल रही है।

कुँवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, आज ही भिजवा दीजिए।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मैं इस बारे में ग्राम्य विकास मंत्री से बात कर लूंगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आज व्यवस्था का प्रश्न कम उठायें, जिससे आज थोड़ा समय की बचत हो सके।

अतारांकित प्रश्न संख्या -178 का गलत उत्तर दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न सं0-178 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है नियमों में शिथिलीकरण करने हेतु महानिदेशक (उत्तरांचल) से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही हैं और सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए निर्देश में प्राविधान हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसमें गलत उत्तर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो लिखकर दे दीजिए।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 24 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 88 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 84 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई और 4 सूचनाएं अस्वीकृत की गयी। सर्व श्री मुरली धर, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री ओंकार सिंह, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री मस्तराम, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्रीमती माया प्रसाद, श्री पीतम राम, श्री भारत सिंह रावत, श्री अरविन्द गिरि, श्री बिन्दु लाल, श्री हरपाल सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सन्त प्रसाद, श्री रमेश राही, श्री बाबू लाल कुरील, श्री बेचन राम, श्री उबैदुर्रहमान, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री राम औतार शाक्य, श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री सतीश जतारिया, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री शिव गणेश लोधी, श्री राम नरेश यादव, श्री राम औतार मिश्र, श्री स्वामी ओइमवेश, श्री राजपाल सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री कौकब हमीद, श्री दीपलाल भारती, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री बादशाह सिंह, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री दीपक कुमार, श्री दुर्गा प्रसाद यादव,

श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, श्री राम ललित चौधरी, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री जगदीश नारायण राय, श्री राधेश्याम सिंह, श्री राम नक्षत्र, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री अफजाल अहमद, श्री गोपाल कृष्ण, श्री अवधेश प्रसाद, श्री विजय पाल सिंह, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री भीम प्रसाद सोनकर डा0 अशोक बाजपेयी, श्री जय प्रताप सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग,डा0 राम बाबू हरित, श्री रंग बहादुर पटेल, श्री कमलेश कुमार सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री रणधीर सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री नेतराम सिंह, श्री श्रीराम पाल, श्री कृष्ण पाल सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री तेजभान सिंह, श्री सूर्य भान सिंह, श्री राम रतन यादव, श्री जय प्रकाश, श्री राम प्यारे सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री राम पाल सिंह, श्री केशो मेहरा, श्री अयोध्या प्रसाद पाल श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री दद्दू प्रसाद, श्री विजय कुमार, श्री सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री राम कृपाल, श्री लाखी राम जोशी, श्री राम जग, श्री नन्द राम, तथा श्री चेतराम।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनाऐं अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं:- श्री परवेज हलीम, श्री छोटे लाल, श्री हरदेव सिंह, और श्री भीम प्रसाद सोनकर।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

श्रीमती फूलमती चपरासी, तहसील-खागा, जनपद-फतेहपुर को उनके मृतक पति श्री गनेशीलाल, संग्रह अमीन के सामूहिक बीमा, पेंशन आदि का भुगतान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरली धर-

(सम्मान अनुरोध करना है कि श्री गनेशी लाल तहसील-खागा जनपद फतेहपुर में संग्रह अमीन के पद पर सेवारत थे। दुर्भाग्य से सेवा दौरान बीमारी से मृत्यु हो गयी है। मृतक आश्रित के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती को चपरासी पद पर नियुक्ति कर दी गयी है। चूंकि श्रीमती फूलमती ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और अभी तक पति के सामूहिक बीमा की धनराशि एवं पेंशन प्राप्त नहीं हो सकी जबकि जिला अधिकारी फतेहपुर के माध्यम से दिनांक 2-5-98 को पत्रांक-3029/तीन विविध 97-98 को निदेशक उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय 22 स्टेशन रोड विकास दीप लखनऊ के नाम दावा पत्र भुगतान हेतु प्रेषित किया जा चुका है लेकिन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा भुगतान न करके उल्टा श्रीमती फूलमती को नाजायज परेशान किया जा रहा है।

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्रीमती फूलमती, चपरासी, तहसील खागा जनपद फतेहपुर को उनके मृतक पति श्री गनेशीलाल संग्रह अमीन के सामूहिक बीमा की धनराशि एवं देय पेंशन सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए भुगतान करने का आदेश जारी करने का कष्ट करें।)

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी में गोताखोरी में दक्ष मल्लाहों की जल पुलिस में नियुक्ति-तथा महाजाल एवं मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

(महोदय, वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहां तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रतिदिन देशी व विदेशी हजारों लोगों का आगमन होता है। उनमें से अधिकांश लोग पतित पावनी गंगा में स्नान और मोटर बोट से भ्रमण भी करते हैं। कई बार दुर्घटनायें भी घटित होती है लेकिन खेद का विषय है कि गंगा में डूबते हुए लोगों को बचाने हेतु जल पुलिस विभाग में एक भी गोताखोरी में दक्ष पुलिस नहीं है और न कोई व्यवस्था ही आज तक सम्भव हो सकी है। दिनांक 30-9-98 को शिवाला घाट के पास गंगा में मोटर बोट डूब जाने के फलस्वरूप 36 दक्षिण भारतीय तीर्थ यात्रियों में से 7 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु हो गयी एवं 8 व्यक्तियों का शव गोताखोरी में दक्ष जल पुलिस के न होने से बरामद ही नहीं हो सका। शेष 21 व्यक्तियों को घाटों पर स्नान कर रहे लोगों और उपस्थित मल्लाहों द्वारा बचा लिया गया। इसी प्रकार की दुखद घटनायें इसके पहले भी कई बार घटित हो चुकी है और हर बार गोताखोरी में दक्ष जल पुलिस के न होने, महाजाल उपलब्ध न रहने, मास्क न होने के कारण जनता में भयंकर आक्रोश देखा गया। हर नागरिक की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य के अन्दर राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार मा0 उच्च न्यायालय में कोई याचिका अथवा गंगा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम उक्त कर्तव्य में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है न हो सकती है।

लोक महत्व के अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण के नियम 301 की सूचना शासन के संज्ञान में लाकर वाराणसी में तैनात जल पुलिस में गोताखोरी में दक्ष मल्लाहों की नियुक्ति, महाजाल एवं मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासन को निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।)

श्री वी0 के0 सिंह संयुक्त निदेशक (विद्युत) द्वारा स्वास्थ्य विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच सचिव स्तर से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह-

(महोदय, श्री वी0के0 सिंह को संयुक्त निदेशक (विद्युत) के पद पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, को नियुक्ति 22-11-1976 को अवकाश प्रबन्ध पर मात्र तीन माह के लिए तत्कालीन निदेशक ने सहायक अभियन्ता मैकेनिकल के पद पर किया था, जिस पर श्री सिंह द्वारा 24-11-1976 को योगदान दिया गया। उल्लेखनीय है कि राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति/समायोजन/अवकाश के बदले प्रबन्ध, शासन द्वारा ही किया जाता है परन्तु इसमें निदेशक द्वारा किया गया। इस वैकल्पिक अवधि तीन माह को समाप्ति के बावजूद बिना किसी समक्ष अधिकारी के आदेश श्री वी0के0 सिंह यथावत्

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यकर रहें हैं तथा बिना किसी उचित आधार के विनियमितीकरण एवं पदोन्नति भी दी जा चुकी है। श्री सिंह को मैकेनिकल विभाग के अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट एवं विद्युत इत्यादि का भी कार्यभार दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। श्री सिंह द्वारा किये जा रहें भ्रष्टाचार से जहां विभागीय कर्मचारियों में रोष है वही शासन की छवि धूमिल हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से इसकी जांच सचिव स्तर से कराये जाने की तथा दोषी अधिकारी को बर्खास्त कर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

जनपद कौशाम्बी के क्षतिग्रस्त मूरतगंज महेवा मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

(महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं।

जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत मूरतगंज महेवा मार्ग जो अयोध्या से चित्रकूट तक राम वन पथ गमन मार्ग के अन्तर्गत आता है जिसमें अत्यधिक बालू वाले वाहनों के चलने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होकर अपना स्वरूप ही बदल चुका है मार्ग की मिट्टी एवं डामर का कहीं पता नहीं है। वर्तमान समय में उक्त मार्ग बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण जगह-जगह तालाब का रूप ले चुका है जिसमें जनता को अपनी साइकिल तथा मोटर साइकिल से भी चलने में काफी कठिनाई हो रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा धन का अभाव दिखाकर कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है यदि बरसात के पहले उक्त मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा तो कोई भी वाहन मार्ग पर नहीं चल सकेगा तथा जनता अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच पायेगी। क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि उक्त महत्वपूर्ण मार्ग को सरकार शीघ्र पुर्ननिर्माण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।)

हिन्दू इन्टर कालेज रूदौली जनपद फैजाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच तथा श्री प्रवीन कुमार निगम की मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मस्तराम-

(महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :-

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हिन्दू इण्टर कालेज, रूदौली जनपद फैजाबाद में स्थित है । यह डी0आई0ओ0एस0 अपने अधीन विद्यालयों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों से मिलकर अनियमित एवं अवैध नियुक्तियां कर रहे हैं जिनके लिये कोई पद स्वीकृत नहीं है परन्तु ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन्हें नियमानुसार नियुक्ति मिलनी चाहिये । उदाहरण के लिये हिन्दू इण्टर कालेज, रूदौली जनपद फैजाबाद में कार्यरत अध्यापक श्री कैलाशनाथ निगम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक थे जिनका सेवाकाल में निधन हो गया । मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत उनके पुत्र ने अपने सेवायोजन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया । प्रार्थना-पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि विद्यालय में इस समय एक लिपिक का पद रिक्त है तथा प्रार्थी की आयु 18 वर्ष, 3 जनवरी, 1999 में पूरी हो जायेगी अतः उक्त पद को मात्र 4 महीनों के लिये रिक्त रखते हुए माह जनवरी में प्रार्थी की नियुक्ति उक्त पद पर कर दी जाय परन्तु विद्यालय के प्रबन्धकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद से मिलकर उक्त पद पर नियुक्ति कर ली और प्रार्थी दर-दर भटक रहा है । जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इसी तरह की अन्य अनेक वित्तीय /प्रशासनिक अनियमिततायें की जा रही हैं जिसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

इस सूचना के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराई जाय तथा प्रार्थी प्रवीन कुमार निगम को मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत तुरन्त नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जायें ।)

कलवार जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे श्याम जायसवाल-

(महोदय, काका कालेकर एवं मण्डल आयोगों के सर्वेक्षण ने उपरान्त अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जाति की सूचियों में कलवार जाति को भी सम्मिलित किया है । वर्ष 1994 में अनुसूचित जातियों, जन जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू करते समय सरकार ने केवल 55 जातियों को ही पिछड़े वर्ग की अनुसूची एक में शामिल किया और कलवार जाति को छोड़ दिया । इस सम्बन्ध में वर्ष 1994 से लेकर आज तक लगातार कलवार जाति के नागरिक पिछड़ा वर्ग आयोग एवं सरकार से, पिछड़ा वर्ग की सूची में कलवार जाति को सम्मिलित किये जाने की मांग करते चले आ रहे हैं, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी । दिनांक 15-7-98 को पिछड़ा वर्ग आयोग की इस सम्बन्ध में हुई बैठक में खुली सुनवाई की गई परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका ।

ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के समस्त कलवार जाति के नागरिकों में असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कलवार जाति को पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग करता हूं।)

जनपद लखीमपुर के श्रीनगर क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद-

(मैं सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग कर रही हूं :-

जनपद लखीमपुर के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना में मेरे द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर एक भी कार्य न कराकर मनमाने ढंग से जिलाधिकारी द्वारा कार्य कराया गया। इस सम्बन्ध में जब मैंने जिलाधिकारी से सम्पर्क कर जानकारी चाही तो उन्होंने जानकारी देने में आना कानी की। इस प्रकार मेरे प्रस्ताव पर कार्य न कराकर मनमाने ढंग से धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी उच्चस्तर पर जांच कराने की कृपा करें।)

जनपद खीरी में "हिन्दू स्मित ग्रामीण उद्योग गोला" नामक संस्था को श्री एस0पी0 शुक्ल, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अनियमित ढंग से लाखों रुपये का लाभ पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पीतम राम-

(मैं सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए सरकार के धन के अपव्यय की जांच कराने की मांग करता हूं। वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में जनपद खीरी में विभिन्न विकास खण्डों को ट्राइसेम/डी0डब्लू0सी0आर0ए0 योजना में डी0आर0डी0ए0 से निर्गत की गई धनराशि का निजी हित में अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है। वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा सिलाई प्रशिक्षण को प्रतिबन्धित किया गया था। जनपद में तैनात श्री एस0 पी0 शुक्ला परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण खीरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी रिश्तेदार के नाम 'हिन्दू स्मित ग्रामीण उद्योग गोला" नामक संस्था को सिलाई प्रशिक्षण में प्रशिक्षण देने हेतु नामित कराया एवं विकास खण्ड गोला, मोहम्मदी, फूलखेहड़, रमियाबेहड़ एवं निघासन आदि में उक्त योजना के अन्तर्गत लाखों रुपये विकास खण्ड में आवंटित कर भुगतान कराकर संस्था को सुनियोजित ढंग से लाभ पहुंचाया, जिससे शासकीय धन का खुला दुरुपयोग हुआ है। जिसकी उच्च स्तर पर जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।)

नोटः-) (यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कौड़िया, बिजनौर एवं कुनांव के ग्रामीणों को स्थायी पट्टे पर बसाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत-

(महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कुनांव गोरीगंज लैंसडोन, वन प्रभाग एवं ग्राम कौड़िया वन प्रभाग बिजनौर में निर्धन सभी वर्गों के लोग 100 वर्षों से अधिक समय से स्थायी निवास करते हैं, जहां पर उन्हें पक्की सड़क, मकान, पेयजल योजना, विद्यालय आदि नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के शासनादेश के पत्रांक 7372 (1) 14-2-74, 2172 दिनांक 1 नवम्बर, 1975 को तत्कालीन सचिव वन श्री एन0 पी0 त्रिपाठी ने सभी वन विभाग के अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि 5-11-73 से पहले बसे हुए लोगों को पट्टा देकर बसाया जाय। ग्राम कुनाव के वासियों को पट्टे दिए गए थे, किन्तु अब उन्हें हटाया जा रहा है, जो न तो विधिक है और न मानवीय। ग्राम कौड़िया, बिजनौर से पट्टे भराये गये हैं, जबकि दोनों ग्रामों की स्थिति एक जैसी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं मानवीय समस्या को सदन के संज्ञान में लाकर शासन को ग्राम कौड़िया बिजनौर एवं कुनाव पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीणों के स्थायी पट्टे पर बसाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।)

जनपद फर्रुखाबाद के श्री फूलसिंह व श्री अरविन्द सिंह का छिबरामऊ की पुलिस द्वारा उत्पीड़न तथा मुलजिम सिपाहियों की तत्काल गिरफ्तारी व पीड़ितों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द गिरि-

(आपके संज्ञान में पुलिस उत्पीड़न का मामला लाते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं कि श्री फूल सिंह व अमरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पहलवान सिंह ग्राम-चन्दरपुर थाना-छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद को थाना छिबरामऊ के दो सिपाही चन्द्र किशोर मिश्रा व रमाकान्त अग्निहोत्री दिनांक 10-8-92 को कानपुर की एक अदालत का वारन्ट दिखाकर गिरफ्तार कर ले गये। थाना छिबरामऊ की तरफ स्थित चौराहा तालिक ग्राम के पास थाने के दरोगा आर0 के0 सिंह के वहां मिलने पर उक्त दोनों सिपाहियों ने बुरी-बुरी गालियां देते हुए इन लोगों की जेबों से एक हजार रुपया निकाल लिये और छोड़ दिये। इसके उपरान्त वारन्ट का पता लगाने कानपुर की अदालत गये। वहां पता लगा कि इनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है और न वारन्ट जारी किया गया। इस फर्जी उत्पीड़न की कार्यवाही के विरुद्ध थाना छिबरामऊ में इन लोगों ने मु0नं0 114/93 धारा-218/467/469/471/473/341 व 120 बी के अन्तर्गत 12-3-93 को दर्ज कराया। दोनों सिपाही 1-4-93 को सस्पेन्ड किये गये। 17-4-93 को दोनों सिपाही उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से नाट अरेस्ट स्टे ले आये जो 6-3-95 को उपरोक्त अदालत से वैकेट हो गया। इसके बावजूद आज

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक तक दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रमुख सचिव (गृह) के आदेश 29-1-96 के द्वारा सी0बी0सी0आई0डी0 का मुकदमा सी0बी0-63/96 कानपुर में दर्ज हुआ। दि0 5-2-96 को वायरलेस फर्रूखाबाद किया गया। स्थानीय पुलिस की जांच बन्द हो सी0बी0सी0आई0डी0 जांच के आदेश हो गये। तब 31-1-96 में सी0ओ0 छिबरामऊ द्वारा बैक डेट में चार्जशीट लगा दी गयी। इसके बाद मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, सिपाहियों की गिरफ्तारी नहीं की गयी न वे स्वयं अदालत में उपस्थित हो रहे हैं।

यह शुद्ध रूप से पुलिस उत्पीड़न का मामला हैं। इसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुल्जिम सिपाहियों को तत्काल गिरफ्तार कर पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाना आवश्यक है। अतः इस विषय पर सरकार से तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।)

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा में कोहरगढ़ी बांध पर बने फिट्टर चैनल की मरम्मत कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल-

(मान्यवर, मेरे क्षेत्र 154 गैसड़ी जनपद बलरामपुर के विकास क्षेत्र पचपेड़वा में कोहरगडी बांध में पानी लाने के लिए जो फिट्टर चैनल बना है, इसकी मरम्मत न होने के कारण कई गांव जैसे डेहरवा, फुन्गेहई, चन्दनपुर, ऊसर, वनकटवा, भरूहा, खुदरगुडवा आदि जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (थारू) के गांव हैं। फिट्टर चैनल से हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन कट गई है। और जमीन में बालू भर जाने से जमीन बेकार हो गयी है। और डहरवा गांव भी कट रहा है। मान्यवर यह गरीब अनुसूचित जनजाति के (थारू) जाति के हैं, खेत कट जाने व बालू भर जाने से इन लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है।

मान्यवर आप के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं इस फिट्टर चैनल की मरम्मत कराके इन गरीब लोगों की जमीन व गांव को बचाया जाए और जो जमीन खराब हो गयी हैं और घर गिर गये हैं। उसका मुआवजा देने की कृपा करें।)

जनपद बुलन्दशहर के कृषकों की एक हजार एकड़ भूमि को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 जबरन अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री हरपाल सिंह-

(मान्यवर, निवेदन यह है कि उपर्युक्त ग्रामों की एक हजार एकड़ भूमि को यू0पी0एस0आई0डी0 ने मात्र 2 रु0 से 8 रु0वर्ग मीटर के हिसाब से अधिग्रहीत कर लिया है। जबकि वर्तमान में वहां भूमि का मूल्य 200 रु0 वर्ग मीटर से कम नहीं है। इस प्रकार सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि के कारण इन ग्रामों के किसान अपनी रोजी-रोटी से अछूते हो गये हैं। 50 प्रतिशत किसान तो भूमि से वंचित होकर बेरोजगार ही हो जायेंगे। अतः सरकार के इस कठोर निर्णय से इन ग्रामों के किसान सभी प्रकार से मरने लड़ने को तत्पर हैं। किसानों ने अपनी गुहार

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री के द्वारे भी पहुंचाई है। परन्तु उक्त प्रकरण की सुनवाई किसी स्तर से नहीं हुई है। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

मान्यवर, आग्रह है कि खुर्जा शहर के निकट व जी0टी0 रोड से सटे हुए ग्रामों की जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य प्रदान कराया जाये तब कृषि योग्य भूमि भी हर किसान को कम से कम 20 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित की गई भूमि में से उनको गुजर-बसर के लिए दी जायें। यही नहीं हर किसान के घर से एक व्यक्ति को खुलने वाले संस्थान में सेवा का योगदान दिलाया जाय। क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि भी इस संकट के निराकरण हेतु ताबड़ तोड़ मेहनत कर रहें हैं और माननीय राजस्व मंत्री तथा सम्बन्धित सर्वोच्च अधिकारियों को भी बता चुके हैं। परन्तु सरकार का दमन चक्र किसानों के सिर पर बुरी तरह से मड़रा रहा है। टकराव की स्थिति जारी है। उक्त प्रकारण की सदन में चर्चा कराकर सरकार को इस जटिल समस्या को सुधारने हेतु कहा जाये। अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बहुत ही संवेदनशील तथा विचारणीय है।)

लखनऊ की विकास नगर कालोनी के सेक्टर-5 में भवन संख्या 5/877 तथा 878 के समक्ष लगे बिजली के खम्भे को जनहित में पार्क की ओर लगाये जाने के सम्बन्ध में

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदम्बिका पाल-

(मैं जनहित का निम्नलिखित विषय सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत उठाने तथा इस पर शासन द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध करता हूं:-

लखनऊ नगर की कुर्सी रोड स्थित विकास नगर (लोहिया नगर) कालोनी के सेक्टर-5 में, भवन संख्या-5/877 तथा 878 के समक्ष जो बिजली का खम्भा लगा हुआ है वह भवन संख्या 5/815 से 5/821 तक के निवासियों के लिए बहुत ही बाधक है क्योंकि उक्त खम्भा उक्त भवनों को जाने वाली सड़क के मध्य लगा हुआ है। इस कारण उक्त भवनों के निवासियों को तब अत्यधिक परेशानी होती है जब उनके घरों में कोई सदस्य बीमार हो जाता है और चार पहिया वाहन उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता है।

अतः सरकार से आग्रह है कि उक्त बिजली के खम्भे को पार्क की ओर लगभग तीन-चार फुट खिसकवाने का कष्ट किया जाय ताकि उक्त भवनों के निवासियों के आवागमन की बाधा दूर हो सके। आशा है कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे।)

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अपर निदेशक, स्वास्थ्य गोरखपुर कार्यालय में पूर्व में तैनात श्री मो0 हनीफ स्टेनो की अनियमित नियुक्ति की जांच तथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही व गबन की रिकवरी आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त-

(मान्यवर, मैं मा0 विधान सभाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन का ध्यान अपर निदेशक, स्वास्थ्य, गोरखपुर के कार्यालय में पूर्व में तैनात श्री मो0 हनीफ स्टेनो के सेवा विवरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिनकी नियुक्ति तत्कालीन सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, स्वास्थ्य, उ0 प्र0 द्वारा न होकर अक्षम प्राधिकारी सहायक निदेशक पब्लिक हेल्थ, गोरखपुर रेन्ज, द्वारा अवैधानिक, नियम विरुद्ध नियुक्त किया गया है, जिन्हें पदोन्नति तक बिना सक्षम अधिकारी के रेगुलराईज कराये, दे दिया गया। इसके अतिरिक्त नियमानुसार इनकी सेवा पुस्तिका एवं हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता एवं प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार सेवानिवृत्ति करने हेतु उक्त शैक्षिक प्रमाण-पत्र एवं सेवा-पुस्तिका सदन के पटल पर रखकर जानकारी कराई जाय।

श्री मो0 हनीफ के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच आयुक्त, गोरखपुर ने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपर जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर से कराई जिसमें जांचोपरान्त उक्त स्टेनो (1) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचार संहिता के नियम-29 के विरुद्ध आचरण करके एक जीवित पत्नी जिससे कई बच्चों के रहते दूसरी शादीशुदा औरत श्रीमती शारदा त्रिवेदी से शादी करने तथा (2) पति-पत्नी दोनों एक ही शहर गोरखपुर में तैनात रहते हुये दोनों द्वारा काफी धन आवास भत्ता लेकर सरकारी गबन करने के दोषी पाये गये, जिस पर ए0डी0एम0 एवं डी0एम0 की संस्तुति पर आयुक्त गोरखपुर ने संस्तुति पत्र दिनांक 6-4-98 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उ0प्र0 एवं महानिदेशक, चिकित्सा, उत्तर प्रदेश को पंजीकृत एवं फैक्स से तत्काल स्थानान्तरण कर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु लिखा, किन्तु एक वर्ष व्यतीत होने जा रहा है, अभी तक अनुशासनिक कार्यवाही शुरू भी नहीं की गई और इन्हें सेवानिवृत्त तक बचाने का कुचक्र किया जा रहा है, जबकि आचार-संहिता के अनुसार उल्लंघन करने पर यह राज्य कर्मी नहीं रह सकते और इनकी सेवा समाप्ति होनी चाहिये एवं रिकवरी होनी है।

अतः मैं श्री मो0 हनीफ स्टेनों के सेवापुस्तिका, हाईस्कूल एवं इण्टर की शैक्षिक प्रमाण-पत्र व जांच पर अनुशासनिक कार्यवाही एवं गबन की रिकवरी आदि की कार्यवाही सदन के पटल पर रखे जाने की मांग करता हूं ताकि वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके और कोई राज्य कर्मी इस प्रकार भ्रष्ट आचरण करने की हिम्मत न जुटा सके।)

जनपद सीतापुर में सराय नदी पर अर्द्धनिर्मित बांध को जनहित में पूर्ण किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही-

(महोदय, आपका ध्यान मैं अपने जनपद सीतापुर शहर की ओर सराय नदी पर

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, सीतापुर शहर के बीचो-बीच होकर सराय नदी निकलती है। बरसात के मौसम में बाढ़ आने से हजारों मकान डूब जाते हैं, लाखों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। मान्यवर, लगभग दस वर्ष पहले सीतापुर शहर में सराय नदी पर बांध बनाने का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था। थोड़ा बहुत कार्य कराया गया। उसके बाद बांध बनाने का कार्य बन्द कर दिया गया। मान्यवर, सराय नदी पर बांध का बनाया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बांध निर्माण का रुका हुआ कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाये, जिससे शहर को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके।)

डा0 एल0 पी0 पाण्डेय पूर्व शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उ0प्र0 के विरुद्ध शासनादेश एवं राजाज्ञाओं का उल्लंघन करके मनमानी कार्य प्रणाली अपनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री बाबू लाल कुरील-

(महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा मुझे प्रेषित पत्र सं0-17 लखनऊ दिनांक 01-01-99 जो मेरे तारांकित प्रश्न संख्या-1291 दिनांक 4-12-98 के निस्तारण के सम्बन्ध में है। जिसमें "अस्पष्ट होने के कारण" माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अस्वीकार करने की टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा पुनः निवेदन निम्न प्रकार है:-

(1) यह कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को डा0 एल0पी0 पाण्डेय पूर्व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश के विरुद्ध उनकी अवांछनीय गतिविधियों के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र दिनांक 27-10-98 को प्रेषित था, जिस पर श्री पाण्डेय के विरुद्ध कार्यवाही के स्पष्ट आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पारित किया गया था।

(2) मेरे द्वारा प्रस्तुत विधान सभा प्रश्न में डा0 एल0पी0 पाण्डेय की अनियमित कार्य प्रणाली से सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत करते हुए श्री पाण्डेय द्वारा माननीय लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ में योजित याचिका संख्या-318/1996 "श्री कृष्ण प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी प्रवक्ता, रा0इं0का0 चमरोली, उन्नाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शिक्षा तथा अन्य में " पारित निर्णय दिनांक 06 अप्रैल, 1998-के विरुद्ध शासन की पूर्वानुमति के बिना रिट याचिका संख्या 803/एस0बी0/1998-" उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शिक्षा तथा अन्य बनाम राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ तथा अन्य" माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में दिनांक 28-05-98 को विशेष अधिवक्ता द्वारा योजित की गयी तथा दिनांक 29-05-98 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। विशेष अधिवक्ता को रु0 11,000/- फीस तथा अन्य व्यय का राजकोष से अनियमित भुगतान किया गया तथा बाद में 04-08-99 के माध्यम से शासन पर अनुचित दबाव डाला गया कि उक्त रिट याचिका के दायरे/बहस/पैरवी की

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुमति तथा विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही की जाये, जिसे शासन ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार डा0 एल0पी0 पाण्डेय द्वारा, कतिपय निम्न अनियमितताएं की गयीं।

(क) माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश दिनांक 15-05-98 का पूर्ण उल्लंघन।

(ख) शासन की अनुमति के बिना उसे पक्षकार (एक व दो) बनाकर रिट याचिका संख्या 803/एस0बी0/1998 योजित की गयी।

(ग) विशेष अधिवक्ता को अनियमित ढंग से आबद्ध किया गया।

(घ) बिना शासन की वित्तीय सहमति के राजकोष से हजारों रुपये फीस एवं अन्य व्यय किये गये।

(ङ) अधीनस्थ का उत्पीड़न किया जाना।

अतः शासनादेशों की गरिमा तथा लोकहित की दृष्टि से डा0 एल0पी0 पाण्डेय द्वारा अवैध रूप से योजित याचिका संख्या 803/एस0बी0/1998 को वापस लेने, विशेष अधिवक्ता की मनमानी आबद्धता समाप्त करने तथा राजकोष से उक्त सन्दर्भ में हजारों की भुगतान की गयी धनराशि की वसूली हेतु मैं उक्त प्रस्तुत विधान सभा में नियमों को शिथिल करते हुए सदन में इस विषय पर मैं आवश्यक कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।

श्री राम जी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ के स्वीकृत देयकों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत

सूचना

श्री बेचन राम-

मान्यवर, कृपया आपका तथा सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि श्री रामजी सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ में कार्यरत हैं। श्री रामजी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वर्ष 1986 से अब तक स्वीकृत अवकाशों का वेतन, जिसमें निगम के मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-एम0डी0सी0/कार्मिक/पी0एफ0 -223/81-91-3695 दिनांक 11-11-1991 तथा आदेश संख्या-एम0डी0सी0 / पी0एफ0/कार्मिक/223/95-514,515,516,517,518,519, 520 दिनांक : 1-6-1995 द्वारा भी अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त स्वीकृत अवकाशों का वेतन, वार्षिक वेतनवृद्धि, एरियर, गोरखपुर से ललितपुर का बोनस, लेब्रीज, दिनांक : 19-12-1987 को लखनऊ से गोरखपुर स्थानान्तरण किराया भत्ता, विभिन्न मद के देयकों का भुगतान कराये जाने हेतु श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री रामजी सिंह के पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पत्र संख्या-लख-1976/सी0एम0-

---

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3/97 दि0 : 24-12-1997 तथा मेरे पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पत्र संख्या-19216/सी0आई0पी0/गोरखपुर/98 दिनांक 2-2-1999 दिनांक 21-2-1999 तक भुगतान कराकर आख्या हेतु निर्देश दिया गया था, तथा माननीय श्री सन्त विधायक के पत्र तथा माननीय विधायकगण द्वारा प्रबल संस्तुतियुक्त पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पत्र सं0-एम0-20784/गोरखपुर/99 दिनांक: 24-2-1999 दिनांक 23-3-1999 तक अवगत कराने हेतु आदेश पारित किए गये हैं, के सन्दर्भ में अभी तक श्री रामजी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उक्त विभिन्न मद के देयकों का भुगतान नहीं कराया गया है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय चरम सीमा पर होने के कारण इनकी लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत बड़हरा कोट के मजरे गौरी वन डीह में अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को मुआवजा/आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उबैदुर्रहमान-

महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहना है कि जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला की ग्राम पंचायत बड़हरा कोट के मजरे गौरी वन डीह में दिनांक 22-3-99 को लगी आग से भूमिहीनों के लगभग 70 घर जलकर पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं जिसमें आपार जन-धन की हानि हुई है और वे सभी पीड़ित परिवार खुली छत के नीचे निवास करने को विवश हैं। उत्पीड़ित परिवारों को मुआवजा/आर्थिक सहायता/निर्बल आवास शासन द्वारा देय है।

अतः उक्त प्रकरण को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी अनुकम्पा चाहता हूं ताकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा/आर्थिक सहायता/निर्बल आवास को दिया जा सके।

ग्राम सभा बरांवा विकास खण्ड मछली शहर जनपद जौनपुर में जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

महोदय, ग्राम-बरावां विकास खण्ड-मछली शहर जनपद जौनपुर में पेयजल की समस्या बनी हुई है। इस गम्भीर समस्या से निजात पाने के लिये उक्त ग्राम सभा में पानी की टंकी स्थापित करके ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

अतः आपके माध्यम से ग्राम सभा-बरावां विकास खण्ड मछली शहर जनपद

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जौनपुर में जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं।)

जनपद चित्रकूट, थाना जी0आर0पी0 मानिकपुर की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के प्रकरण की सी0 बी0 आई0 से जांच की मांग सम्बन्धी नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

(महोदय, आपका ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आकर्षित कराना चाहूंगा। जनपद चित्रकूट में दि0 1 अगस्त, 1998 को मानिकपुर थाने की पुलिस व तत्कालीन मारकुण्डी थानाध्यक्ष द्वारा कर्बी रेलवे स्टेशन से दि0 29-7-98 को रवि शंकर पाल पुत्र रजवा पाल नि0 रंगौली थाना कर्बी को पकड़कर साथ में केदार उर्फ बेलोहा पुत्र राम सलोने कुर्मी ग्राम-ओझर थाना-मऊ व अम्बिका दुबे पुत्र होरिल निवासी-चमरोहा थाना-मानिकपुर की हत्या कर दी थी बाद में फर्जी कहानी बनाकर दस्यु ददुवा गैंग से मुठभेड़ होना बताकर लाशों को गायब कर दिया गया जबकि उपरोक्त व्यक्ति निहत्थे व नंगे करके मार दिये गये थे। उक्त तीनों व्यक्ति शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे कोई अपराधी चरित्र के व्यक्ति नहीं थे। मृतक रविशंकर के पिता द्वारा थाना-जी0आर0पी0 मानिक पुर में हत्या की रिपोर्ट मु0 अ0सं0 2/99 धारा-364, 302, 201 आई0पी0सी0 के तहत दर्ज करायी गयी है किन्तु उक्त घटना की विवेचना को प्रभावित करने के उद्देश्य से उपरोक्त घटना के पुलिस कर्मियों व थानाध्यक्ष को इन्हीं थानों में जिले में तैनात रखा गया है जिससे मृतकों के परिवार जनों व प्रकरण के गवाहों आदि को प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त है जनता आक्रोशित है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुये उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की एवं दर्ज मुकदमा अ0सं0 2/99 थाना जी0आर0पी0 मानिकपुर की सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा सी0बी0आई0 से जांच की मांग करता हूं।)

आगरा के मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा लागू करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य-

(महोदय, संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावें के अनुसार संघ या किसी राज्य के कार्य कलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाय। इसके अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों हेतु एक विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा वर्ष 1994 में लागू किया गया था जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत तथा पिछड़ी जातियों के लिए 27

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतिशत आरक्षण है। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में भर्तियाँ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती रही हैं। विगत काफी समय से मेडिकल कालेजों में भर्ती न किये जाने से उनमें लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सकों, अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं।

सरकार ने आगरा के 6 मेडिकल कालेजों को स्वायत्तशासी संस्था बनाने का निर्णय लिया है इससे इन खाली पदों पर भर्ती का अधिकार प्रत्येक मेडिकल कालेजों में होने से उनमें आरक्षण कोटा पूर्ण होना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि सभी मेडिकल कालेजों के एक संवर्ग के पद आदि एकसाथ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते तो उसमें रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटा पूरा होता परन्तु अलग-अलग पद भरने से वहां एकल पद हो जायेंगे जिसमें शासनादेश संख्या-18-3/1947 का0-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि एकल पद पर चाहे वह सीधी भर्ती का पद हो या पदोन्नति का हो उस पर कोई आरक्षण नहीं होगा। इससे इन मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों को भरने में काफी भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा तथा आरक्षण कभी पूरा नहीं होगा। इससे इस प्रदेश के लगभग 85 प्रतिशत आरक्षित जातियों के अन्दर रोष, आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जो कभी भी प्रदेश के अन्दर भयंकर वातावरण बना सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के कार्यों को स्थगित करते हुए चर्चा कराने का कष्ट करें एवं प्रभावी कार्यवाही कराने के लिए शासन को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।)

वर्ष 1999-2000 के लिए मुरादाबाद जिले में 'नहर पटरी योजना' का लक्ष्य विधान सभा क्षेत्र 34-मुरादाबाद देहात को प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सौलत अली एडवोकेट-

(महोदय, गत दो वर्षों से उ0प्र0 सरकार के द्वारा गांवों को सम्पर्क मार्ग देने हेतु 'नहर पटरी योजना' चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 1000 कि0मी0 नहर की पटरी उ0प्र0 में पक्की कराई जाती है और प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा जिलों का लक्ष्य निर्धारित करके जिलों से प्रस्ताव लिये जाते हैं। मुरादाबाद जिले को गत 1997-98 में 12.5 कि0मी0 और वर्ष 98-99 में 6.00 कि0मी0 लक्ष्य प्रस्तुत हुआ था। जिला मुरादाबाद में मात्र दो विधान सभा क्षेत्रों 34-मुरादाबाद देहात और 35-ठाकुरद्वारा में नहरें बहती हैं, जिनमें वर्ष 97-98 के लिए दोनों क्षेत्रों के माननीय विधायकों से 6.25 कि0मी0 प्रति क्षेत्र के प्रस्ताव मांगे गए थे और वर्ष 98-99 के लिए 34-मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया इस प्रकार के दोनों वर्षों में समस्त नहर पटरी योजना के अन्तर्गत एक ही विधान सभा क्षेत्र 35-ठाकुरद्वारा में नहर की पटरियां पक्की कराई गई और 34-मुरादाबाद व देहात विधान सभा क्षेत्र दोनों वर्षों में इस अधिकार से वंचित रह गया। इसी प्रकार से वर्ष

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

99-2000 का जो लक्ष्य मुरादाबाद जिले को 6.00 कि0मी0 प्राप्त हुआ है। मुझे आशंका है कि उसमें भी कहीं मेरे अधिकारों का हनन न कर लिया जाय। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण पूर्ण नीति अपनाकर मेरे क्षेत्र के निवासियों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इसलिए वर्ष 99-2000 के लिए मुरादाबाद जिले को प्राप्त "नहर पटरी योजना" का लक्ष्य मेरे विधान सभा क्षेत्र 34-मुरादाबाद देहात के अन्तर्गत नहरों की पटरी पक्की कराकर पूरा किया जाना चाहिए, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार मिल सकें।

अतः मैं आपके माध्यम से इस सूचना को सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।)

जल निगम की महोबा यूनिट द्वारा, जनपद चित्रकूट के ग्राम-घुरेटनपुर के राजकीय इण्टर कालेज के भवन निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री और किये जा रहे भ्रष्टाचार की टी0ए0सी0 से जांच कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश जतारिया-

(महोदय, आपका ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर कराना चाहूंगा जनपद चित्रकूट के ग्राम घुरेटनपुर के राजकीय इण्टर कालेज के भवन का निर्माण जलनिगम की महोबा यूनिट ए0 15 द्वारा कराया जा रहा है जिसमें कार्यरत अवर अभियंता व सहायक अभियंता सहित अधिशासी अभियंता की सांठ-गांठ से कार्य करा रहे ठेकेदार के माध्यम से लाखों रुपये का फर्जी भुगतान करा लिया गया है भवन की डिजाइन को बदल दिया गया नींव में गिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट न डालकर मात्र 2 फीट खोदकर ईंटा रखकर भर दिया गया है खिड़की, दरवाजों पर लगने वाले इंगल आदि हल्के एवं घटिया किस्म के लगाये गये हैं, जिसमें मकान के मानक को ध्यान नहीं दिया गया है सटरिंग कप के नाम पर काफी पैसा हड़प लिया गया है जबकि सटरिंग मात्र थोड़ा सा पुरानी टूटी हुई है कार्य में लगी है सरिया एवं सीमेंट की मात्रा कम करके छतों की ढलाई की जा रही है ईंटा क्रय करने में घटिया ईंटा सस्ते दामों का प्रयोग किया गया है जबकि बिल बढ़ाकर दिखाये गये हैं पिलरों के स्थान नींव खोदकर ईंटों से भरा गया है जिससे भवन जल्दी ही ध्वस्त होने की स्थिति में आ सकता है उक्त बातों की शिकायत जनता द्वारा कई बार की गयी किन्तु कार्य में न तो सुधार हुआ है और न ही कोई जांच की गयी है जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त भवन के निर्माण में लगे हुए जल निगम के महोबा यूनिट कार्यरत अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता सहित अवर अभियंता को तत्काल उक्त कार्य से हटाकर टी0ए0सी0 जांच कराने की मांग करता हूं।)

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सर्वेन्ट क्वाटर्स कोठी नं0 6 जमादारी लेन, दारूलशफा, लखनऊ में अवैध कब्जे हटाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

(महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में यह महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

महोदय, सर्वेन्ट क्वार्टस कोठी नम्बर-6 के अन्दर बने जमादारी लेन दारूलशफा लखनऊ में अनेक लोग सरकारी कमरों के आगे-पीछे, अगल-बगल में अनेक अवैध रूप से मकान तथा झोपड़िया बना कर रह रहे हैं तथा इन लोगों ने अनेक जानवर भी पाल रखे हैं। जिससे सदैव गन्दगी बनी रहती हैं। तथा रात को यह लोग शराब पीकर आपस में झगड़ा करते रहते हैं जिससे वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारी जिनके नाम पर सरकारी कमरे आवंटित हैं बच्चे समेत रहते हैं, को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनेक बार इस सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग को लिखा भी गया है। अनेक अधिकारी मौके पर गये भी इन लोगों को यहां से हटने के लिये मौखिक तौर पर कहा किन्तु इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ है। सदैव यहां पर गन्दगी फैली रहती है। बीमारी का सदैव भय बना रहता है।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा सुन्दरीकरण से पूर्णतया अपेक्ष्य है, को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं। ताकि यह सदन इस विषय पर अपना सही निर्देश देकर सभी आवंटित सरकारी कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण में रहने को मिल सकें, प्रदूषण से अपने बचा को बच्चा सकें।)

शिल्पकार समिति उ0प्र0 लखनऊ की उपशाखा पिथौरागढ़ को जिला प्रोजेक्ट यूनिट स्वजल परियोजना, पिथौरागढ़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव गणेश लोधी-

(महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

शिल्पकार समिति उ0प्र0 लखनऊ एक पंजीकृत संस्था है। जिसका पंजीकरण नम्बर-453/87-88 है। इस समिति के अधीन जनपद-पिथौरागढ़ में शिल्पकार (अनुसूचित जाति) की महिलाओं ने आपसी सहयोग से एक उपशाखा का गठन किया है और उप शाखा पिथौरागढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा की भावना से प्रोत्साहित होकर विकास संबंधी कार्यक्रमों में अपनी गहरी अभिरूचि रखते हुए कार्यालय निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्वजल परियोजना 03 फानब्रेक एवेन्यू सरोजनी नायडू मार्ग लखनऊ के नियन्त्रणाधीन जिला प्रोजेक्ट यूनिट स्वजल परियोजना जनपद पिथौरागढ़ में स्वजल परियोजना के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने हेतु अपना प्रार्थना-पत्र (अपटेक फार्म) पिथौरागढ़ कार्यालय में माह दिसम्बर 1998 में जमा किया जा चुका है।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही के आदेश देने की कृपा करें। ताकि पिथौरागढ़ के उक्त शिल्पकार (अनुसूचित जाति) के महिलाओं का उत्साहवर्धन हो सकें।)

चन्द्रशेखर आजाद उद्यान, प्रयाग में शहीद भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

(मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आपकी अनुमति से चाहता हूं कि सरकार शीघ्र ही प्रयाग की पुण्य शहीद स्थली को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उस महान क्रान्तिकारी शहीद चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में पर्यटन केन्द्र बनाया जाए। आजादी के पूर्व उक्त उद्यान अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था किन्तु लोग उसे कम्पनी बाग के नाम से पुकारते थे। 23-2-1931 को महान क्रान्तिकारी श्री चन्द्रशेखर आजाद अंग्रेजी सत्ता की घेराबन्दी का बड़े साहस के साथ मुकाबला करते हुये शहीद हुये थे। आजादी के बाद यह पार्क चन्द्रशेखर आजाद उद्यान के नाम से विख्यात हुआ। इस उद्यान का कण-कण त्याग एवं बलिदान का पर्याय बन गया है।

सुन्दरीकरण के नाम पर वहां की ऐतिहासिकता को नष्ट किया जा रहा है। जिस पेड़ के नीचे चन्द्रशेखर आजाद आड़ में थे एवं छिपकर नटवावर ने उन पर गोलियां चलाई थी उस पेड़ के बड़े तने को ऊँचा बनाने वाले चबूतरों को छूने के कारण काट डाला गया है। नीचे के डाल के तने ऐसे बने थे जो आकार (वी) बनाते थे वहां की झाड़ियां काटी जा रही हैं। यह सब कार्य उचित नहीं है। यहां तक कि वहां पर आदम कद की मूर्ति भी नहीं लग सकी है। स्वर्ण जयन्ती वर्ष में इस शहीद स्थली को उसी प्रकार संरक्षित किया जाना चाहिए था ताकि यात्री उस महान क्रान्तिकारी वीर सपूत की वीरता का स्मरण कर नमन कर सकें।

अस्तु आपकी अनुमति से मांग है कि उस स्थल का ऐतिहासिक महत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे उसी रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। वहां पर आदमकद की मूर्ति लगाया जाना चाहिए। 1857 के शहीदों की स्मृति में उस उद्यान में एक शहीद भवन भी बनाया जाना चाहिए तथा शहीद स्थली को छोड़कर शेष उद्यान को सुन्दरीकरण किया जाना चाहिए तथा सुन्दरीकरण के नाम पर ऐतिहासिकता को नष्ट नहीं होना चाहिए।)

विधान सभा क्षेत्र ददरौल के ग्राम-गन्धार, परगना जमौर, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर में भू-माफियाओं से कृषकों को मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार मिश्रा-

(हमारे निर्वाचन क्षेत्र 65 ददरौल के अन्तर्गत ग्राम-गन्धार, परगना-जमौर, तहसील-सदर, जनपद-शाहजहांपुर में 1955 में सरदार नाहर सिंह, पुरूषोत्तम सिंह,

---

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्याम सिंह पुत्रगण श्री लोचन सिंह के नाम 156 एकड़ भूमि पट्टे किये गये थे। उस समय सरदार नाहर सिंह फौज में सूबेदार के पद पर थे, जिन्होंने किन्हीं सूत्रों से पट्टे कराये थे उस समय गन्धार ग्राम में काफी भूमि ग्राम समाज में थी। दो-तीन साल यह लोग रहकर खेती करते रहे उस समय आधुनिक कृषि यंत्र नहीं के बराबर थे उपज न होने की वजह से खेती छोड़कर पंजाब वापस चले गये। इस खेती की रिपोर्ट मौजूदा लेखपाल द्वारा तहसीलदार सदर को दी गयी। उक्त खातेदार यहां नहीं है लेखपाल की रिपोर्ट पुष्टि कर तहसीलदार सदर ने उक्त जमीन ग्राम सभा में पुनः अधिगृहीत कर दी तथा सभी ग्रामवासी को उक्त के पट्टे सन् 1960 के बाद हरिजन व सामान्य वर्ग को कर दिये गये। सभी ग्रामवासी अपनी-अपनी जमीन पर काबिज व दाखिल हो गये सन् 1980 में उक्त गांव में चकबन्दी हो गई उसमें सभी ग्रामवासियों के अलग-अलग चक काट दिये गये तथा सन् 1995 में उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार सभी खातेदार भूमिधर घोषित कर दिये गये, सन् 1998, 7 जनवरी को कुछ पंजाब के भू-माफियाओं ने सन् 1960 तहसीलदार सदर के आदेश को तहसीलदार पुवांया के यहां स्थानान्तरण करा दिया तथा भारी लालच देकर उक्त जमीन को पुनः अपने हक में करा लिया। जबकि उक्त गांव तहसील सदर में ही है नया बन्दोबस्त बनने के बाद कोई भी बात तहसीलदार को सुनने का अधिकार नहीं है। उक्त भू-माफिया जिला प्रशासन व पुलिस को भारी लालच देकर उक्त जमीन जिस पर ग्रामवासी काबिज दाखिल है को जोतना चाहते हैं। जबकि पट्टेदारों के कब्जे में उक्त जमीन 40 वर्षों से भू-अभिलेखों में व मौके पर चली आ रही है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय व जनहित में भूमिहीनों के हित में जांच कराकर उपरोक्त भू-माफियाओं से कृषकों को मुक्ति, दिलाने की मांग करता हूं।]

विधायक विकास निधि की अवशेष धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओइमवेश-

[महोदय, सरकार ने विधायक विकास निधि में 50 लाख रु0 देने की घोषणा की थी। परन्तु अभी तक 25 लाख रुपया ही दे सकी है। इससे लोगों में भ्रांति का महौल बना हुआ है। शेष धनराशि विधायक निधि में कब तक सरकार भेजेगी या नहीं। यदि नहीं तो क्या कारण है कि घोषणा के बाद भी अभी तक शेष राशि नहीं भेज पायी है।]

मौजा रूकनपुर, तहसील बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर का गजट प्रकाशित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजपाल सिंह-

[मौजा रूकनपुर, तहसील बुढ़ाना, जनपद-मु0नगर की चकबन्दी सन् 91 में पूर्ण हो गई थी मौजा रूकनपुर का गजट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। मेरे कई बार चकबन्दी आयुक्त व संयुक्त चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ से मिलने के बाद पत्र द्वारा उत्तर आता है कि ग्राम कुहसाना का धारा-52(2) के अन्तर्गत सं0-813/जी0-205/56, दिनांक 5-2-96 को जारी किया जा चुका है जिसका

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गजट में प्रकाशन दिनांक 15-6-96 को हुआ। लेकिन मौजा रूकनपुर भी अभी तक न ही विज्ञप्ति जारी हुई और न ही गजट प्रकाशित हुआ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इन लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं और तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।)

शारदा नगर आवासीय योजना, रजनी खण्ड, लखनऊ की सड़कों की मरम्मत अविलम्ब कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

(महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत रजनीखण्ड स्थित पार्क (भूखण्ड संख्या 3/227 से 3/242 के सामने) के चारों ओर की सड़कें तथा उनसे सम्बद्ध अन्य सड़कें वर्षा ऋतु के जल भराव के कारण अधिकांशतः क्षतिग्रस्त हो गयी है। उनमें जगह-जगह पर गड्ढे हो गये हैं तथा जगह-जगह पर जल भराव में बहकर आयी मिट्टी के ढेर भी एकत्र हो गये हैं। जिसके कारण वहां के निवासियों एवं भूखण्ड स्वामियों को इन पर दुपहिया तथा चौपहिया वाहनों सहित आने-जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। दुर्घटनाएं बढ़ गयी हैं तथा उक्त कालोनी का विकास भी कई वर्षों से ठप्प पड़ा हुआ है। इससे आम जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शारदानगर आवासीय कालोनी के रजनीखण्ड की समस्त सड़कों का निर्माण अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।)

जनपद गाजियाबाद के ग्राम-मीरपुर हिन्दू की चकबन्दी योजना में नये चकों पर कब्जा दिये जाने तथा लम्बित मुकदमों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद-

(जनपद गाजियाबाद की तहसील गाजियाबाद के ग्राम मीरपुर हिन्दू की चकबन्दी योजना में बनाये गये नये चकों पर कब्जा दिये जाने के समय चकबन्दी अधिकारी के समक्ष चक के अनेक मुकदमें लम्बित पड़े हुए हैं जिनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 12-2-99 मा0 कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार से भी लिखित अनुरोध किया गया, किन्तु कोई निष्कर्ष नही निकला।

जनपद गाजियाबाद की तहसील गाजियाबाद के मीरपुर हिन्दू की खातेदार श्रीमती रामकली पत्नी खचेड़ू पुत्र धन्नी दोनों पति-पत्नी के पास भूमि हदबन्दी सीमा से अधिक भूमि ग्राम मीरपुर हिन्दू तथा ग्राम सरना, तहसील मोदीनगर में है, इनके विरुद्ध हदबन्दी कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है। दूसरे खातेदारों ने चकबन्दी कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके अपने रकबों को बढ़वा लिया है तथा चक संख्या-452 सुरेन्द्र पुत्र जग्गन पट्टेदार के अवैधानिक तरीके से अमलदरामद कराया गया है, जो

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न्यायहित में नहीं है। मामले की जांच कराकर चकबन्दी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर तत्काल सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।)

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा, नेबुआ नौरंगिया व खोटही में फायर ब्रिगेड की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप लाल भारती-

(मान्यवर, प्रदेश की पूर्वोत्तर भाग, नेपाल-बिहार सीमा पर बड़ी गण्डक नदी के बाढ़ पीड़ित तथा दलित बाहुल्य व अति पिछड़े क्षेत्र विकास खण्ड खड्डा, नेबुआ नौरंगियां व रामकोला में जहां अत्यन्त निर्धन व पिछड़ी जातियां घासफूस के छप्पर में निवास करते हैं प्रतिवर्ष ग्रीष्म-ऋतु में आये दिन भीषण अग्निकाण्ड से दर्जनों गांव जलने से नष्ट हो जाते हैं। जिसमें जन व धन की हानि होती है तथा सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है, इससे सरकार पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है।

स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में कोई फायर बिग्रेड (दमकल) न होने से जनपद मुख्यालय, पडरौना 50 कि0मी0 दूर से दमकल घटनास्थल पर पहुंचते-पहुंचते काफी देरी हो जाती है, तब तक गांव का गांव स्वाहा हो जाता है जिसमें सैकड़ों पशु, दर्जनों मनुष्य व सैकड़ों परिवार का घर जलने से पूर्ण रूप समाप्त हो चुके रहते हैं।

गत वर्षों से ऐसे ज्वलन्त एवं लोकहित के प्रकरण को उठाकर थाना-खड्डा व नेबुआ नौरंगिया के परिसर या समीप एक-एक अग्निशमन दल स्थापित किये जाने की मांग करता आ रहा हूं, जो अति आवश्यक है। सरकार से मांग करता हूं कि कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के खड्डा, नेबुआ, नौरंगियां व खोटही में फायर बिग्रेड की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में किया जाय।)

जनपद कुशीनगर में आधुनिक चीनी मिलें और नये उद्योग धन्धे लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनवारी लाल दोहरे-

(मान्यवर, उ0प्र0 व बिहार सीमा पर जनपद कुशीनगर में आजादी के पहले ब्रिटिश काल से ही स्थापित चीनी मिलें ही हैं, जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण व जर्जर हैं, पेराई क्षमता घटती जा रही है, दूसरी तरफ गन्ना उत्पादन बीस गुना बढ़ा है, ऐसे में नये-नये व आधुनिक चीनी मिलें अधिक क्षमता की लगायी जानी चाहिये।

कुशल व अकुशल मजदूरों की बेरोजगारी को देखते हुए विभिन्न प्रकार के रोजगार धन्धों हेतु कल-कारखाने लगने चाहिए। इस क्षेत्र के विकास खण्ड खड्डा के

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समीप बड़ी गण्डक नदी के प्रचुर बालू से कच्चा शीशा उद्योग तथा घास-फूस, बांस सवई, पुआल तथा चीनी मिलों के शीरा से अल्कोहल फैक्ट्री (आसवनी उत्पादन केन्द्र) लगाकर- हजारों बेरोजगार हाथों को रोजी (काम) दिया जा सकता है जिसके कारण क्षेत्र में खुशहाली आयेगी, अपराधों पर अंकुश लग सकेगा।

अस्तु ऐसे लोक महत्व प्रकरण को उठाकर सरकार से मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र-नौरंगिया में नये उद्योग धन्धे लगाकर जनता को लाभान्वित कराया जाय।)

जनपद कुशीनगर महराजगंज व गोरखपुर के मध्य छोटी गण्डक नदी के बेलवाघाट, कप्तानगंज घाट, रास्ताजोड़ व छितौनी घाट पर पक्के पुलों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बादशाह सिंह-

(मान्यवर, जनपद-कुशीनगर व महाराजगंज व गोरखपुर के मध्य छोटी गण्डक नदी के बेलवाघाट व कप्तानगंज घाट रास्ताजोड़, व छितौनीघाट पर पक्का पुल न होने के कारण जिला-सम्पर्क मार्ग नहीं है, जिसके कारण किसान अपनी कृषि उपज बाजारों तथा चीनी मिलों तक नहीं ले जा पाते, और पक्का पुल न होने के कारण मरीज व विद्यार्थी गोरखपुर या महाराजगंज नहीं जा पाते, इससे जनहित प्रभावित है।

छोटी गण्डक नदी के बेलवाघाट पर पक्का सेतु निर्माण हेतु 1 सितम्बर, 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर 1.31 करोड़ रुपये देने की घोषणा कर सेतु निगम से निर्माण की घोषणा भी की थी, किन्तु आज तक उस पर धनाभाव के कारण कोई कार्य नहीं हुआ है। जनता में आक्रोश है।

कप्तानगंज घाट पर भी पक्का पुल निर्माण की घोषणा गत वर्ष मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने 1998 में कप्तानगंज बाजार की सार्वजनिक सभा में घोषणा की थी कि निर्माण निगम को धन आवंटित कर पुल बनवाऊंगा।

अस्तु ऐसे लोक महत्व के प्रकरण को उठाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि पक्का पुलों के निर्माण हेतु समुचित धन इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये जायं।)

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पेट्रान इण्डिया नेशनल लि0 को चीनी मिल लगाने हेतु सरकार द्वारा आदेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

(जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व चीनी मिल लगाने हेतु पेट्रान इण्डिया नेशनल लि0 के मालिकों ने ग्राम पंचायत दारापुर, बरौना बीकापुर के कृषकों की भूमि तथा उक्त ग्रामों के प्रधानों से सम्पर्क करके चीनी मिल लगाने हेतु भूमि अर्जित भी कर ली है तथा कृषकों को तरह-तरह के लालच देकर

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र विकासशील बनाने हेतु प्रधानों ने ग्राम समाज की भूमि भी मिल मालिकों को दे दी है, परन्तु अभी तक चीनी मिल मालिकों ने भूमि पर कब्जा तो कर लिया है, तथा बाऊन्ड्री भी बनवा ली है और जिला नियोजन विभाग द्वारा निर्मित खड़ंजा रोड जो मल्लावां संडीला रोड से ग्राम बीकापुर होते हुए ग्राम बरौना तक बनी है उस सरकारी रोड को तोड़कर मिल के मालिकों ने अपने कब्जे में कर ली है और सरकारी सड़क को खुर्द बुर्द कर दिया है।

क्षेत्र के किसानों गन्ना के कृषकों को सुविधा का लालच देकर क्षेत्र के तमाम लोगों को गन्ना बोने हेतु मिल के व्यवस्थापकों द्वारा आग्रह किया गया था उसी से तमाम कृषकों ने गन्ना बो दिया था, उसे मिल वालों ने नहीं खरीदा जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ, उन्हें चीनी मिल लगाने का लाइसेन्स शासन ने दे दिया, परन्तु अभी तक उसमें कोई मशीन नहीं लगाई गई है। चीनी मिल लगाने का जो लाइसेन्स शासन से मिला था उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और मिल लगाने की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। इसलिए क्षेत्रीय किसानों, प्रधानों व गन्ना किसानों में आक्रोश है चूंकि यह क्षेत्र के विकास के लिए ग्राम समाज की भूमि प्रबन्ध समितियों ने मिल मालिकों को प्रदान की थी इसलिए क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित यह विषय है यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है जिसे सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि जिस प्रकार शासन ने चीनी मिल का लाइसेन्स दिया है उसी प्रकार बलपूर्वक दबाव बनाकर मिल लगाने हेतु आदेश जारी करें जिससे क्षेत्र में तत्काल चीनी मिल प्रारम्भ हो सके और क्षेत्र के विकास की गति प्राप्त हो सके।)

श्रीमती सुन्दरी देवी व रामरती देवी पुत्री मृतक श्री हसनू को अपने पिता की भूमि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक कुमार-

(मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में यह महत्वूपर्ण सूचना देना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व श्री हसनूं की मृत्यु होने के पश्चात् उसके नाम अंकित खाता संख्या 514 रकबा 2 बीघा, 2 विस्वा भूमि मृतक के पुत्रियों के क्रमशः श्रीमती सुन्दरी देवी, पत्नी श्री गया प्रसाद, ग्राम घटमापुर, ग्राम सभा भरावन परगना गोडवा, तहसील सण्डीला जिला हरदोई, (2) राम रती देवी, पत्नी श्री आशा राम, ग्राम चेरेताली, जिला सीतापुर के नाम उक्त भूमि होना चाहिए था। परन्तु एक अन्य औरत जिसका मृतक से कोई सम्बन्ध न होने के बावजूद फर्जी ढंग से अपने नाम श्रीमती रूक्मीन देवी, पत्नी श्री देव लाल, पुत्र श्री सीताराम, ग्राम लाल पुर ऐरा काकेमऊ ने करवा ली है। जो कि अवैध है। जिसके सम्बन्ध में डी0डी0सी0, हरदोई के यहां मुकदमा भी चल रहा है। श्रीमती रूक्मीन देवी, एक प्रभावशाली महिला हैं। जिसके साथ हमेशा दबंग किस्म के लोग रहते हैं जिसके कारण डी0डी0सी0, हरदोई के यहां के मुकदमों का भी निष्पादन सही तरीके से न होने की सम्भावना है।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं चाहूंगा कि उपरोक्त सम्पूर्ण मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने के आदेश देने की कृपा करें। ताकि मृतक की दोनों पुत्रियों को उनकी जमीन मिल सके।)

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में एक्सरे प्लेट, कुत्ते की सुई का अभाव व अल्ट्रासाउन्ड मशीन आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

(जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में एक्सरे प्लेट की अनुपलब्धता अल्ट्रासाउण्ड मशीन की खराबी एवं कुत्ते की सुई के अभाव के सन्दर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में इस समय बहुत ही असंगत व्यवस्था है। चिकित्सालय में एक्सरे मशीन में एक्सरे प्लेट उपलब्ध ही नहीं है जिससे गरीब जनता अपने एक्सरे नहीं करा पाती है तथा तमाम बीमारियों की खोज नहीं हो पाती है यह व्यवस्था की कमी से है। कई महीने से एक्सरे का कार्य बन्द पड़ा है। इसी प्रकार अल्ट्रासाउण्ड मशीन खराब है या कर्मचारियों द्वारा खराब कर दी जाती है, जिससे जनता बाजार से अल्ट्रासाउण्ड कराये तथा इन्हें कमीशन प्राप्त हो। यह व्यवस्था चिकित्सालय की अधिकारियों एवं बाजार में उपलब्ध अल्ट्रासाउण्ड मालिकों की मिली भगत से हो रहा है।

नितान्त रूप से यह बताना आवश्यक है कि उक्त चिकित्सालय में कुत्ता काटने पर जो इन्जेक्शन लगाया जाता है, वह उपलब्ध नहीं है। कई मरीज सुई न लगने से कायेत रूप से दिवंगत हो गये। इस चिकित्सालय में प्रतिदिन लगभग दो सौ मरीज आते हैं। परन्तु कुछ लोग ही सुई पाते हैं, शेष लोग बिना सुई के लौट जाते हैं। सुइयों के बीच इतना अन्तराल हो जाता है कि जिससे सुई का प्रभाव खत्म हो जाता है तथा मरीज परेशान होता रहता है। एक तो सरकार द्वारा सुई की आवश्यकता से कम आपूर्ति है उस पर कर्मचारियों द्वारा सुइयां बाजार में बेच दी जाती हैं इस प्रकार सम्पूर्ण चिकित्सालय में अव्यवस्था का साम्राज्य है। अतः उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि उक्त चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था को सदन के संज्ञान में लाकर सम्बन्धित विभाग को निदेशित किया जाये।)

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर में काली नदी की बाढ़ से बचाव हेतु बांध बनवाने एवं गरीब किसानों को मुआवजा दिलाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

(आदरणीय महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर के मध्य से काली नदी गुजरती है। काली नदी का विकराल रूप किसानों की फसल को चौपट किये रहता है। इसका ऐसा उदाहरण मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। विगत एक वर्ष से काली नदी में मूड़ाखेड़ा नहर से सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से पानी छोड़ा जाता रहा है, जिससे नदी हर समय बाढ़ का रूप धारण किये रहती है,

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस पूरे वर्ष क्षेत्र में पड़ने वाले घुंघरावली, बनवारीपुर, खैरपुर, पूठरी, दुर्थला, पारौली, आंचरू, रामपुर, भदवारा, फतेहपुर, फतेहगढ़ी, किरावली, जैसे दो दर्जन गांव जलमग्न रहें। अब किसानों की वर्ष भर की फसल चौपट हो गयी है। जिलाधिकारी बुलन्दशहर से कई बार वार्ता की, लेकिन परिणाम शून्य रहा। गरीब किसानों की फसल चौपट होने पर आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, न ही पुल पर कोई स्थायी बांध बनाया गया है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में पड़ने वाली काली नदी के दोनों किनारों पर बांध बनवाने एवं गरीब किसानों को मुआवजा दिलाने के निर्देश जारी करें। मैं आपका आभारी रहूंगा।)

जनपद बस्ती के खैर इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति से मुस्लिम समुदाय में व्याप्त घोर असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी-

(महोदय, मैं लोक महत्व के इस विषय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद बस्ती में खैर इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य के पद को लेकर विवाद चल रहा है जबकि कालेज के नियम के अनुसार प्रधानाचार्य का पद केवल सुन्नी मुसलमान के लिए है परन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक ने नियमों को ताक पर रखकर इस कालेज का प्रधानाचार्य किसी अन्य जाति को बना दिया है। इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में घोर असन्तोष है कि कालेज के बाइलाज के विरुद्ध कार्य हुआ। अतः लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कालेज के संस्थापक द्वारा बनाए गए बाइलाज के अनुसार प्रधानाचार्य की नियुक्ति की मांग करता हूं।)

जनपद बांदा में साधन सहकारी समिति लि0, गड़रिया विकास खण्ड जसपुरा में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धन का आहरण, दुरूपयोग एवं गबन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा में साधन सहकारी समिति लि0 गड़रिया विकास खण्ड, जसपुरा में वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1990-91 में तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ट्रेडिंग स्टाक, रोकड़ आदि धन का आहरण एवं दुरुपयोग कर समिति के लगभग 86,763/- रुपये का गबन करने का मामला समिति के आय-व्यय के आडिट वर्ष 1990-91 में आया था किन्तु अभी तक न तो दोषी व्यक्ति से धन की वसूली की गई और न ही उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया किसानों की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही न होने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें।)

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिल्स, महमूदाबाद द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

(महोदय, जनपद सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिल्स, महमूदाबाद द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान विभिन्न बैंकों द्वारा किया जाता है परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि तहसील बिसवां एवं लहरपुर तहसील के अन्तर्गत अपनाने वाली भागीरथ ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा भुगतान समय से न देने से गन्ना किसानों को तमाम परेशानी उठानी पड़ती है भागीरथ ग्रामीण बैंक, रेउसा, सेउता, तम्बौर एवं किशोरगंज तथा सहकारी बैंक, रेउसा में गन्ना किसानों को भुगतान हेतु प्रायः उक्त बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे गन्ना किसानों को तमाम भौतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मांग करता हूं कि उक्त बैंको के भुगतान सम्बन्धी कार्यों की जांच कराकर दोषी बैंक कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराये जिससे गन्ना किसानों का भुगतान समय से प्राप्त हो सकें। अतः सरकार से उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग करता हूं।)

जनपद जौनपुर के क्षेत्र बायलसी में स्थित बेलाव नाला पर पुल न होने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

(महोदय, मेरे क्षेत्र बयालसी, जनपद जौनपुर में स्थित बेलाव नाला पर पुल न होने से आवागमन हेतु काफी कठिनाई होती है। एक तरफ का मार्ग बना है केराकत रोड से नुफ्तीगंज बाजार से बेलाव मार्ग में केवल एक पुल एवं दूसरी तरफ मार्ग की आवश्यकता है पुल न होने से क्षेत्र का विकास बाधित होता है। अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्य कोष में नियोजन विभाग द्वारा धन अवमुक्त कराके शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाये।)

श्री अभिनन्दन आदि पुत्रगण श्री कोदई, ग्राम-करहकोल, तहसील-रुद्रपुर, देवरिया के संयुक्त-भू-आराजी के नाम गलत ढंग से खारिज करके श्री हरी आदि पुत्रगण श्री राम चन्दर के खाते में किये जाने सम्बन्धी प्रकरण का ठीक किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह एवं श्री राम नक्षत्र-

(मान्यवर, कृपया आपका तथा सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि श्री अभिनन्दन, सूर्यनरायन, रामजी पुत्रगण कोदई, ग्राम-करहकोल तहसील-रुद्रपुर, जनपद-देवरिया के संयुक्त भू0 आरजी नं0-"ग" रकबा 0.061 हे0 से नाम खारिज

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करके भ्रष्टाचार के बल पर श्री मोहन प्रसाद लेखपाल द्वारा विपक्षीगण हरी, रुदल, दिलीप पुत्रगण रामचन्द्र के खाता सं0-368 में गलत दर्जकर दिये जाने तथा सूर्यनरायन पुत्र कोदई द्वारा भू0 आ0नं0-689 रकब-361 हे0 में से मात्रा0.016 हे0 अमर सिंह राजन सिंह पुत्रगण रामसमुझ चौधरी, ग्राम-हड़हा के नाम बेंचा गया था जिसमें उक्त लेखपाल द्वारा भू0आ0न0-689 रकब 361 हे0 में सह खातेदारी के रूप में अमर सिंह, राजन सिंह पुत्रगण रामसमुझ चौधरी के नाम अंकित कर दिया।

उक्त लेखपाल द्वारा अभिनन्दन, सूर्यनरायन, रामजी,पुत्रगण कोदई के भू0 आ0 नं0 385 रकबा 206 हे0व भूआ0नं0-528 रकबा 0.089 हे0 से सूर्यनरायन का नाम खारिज कर दिये जाने के बावत में मा0 श्री शिशुपाल सिंह विधायक द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दिनांक 24-7-98 को सूचना दी गई थी जिस पर मा0 राजस्व मंत्री जी द्वारा राजस्व अनुभाग-9 अर्द्ध0शा0प0सं0-2372/1-9/98-3-1 (22)/98-दिनांक 30 जनवरी-1999 को पटल कार्यालय के पत्र सं0 1676/वि0स0/प0का0/98, दिनांक 28 जुलाई, 1998 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी देवरिया से जांच करायी गयी भू0 अभिलेखों में हेरा-फेरी करने वाले दोषी श्री मोहन प्रसाद, लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है। चूंकि भू0 अभिलेखों में सुधार नहीं कराया गया है। जिससे फौजदारी हो रही है प्रार्थीगण अभी तक उत्पीड़ित हो रहे हैं। अतः इस लोक महत्व प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।)

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 98-99 में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य-

(बिलसी विधान सभा जनपद बदायूं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 98-99 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 1998 में विकास खण्ड अम्बियापुर, सहसवान तथा इस्लामनगर के अन्तर्गत 11.32 लाख की धनराशि का आवंटन उक्त विकास खण्डों को कार्यकारी संस्थाओं के रूप में अवमुक्त कर दिया और यह शासन को आदेश संख्या 3341/38-4-98-50/जे0आर0वाई0/98, ग्राम विकास अनुभाग-4 दिनांक 29 अगस्त, 1998 में दी गई व्यवस्था का पूर्णतया उल्लंघन किया गया है और उक्त कार्यों की स्वीकृति अधिकारियों/कर्मचारियों ने मिलकर मानकों से हटकर पक्के कार्यों नाली तथा नालों, स्वीकृत किये हैं जब कि उक्त योजना के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात का प्राविधान किया गया किन्तु उक्त कार्यों की स्वीकृति में मानक का खुला उल्लघंन किया गया है यह शासनादेश एवं मानको का खुला उल्लंघन किया गया है जिसके कारण शासकीय धन के गबन की आशंका हो गयी है जिसके कारण पूरे क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। इन समस्त कार्यों के प्रस्ताव न तो क्षेत्रीय सांसद व विधायक द्वारा दिये गये हैं यह प्रस्तावों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण स्वीकृत किये गये हैं। अतएव इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच कराकर शासन के आदेशानुसार कार्य न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु शासन को निर्देशित

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर दिया जाये।]

जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर में अटरा मितावां-भौसिला-सहोदरपुर ग्रामों के मध्य तालाब के पानी के निकासी न होने के कारण हो रही फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

[मान्यवर, मैं निम्नलिखित विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर में अटरा-मितावां-भौसिला-सहोदरपुर ग्रामों के मध्य में एक बहुत बड़ा ताल है जो लगभग 150-200 एकड़ क्षेत्रफल में है उक्त तालाब में दो तरफ से नहर का पानी भी आता है तथा उसी ताल से एक अटरा ताल ड्रेन पूरब तरफ निकला हुआ है जिससे ताल का पानी सई नदी में चला जाता है, परन्तु बरसात के समय में एक ड्रेन से तालाब का पूरा पानी समय से नहीं निकल पाता जिसके कारण तालाब के किनारे के लगभग 400 से 500 एकड़ भूमि की खड़ी फसल सड़कर नष्ट हो जाती है तथा जमीन की सीलन दो माह तक बनी रहती है। बरसात प्रारम्भ होने वाली है, उक्त ताल से दक्षिण तरफ से एक नई ड्रेन की खुदाई किये जाने हेतु कुछ वर्ष पूर्व शारदा सहायक खण्ड-3 जौनपुर द्वारा सर्वे कराया गया था, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि उक्त नई ड्रेन की खुदाई करा दी जाये तो बरसात में जो फसलें डूबकर सड़ती है उनका बचाव किया जा सकेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर ड्रेन बनवाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 किसान सहकारी भवन, लखनऊ में हुए करोड़ों के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 किसान सहकारी भवन, लखनऊ में करोड़ो रुपये का घोटाला करने के तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त बैंक में उप महा प्रबन्धक सामान्य जो कई वर्षों से लखनऊ में तैनात है और जिनके पास विभागीय गाड़ियों का टैक्स, रजिस्ट्रेशन बीमा, रोड टैक्स आदि का चार्ज है, जिसमें भारी घोटाला किया गया है और गाड़ियों पर स्कूटर का नम्बर डालकर चलाया जाता रहा है जिसमें जांच होने पर दैनिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अमर सक्सेना को हटा दिया गया, परन्तु उसका मुखिया जिम्मेदार अधिकारी उप महा प्रबन्धक सामान्य श्री सी0पी0 पाण्डेय को बचा लिया गया, और ये दोषी है, परन्तु उनको बचाया गया, इसमें ऊपर से बचाने की साजिश है। डेड स्टाक का चार्ज है। सामान काफी मात्रा में गायब है। कोआपरेटिव बैंक की गाड़ी जनरल मैनेजर के घर पर आटा पिसाने जाती है बच्चों को स्कूल छोड़ने व अन्य घर का कार्य करती है दिनांक 25-7-98 के लाक बुक को देख लें। श्री पाण्डेय 13 वर्षों से लखनऊ में तैनात है और हेड आफिस से [illegible] है। ये घूम फिर कर लखनऊ में ही बने रहते है और घोर अनियमितता करते

[illegible] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहते है। ये एक भ्रष्ट अधिकारी है और इनको बाहरी जनपदों में हटाकर ही जांच निष्पक्ष हो सकती है। वर्तमान समय में एक केबिन बन रहा है उस पर लाखों का फर्जी भुगतान उप महा प्रबन्धक द्वारा किया जा रहा है। स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आने वाले इस अधिकारी को हटाने में विभाग के उच्च अधिकारी क्यों कतरा रहे हैं समय से परे है, कर्मचारी आन्दोलित है और विभाग टूटने के कगार पर है ये लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।)

निदेशक (होम्योपैथी) आवासीय चिकित्साधिकारी डा0 एस0पी0सिंह, प्रवक्ता डा0 पी0एन0 मिश्र व महिला छात्रावास वार्डन डा0 रेनू महेन्द्रा की शह पर प्राचार्य के विरुद्ध झूठी शिकायतें कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल कृष्ण-

(मान्यवर, निदेशक (होम्योपैथी) के शह पर राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के आवासीय चिकित्साधिकारी एवं निदेशक (होम्यो0) के सगे सम्बन्धी डा0 एस0पी0 सिंह, प्रवक्ता डा0 पी0एन0 मिश्र व महिला छात्रावास की वार्डन डा0 रेनू महेन्द्रा द्वारा चन्द न पढ़ने वाले, उदण्ड एवं उत्श्रृंखल छात्रों के माध्यम से प्राचार्य के विरुद्ध झूठी-मनगढ़न्त शिकायतें कराकर एवं निराधार, असत्य खबरें समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर सौहार्दपूर्ण शैक्षिक चिकित्सीय वातावरण एवं अनुशासन भंग करने का षडयंत्र कर रहे हैं। जिसकी लिखित जानकारी बार-बार मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन-प्रशासन को दी जा रही है। प्राचार्य का दोष मात्र इतना ही है कि प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं के पढ़ने, शिक्षकों/चिकित्सकों को शिक्षण एवं चिकित्सीय कार्य हेतु प्रेरित व विवश किया जा रहा है जो उनका मूल कर्तव्य/दायित्व है। निदेशक (होम्योपैथी)/आवासीय चिकित्साधिकारी डा0 एस0पी0 सिंह, प्रवक्ता डा0 पी0एन0 मिश्र व महिला छात्रावास वार्डन डा0 रेनू महेन्द्रा का उक्त कृत्य कानून की निगाह में दण्डनीय अपराध है जिसे सदन, शासन-प्रशासन द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए स्वच्छ, सफल सौहार्दपूर्ण शैक्षिक/चिकित्सीय वातावरण व अनुशासन भंग के षडयंत्र में सम्मिलित निदेशक (होम्योपैथी), आवासीय चिकित्साधिकारी डा0 एस0पी0 सिंह, प्रवक्ता डा0 पी0एन0 मिश्र व महिला छात्रावास वार्डन डा0 रेनू महेन्द्रा के विरुद्ध जनहित में कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।)

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र सोहावल के विकास खण्ड- मसौधा के कतिपय गांवों को सदर तहसील से हटाने से उत्पन्न स्थिति के कारण नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

(महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहावल में विकास खण्ड मसौधा शामिल है,

---

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जो सदर तहसील में पड़ता था। लोगों को सदर तहसील में पहुंचने के लिए तथा अपना सरकारी कार्य कराने के लिए हर तरह की सुविधा थी, सदर तहसील इनके गावों से नजदीक थी, आवागमन का साधन था मुख्यालय के नाते लोगों के तमाम काम एक साथ हो जाते थे लेकिन आज मसौधा ब्लाक के अधिकांश गांव के किसान तथा आम नागरिक जिनका कोई काम तहसील में पड़ता है, घोर कठिनाई व परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि वर्ष 1997 में जब इस प्रदेश में मायावती की भारतीय जनता पार्टी की गठबन्धन सरकार बनी थी, जाते-जाते मसौधा ब्लाक के तथा भदरसा टाउन एरिया समेत पिपरातालु, नैपुरा दोस्तपुर, राजेपुर, केल, पाराकेल, सरैइया, छतरवा, चांदपुर, केल, मिर्जापुर निमोली, बभनगवां, अन्तपुर, बरवा, मधुपुर, माधीपुर, खानपुर, मसौधा, पलिया गोवा, अरूवावाँ, पिपरी, रेथवा, अबनपुर सरोहा, मुमताज नगर, कोटसराय, बनवीरपुर, गोपालपुर, बिछिया, मऊ यदवंशपुर, बल्लीपुर, घाटमपुर, भिखनापुर, रायपुर, पोरा, दसौली, अमौना, बन्दीदासपुर, कादीपुर, सथरी, महावाँ आदि गांव के सामने घोर कठिनाई पैदा हो गयी है। यह गांव सदर तहसील से जो नजदीक से जुड़े थे हटाकर सोहावल तहसील में कर दिया गया।

महोदय इस निर्णय से मसौधा के लोगों को सुविधा कौन कहे, असुविधा घोर मुसीबत बढ़ गयी है। कई बार आन्दोलन किया गया, आज भी लोगों में आन्दोलन की भावना है, आक्रोश है। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है। आम जनता की समस्या है सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि तत्काल इन गावों को सदर तहसील में पुनः जोड़ा जाय, अन्यथा स्थिति बहुत ही विकराल हो जायेगी। जनता आन्दोलन कर देगी। शासन व प्रशासन का सारा काम ठप्प हो जायेगा।)

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टर्मिनल रजबहा इरादतनगर माइनर बांगरी माइनर की सफाई न होने तथा पानी न आने से हो रही किसानों की क्षति के कारण नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजयपाल सिंह -

(मान्यवर, जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टर्मिनल रजबहा इरादतनगर माइनर तथा बांगुरी माइनर रजबहों की टेल पड़ती है। विगत कई वर्षों से उक्त नहरों की सफाई न होने से टेल तक पानी पहुंचना असम्भव है। विगत सितम्बर माह में जनपद आगरा में जनप्रतिनिधियों के बैठक में मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नहरों की टेल तक सफाई कराई जायेगी तथा टेल तक पानी भी पहुंचाया जायेगा जिससे किसानों की रबी की फसल की सिंचाई हो सके। पानी पहुंचना तो दूर सफाई तक नहीं करायी गयी है। मा0 मंत्री जी द्वारा टर्मिनल रजबहा व ग्राम पीतापुरा में पुलिया का निर्माण कराये जाने का भी आश्वासन दिया था। परन्तु आज तक उसका भी निर्माण न हो सकता है। राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जायेगा जबकि वास्तविकता यह है कि किसानों द्वारा स्वयं अपनी मोटर

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पम्प लगाकर सिंचाई की जा रही है। ऐसे कई नलकूप हैं। विभाग के उच्चाधिकारी के संज्ञान में होने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वाजिदपुर गांव में नलकूप के ट्रांसफार्मर को पडैना ग्राम के लोग उठा ले गये। इसके बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना खेद का विषय है।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आगरा जनपद के अधिकांश विकास खण्ड डार्क व ग्रे घोषित हो गये हैं। सिंचाई के विद्युत कनेक्शन बन्द कर दिये जाने से नहरों व राजकीय नलकूपों पर किसान निर्भर हैं। फिर भी शासन का ध्यान नहरों व नलकूपों की ओर न दिया जाना खेद का विषय है। किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद बरेली, मण्डी समिति के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा व्यापारियों तथा किसानों के साथ किये जा रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटेलाल गंगवार-

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना नियम 301 के अन्तर्गत देने हेतु शासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद बरेली मण्डी समिति के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा थोक व्यापारियों से मिलकर मण्डी शुल्क में भयंकर घोटाला किया जा रहा है यह घोटाला घटतौली व कम मूल्य दर्शाकर किया जा रहा है केवल यही नहीं, नियम विरुद्ध मण्डी समिति में किसान गोदाम व्यापारियों को देकर अवैध किराया वसूला जा रहा है। मण्डी समिति प्रांगण के अन्दर तेल का कारखाना भी चलाया जा रहा है। नवर की सब्जी मण्डी नकटियां व फल मण्डी डेलापीर तथा जिले की मुख्य बाजारों रिठोरा, नवाबगंज, भेरपुरा व दियौचर की बाजारों में मण्डी शुल्क का घोटाला व किसानों का शोषण कर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

भारतीय संस्कृत पाठशाला सरैया, जनपद बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, ऐसे भ्रष्टाचार एवं लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में विद्यालयों में भर्ती के नाम पर धांधली हो रही है मैं

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपके ऐसे विद्यालय के तरफ ध्यान दे रहे हैं कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज, ब्लाक जहांगीरगंज, जनपद अम्बेदकर नगर के अन्तर्गत परिवार वादी विद्यालय की स्थापना है भारतीय संस्कृत विद्यालय, सरैया बलरामपुर जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों की भर्ती की जा रही है जबकि उक्त विद्यालय में छः अध्यापक किये गये हैं। उन्हीं परिवार से सम्बन्धित है सबसे हास्यास्पद यह है कि इस विद्यालय में छात्रों की पढ़ने की संख्या 20 से अधिक है ही नहीं और जो रजिस्टर पर नाम अंकित है वह फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है जबकि मौके पर देखने में एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिलते हैं और अध्यापक बैठकर अपना मौज-मस्ती लेते रहते हैं। इसकी जांच कराकर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे विद्यालयों में भ्रष्टाचार रुक सके इतना ही नहीं उच्च अधिकारी सारे नियमों को ताक पर रखकर पुनः इस विद्यालय में भर्ती हेतु जगह निकाली है तथा अधिक से अधिक धन उगाही की जा रही है। उक्त भारतीय संस्कृत पाठशाला सरैया बलरामपुर जो प्रबन्धक सचिव एवं अध्यक्ष है अपने ही अपने परिवार के लोगों को रखने की फिराक में है इसलिए आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय पर मांग करता हूं कि छात्रों की पंजिका का रजिस्टर निकलवाकर जांच की जाय और जो भर्ती निकाली गई है उसे निरस्त किया जाये तथा इस विद्यालय के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय।

जनपद-हरदोई के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, राज्य योजना जिला योजना, अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता सुधारने तथा अधूरे पड़े मार्गों को पूर्ण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अशोक बाजपेयी-

(महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिहानी जनपद-हरदोई के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य योजना, जिला योजना तथा अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु कुछ मानक निर्धारित किये गये हैं। इन सड़कों का निर्माण उन मानकों के अनुरूप न होने से निरन्तर गुणवत्ता प्रभावी हो रही है तथा घटिया स्तर के निर्माण से जनहित में चलने वाले इन मार्गों की आयु भी सीमित रह जायेगी और जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जायेगी। बार-बार अनुरोध के बाद भी इन मार्गों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं की गयी। दूसरे राज्य योजना एवं जिला योजना में पूर्व में स्वीकृत किये हुए मार्गों के निर्माण हेतु जब धन आवंटित किया गया तो लागत मूल्य बढ़ जाने के कारण स्वीकृत लम्बाई के बजाय अधूरे निर्माण कार्य कराये गये। मेरे बार-बार अनुरोध के बावजूद भी इन मार्गों का पुनरीक्षित आगणन विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया जिसके चलते करोड़ो रुपये व्यय हो जाने के उपरान्त भी यह अधूरे मार्ग जनता की आवागमन की दुरूहता को दूर करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। लाखों लोगों के दैनिक उपयोग और आवागमन की सुगमता के लिए शासन द्वारा स्वीकृत मार्ग आज अधूरे पड़े हैं।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर शासन से मांग करता हूं कि इन मार्गों की गुणवत्ता सुधारने और अधूरे पड़े हुए मार्गों को जनहित में स्वीकृत कर पूरा कराने की कृपा करें।)

जनपद-सुल्तानपुर की तहसील-मुसाफिर खाना से अस्थायी संग्रह अमीनों, चपरासियों की भर्ती में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रताप सिंह-

(मान्यवर, जनपद-सुल्तानपुर की तहसील-मुसाफिरखाना में अस्थाई संग्रह अमीनों, चपरासियों की भर्ती मांग के अनुसार समय-समय पर होती है। इस भर्ती में अभी तक न तो कोई वरीयता सूची बनी है न ही कोई नियम कानून, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी द्वारा भारी सुविधा शुल्क लेकर या अपने सगे सम्बन्धियों को रखा जाता है तथा योग्य स्थानीय मेहनतकश लोगों को मौका नहीं मिलता इसमें अधिकारी सीधे मनमानी करते हैं।

श्रीमन्, विगत 13 फरवरी की गयी सीजनल अमीनों की भर्ती में राम बहार सरोज निवासी (जौनपुर) जो कि इसी तहसील में पदेन नायब तहसीलदार जगदीशपुर जियालाल सरोज के छोटे भाई हैं। दिलीप श्रीवास्तव (सीजनल अमीन) जो कि इसी तहसील में ए0डब्लू0, वी0एन0 पर पदेन अखिलेश, श्रीवास्तव के भाई हैं। नन्द किशोर सीजनल (चपरासी) जो कि नायब इसौली के रिश्तेदार हैं। अशोक कुमार सिंह (सीजनल चपरासी) जो कि तहसीलदार घासी राम के आवास की सफाई का काम करते हैं। राजकुमार दुबे (सीजनल चपरासी) जो तहसीलदार की गाड़ी के अतिरिक्त ड्राइवर हैं जो हमेशा उन्हीं के साथ चलते हैं। शिव बहादुर यादव (सीजनल चपरासी) जो तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी की गाड़ी के अतिरिक्त ड्राइवर हैं। इनको वेतन विभाग से मिलता है और बेगारी गाड़ी पर करते हैं। जबकि इन अधिकारियों के साथ तैनात ड्राइवर ज्यादातर छुट्टी पर रहते हैं। सुदामा (सीजनल अमीन) जो कि हमेशा ए0डी0एम0 सुल्तानपुर के बंगले की बेगारी करता है। शिवबरन माली (सीजनल चपरासी) जो उप जिलाधिकारी के बंगले पर बेगारी करता है, की नियुक्ति की गयी है।

श्रीमन्, इस तरह की गई भर्ती अमीन, चपरासी न तो काम करते हैं न ही वसूली बहुत कुछ ऐसी भर्तियां भी होती हैं जिनको कोई जानता नहीं तनख्वाह फर्जी तरीके से निकाल लिया जाता है। बहुत से नौकर जो जिला के आला अफसरों के यहां कार्यरत है, को 2-4 रुपया देकर तनख्वाह पर रख दी जाती है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की तथा ऐसी नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग करता हूं।)

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-आगरा की सीवर लाइन चोक होने से चारों तरफ हो रही गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

(महोदय, आगरा में विशेषत: सीवर लाइन चोक होने से तथा उन्हें जगह-जगह नालों में पंक्चर करने से नालों के गन्दे पानी का तल बढ़ने से सीवर लाइनों में बैक-फ्लो होने से चहुओर गन्दगी, गन्ध युक्त वातावरण रहता है। पुलछिंगा मोदी के सहारे चौक पड़ी मुख्य टुक लाइन की वजह से लोहा मण्डी बाजार, नया वास, बागराम, सहाय राजामण्डी, अहीर पाड़ा, गोकुल पुरा, छपैटी आदि क्षेत्र प्रभावित हैं। चूंकि नाले सहारे जगह की कमी है के कारण सीवर जैटिंग मशीन न पहुंचने से सफाई नहीं हो पाती तथा सीवर लाइन को नाले में पंक्चर कर दिया गया है अत: जरूरत है कि जल निगम की सीवर को युद्धस्तर पर साफ कराना चाहिए। फिर इस मेन ट्रंक को ऊंचा कराकर मरम्मत करायी जाय जिससे नाले का गन्दा पानी सीवर लाइनों में वापिस न आये। मन्टोला वाली सीवर लाइन पचकुंइया से नालबन्द चौराहा एवं न्यू लाजपत कुंज से राजा मण्डी रेलवे स्टेशन होकर हरी पर्वत होती हुई खिड़की काले खाँ तक सीवर की ट्रंक लाइनों की सफाई हेतु विभाग को धन अवमुक्त करा दिया गया था परन्तु जल निगम ने अभी तक इन लाइनों की सफाई नहीं करायी है।

अत: इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें।)

ए0ई0टी प्रोडक्शन के बैनर तले "अक्स-ए-ताज" नाम से बन रही ऐतिहासिक "धारावाहिक" को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राम बाबू हरित-

(महोदय, ए0ई0टी0 प्रोडक्शन के बैनर तले "अक्स-ए-ताज" नाम के ऐतिहासिक धारावाहिक के प्रारम्भ के चार भागों की पटकथा मय संवाद तथा गाना एवं कौवाली के मुखड़े के प्रस्तुत की है। जिसमें मुगल सल्तनत के पांचवे बादशाह हजरत शहाबुद्दीन शाहजहां के जन्म 5 जनवरी, 1592 और इन्तकाल 22 जनवरी, 1666 तक उनकी उम्र के कुल 74 वर्ष 17 दिन के काल को लिया है जिसमें उनके काल की कई घटनाओं में अर्जुमन्द बानों बेगम उर्फ मुमताज महल के इंतकाल के बाद उनकी याद से बना बेमिसाल रोजा (मकबरा) है। जिसके निर्माण की दहज रूपरेखा प्रवेश द्वार, कमरे, आंगन, आजयबखाना, दालन, बाग, हौज, फव्वारे, नहर, मध्य बुर्जी, बुर्ज, बाग में नकली कब्र मसीजद, आमातखाना, भूगर्भीय विवरण चबूतरा, दो मंजिला गुलाम गर्दिश युक्त कमरे, मध्य का कमरा, जीना, झरोखे, जालियां महराबे, छत, दालान, गुम्बदें, मीनारें, फसीजें, बुर्जा, असली एवं नकली कब्रों को ताबीज आयतें, नक्काशी, पच्चीकारी, बूलबूटे, निर्माणकाल, लागत, नक्शा नवीस एवं इसके निर्माण में हाथ बटाने वाले वे हजारों गुमनाम मजदूरों की महत्वपूर्ण जानकारी को कल्पना में संजोकर धारावाहिक के माध्यम से रोजे का विशालकाय भव्य सेट बनाकर लगभग 40 भागों में वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके अलावा हजरत शहाबुद्दीन शहजहांन के कुल 74 वर्ष 17 दिन के काल में उन समकालीन हस्तियों जिनमें शहंशाह अकबर, रुकइया बेगम, महाराणा प्रताप जहांगीर, भानुमती, चांदबीबी, राणा अमर सिंह, खुसरों, मानसिंह, नूरजहां, स्वयं शाहजहां व उनकी बेगम अर्नुमन्द बानों उर्फ मुमताज महल से पैदा औलादों में जहांआरा, दारासिकोह, सुजा, औरंगजेब, मुरादरौशन आरा, तथा इशा आफन्दी, अमर सिंह राठौर एवं शिवा जी आदि के चरित्र को समायोजित किया गया है जिनके होने से किसी वाकयो का सुखद एवं दुखद और आश्चर्यजनक स्थितियों, 44 मिनट के धारावहिक में 108 तथा 23 मिनट के धारवाहिक में 152 कड़ियों में सरल उर्दू भाषा में फिल्मांकित कर आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जायेगा। 20 हजार लोगों को कम से कम 3 वर्ष तक 100 रुपये प्रति दिन रोजगार मिलेगा। इस समस्या का निराकरण करने के कष्ट करें।)

जनपद-सुल्तानपुर, नगर परिषद् में सुपर मार्केट के स्कूटर स्टैण्ड तथा बोरिंग हेतु सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंग बहादुर पटेल-

(महोदय, सुल्तानपुर नगर परिषद में सुपर मार्केट के स्कूटर स्टैण्ड तथा बोरिंग के लिए सुरक्षित भूमि जो सुपर मार्केट के लिए स्वीकृत नक्शे में हैं तथा बोरिंग में लगी 2.50 लाख की लागत की बोरिंग को एक नया नक्शा पास कराकर बोरिंग पाट कर स्कूटर स्टैण्ड तोड़ कर इस मार्केट के फाटक को बन्द कर एवं डाक्टर का कूलर जंगला तोड़कर दूकान बना दिया गया है। इस कब्जेदारों में कुछ एक ने एलाटमेंट का पैसा भी नहीं जमा किया है। यह एलाटमेंट भी नगरमहापालिका ने अवैध ढंग से किया है जिसमें एक नगरपालिका का वकील दूसरा सभासद के भाई की पत्नी अधिशासी अधिकारी का रिश्तेदार सांसद प्रतिनिधि है। इसी तरह इस परिषद में ख्वाजा मार्केट जो अत्यन्त मंहगे क्षेत्र में है पालिका के अधिकारी/कर्मचारियों की मिलीभगत में कोर्ट में पैरवी न कर जहां करोडों की भूमि से हाथ धो लिया वहीं पैसा ले लिया है इस भूमि पर आलीशान पचासों दुकानें बन गयी हैं। इस तथाकथित मुकदमें की कहीं न तो अपील की गयी न ही कोई पैरवी। इससे भी बड़े पैमाने पर यानी लगभग 2 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। इस तरह से तमाम भूमि दुकानों का औने-पौने दामों में अनधिकृत रूप से सौदा किया गया है जिसे पालिका परिषद् की अपार क्षति उठानी पड़ी है। इसी क्रम में कूड़ा उठाने की मशीन (प्रोर्टलैण्ड मशीन) की खरीद में भी भारी कमीशनबाजी हुई है। लागत वास्तविक मूल्य से ड्योढ़े दाम पर अध्यक्ष के ही सम्बन्धियों ने आपूर्ति की है। श्रीमन् इस तरह से नगर परिषद् की जहां बड़ी आर्थिक हानियां हुई हैं वहीं वहां कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के रवैये से जनता में भारी रोष एवं चिन्ता व्याप्त है।

अतः इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं तथा कार्यवाही कर ऐसे सभी सौदों को निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।)

नोटः-) (यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज जवाहर नवोदय विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार अध्यापकों के गुटबाजी के कारण व्याप्त असंतोष विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलेश कुमार सिंह-

(महोदय, जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज जवाहर नवोदय विद्यालय में दुर्व्यवस्था से छात्रों में असंतोष व्याप्त है। उक्त विद्यालय में दिनांक 10 मार्च, 99 को प्रबन्ध तंत्र से पीड़ित छात्रों ने विद्यालय परागंण में भारी मार-पीट उपद्रव किया, सैकड़ों छात्र जहां घायल हो गये, वहीं प्राचार्य, अध्यापक बुरी तरह से पीटे गये, क्षेत्र के आस-पास की पुलिस पी0ए0सी0 के पहुंचने पर स्थित पर नियंत्रण हो सका। उक्त विद्यालय आवासीय होने से खान-पान की गड़बड़ी, इस व्यवस्था में लगे अध्यापक की मनमानी से अधिकांश छात्र पीड़ित रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व यहां व्याप्त गुटबाजी के कारण छात्रों के खाने में जहर दे दिया गया था जिससे एक बड़ी दुर्घटना/हादसा होते-होते बच गया था। छात्रों के उत्पात एवं असंतोष से लगता है कि यहां भारी अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार है जिससे शैक्षिक वातावरण खराब हो गया है। अध्यापकों में गुटबाजी भ्रष्टाचार के कारण छात्रों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे इस विद्यालय के साथ ही क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में भी असंतोष पनप रहा है। अभिभावकगणों में भारी चिन्ता है, इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। विद्यालय में पी0ए0सी0 तैनात है, जिससे शिक्षण कार्य ठप है, छात्रों का विद्यालय में अघोषित अनशन जारी है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त विद्यालय में शैक्षिक वातावरण बनाये जाने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था की जांच कराये जाने की शासन से मांग करता हूं।)

नगर पालिका परिषद् सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने से हो रहीं गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

(मान्यवर, वर्तमान में नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या नगर के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त न होने के कारण पूरे नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है। गलियों एवं चौराहों पर गन्दगी के अम्बार लगे रहते हैं। नगर के चारों ओर विकसित होने वाली नई कालोनियों एवं मोहल्लों में नगर पालिका सहारनपुर की ओर से एक भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं है। पिछले लगभग दो दशकों से नगर पालिका सहारनुपर में सफाई कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि शहर की आबादी लगातार बढ़ने के कारण दबाव बढ़ रहा है। इससे स्थिति अत्यन्त ही विस्फोटक बन गयी है।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर की नाले एवं नालियां तथा सीवेज व्यवस्था चोक पड़ी है चारों तरफ गन्दगी के अम्बार हैं, जिससे स्थिति अत्यन्त विस्फोटक बन गयी है, सभी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पूरा का पूरा नगर किसी भी समय भयंकर महामारी की चपेट में आ सकता है। सारी आबादी गन्दगी रूपी बारूद के ढेर पर बैठी है, स्थिति किसी भी समय अत्यन्त विस्फोटक रूप धारण कर सकती है।

नगर पालिका परिषद् सहारनपुर से भी 250 सफाई कर्मचारियों का प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से शासन स्तर पर लम्बित पड़ा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी के ग्राम जलियामऊ (मधवापुर) एवं ग्राम भलिया के पास अनाधिकृत रूप से लगे कुलावे से हो रही किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकहित के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड काकोरी के ग्राम जलियामऊ (मधवापुर) एवं ग्राम भलिया के पुल के पास शारदा सहायक नहर खण्ड-2 की छोटी पटरी पर ग्राम नकटौरा के एिल अनाधिकृत रूप से लगे फर्जी कुलाबे से माधवपुर एवं भलिया ग्राम से किसानों के सैंकड़ो बीघा जमीन पर खड़ी फसलें बरबाद हो रही हैं। सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से विगत पांच वर्षों से उक्त अनधिकृत कुलाबे से पानी की आपूर्ति किये जाने से आस-पास के किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन परती पड़ी हुई है। विगत वर्ष उपर्युक्त कुलाबे के पास नहर की कटान हो जाने से सैकडों बीघा गेहूं की खड़ी फसल नष्ट हो गयी है। वर्तमान में खड़ी गेहूं कि फसल में पानी भर जाने से मधवापुर एवं जलियामऊ के किसान भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जुर्म के रूप में हर्जाने की नोटिसें भुक्त भोगी किसानों को भेजकर जबरन जुर्माना वसूल किया गया है। जिससे किसानों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। यदि आगामी वर्ष में तत्काल उक्त अनाधिकृत कुलाबा न हटवाया गया तो रबी की सैकडों बीघे खड़ी फसलें खेतों में नष्ट हो जायेंगी।

अतः उपरोक्त विषय पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा में पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया-

(महोदय, आपके माध्यम से लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मथुरा जनपद में पुलिस द्वारा जानबुझकर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस अ0सं0 की विवेचना कर आरोप पत्र लगाना है, उसमें लगाते हैं अन्यथा अन्तिम रिपोर्ट लगाकर उसे समाप्त कर दिया जाता है, उस पर पर्दा डाला जाता है तथा शासन को रिपोर्ट भ्रमित कर भेजी जाती है, उदाहरण के लिए मु0आ0 123/98 धारा 392, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 थाना सदर बाजार में चूकि इस बाद में पुलिस कर्मी अपराधियों के साथ सह अभियुक्त थे, मु0अ0स0 303/98 धारा 147, 323, 352, 504, 506 आई0पी0सी0 तथा 3(1)(10) एस0सी0, एस0टी0 एक्ट थानाा कोसीकलां के मुल्जिमान प्रभावशाली तथा मंत्री के साथ रहने के कारण सत्यता को नहीं आने दिया। मु0अ0स0 195/98 धारा-363, 364 आई0पी0सी0 थाना गोविन्दनगर के सभी मुल्जिमानों को स्वयं पुलिस द्वारा संरक्षण देना तथा मात्र एक मुल्जिम मात्र आरिफ की 82 की कार्यवाही करना तथा हिन्दू लड़की की बरामदगी न करना तथा मुल्जिम असामाजिक तत्वों को संरक्षण देना, शेष के विरुद्ध कार्यवाही न करना चिन्ता का विषय है। मु0अ0स0 473/96 धारा 323, 504, 506 आई0पी0सी0 तथा 3(6)(8)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना वृंदावन में मुल्जिम को धन लेकर 14-12-96को ही अन्तिम रिपोर्ट लगाना, अगंन लाल कोरी पुत्र सामन्ताराम निवासी बामाड खाना मटिया गेट थाना गोविन्दनगर के साथ घटना-घटित हो जाने पर 1-2-99 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा एवं नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा मुकदमा कायमी के आदेश दिये जाने तथा वहां पर अल्प संख्यक रूप में रह रहे विभिन्न अनुसूचित एवं पिछडों की सुरक्षा न किये जाने के कारण वहां से हो रहें निरन्तर पलायन को रोकने के लिए थाना गोविन्दनगर एवं थाना कोतवाली की भरतपुर गेट चौकी के द्वारा भरतपुर गेट से डीग गेट के सम्पूर्ण क्षेत्र में तथा असामाजिक तत्वों के बढ़े हौंसले, डकैती, हत्या, राहजनी के साथ बहिन-बेटियों का निकलना दूभर हो गया है, जुआ, सट्टा तथा छेडछाड़ की घटनाओं में वृद्धि तथा अपराधी को पंजीकृत न करना आक्रोश को भड़काने के साथ इस प्रकार की स्थिति खड़ी कर दी है कभी भी साम्प्रदायिक दंगा हो सकता है जिसमें दिनांक 17-4-98 की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी जो कि शासन पर कलंक होगा जिसमें कोरी समाज के लोगों को जिन्दा जलाने के साथ लूटा गया आदि-आदि तथ्य हैं, यही नहीं राजस्थान के लोग अपने मथुरा में अपराध करके चले जाते हैं, भरतपुर जिले के थाना-कामा के अन्तर्गत रामनगरी के शातिर बदमाश ईखू आदि गोवर्धन-मथुरा, फरह वरसाना, छाता, आदि से ट्रैक्टर वाहनों को लूट कर जबरन दिन दहाड़े खेतों से ले जाते हैं तथा फिरौती देकर वापसी होना, थाना राया के अन्तर्गत हरियागढ़ी में सामूहिक बलात्कार की घटना तब ही हुई जब पहली घटना पर पुलिस मुक दर्शक हुई। इसी

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकार थाना-छाता के नगला बजांरा के डेरा पर सामूहिक लूट एवं बलात्कार कलंकित करती है।

अतः आपके माध्यम से लोकहित के महत्वूपर्ण तथ्यों पर शासन तत्काल कार्यवाही करके दोषियों को दण्डित करके जनता को राहत दिलाये।)

यू0पी0जी0 छात्र आयुर्वेद एवं यूनानी छात्रों के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(मान्यवर, पी0जी0 छात्र से कम वेतन पाने वाले आयुर्वेद एवं यूनानी कालेज के शिक्षक कुंठा के शिकार हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के इन चिकित्सकों के साथ दोयम दर्जे के शिक्षकों के समान बर्ताव हो रहा है।

शिक्षक सेवा नियमावली, 1990 में 508 पद प्रोन्नति से भरे जाने का नियम है, पिछले 7-8 वर्ष से डी0पी0सी0 नहीं हुई।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के बावजूद डिमांस्ट्रेटर को प्रवक्ता पदनाम नहीं दिया गया, वेतनमान भी नहीं दिया।

दिसम्बर, 97 का मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार ने समान कार्य का समान वेतन का निर्णय भी लागू नहीं किया जा रहा है। विसंगति ज्यों की त्यों है।

प्रदेश में इन कालेजों के पदों को 1-1-86 से शासन ने केन्द्र के समान पद धारकों के बराबर वेतनमान देना तय किया था, वेतन समता समिति ने भी यह प्रकरण नीतिगत बताते हुए शासन के सुपुर्द कर दिया था।

15 मार्च, 1991 को यू0जी0सी0 के बराबर वेतनमान देने की संस्तुति चिकित्सा शिक्षा विभाग ने की थी। 20 जनवरी, 1997 को श्री राज्यपाल की सलाहकार समिति ने भी यही संस्तुति की थी।

प्रकरण मुख्य सचिव की अध्यक्षता की समिति में लम्बित है, निस्तारण होकर यू0जी0सी0 वेतनमान मिलना चाहिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल वेतनमान दिये जाने की मांग करता हूं।)

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामों के ग्राम दुलापुर, गोरियाबाद उमराडीह के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों के पदोन्नति के बाद स्थानान्तरण के कारण छात्रों के समक्ष उत्पन्न स्थिति के कारण नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नेतराम सिंह -

(महोदय, जनपद सुल्तानपुर में ब्लाक जामों के ग्राम-दुलापुर, गोरियाबाद उमराडीह के प्राइमरी पाठशाला के सम्बन्धित अध्यापकों को पदोन्नति पर दूसरे विद्यालय भेज दिया गया है तथा दूसरे किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। सम्भवतः कागज पर समायोजित कर कुछ अध्यापकों को इससे सम्बद्ध किया गया है परन्तु विद्यालय में अब तक कोई अध्यापक नहीं पहुंचा है। फलस्वरूप एक माह से ताला बन्द है। क्षेत्र में अन्य विद्यालय भी ऐसे हैं जिनमें सम्भवतः अध्यापक न होने से बन्द हैं या तो एक अध्यापक होने से बन्द की श्रेणी में हैं। ऐसी स्थिति में जहां छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है वहीं इससे जनमानस में काफी असंतोष है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।)

चित्रकूट मण्डल व झांसी मण्डल के जिलों के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण केन्द्र चरखारी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लेखपालों को प्रशिक्षित लेखपाल न मानने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल-

(महोदय, चित्रकूट मण्डल व झांसी मण्डल के जिलों के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण केन्द्र चरखारी में विगत 16 माह से लेखपाल पद का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जबकि लेखपाल पदों के प्रशिक्षण का समय 10 माह से अधिक का नहीं है, इन प्रशिक्षणार्थियों में चैनमैन पद के तथा मृतक कर्मचारियों के चयनित आश्रित लोग हैं। अधिक समय हो जाने पर भी इनकी परीक्षाओं की तिथि निर्धारित नहीं की जा रही है और न ही इनको प्रशिक्षित लेखपाल माना जा रहा है।

अतः उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करने व उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।)

राम कुमार मेमोरियल इण्टर कालेज हरदोई में खुली नकल कराकर पास कराने तथा मोटी रकम लेने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह एवं श्री अशोक कुमार सिंह-

(महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की सूचना लाना चाहता हूं।

प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए नकल विहीन परीक्षा कराया जाना शासन का संकल्प है, किन्तु सरकार की नीतियों का खुला मजाक विभागीय अधिकारी एवं कारकुन तथा केन्द्र व्यवस्थापक की तिकड़ी उडा रही है। इस हेतु बने सभी मानकों एक निर्धारित प्रक्रिया के सम्बन्ध में गलत एवं भ्रामक तथ्यों से उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराकर कैसे-कैसे गुल यह तिकड़ी खिला रही है इसके उदाहरण हरदोई में एक नहीं अनेकों हैं किन्तु तहसील शाहाबाद मुख्यालय पर संचालित संस्था "राम कुमार मेमोरियल इण्टर कालेज" इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण है। इस संस्था जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, में नियमित अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्था से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में फार्म भराकर इसी संस्था जो कि परीक्षा केन्द्र है पर स्वकेन्द्र परीक्षा की भांति नकल कराने तथा अभिभावकों से मोटी रकम ऐंठकर उत्तीर्ण कराने की गारन्टी के साथ परीक्षा दिलायी जा रही है। प्रधानाचार्य द्वारा डी0आई0ओ0एस0 तथा वरिष्ठ लिपिक से सांठगांठ करके शासन को भ्रामक तथ्यों से अवगत कराकर विद्यालय को परीक्षा केन्द्र तथा स्वयं को केन्द्र व्यवस्थापक बनवाया गया है।

शासन की नीति है कि जिस विद्यालय में छात्र अध्ययन करता है बोर्ड की परीक्षा वह उस केन्द्र से नहीं दे सकता है किन्तु उक्त संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के संस्थागत छात्रों को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लम्बी वसूली कर स्वकेन्द्र परीक्षा का लाभ लिया जा रहा है। संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही मनमानी तथा घोर भ्रष्टाचार ठेके पर नकल कराने विषयक जानकारी विभागीय उच्च अधिकारियों, शासन एवं जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र के माध्यम से लगातार दी जा रही है तथा समाचार पत्रों में भी हफ्तों से इसकी सुर्खियों में किन्तु अभी तक उक्त प्रधानाचार्य को केन्द्र व्यवस्थापक पद से हटाये जाने तथा सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषीजनों को दण्डित कराने की दिशा में कोई कदम शासन द्वारा नहीं उठाया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानाचार्य को केन्द्र व्यवस्थापक पद से तत्काल हटाकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने हेतु शासन को निर्देशित कराने की कृपा करें।)

जनपद सुल्तानपुर पारकोन्सगंज के गन्दा नाला रोड़ स्थित नीलांचल स्टूडियों में अश्लील फोटो खींचने ब्लू फिल्म बनाने की शिकायत विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह -

(महोदय, गत 15 फरवरी की रात्रि में जनपद सुल्तानपुर के पारकोन्सगंज के गंदा नाला रोड स्थित "नीलांचल स्टूडियों" के मालिक इसरार हुसैन द्वारा जनपद

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतापगढ़ को गजाला परवीन नामक युवती से फर्जी विवाह कर ब्लैकमेल करके स्टूडियों के अन्दर बन्द करके अश्लील चित्र खींचे जा रहे थे। क्षेत्रीय नागरिकों नें इसकी जानकारी थाना कोतवाली को दी परन्तु पुलिस वहां नहीं गयी तब क्षेत्रीय नागरिकों ने स्वयं जाकर स्टूडियों को रात में घेर लिया तथा प्रशासन से कार्यवाही की मांग करने लगे तब पुलिस ने स्टूडियों का शटर तोड़कर उसमें से उक्त युवती व अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, तलाशी में दो ब्लू फिल्म के कैसेट भी मिले, परन्तु स्टूडियों मालिक फरार हो गया है। पुलिस ने धारा-323, 147, 504, 506 भा0द0वि0 का मुकदमा दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में इसी स्टूडियों के मालिक ने वाराणसी के एक मजिस्ट्रेट की बहू के अश्लील चित्र खींच कर ब्लैकमेल किया था जिसके कारण उस युवती ने आत्महत्या कर ली थी जिसका मु0अ0सं0-1295/95 धारा-375, 376 वाराणसी में दर्ज हुआ, बनारस पुलिस ने यहां छापा मारकर स्टूडियो मालिक को ब्लू फिल्म के कुछ कैसेटों के साथ गिरफ्तार किया और कोतवाली में धारा 307, 304, 323, 326 का मुकदमा कायम किया।

श्रीमन्, उक्त स्टूडियों का मालिक फरार है तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग करने वाले समाज सेवियों को जानमाल की धमकी दी जा रही है। इस सम्बन्ध में समाज सेवी श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य पर तीन बार प्राणघातक हमला किया गया जिसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में दर्ज है। एक बार अपराधियों को पकड़े जाने के बावजूद पुनः उसी स्थान पर घृणित कारोबार चलने से स्थानीय पुलिस की संदिग्धता स्पष्ट परिलक्षित होती है।

श्रीमन्, ऐसे ही इन अपराधियों द्वारा शहर की शांति व्यवस्था भंग करने की नीयत से मंदिर में गोमांस फेंका गया जिसका मु0नं0-557/96 कोतवाली में दर्ज हैं जिसमें पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने से अपराधियों का हौसला बुलन्द है। ऐसे ही इन अपराधियों के विरुद्ध बहुत से अपराध दर्ज हैं। इससे क्षेत्र में स्कूल जाने वाली लड़कियां भयभीत हैं, क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से दोषी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करने, समाज सेवियों की सुरक्षा व्यवस्था करने तथा इस बात की जांच करने कि किसकी सहायता/लापरवाही से उसी स्थान पर दुबारा यह अपराधी इस घृणित कार्य को अंजाम देने में सफल रहे, की मांग करता हूं।

स्वामी विवेकानन्द बाल-विकास एवं शोध संस्थान विनय खण्ड-2 गोमती नगर में आवंटित भूखण्ड में की गई धांधली एवं अनियमितता विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्यभान सिंह -

महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शिक्षण संस्थाओं को आवंटित भूखण्डों के मामलों में विज्ञापित नियमानुसार किश्तों का निर्धारण आवंटन-तिथि से होना था, किन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार व पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कुछ प्रभावशाली व पैसे वाले चुनिन्द्रे आवंटियों के मामलों में उक्त नियम में गुप्त ढंग से एकतरफा संशोधन करके जहां एक ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण को लाखों रुपयों का चूना लगाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया गया, वहीं अन्य बिना पहुंच और बिना पैसे वालों से मनमानी ढंग से बकाया राशि की गणना करके वसूली की कार्यवाही की गयी। उदाहरणार्थ, कानपुर रोड स्थित सिटी मान्टेसरी स्कूल द्वारा भूखण्ड-आवंटन-तिथि से सात-आठ वर्षों तक एक भी रुपये किश्तों के मद में न जमा करने पर भी उनके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि एक अन्य समान मामले में स्वामी विवेकानन्द बाल विकास एवं शोध संस्थान को विनय खण्ड-2 गोमतीनगर में आवंटित भूखण्ड के मामले में आवंटन तिथि से ही किश्तों की गणना जारी रखते हुए बकाया वसूली के लिए आर0सी0 जारी कराकर आवंटी संस्थान के महामंत्री को हवालात में बन्द करा दिया गया। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थागनादेश की भी अवमानना करते हुए वसूली की कार्यवाही जारी रखी गयी।

माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री द्वारा निर्गत कब्जे की तिथि से किश्तों को अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी दिनांक 03-05-1997 के आदेश को भी रद्दी टोकरी में डाल दिया गया। काफी जद्दोजेहद के बाद दिनांक 22-09-1998 को विकास प्राधिकरण ने अनुबन्ध की तिथी 12-12-1998 से किश्तों के निर्धारण का प्रस्ताव इस अन्यायपूर्ण शर्त पर रखा कि आवंटी संस्थान माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद को वापस ले लें। श्रीमन् किसी प्रकार का सुविधाशुल्क दे पाने में असमर्थ उक्त आवंटी संस्थान को परेशान करने की गरज से अनुबन्ध हस्ताक्षर के बीस महीने तक भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया गया जबकि इसी अवधि में अनाप-शनाप ब्याज लगाकर बकाया राशि में लाखों रुपयों की वृद्धि कर दी गयी। यद्यपि विकास प्राधिकरण की सम्बन्धित फाइल की आख्याओं में इस आसाधारण विलम्ब के लिए आवंटी संस्थान को दोषी नहीं ठहराया गया है, तथापि बल्केसेल विभाग के प्रभारी श्री के0बी0 सक्सेना जिद्दवश माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री के उपयुक्त आदेश, जिसमें किश्तों का निर्धारण कब्जे की तिथि से किये जाने का स्पष्ट आदेश था, को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। श्रीमन् आवंटियों द्वारा जमा किश्तों की राशि की

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रसीदें न जारी करके भी लाखों रुपयों की धांधली की गयी है। उदाहरणार्थ, उक्त स्वामी विवेकानन्द बाल विकास एवं शोध संस्थान द्वारा अब तक रूपया 6, 12, 116, 80 जमा किया गया है जबकि विकास प्राधिकरण के अनुसार मात्र रुपया 5,11,890·00 ही जमा दिखाया गया है। इस प्रकार 1,00,226·80 का घपला किया गया है।

श्रीमन् यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सम्बोधित उपर्युक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी गोपनीय पत्रों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और आवंटी संस्था अन्याय व भ्रष्टाचार का शिकार बन रहा है।

श्रीमन् उपर्युक्त उदाहरण तो मात्र नमूने के लिए है। यदि उच्च स्तरीय जांच करायी जाय तो अन्य तमाम मामले भी प्रकाश में आयेंगे। अतः श्रीमन् इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए किसी उच्च स्तरीय अधिवक्ता द्वारा उक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराये जाने की मैं मांग करता हूं।)

जनपद रायबरेली के गन्ना क्रय केन्द्र भोजपुर पर गन्ना किसानों का गन्ना, गन्ना तोल बाबू द्वारा कम तोलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम रतन यादव-

(महोदय, जनपद रायबरेली के गन्ना क्रय केन्द्र भोजपुर पर गन्ना काश्तकारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना किसानों से क्रय केन्द्र पर ट्रक में गन्ना लदवाया जा रहा है तथा गन्ना तौल बाबू द्वारा भारी मात्रा में घटतौली का कार्य किया जा रहा है। किसानों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मजबूर होकर किसानों को इस आर्थिक हानि को सहन करना पड़ रहा है। इससे किसानों में काफी असंतोष है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इसी गांव का होने के कारण लिपिक का आतंक व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से उक्त क्रय केन्द्र की शासन स्तर से गोपनीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं।)

जनपद सीतापुर के मोहल्ला-सन्तनगर कस्बा सिधौली में नवीन विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश-

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मोहल्ला सन्तनगर, कस्बा-सिधौली, जनपद सीतापुर में नवीन विद्युतीकरण के विषय की ओर सदन में विचारार्थ लाना चाहता हूं।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमान् जी विगत वर्ष 1998 में मोहल्ला सन्तनगर, कस्बा-सिधौली जनपद सीतापुर में नवीन विद्युतीकरण हेतु निशान लगाये गये थे किन्तु उनका अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया। वहां के लिए क्या माननीय विद्युत मंत्री उक्त नवीनीकरण विद्युतीकरण हेतु विचार किया जायेगा। क्या शासन की नीतियों के तहत ग्रामों में विद्युत प्रसार हेतु शासन विद्युतीकरण करेगी।

अस्तु माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना है कि कृपया उक्त विद्युतीकरण हेतु तत्काल त्वरित कार्यवाही करवाने की कृपा की जायें।)

विद्युत कर की दर में आकस्मिक वृद्धि के कारण प्रदेश के छोटे-छोटे उद्यमियों में भारी असन्तोष विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्यारे सिंह-

(मान्यवर, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक स्थित पहले से ही अच्छी नहीं है। इधर राज्य सरकार द्वारा विद्युत कर की दरों में आकस्मिक वृद्धि के करण छोटे- छोटे व्यापारियों में भय उत्पन्न हो गया है तथा उनका मानना है कि इस बढ़ोत्तरी से हमारे उद्योग धन्धे दम तोड़ देंगे जिससे जहां प्रदेश का विकास रुकेगा वहीं बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगें इससे प्रदेश के छोटे-छोटे उद्यमियों में भारी असन्तोष व्याप्त है।

अतः सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के निश्चित विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें।)

जनपद गोण्डा के नगर परिषद् में उपाध्यक्ष पद के चुनाव कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री राम पाल सिंह-

(मान्यवर, जनपद गोण्डा के नगर परिषद् गोण्डा में उपाध्यक्ष पर हेतु दिनांक 7-1-99 व दिनांक 15-3-99 को तिथि निर्धारित की गयी थी। शासन की यह स्पष्ट नीति और निर्देश थे कि उपाध्यक्षों के चुनाव प्रदेश स्तर पर नियम तिथियों पर शीघ्र करा दिये जायें परन्तु शासन के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी वहां चुनाव नहीं कराया जा रहा है। जबकि इस सम्बन्ध में गोण्डा नगर परिषद् के अधिकांश सभासदों ने लिखित रूप से जिलाधिकारी को उपाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु ज्ञापन दिया परन्तु इसके बावजूद अब तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी और शासनादेशों की अवहेलना नगर परिषद् अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा जानबूझकर चुनाव को टालने का प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण अधिकांश सभासदों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि सभासदों के मौलिक अधिकारों का हनन नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है जो प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है।

नोट :- ( ) यह अंश पढा हुआ माना गया।

अतएव जनहित में व प्रजातांत्रिक प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय में आपका ध्यान गोण्डा नगर परिषद् के उपाध्यक्ष पद पर चुनाव कराने हेतु ध्यान आकर्षित कराते हुए मांग करता हूं कि जनहित में जिला अधिकारी गोण्डा को तत्काल चुनाव कराने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है।)

प्रदेश में एस0एन0 मेडिकल कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट के विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशो मेहरा-

(मान्यवर, शासनादेश द्वारा उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कालेजों को स्वायत्तशासी बनाने के रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के आदेश हुये। शासन ने इस मेडिकल कालेजों को मोडल बाईलाज बनाकर भेजे, इस बाईलाज के अनुसार सोसाइटी में पंजीकृत किया जाना था।

एस0एन0 मेडिकल कालेज के कार्यवाहक प्राचार्य श्री साहू ने सोसाइटीज आफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत कराते समय शीर्षक एथिक्स कमेटी के बिन्दु-4, हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट के स्थान पर "वन फार्मोकोलोजिस्ट" शब्द व्यक्ति विशेष को नियुक्त करने के लिये लिख दिया।

श्री साहू को यह परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था, यही नहीं 25 जनवरी, 1999 को तथा कथित घटना बताकर एक फरवरी, 99 को दो डाक्टर पचौरी तथा पी0के0 सिंह, जिन्हें स्वयं उन्होंने छुट्टी स्वीकृत की थी, आगरा में उपस्थित बताकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने को लिखा। इससे बहुत तनाव है।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।)

जनपद फतेहपुर में जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जवाहर रोजगार स्वच्छता योजना द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु प्राप्त धन में की गई हेरा-फेरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

(महोदय, आपके माध्यम से सदन के सज्ञान में लाना है कि जनपद फतेहपुर में जिला पंचायतराज अधिकारी ने जवाहर रोजगार स्वच्छता योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्राप्त धनराशि का लगभग 5 लाख रुपया जिसमें कुछ प्रचार-प्रसार सामग्री इलाहाबाद से छपवाकर नाममात्र का प्रचार प्रसार का कार्य कराया गया जिसमें भारी धनराशि का गबन कर लिया गया है। यह छपाई का कार्य इलाहाबाद से कराया गया और फर्जी भुगतान पंचायत उद्योग तिलयानी फतेहपुर से बाऊचर बनवाकर किया गया इस कार्य में

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुछ बोर्ड पंचायत उद्योग ऐराया के माध्यम से बाजार भाव से अधिक धनराशि का भुगतान कर तैयार कराये गये हैं सरकार से प्राप्त धनराशि का दुरूपयोग कर लाखों रुपयों की उक्त अधिकारी द्वारा हेरा-फेरी की गयी है। उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर कार्यवाही नहीं की गयी तो जनता आन्दोलित हो सकती है।

अतः आपके माध्यम से इस अत्यन्त लोकमहत्व के विषय पर चर्चा कराने की मांग की जाती है।)

प्रतापगढ़ लखनऊ मार्ग पर विक्रमपुर ग्राम-सभा के मुख्य मार्ग पर पुल को बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रनाथ सिंह-

(महोदय, इस वर्ष भीषण वर्षा से प्रतापगढ़ से लखनऊ मार्ग पर विक्रमपुर ग्रामसभा के मुख्य मार्ग पर बना पुल पूरी तरह बह गया जिसके कारण लगभग 20 गांव के लोग तथा अन्य दूरस्थ जाने वाले व्यक्ति का आवागमन रूका है इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त पुल को अतिशीघ्र बनवाने हेतु माननीय लोकनिर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।)

मृतक श्री शशी भूषण सिंह नायब तहसीलदार महोबा के आश्रितों को देयों के भुगतान में हो रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद-

(महोदय, राजस्व परिषद् उ0प्र0 के अनुभाग-3 में, जहां से उ0प्र0 के विभागीय कर्मचारियों को मरणोपरान्त उनके आश्रितों को अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहां पर भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी का बोलबाला है। अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने के बदले में प्रत्येक व्यक्ति से नियमित धनराशि की मांग की जाती है, जो व्यक्ति धन नहीं देता उसको आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाती, ऐसा ही एक प्रकरण श्री शशिभूषण सिंह, नायब तहसीलदार महोबा के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। जिलाधिकारी महोबा ने पत्रांक 514/राज0सहा0/15पी0एफ0 (95-96) दिनांक 22-1-97 के माध्यम से प्रबल संस्तुति की है कि मृतक श्री शशि भूषण सिंह नायब तहसीलदार महोबा के आश्रित गीता देवी पत्नी स्व0 शषि भूषण सिंह निवासी ग्राम रैपुरा जिला-चित्रकूट को अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने की सिफारिश।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परन्तु अभी तक उनको आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गयी, सम्बन्धित कर्मचारी ने श्रीमती गीता देवी से धन देने की मांग की और भी अनेकों कर्मचारियों का बकाया देय तथा अन्य भुगतान बकाया पड़ा है बाद में माननीय न्यायालय के आदेशों से ब्याज सहित विभाग को भुगतान करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जांच कराने की कृपा करें।)

पशुपालन विभाग उ0प्र0 में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों मे अवैध वसूली शोषण करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार-

(महोदय, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तमाम सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सेवा निवृत्त कर्मचारियों से जगह-जगह पर अवैध धन की मांग की जाती है। जो धन नहीं देता उसके अवशेष देयों की पत्रावली रोक दी जाती है। फलस्वरूप तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी माननीय न्यायालय की शरण में जाते हैं, मा0 न्यायालय से उन्हें न्याय मिलता है और विभाग को ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है। विभाग को 12 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रकरण श्री राजाराम जाटव सेवा निवृत्त पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग बांदा का निम्न अवशेष देय का भुगतान लम्बित है :- (1) 1984 से सेलेक्शन ग्रेड एरियर (2) 10/88 से 4/89 तक ड्यूटी वेतन (3) 1991 से प्रोन्नति वेतनमान व इसका इंक्रीमेंट (4) 199 दिन का नकदीकरण की अवशेष धनराशि (5) वर्ष 1986 से किये गये नकदीकरण की अवशेष धनराशि (6) पेंशन, राशिकरण जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, बीमा राशि (7) 1986 से बोनस की बकाया धनराशि आदि। मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा डा0 चन्द्रमोहन अपने स्तर पर पत्रावली रोके हैं तथा डा0 राजाराम जाटव से धन की मांग करता है।

अतः अनुरोध है कि लोकमहत्व के इस विषय पर जांच कराने तथा सभी सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बकाया देयों का भुगतान हेतु शासन का ध्यानाकर्षक कराने की कृपा करें।)

औद्योगिक नगरी जनपद फतेहपुर तहसील मुख्यालय विन्दकी में विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण बन्द इकाइयों की वजह से मजदूरों व मालिकों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सर्वेश कुमार-

(महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोकहित की सूचना लाना चाहता हूं।

नोटः- ( ) अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फतेहपुर का तहसील मुख्यालय विंदकी है जो कि एक औद्योगिक नगरी है। इसमे चलने वाले उद्योगों/मिलों से हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी चलती है। समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से तथा अधिकारियों द्वारा ट्रान्सफारमरों तथा लाइनों का सही रखरखाव न किये जाने के कारण कोढ में खाज की स्थिति हो रही है। इसके साथ ही बिजली के अभाव में उद्योगपतियों ने कारखानों की शिफ्टिंग भी शुरू कर दी है जिससे मजदूरों एवं किसानों तथा बोर्ड की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों में ऊर्जा विभाग के प्रति भयंकर आक्रोश है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया बिंदकी शहर की विद्युत आपूर्ति समुचित व्यवस्था हेतु स्थानीय अधिकारियों के साथ ही उच्च अधिकारियों को भी निर्देशित करने तथा लापरवाह अधिकारियों को दण्डित करने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।)

जनपद सीतापुर तहसील व थाना लहरपुर में फायर सर्विस स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

(महोदय, जनपद सीतापुर तहसील व थाना लहरपुर में फायर सर्विस स्टेशन पुराने थाने के पास ग्रामसभा लक्षननगर की भूमि अधिग्रहण पर बनना प्रस्तावित है इसके लिये कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियां भी हो चुकी है और 15 कर्मचारी अग्निशमन केन्द्र हेतु स्वीकृत भी हो चुके हैं। तहसील-लहरपुर में प्रतिवर्ष करोंड़ो रुपये का नुकसान आगजनी से होता है और सीतापुर हेड क्वाटर को सूचना देने पर जब आग बुझाने वाली गाड़ी आने में काफी समय लगता है आते-जाते पूरे-पूरे गांव जल जाते हैं। अतः शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।)

जिला मैनपुरी के क्षेत्र घिरौर के गांवों में पेयजल समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती उर्मिला यादव-

(महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने क्षेत्र घिरौर के अधिकांश ग्रामों में व्याप्त पेयजल संकट की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में मांग के अनुरूप इण्डिया मार्का-2 हैन्ड पम्प की अति आवश्यकता है। जो हैन्ड पम्प लगाये गये है ज्यादातर खराब पड़े है, पानी नहीं आता है। पता नहीं कैसी बोरिंग कराई जा रही है। कम से कम दो हजार हैन्ड पम्प लगाने चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले न

नोट :- (.) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के बराबर बहुत कम हैन्ड पम्प लगाये गये हैं। जैसे बादशाहपुर, रतवा कंजाहर, न0छेडी, न0सम, न0उदी, न0अनू, दलीपुर, न0आधरा, ज्योती, न0धनुआ, न0डाडा, आदि ऐसे गांव है जो भीषण जल संकट से व्याप्त है। जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण कर ग्रामों के संतृप्त करने हेतु जो मानक निर्धारित किये गये है उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि उपरोक्त ग्रामों को पेयजल की समस्या को देकर समाधान करें।)

निर्वाचन क्षेत्र-मेजा, विकास खण्ड कोरांव गुरमा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामकृपाल-

(मान्यवर, निर्वाचन क्षेत्र-मेजा, विकासखण्ड कोरांव जो कि बडोखर से हंडिया मध्य प्रदेश की सीमा जनपद-रीवा को जोड़ता है। जिसके बीच में एक गुरमा नदी है। जिसमें पुल न होने के कारण 50 सौं गांव प्रभावित होते हैं। आये दिन नदी में दो-चार लोगों की जाने चली जाती है। यहां तक कि गर्भवती महिलायें व बीमार व्यक्ति बरसात के दिनों में दवा के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इसलिए गुरमा नदी पर जो उ0प्र0 और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। ऐसी स्थिति में अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर विधानसभा की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। तथा इसका इस्टीमेट मंगवाकर पुल के निर्माण कराये जाने की कृपा करें।)

जिला टिहरी गढ़वाल में टिपरी पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखीराम जोशी-

(महोदय, जिला टिपरी गढ़वाल में टिपरी पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण पिछले चार वर्षों से किया जा रहा है, योजना का आधा कार्य हो गया है। लेकिन कार्य पूर्ण करने हेतु प्रयास नहीं किया जा रहा है। टिहरी जल विकास निगम द्वारा योजना की आधी लागत का रुपया दिया जाना था। उसके अधिकारी जानबूझकर टालमटोल कर रहें हैं जबकि सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल अभाव से भारी त्राहि मची है, योजना का अवशेष निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने हेतु टी0एच0डी0सी0 से अपेक्षित धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में वांछित धन अवमुक्त कर शीघ्र योजना निर्माण कराने के निर्देश करने की कृपा करें।)

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खण्ड 23 के ठेकमा राजबहा हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 25 वर्ष बाद भी न मिलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजग-

महोदय आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक 23 के छेकमा राजबहा की खुदाई

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए करीब 25 वर्ष से ज्यादा हो गये । परन्तु आज तक ग्राम सादीपुर, रसूलपुर, बजबहादु (ब्लाक-ठेकमा) रस्तीपुर (ब्लाक-तरवा) अमुवारी माइनर को खुदाई के बाद गोपालपुर, घटिया, अमारी, घिनहापुर आदि गांवों (ब्लाक-मेहनगर) के किसानों को उनके जमीनों का मुआवजा नहीं मिला । कम्हरिया माइनर की खुदाई के बाद खजुरा विछिया के किसानों को मुआवजा नहीं मिला । उक्त गांवों के किसान लगातार आन्दोलन कर रहें है । उक्त गांवों के किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा न मिलने से भारी असंतोष व्याप्त है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं ताकि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा मिल सके ।

लखनऊ इन्दिरा नगर में पेयजल समस्या के संकट को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्दराम-

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति लोकमहत्व की सूचना लाना चाहता हूं । लखनऊ महानगर को पीने के पानी की तो व्यापक समस्या है ही किन्तु इन्दिरानगर की ए ब्लाक की बस्ती तो भयंकर रूप से पीड़ित है । यहां पर जोन-5 का नलकूप कन्वेंशन सेंटर के पास है जिससे नियमित जलापूर्ति न होने तथा प्रेशर कम होने के कारण जनसमान्य में त्राहि-त्राहि मची है । लगातार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित करने तथा प्रार्थना करने के बावजूद समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है । आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृपया समुचित जलापूर्ति की व्यवस्था निश्चित किये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।

आत्म सुरक्षार्थ शस्त्र लाइसेन्स लेने वाले व्यक्तियों को तत्काल लाइसेन्स देने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर में आत्म सुरक्षार्थ नये शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने में जनता को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा खुले रूप से आम जनता शोषण का शिकार हो रही है । नये शस्त्र लाइसेन्सिंग प्रक्रिया काफी जटिल है, थाना-तहसील एवं जंगल विभाग से शस्त्र प्रार्थना पत्रों पर संस्तुति कराने हेतु आम जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए जनहित में यह मांग करता हूं कि नये शस्त्र लाइसेन्सिंग प्रक्रिया को सरल करते हुए नये आत्म सुरक्षार्थ शस्त्र लाइसेन्स लेने वाले व्यक्तियों को आगे में कैम्प लगाकर तत्काल उन्हें शस्त्र लाइसेन्स जारी किये जाने की मांग करता हूं ।

[illegible] गया ।

विधायक निधि सम्बन्धी शासनादेश प्रत्येक जनपदों में भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि विधायक निधि का पैसा लैप्स नहीं होगा और शासनादेश भेजा जा रहा है लेकिन जिलों में शासनादेश पंहुचा नहीं है और आज 24 मार्च हो गया है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, शासनादेश हो गया है और जिलों को भेजा जा चुका है। उसकी प्रति मंगाकर मैं 5 मिनट में पढ़े दे रहा हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरी एक सूचना 31। की थी सरकार एक अप्रैल, 99 से व्यापार कर चौकियों को समाप्त करने जा रही है इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 31। की सूचनायें नहीं ले रहा हूं। इसके लिये सम्मति नहीं दे रहा हूं, इसकी अनुमति नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए विधान मण्डल में प्रस्तुत आय-व्ययक में संशोधन (शुद्धिपत्र) जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उनमें पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार एवं श्री जगदम्बिका पाल, श्री समर पाल सिंह की है। जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने संशोधन पत्र प्रस्तुत किया था तो उस समय किसी माननीय सदस्य ने आपत्ति नहीं की थी। नियम 300 में सूचना समय से देनी चाहिये। इसी विषय पर माननीय शाक्य जी की भी सूचना है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस पर 2 मिनट की अनुमति दे दें आप स्वयं महसूस करेंगे कि पहली बार ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हुयी हैं उत्तर प्रदेश में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसके अन्तर्गत बजट के लिये महामहिम राज्यपाल तिथि और समय निर्धारित करते हैं और सरकार बजट प्रस्तुत करती है।

मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 202 देख लें। वार्षिक वित्तीय विवरण-(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान-मण्डल के सदन या

सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अनुच्छेद 202 पढ़ रहा हूं। मान्यवर, वार्षिक वित्तीय विवरण दो चीजों से बनेगा एक तो इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां दूसरे राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, पृथक-पृथक दिखाई जायेंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा। श्रीमन् जो संचित निधि से भारित व्यय है उस भारित व्यय के बजट पर मतदान भी नहीं होता। जैसे श्री राज्यपाल के वेतन-भत्ते, माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते, हाईकोर्ट के जज के वेतन-भत्ते यह सब भारित व्यय होते हैं इस पर कोई मतदान नहीं होता तो उस भारित व्यय को संशोधित करने का अधिकार ही नहीं है। मान्यवर, एक शुद्धि पत्र भेजा गया जिसका अभी आपने उल्लेख किया। यह शुद्धि पत्र कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप अनुच्छेद 203 देख लें।

(1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बन्धित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जायेगे, किन्तु इस खण्ड के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान मण्डल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। मान्यवर, चर्चा तो हो सकती है लेकिन उस पर मतदान नहीं हो सकता और उस पर कोई संशोधन नहीं हो सकता। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि कम्प्यूटर प्रोग्राम की त्रुटि के कारण अनुदान संख्या 67 और 68 में अपर्याप्त धनराशि प्रस्तावित की गयी थी और अनुदान सं0 59 में राजकीय आवास अनुरक्षण मद में 50 लाख के स्थान पर 5 करोड़ मुद्रित हो गया। जो शुद्धि पत्र दिया है अगर बजट प्रस्तुत हुआ और कम्प्यूटर की कोई गल्ती थी या छपाई की त्रुटि थी तो इस सदन में बजट को प्रस्तुत करने के पूर्व उस साहित्य को क्या वित्त विभाग ने नहीं देखा या सरकार ने नहीं देखा। आज इस सरकार की बलिहारी है कि इस सदन में बजट प्रस्तुत हो गया और विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते में धनराशि ही नहीं दर्शायी गयी या अपर्याप्त धनराशि दर्शायी गयी। अनुदान संख्या 67-68 में जो अपेक्षित धनराशि थी उससे कम धनराशि दर्शायी गयी और राज्य सम्पत्ति विभाग का जो 50 लाख रुपये था उसे 5 करोड़ कर दिया। और एक शुद्धि-पत्र दे दिया। यह निश्चित तौर से संविधान के अनुच्छेद 202, 203 और 204 का उल्लंघन करता है।

संचित निधि पर भारित व्यय सरकार की जिम्मेदारी है, भार स्वरूप है यह भारित व्यय का सम्मान है वह केवल सदन के संज्ञान में लाते हैं। दूसरा मतदेय होता है उसे किसी अनुदान के रूप में लाते हैं उसे चाहे तो उसी रूप में पारित कर दें या कटौती का प्रस्ताव हमारे प्रतिपक्ष से आता है उस पर कटौती कर ले और सरकार भी चाहे तो संशोधन कर ले। परन्तु इस भारित व्यय में कोई संशोधन नहीं हो सकता। यह संविधान में उल्लिखित है। श्रीमन्, जिसमें मतदान नहीं होना है, जिस पर कटौती का अधिकार, संशोधन का अधिकार नहीं है, उस भारित व्यय में संशोधन करने की प्रक्रिया अपनायी गयी।

उस प्रक्रिया का निश्चित तौर पर उल्लंघन हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 (3) को आप देखें। निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा (क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय (ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उप-सभापति के भी वेतन और भत्ते (ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से सम्बन्धित अन्य व्यय (घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के सम्बन्ध में व्यय (ड0) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां (च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।

तो श्रीमन् एक बार अगर भारित घोषित कर दिया जाए तो दुबारा कोई शुद्धि पत्र लाना है, कोई संशोधन लाना है तो दुबारा या तो सप्लीमेंट्री बजट लाना हुआ है इसके लिए फिर से राज्यपाल की अनुमति ली जाए। शुद्धि पत्र जो बंटे हैं कहते हैं कि राज्यपाल की अनुमति ले ली है। तो इस शुद्धि पत्र के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमति पत्र भी होना चाहिए था। जो सभी सदस्यों को बांटा जाना चाहिए था कि महामहिम राज्यपाल ने अनुमति दे दी है। भारित व्यय में फिर से संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कदाचित इतिहास में आप देख लें। 52 सालों में ऐसे कभी नहीं हुआ है। किसी भी सरकार द्वारा आज तक बजट में भारित व्यय में संशोधन नहीं हुआ है। भारित व्यय में संशोधन पत्र अधिकारियों द्वारा लाया गया है। इससे एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। यह बजेटरी प्रावीजन का उल्लंघन है ही संविधान का भी उल्लंघन है। यह महामहिम राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। इस सम्बन्ध में आप चाहें तो ए0जी0 की राय ले लें। इससे बड़ा कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं हो सकता है। इससे सदन का कार्य विनियमित हो रहा है। इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार किया जाए और इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कदाचित ऐसी परिस्थितियां इस सदन में इसके पहले कभी उपस्थित नहीं हुई हैं। यह पहली बार है जब ऐसा हुआ। तीन प्रश्न हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूं। बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है? जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो जो बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री होते हैं वह सदन में उसको प्रस्तुत करते है। यहां पर मुख्य मंत्री जी ने वित्तमंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया है। तो क्या उन्होंने अपने प्रस्तुत बजट का अवलोकन नहीं किया अगर अवलोकन नहीं किया तो यहां मुख्य मंत्री जी केवल सदन में बजट को पढ़ने वाले थे बजट बनाने वाला कोई दूसरा था। सम्भवतः मुख्य मंत्री जी ने अपने विवेक का उपयोग बिल्कुल नहीं किया अगर उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया होता तो यह बात उनके संज्ञान में आई होती। उन्होंने पूरे सदन को गुमराह किया है क्या यह सदन की अवमानना नहीं है। अगर अवमानना नहीं है तो क्या यह सदन को गुमराह करने वाली बात नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने जो आचरण किया है उसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। तीसरी बात अगर यह भूल हो गई है तो आप उसे सुधारेगें कैसे। जब तक यह शुद्धि पत्र नहीं आया उसके पहले आज तक सदन में जो बजट पर चर्चा होती रही वह सब गलत हो गयी तो बजट की सेंटिटी कहां रही। यह जो बजेटरी प्रावीजन है। महामहिम राज्यपाल की अनुमति से रखा जाता है परन्तु जो शुद्धिपत्र यहां पर लाया गया है उसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि महामहिम राज्यपाल जी ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। इसलिए मान्यवर कोई ऐसी परम्परा न डाली जाय, क्योंकि जो यहां पर आज कहा जा रहा है वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन रहा है और वह नजीर बन कर आने वाले लोकतंत्र में दिखाया जाता रहेगा तो क्या आप इस तरह की नजीर बनने देंगे। एक अशुद्ध बजट संख्या बल के आधार पर पारित कर दिया गया और जो शुद्धि-पत्र यहां पर प्रस्तुत किया गया उसमें कहीं पर यह बात नहीं कही गयी कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति से हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या और कोई मंत्री मौखिक रूप से कह कर बजट प्रस्तुत कर देगें तो यह एक अनुचित बात होगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी गलत परम्परा और आचरण की अनुमति यहां पर नहीं देंगे और विधान सभा की किसी भी कार्यवाही को अवैधानिक नहीं होने देंगे।

मान्यवर, विधान परिषद् ने इसे गम्भीरता से लिया है और वहां पर महाधिवक्ता को बुलाया गया है वह इस समय यहां पर इस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि विधान परिषद् में जो हो रहा है उसका अनुपालन आप करें परन्तु मान्यवर, बजट के सन्दर्भ में धन विधेयक पर विधान सभा का अधिकार ज्यादा होता है और विधान परिषद का उतना नहीं होता है। विधान परिषद् ने इतनी जिम्मेदारी का परिचय दिया है। स्वयं सभापति महोदय ने निर्देश दिया और महाधिवक्ता को बुलाया है। आप उस परम्परा का पालन करें या उस निर्देश का पालन करें यह मैं नहीं कह रहा हूं। आप स्वयं कानून के ज्ञाता हैं और संविधान

के ज्ञाता हैं। आज तक उत्तर प्रदेश के संवैधानिक इतिहास में और वित्तीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए आप महाधिवक्ता को बुलवा लें और वह हमारी शंकाओं का निराकरण कर दें और हम भी उनसे प्रश्न कर लेंगे हमारा आशय सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है, हमारा आशय तो यह है कि कहीं यह विधान सभा अवैधानिक तरीके से पास कराये गये बजट का पात्र न बन जाये। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप महाधिवक्ता की राय लेकर इस बजट को पारित करने का प्रयास करेंगे अन्यथा विरोध पक्ष इसके विरोध के लिए कुछ भी रवैया अख्तियार करने के लिए तैयार रहेगा।

मान्यवर, आप कानून विद हैं और संविधान को अच्छी तरह जानते हैं। महाधिवक्ता को न बुलाना पड़े उससे पहले ही आप सरकार को निर्देश दें कि वह इसे वापस ले ले और महामहिम राज्यपाल की अनुमति ले ले, फिर से एक बार कैबिनेट सिफारिश करे और दुबारा बजट सत्र बुलाया जाय। ऐसा न किया जाय कि त्रुटिपूर्ण बजट यहां से पारित हो, यदि एक बार ऐसा हो गया तो यह आने वाले समय के लिए नजीर बनेगा और यह नजीर एक काले अध्याय के रूप में होगा। मैं एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूं कि अब तक बजट पर जितने दिन कार्यवाही हुई है उसको निरस्त करते हुए इस सरकार को आप निर्देश दें कि दुबारा बजट सत्र बुलाया जाय और इसे शुद्ध करके मुख्य मंत्री जी इस पर गम्भीर हों और केवल वाचक का ही यहां पर काम न करें बल्कि अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें या फिर मान्यवर आप इस पर महाधिवक्ता को बुलाकर आगे की कार्यवाही करें।

श्री समरपाल सिंह -

मान्यवर, आपके माध्यम से इतनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रि परिषद् के सभी सदस्य संविधान की शपथ लेते हैं और यह उनसे अपेक्षा है कि वे संविधान के अनुरूप काम करेंगे लेकिन आज जो सरकार है संविधान के बिल्कुल विपरीत आचरण कर रही है। संविधान के अनुच्छेद-202 में दिया है - राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और मान्यवर, यह जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यह महामहिम राज्यपाल की अनुमति से यहां पर प्रस्तुत किया जाता है।

महामहिम राज्यपाल की अनुमति से यह यहां प्रस्तुत हो गया और सारी बजट अनुदानों पर यहां चर्चा हुई बाद में यह जो शुद्धि पत्र भेजा गया है इसका मतलब है कि जिस बजट पर सदन में चर्चा हुई वह शुद्ध नहीं अशुद्ध था और हम एक अवैधानिक कार्य में लिप्त रहे। इनको यह शुद्धि-पत्र को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है जब तक कि महामहिम राज्यपाल अपनी अनुज्ञा न दे दें। अगर इस बजट के लिये शुद्धि-पत्र की आज्ञा दे देंगे तो यह आवश्यक हो जाता है कि दोबारा सत्र आहूत किया जाय। फिर से बजट प्रस्तुत करके उसको पारित किया जाय। भारित व्यय के ऊपर मतदान नही होता है। मान्यवर, यह जो शुद्धि-पत्र जारी हुआ है उसके लिये

आपसे अनुरोध करूंगा कि संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है। गैर संवैधानिक कार्य में सदन लिप्त न माना जाये इसके लिये आप चाहें तो महाधिवक्ता को बुलाकर उनकी राय ले लें। आप स्वयं विचार कर लें, आप बुद्धिमान हैं और इस बात का निर्देश सरकार को दें कि फिर से सदन आहूत करके बजट पारित किया जाय।

(श्री लोक पति त्रिपाठी व राम औतार शक्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना है उस पर शाक्य जी के भी हस्ताक्षर हैं। इनके बाद आपको सुन लूंगा। शाक्य जी संक्षेप में, क्योंकि सारी बात आ गई है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह विषय अति गम्भीर है। मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता जो पहले आ चुके हैं। मान्यवर, संविधान निर्माताओं ने इस बात का बहुत ख्याल रखा होगा कि धन विधेयक आता है और प्रस्तुत किया जायेगा तो उसका क्या नियम होगा? क्या प्रक्रिया होगी? जब उच्च सदन को भी इसमें मतदान देने का अधिकार नहीं है तो फिर निम्न सदन में क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी? संवधिान के अनुच्छेद 202, 203, 204, 205 और 206 में से मैं केवल संविधान के अनुच्छेद 203 के उप नियम (3) की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिसमें लिखा है- "किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जायेगी, अन्यथा नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि यह जो संशोधन वक्तव्य है क्या वह महामहिम राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद प्रस्तुत किया गया है।

अगर महामहिम राज्यपाल की अनुमति इनकी किसी फाइल में रही हो तो उस पर क्यों नहीं छापा गया? क्यों नहीं सदन में इस बात को रखा गया कि राज्यपाल महोदय की अनुमति इस पर प्राप्त हो गई है। दूसरी बात यह है कि इस शुद्धि-पत्र के लिये जो संविधान के कोई आर्टिकल हैं या जो कार्य संचालन नियमावली है उस कार्य संचालन नियमावली को इस बिजनेस को चलाने के लिये है। लेकिन मुख्य विषय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार है। क्या यह शुद्धि-पत्र संशोधन वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी उप नियम के अन्तर्गत लाये हैं। मैंने संविधान को शुरू से लेकर अन्त तक पूरा पढ़ा लेकिन कहीं यह न पा सका कि किस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह संशोधन वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। तीसरा यह है कि जो भारित व्यय है, यह सही है कि इसके सम्बन्ध में यहां चर्चा नहीं होगी लेकिन प्रस्तुत जरूर किया जायेगा और जब प्रस्तुत किया जायेगा बजट का महत्वपूर्ण अंग है भले ही उस पर चर्चा न हो। पहले जो सभापति की तनख्वाह वगैरह का था उसमें एक महीने की भी पूर्ति नहीं होती थी शुद्धि पत्र लाया गया उसमें 7 महीने का होगा। इसका मतलब है अनुपूरक मांगे दो बार लानी पड़ेगी।

ऐसा नहीं है उस शुद्धि-पत्र के बाद पूरे साल का खर्चा चल जाएगा, जब पूरे साल का खर्चा नहीं चलेगा तो दुबारा सदन बुलाना पड़ेगा, तो विनियोग विधेयक से पहले

क्यों न मांगे प्रस्तुत कर दी जाएं।

मान्यवर, संविधान की धाराओं का अतिक्रमण हुआ है, सदन की मर्यादा रहे, संविधान की मर्यादा रहे इसको दुबारा लाना चाहिए। यह कहा गया कि कम्प्यूटर की गलती से क्लर्कल गल्ती से ऐसा हुआ है, लेकिन इससे सदन को क्या लेना-देना यह तो टच मंत्री परिषद् से हो सकता है। कम्प्यूटर की गल्ती है इसका संज्ञान सदन नहीं लेगा। यह सदन नियम कानून और संविधान से चलेगा मुख्य मंत्री जी ने यह बहाना लेकर कि कम्प्यूटर की गलती है, यह सदन में इस तरह से लगा है, तकनीकी बात आपकी पीठ से आई, यह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, जूरीडिक्शन नहीं है, विनियोग विधेयक पारित होने के पहले नियम 300 में प्रश्न उठाया गया है, हो सकता है यह साजिश हो उस सदन को समाप्त करने की, मैं नहीं जानता हूं विधान परिषद् रहेगी या नहीं रहेगी लेकिन जैसा हो रहा है इसको चाहे साजिश कह सकते हैं चाहे योजना कह सकते हैं यह सदन की आवमानना का भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं इन सब चीजों पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, जगदम्बिका पाल जी ने, प्रमोद कुमार जी ने, समरपाल जी ने, शाक्य जी ने जो कहा है उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आप स्वयं उत्तर प्रदेश के ज्ञान विधि विशेषज्ञ हैं मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि आप संविधान का 204 देखे और स्वयं आप निर्णय लें। श्रीमन् पहली अप्रैल के बाद इस प्रदेश में जो भी द्रव्य खर्चा होगा वह नाजायज होगा और मंत्रिमंडल के साथ पूरा सदन गबन के मामले में फसेगा और इसके आप अध्यक्ष रहोगे यह साधारण चीज नहीं है। मुझे शर्म आई जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा एटोर्नी जनरल को बुला लेंगे। श्रीमन् कम्प्यूटर की बात उठाई गई है। कम्प्यूटर अपने में कुछ नहीं करता है उसमें फीड करना पड़ता है फीड करने के लिए वित्त विभाग का कितना बड़ा स्टैब्लिशमेंट है। मुख्य मंत्री जी का क्या कसूर है उनके पास इतने विभाग हैं पढ़ने में किसी ने बुद्धि प्रयोग किया नहीं, पढ़ दिया विधान सभा में। इस सभा का गठन संविधान के अनुरूप हुआ कोई चीज संविधान के बाहर नहीं है जो आ रहा है वह संविधान के बाहर है, अब इसका एक ही उपाय है एक महीने के लिए आप आज के दिन सप्लीमेंटरी लाएं और पहली अप्रैल के बाद पुनः बजट सेशन करें वरना सब जुर्म के भागी होंगे जो आप द्रुतगति से कर सकते हैं वह करें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री - (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, दो-तीन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्य रूप से यह बात कही गयी है कि शुद्धि-पत्र ही लाना था तो शुद्धि-पत्र में यह अंकित किया गया होता कि महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से यह ला रहे हैं। यह भी कहा गया है कि आपको शुद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। एक चीज आपके समक्ष लाना चाहता हूं क्योंकि अनुच्छेद 202 का उल्लेख किया गया है। यह सम्बन्धित है नेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और यह संवैधानिक दायित्व है सरकार का महामहिम राज्यपाल का दायित्व है कि जो इस्टीमेट बनाये गये हैं, जो अनुमानित है उसको सदन के सामने प्रस्तुत करें बजट प्रस्तुत करने से पहले। उसी के अनुसार यह संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने में कमी आयी। हमने देखा कि दो अनुदान ऐसी हैं जिसमें एक धनराशि को अशुद्ध अंकित किया गया है और एक ऐसी भी है जिसमें बढ़ोत्तरी देखी लेकिन टोटल समान है। यह हमारे जानकारी में आने के बाद मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्हें हम अशुद्ध रहने दें या नहीं। हमारे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तभी होगा अगर कोई अशुद्धि रह गयी है तो उसे शुद्ध करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

यह संविधान का परिवर्तन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप संविधान परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो यहां प्रस्तुत किया गया है वह कागज है वह संविधान नहीं है वह इस्टीमेट है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 202 में लिखा हुआ है। तो अगर कोई अशुद्धि रह गयी है, मेरे काबिल फाजिल दोस्त, संविधान में कहां पाबन्दी है कि उसे शुद्ध नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, किसी भी सभ्य देश में ऐसा कानून नहीं है, लोकतंत्र में केवल यहां ही नहीं, पड़ोस में या जहां से हमने सीखा है वहां पर भी है, यह भारत का संविधान मेरे समक्ष है उसमें ऐसा विवरण नहीं है कि कोई चीज अशुद्ध रह गयी है तो वह सरकार ठीक नहीं कर पायेगी या सदन ठीक नहीं कर पायेगा। यह कहा गया कि अगर अशुद्धि रह गयी तो उसका उल्लेख क्यों नहीं महामहिम राज्यपाल की अनुमति से शुद्ध कर रहे हैं, यह किया गया। मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस रूप में वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया उसकी क्या भाषा है। उसमें यह नहीं है कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति से बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। सीधा-सीधा उल्लेख होता है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, आज नहीं जब से ये बजट के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से एक ही वाक्य बोला जाता है कोई भी मुख्य मंत्री रहे हों कोई भी वित्त मंत्री रहे हों जैसे खड़े होते हैं निर्धारित समय में-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से फलां-फलां वर्ष का बजट प्रस्तुत करता हूं। उसमें महामहिम राज्यपाल की अनुमति से प्रस्ताव कर रहे हैं अगर उसमें अनुमति नहीं होती है अगर शुद्धि-पत्र प्रस्तुत करते तो यहां अनुमति का उल्लेख करने की बात कहां से आ गई?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बिना सदन में बोलने की बात ही नहीं है। जब बजट पढ़ा जाता है तो आपसे अनुमति ली जाती है। राज्यपाल उसकी आज्ञा देते हैं। प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शुद्धिकरण का एक सामान्य निमय हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह शुद्धि-पत्र संविधान के किस अनुच्छेद किस नियम के अन्तर्गत होता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक कानून है आज से नहीं, जनरल क्लासेस ऐक्ट है, जो इस पीठ पर आसीन हैं वे सारे के सारे संविधान के और कानून के भिज्ञ हैं। किताब से पढ़कर सुना रहा हूं अभी आ रही है। उसमें है कि यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो संशोधन नहीं सदैव संभव है।

मान्यवर, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जब तक कोई कानून कोई ऐक्ट इस बात का न हो जो उसको प्रतिबन्धित करता हो। एक अप्रैल या उसके बाद खर्च कर दिया तो सारा का सारा संविधान के प्रतिकूल होगा। हम खर्च किस अधिकार से करेगें, मान्यवर, जो एप्रोप्रियेशन बिल सदन में पेश होगा और पास होगा जो स्वीकृतियां उस बिल में दिखाई जायेगी वही अधिनियम बनेगा। जो लिटरेचर पहले प्रस्तुत हुआ था वह एप्रोप्रियेशन बिल नहीं है। हम खर्च करते हैं अधिनियम के अधिकारों से सारी की सारी अनुदाने पारित होने के बाद वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री इसे पारित कराते हैं, वह यहां पास होता है। महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बनता है। वह हमें अधिकार देता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

इन्होंने मुख्य मंत्री का भाषण पढ़ दिया, उसमें भी भाषा यही होती है कि मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे। हर बजट में मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से ही प्रस्ताव करते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। दो बातें इसमें हैं। एक तो यह है कि अनुदान यहां पर प्रस्तुत होती है, उसकी भाषा क्या होती है महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करते हैं। लेकिन यह शुद्धि-पत्र न तो अनुदान है, यह तो केवल अनुमानित आकड़े रखे गये हैं, यदि कुछ गलत पाया गया तो उस गलती को दुरुस्त करने का शुद्धि-पत्र जारी किया गया। अब इसमें समस्या यह आती है कि दोनों अनुदानों पर यह अन्तर आया। उन अनुदानों की स्थिति क्या है, इसको भी समझ लें। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि 12 मार्च को एक और 19 मार्च को 2 अनुदान प्रस्तुत किये गये। अगर आपको यह शिकायत थी तो जिस दिन साहित्य दिया गया था या उस दिन जिस दिन अनुदान प्रस्तुत किये गये थे, आप यह कह सकते थे कि यह भिन्न है। आप हमारे जागरूक सदस्य बैठे हैं, उस तिथि में आपको आपत्ति करनी चाहिये थी।

अब जब यह पास हो गये तो पास होने के बाद यदि आप यह कहें, दोनों में अन्तर है, तो कहां से इनकी बातों में बल रहेगा। आपत्ति करने के लिये 3 स्टेजेज थीं। जिस रोज साहित्य प्रस्तुत किया गया था, जिस दिन अनुदान प्रस्तुत किया गया था, तब पूछते दोनों में अन्तर कहां से आ गया, अब पारित अनुदानों के अनुरूप एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा। एप्रोप्रियेशन बिल और अनुदान में यदि कोई अन्तर है, तो आप कहियेगा वरना केवल आपत्ति करने के लिये आपत्ति नहीं करनी चाहिये। अगर सही मौके पर आप आपत्ति नहीं करते हैं तो इस सदन का अपमान करते हैं। जिस चीज को सदन ने भारी बहुमत से पारित किया, पारित करने के बाद हम चुनौती देना चाहतें हैं, गलत पारित करा लिया तो उस समय तो आप लोग बैठे थे। सदन से पारित होने के बाद किसी को अधिकार नहीं रहता कि वह कहें कि यह गलत हो गया। 12 मई, 19 मई, आज एप्रोप्रियेशन बिल आने वाला है, उसे जो संख्या हम देंगे, आप उसको देख लीजियेगा, यदि अन्तर हो तो आपत्ति कीजियेगा। अगर नहीं है तो आपत्ति करने के लिये आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकपति जी, एक बार जब हम लोग यहां बैठे थे, आप सिंचाई मंत्री थे तो कहा था कि यह सब टिटबिट्स हैं। आज आपको क्या हो गया, आप तो हरदम हंसते थे, मुस्कराते रहते थे, आज आप कहां उलझ गये, आप अपने उसी स्वरूप को बनाये रखिये। अन्त में मान्यवर, इनकी किसी आपत्ति में कोई दम नहीं है, इसको निरस्त किया जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार-बार विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि यह शुद्धि-पत्र संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाये हैं। वित्त विधेयक भी संविधान के अनुसार होता है। क्या सदन को बताने की कृपा करेगें कि किस अनुच्छेद के अन्तर्गत शुत्रि-पत्र लाया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या है?

दूसरी बात यह है कि माननीय संसदीय मंत्री जी ने जिसको पढ़ा है वह माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण है, अनुदान नहीं थी, मान्यवर बजट भाषण और अनुदान में फर्क है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक नये पैसे की अनुदान होगी तो वह इस प्रकार से प्रस्तुत होगी, जैसा कि आपने प्रस्तुत किया है। इसमें लिखा है कि "मुख्य मंत्री जी महामहिम श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेगें", तो मान्यवर, बजट भाषण और अनुदान में फर्क है। आप शुद्धि-पत्र लायें हैं, बजट भाषण को शुद्ध करना चाहें तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अनुदान को शुद्ध करना चाहते हैं, तो अनुमति की आवश्यकता होगी, इसलिये मान्यवर मेरा निवेदन है कि बजट सत्र दूसरा बुलायें और लेखानुदान लायें और उसको पारित करायें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यही कहना है, आप विचार कर लें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन्, हमारे साथी त्रिपाठी जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, उदार हैं, इनको क्या हो गया है?

प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि त्रिपाठी जी बहुत उदार हैं, इनको क्या हो गया है? मान्यवर, जब उदार आदमी किसी बात पर नाराज हो जायें, तो इसके माने है कि उस बात में मूर्खता की इंतिहा हो गयी है, तब वह कहता है। अगर गलती हो गयी है तो उसे शुद्ध करें और संवैधानिक परम्परा का पालन करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो हम यहां पर कार्य कर रहें हैं वह विधि पूर्ण हो, हम लोग इसलिये कह रहें हैं, कि यह नजीर बन जायेगी और आगे भी इसी प्रकार गलत कार्य होते रहेंगें। आप मान्यवर संविधान के अनुच्छेद 204 को देखें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विनियोग विधेयक लाने की बात कह रहें हैं, आप संविधान के अनुच्छेद 204(2) "इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाले कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जायेगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खण्ड के अधीन अग्राह्य है यह नहीं।" मान्यवर, इस पर आप विचार कर लें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर ले लें। निश्चित रूप से आपको दुबारा सत्र बुलाना पड़ेगा अथवा संवैधानिक व्यवस्था के समाने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जायेगा।

श्रीमान मैं चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 "क" और "ख" देख लें जिसमें विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किये जाने के पश्चात् यथावश्यक शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से-(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गये अनुदानों की, और (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पुनःस्थापित किया जायेगा।

मान्यवर मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने विधि के मामले में, परम्पराओं के मामले में इस देश की महान परम्परायें बनाई है। हम आज भी वोट एन एकाउन्ट के लिए तैयार हैं ताकि इस सरकार को विभाग के खर्च के लिए, कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए, मंत्रियों के खर्चे के लिए किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मान्यवर यह सदन संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान से ही इस सदन का आहूत हुआ है तो फिर हम सब इस संविधान से ऊपर कैसे हो सकते हैं। मान्यवर मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। ये लोग संख्या बल में अधिक हो सकते हैं इसका मतलब यह तो नहीं कि संविधान के साथ मटियामेट किया जायेगा मान्यवर मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से 204(1) और 204(2) के बारे में स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं मार्च 19,1999 की कार्यवाही की ओर दो अनुदान प्रभावित हैं। 67 और 68, यह मान्यवर, मद संख्या-19 का 2 और 3 है। मद संख्या 2 में प्रस्तावित किया गया है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति के लिए 7,56,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये, और मान्यवर, मद संख्या-3 में है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,87,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

यह अनुदान जो कि सदन में राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ था, मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्तुत हुआ था, इनमें कोई संशोधन नहीं हुआ। अब मान्यवर, आता है संविधान का अनुच्छेद 204(1) और (2) इसमें यह प्रविधानित है कि विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से-(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गये अनुदानों की, रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा। मान्यवर 19 तारीख का जो एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा उनके अनुदानों में कोई संशोधन नहीं हो सकता।

मान्यवर, मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त यह करता हूं कि ये अनुदान जो सदन के सामने प्रस्तुत हुए हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं होगा तो आखिर ये किस संशोधन की बात कर रहें हैं। ये 204(2) तो उस समय आता है जब एप्रोप्रिएशन बिल आपके सामने आता है, अगर कोई अन्तर आता है तो आपत्ति उठाऊंगा। बार-बार किसी बात को दोहराना ठीक नहीं। अगर 204(2) की यह अन्तिम पंक्ति देखलें तो स्थिति स्पष्ट हो जोयगी "ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खण्ड के अधीन अग्राह्य है या नहीं" यह तो केवल शुद्धीकरण की बात थी, शुद्धीकरण कर लिया गया है और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया की बात कही गई है, तो उसकी क्या परिभाषा है? जनरल क्लाजेज एक्ट में जब परिभाषा दी गयी होती तो वहां जनरल क्लाजेज एक्ट की परिभाषा लागू होती है। जहां क्लाजेज एक्ट में इसकी परिभाषा नहीं दी गयी है, कृपया स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं निर्णय देने जा रहा हूं। माननीय श्री जगदम्बिका पाल, माननीय श्री प्रमोद कुमार, माननीय श्री राम औतार शाक्य, माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने इस औचित्य के प्रश्न के समर्थन में अपने विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए। तर्क के दौरान माननीय सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद-202, 203, 204 और 205 का उल्लेख किया। मुख्य आपत्ति यह है कि जो बजट माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वित्त मंत्री के रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, और यदि संशोधन उसमें करना है या उल्लिखित धनराशि में परिवर्तन करना है तो उसके लिए नया आय-व्ययक लाना चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में अनुच्छेद-202, 203, 204 और 205 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया और उसके विभिन्न प्राविधानों पर विचार किया।

अनुच्छेद-202(1) में इस बात का प्राविधान है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और देयों का विवरण रखवायेगा जिसे इस भाग में, अर्थात् संविधान के भाग में, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसमें यह कि"राज्यपाल इस वित्तीय विवरण को विधान सभा या विधान मण्डल के सदन या सदनों में रखवायेगा", महत्वपूर्ण शब्द हैं। जब इन शब्दों को अनुच्छेद-203 में प्रयुक्त शब्दावली के सन्दर्भ में विचार करेंगे तो अन्तर स्पष्ट हो जायेगा। अनुच्छेद-202 के उप-अनुच्छेद-2 में राज्य की संचित निधि का उल्लेख हैं। राज्य की संचित

निधि का उल्लेख है। राज्यकी संचित निधि से दो प्रकार के व्यय हो सकते हैं, पहला भारित व्यय और दूसरा अन्य व्यय। अनुच्छेद-202 के उप-अनुच्छेद(2) में इस बात का प्राविधान है कि जो भी वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल विधान मण्डल के सदन या सदनों में प्रस्तुत करायेंगे, उसमें पृथक-पृथक इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि संचित निधि के भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की राशि क्या है और संचित निधि में से किये जाने वाले प्रस्थापित अन्य व्यय के लिए अपेक्षित राशि क्या है। इस प्रकार इस अनुच्छेद में संचित निधि के भारित और संचित निधि में अन्य व्ययों में अन्तर किया गया है। अनुच्छेद-203 में इस बात का प्राविधान है कि प्राक्कलनों में से जो प्राक्कलन राज्य की संचित निधि में से भारित व्यय से सम्बन्धित हैं, वे विधान सभा में मतदान के लिए रखे नहीं जायेंगे अर्थात् भारित व्यय पर विधान सभा में मतदान नहीं होगा।

यह भारित व्यय वह हो सकता है, जिनका उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण में दिया गया है, परन्तु "विवरण" और "अनुदान" में अन्तर है। यह बात अनुच्छेद-203 के उप अनुच्छेद (3) से स्पष्ट है। जब हम अनुच्छेद-203 की व्याख्या करेंगे, तो इससे स्पष्ट है कि यद्यपि भारित व्यय मतदान के लिए विधान सभा में नहीं रखा जायेगा फिर भी जो अनुदान की मांगें विधान मण्डल में रखी जायेंगी, वह राज्यपाल की सिफारिश पर ही रखी जायेंगी अन्यथा नहीं। अनुच्छेद-202 (1) और अनुच्छेद-203(3) के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जिस वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद-202(1) में उल्लेख है, उसमें और अनुदान की मांगे जो राज्यपाल की सिफरिश पर विधान मण्डल में रखी जायेगी वह दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं अनुच्छेद-203 बहुत स्पष्ट है कि किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जायेगी। इसलिए राज्यपाल की सिफारिश की बाद्धयता अनुदान की मांगों के लिए हैं।

इसी सन्दर्भ में अनुच्छेद-202(1) को हम ध्यान से देखें तो इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल वार्षिक विवरण सदन में रखवायेगा और अनुच्छेद-203(3) में राज्यपाल की सिफारिश से अनुदान प्रस्तुत किया जायेगा। यह अन्तर स्वतः स्पष्ट है। अब प्रश्न उठता है कि विनियोग विधेयक की क्या स्थिति होगी। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद-204का सन्दर्भ लेना आवश्यक है। अनुच्छेद-204(1) में यह कहा गया है कि विधान सभा द्वारा अनुच्छेद-203 के अधीन अनुदान किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य की संचित निधि में से विधान सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की, और राज्य की संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पुनःस्थापित किया जायेगा। अर्थात् विनियोग विधेयक की पुनर्स्थापना तब होगी जब विधान सभा द्वारा अनुदान स्वीकृत कर लिया जायेगा। यहां इस बात पर आपत्ति नहीं उठायी गयी है कि जो विधान सभा ने अब तक अनुदान की मांगे स्वीकृत की हैं,

उनमें कोई अन्तर है या वह राज्यपाल की सिफारिश से नहीं रखी गई हैं। मैंने विधान सभा की कार्यवाहियों का अवलोकन किया। जो भी विभिन्न मद संख्या के अन्तर्गत अनुदान की मांगे विधान सभा में मतदान के लिए रखी गयी हैं, उनमें सभी में यह उल्लेख है कि यह अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत की जा रही हैं। इसलिए जब कार्यसूची के अनुसार मंत्रीगण ने अनुदान की मांगों को मतदान के लिए इस सदन में प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसका उल्लेख किया कि राज्यपाल की सिफारिश से उस विशेष विभाग की अनुदान की मांग प्रस्तुत की जा रही है और उन्होंने अनुदान को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन् आपने जो संदर्भित किया है उससे हम सभी सहमत हैं। जो भी इस सदन में अनुदानें रखी गयी हैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से रखी गयी हैं और इस सदन में उन अनुदानों को पारित किया है। हम इससे पूर्णतया सहमत हैं लेकिन जो संचित निधि पर भारित व्यय है आपने स्वयं उद्धृत किया है कोई संशोधन वर्तमान में सदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश से भी इस सत्र में नहीं लाया जा सकता। जो मुद्रित धनराशि 7 करोड़, 56 लाख 78 हजार है मूल रूप में जो वर्तमान में मुद्रित थी वह 6 करोड़ 94 लाख 3 हजार है। इस तरह से चाहे वह अनुदान संख्या 67 या 68 हो जो हम लोगों के समक्ष बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें और जो संशोधित शुद्धि पत्र आया है दोनों में परिवर्तन हो गया है। भारित व्यय में संशोधन का अधिकार नहीं है। अनुदानों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल की सिफारिश से है आप कृपा पूर्वक देख लें। अगर भारित व्यय में करना है तो सप्लीमेंटरी बजट लाना होगा या फिर से सत्र आहूत करना होगा।

श्री अध्यक्ष-

अनुच्छेद 204(2) की भाषा में एक प्रकार से निर्देश दिया गया है। 204(2) के द्वारा एक प्रकार से निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करना या अनुदान के लक्ष्य को बदलने में अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाले कोई संशोधन या ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान मण्डल के सदन में या किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा। 204(2) में यह शब्द और महत्वपूर्ण है "इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की रकम में", अर्थात, जो अनुदान की रकम विधान सभा या विधान मण्डल के द्वारा पारित हो जायेगी, और यह अनुच्छेद 203 के अनुसार पारित होगी उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। "इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की रकम", इन शब्दों का प्रयोग संविधान में किया गया है और यह इस बात को इंगित करता है कि एक बार यदि अनुदान की धनराशि स्वीकृत हो गयी तब उसमें परिवर्तन नहीं किया जोयगा। जैसा कि माननीय श्री पाल जीने कहा है कि इस पर आपत्ति नहीं है। उनकी मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि प्राक्कलन में जो भारित व्यय की धनराशि दिखायी गयी है उसमें परिवर्तन किया गया है। यदि अनुदान की मांगों

में, जिन अनुदानों में भारित व्यय की मांग की गयी है उस अनुदान की मांग में, और विनियोग विधेयक में अथवा अन्य किसी कागज में जिसमें उस मांग का उल्लेख किया गया है अन्तर नहीं है तब उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ में अनुच्छेद 203(2) का अध्ययन करें तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि उन प्राक्कलनों से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से सम्बन्धित हैं, वे विधान सभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखे जायेंगे।

जहां तक विधान मण्डल में व्यय को पारित करने की बात है मुख्य बल अनुदान पर दिया गया है। प्राक्कलन का उल्लेख प्रासंगिक रूप से वहां किया गया है जहां वार्षिक विवरण में उल्लिखित धनराशि का उल्लेख है। इसलिए 202(1), 203(1), 203(2), 203(3), 204 की भाषा और शब्दावली में अन्तर है। 204(1) में यह कहा गया है कि विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विनियोग विधेयक लाया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने कहा कि राज्यपाल महोदय व्यय विवरण को रखवाएंगे। उस वार्षिक विवरण में जो राज्यपाल द्वारा रखवाया गया है। उसकी अनुदानों में संशोधन हो सकता है। लेकिन भारित व्यय में संशोधन नहीं हो सकता है। आप हमारे आग्रह पर कृपापूर्वक विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

भारित व्यय में संशोधन नहीं हो सकता है, यह समझ रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

अनुदान में संशोधन हो सकता है कटौती के द्वारा, सरकार द्वारा। संचित निधि पर भारित व्यय होता है जिसकी प्रतिबद्धता है। यह हमारा कमिटेड एक्सपेंडीचर है उस पर मतदान नहीं होता है। मान्यवर, आप कई बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं इसके पूर्व भी कई सरकारें आई हैं बहुत सी सरकारों ने यह महसूस किया होगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अभी कार्यसूची में बहुत मदें हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने मुझे कृपापूर्वक अनुमति दी है। आप गम्भीरता से सुन रहे हैं मैं इसके लिए आपका आभारी हूं आप गम्भीरता पूर्वक आचरण कर रहें हैं हम लोग बहुत संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपके तर्क को समझ लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

क्या कभी इसके पूर्व भी भारित व्यय पर कोई शुद्धि पत्र आया है। यहां आपका सचिवालय है, पुस्तकालय है इस पर एक-आध घंटे बाद निर्णय कर दें। यह औचित्य का प्रश्न बनता है। आज तक किसी सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। आप इसका परीक्षण करा लें। इसके बाद जो निर्णय देंगे, शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न यह हैं क्या भारित व्यय में शुद्धि या संशोधन किया जा सकता है। अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री जी ने जनरल क्लाजेज एक्ट (साधारण खण्ड अधिनियम) का उल्लेख किया है। सदस्यों द्वारा यह आपत्ति की गई है कि भारत के संविधान में भारित व्यय में शुद्धि या संशोधन करने के लिए कहीं प्राविधान नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 367 में इस बात का उल्लेख है कि जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खण्ड अधिनियम 1897 ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए जो अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए जाएं, वैसे ही लागू होगा जैसे वह भारत डोमिनियन के विधान मण्डल के किसी अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

इसलिए यदि साधारण खण्ड अधिनियम में कोई ऐसी बात है जो संविधान के प्राविधानों के विपरीत है तब तो वह संविधान के निर्वचन के लिए लागू नहीं होगा। परन्तु यदि साधारण खण्ड अधिनियम और संविधान के प्राविधानों में विरोधाभास नहीं है अथवा संविधान किसी विषय पर मौन है और साधारण खण्ड में इस बात का प्राविधान है तो अनुच्छेद 367 के बल पर साधारण खण्ड अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे। साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 2 .....

श्री प्रमोद कुमार-

यह संविधान के अनुच्छेद 204 से बाधित होगा। मान्यवर, 204 से बाधित होगा। जब आप 367 पढ़ें तो 204 भी उसके साथ पढ़ें।

श्री अध्यक्ष-

आप 204(2) को देख लें। 'इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम' में परिवर्तन और 202(1) में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' लिखा है। इन दोनों में अन्तर है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब शुद्धि-पत्र आ गया और दोनों तरफ की रकमों में अन्तर आ गया 204 कहता है कि उस राशि में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यहां तो रकम में परिवर्तन होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप, 204 (2) को पढ़ें उसमें कहा गया है इस प्रकार किये गये अनुदान की रकम में परिवर्तन और किस प्रकार होगा, इसका उल्लेख भी किया गया है । 203 में अनुदान की मांग स्वीकार हो गई ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप 204(2) को देखें । इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय....

श्री अध्यक्ष-

यह जो शब्द इस प्रकार किये गये अनुदान की रकम में परिवर्तन....

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अनुच्छेद 204(2) स्पष्ट है 367 में जाने की आवश्यकता है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष-

भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान मण्डल के सदन में नहीं लाया जायेगा .....

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, विनियोग विधेयक तो अनुदान है ही नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, ऐसा न हो जाय कि इसके बनने के बाद हमको पश्चाताप हो । मेरा कहना यह है कि 204 (2) में तो अनुदान और भारित व्यय दोनों संशोधनों को बार किया गया है अगर यह प्रतिबन्धित है तो 367 का लाभ हमको नहीं मिलेगा ।

...367 का लाभ तब मिलता जब 204 मौन होता । इसमें साइलेंस होता । इसमें इस बात का जिक्र नहीं होता कि परिवर्तन किया जा सकता है । जब परिवर्तन नहीं किया जा सकता तब 367 का लाभ देने की बात होती । इस दृष्टिकोण से 204(2) के उपबन्ध क्या लागू होंगे मान्यवर, कदाचित् मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको देख लें । आपने मेरे विचार सुन लिये, सरकार के भी सुन लिये । अब इस पर निर्णय देने से पहले आप विचार कर लें । आपकी जो रूलिंग है वह 50 वर्षों के इतिहास में पहली होगी । कहीं ऐसा प्रश्न न छोड़ दीजिये..

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रयास कर रहा हूं कि कोई बात छूट न जाये ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी मद्द कर रहा हूं। मैंने एक बार भी नहीं कहा किं शुद्धि पत्र आया है उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आयें, खेद प्रकट करें, माफी मांगें। वैसे मान्यवर, गलती हो जाय तो उसके लिये खेद प्रकट किया जाना चाहिए माफी मांगनी चाहिए। हम तो यह सब नहीं कह रहें हैं और संविधान के अनुसार कह रहें हैं।

श्री अध्यक्ष-

लिखाने का तारतम्य टूट गया है। बीच-बीच में बात आ जाने के कारण।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं यह कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि 204 में जो पावर है आप 367 का लाभ नहीं देंगे। अगर देंगे तो गलत निष्कर्ष पर पहुचेंगे।

श्री अध्यक्ष-

साधारण खण्ड अधिनयिम की धारा-21 के अर्न्तगत इस बात का प्राविधान किया गया है कि किसी भी अधिनियम, नियम आदि के द्वारा यदि कही कोई शक्ति निहित की गई है तो उसमें संशोधन करने का परिवर्तन करने का अधिकार है। वर्तमान प्रकरण में कम्प्यूटर की त्रुटि के आधार पर परिवर्तन करने के लिये शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने उल्लेख किया कि कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण यह संशोधन लाना अपरिहार्य है। पहले देख लिया जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

लिपिकीय त्रुटि होने में तो सदैव संशोधन हो सकता है। यह तो निहित शक्ति है।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन्, इस बजट को प्रस्तुत करने के पहले जब बजट तैयार हुआ होगा, उसको वित्तविभाग ने, प्रमुख सचिव वित्त और वित्त मंत्री ने देखा होगा। तो क्या उस बजट को इस तरह से रखकर फिर कम्प्यूटर की गलती के लिये शुद्धि पत्र जारी होगा।

श्री अध्यक्ष-

इसलिये मैंने कहा कि कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण शुद्धि/संशोधन करने का अधिकार है। यह एक निहित शक्ति है और यदि उसका प्रयोग करके शुद्धि या संशोधन किया गया तो वह अवैधानिक और अनियमित नहीं कहा जा सकता। जहां

तक नियम 300 की सूचना का प्रश्न है। कई दिन पूर्व ही शुद्धि पत्र इस सदन में प्रस्तुत किया गया था। उस समय कोई आपत्ति नहीं की गई थी। भले ही उस समय आपत्ति न की गई हो लेकिन यह लोक महत्व का विषय था इसलिये मैंने, आप माननीय सदस्यों को विस्तारपूर्वक सुना। मैं नियम 300 के अन्तर्गत...

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपको स्पष्ट कर दूं। यह वाक्य स्पष्ट हो जाय। आपकी पीठके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, आपने जो व्यवस्था दी है, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज इतिहास में एक (× × ×) सरकार का नाम आ गया। अपनी कमी के कारण यह सरकार इस सरकार ने अपने आचरण से इतिहास को (× × ×) कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने गलत बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। मान्यवर, मैं और मेरा दल सरकार के इस आचरण के खिलाफ सदन का बहिष्कार करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसलिये मैं नियम 300 की इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं। विशेषकर इस आधार पर कि.....

जितनी भी अनुदान की मांगे इस सदन में रखी गई हैं और प्रस्तुत हुई हैं वह सभी राज्यपाल की सिफारिश से रखी गयी हैं।

अगली सूचना अम्बरीष कुमार जी की है। चार बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होने वाला है।

विनियोग विधेयक प्रस्तुत किये जाने के समय में कार्य मंत्रणा समिति में लिये गये निर्णय एवं कार्य सूची में मुद्रित सिफारिश में भिन्नता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मद संख्या 26 देखने का कष्ट करें इसमें कार्यमंत्रणा की सिफारिश का समय छपा है 4.00 बजे और विनियोग विधेयक प्रस्तुत किये जाने का समय भी 4.00 बजे लिखा है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 23 मार्च की कार्यमंत्रणा समिति में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किए जाने की मेरी मंशा 7.00 बजे की थी, लेकिन सर्वसम्मति से 4.30 बजे का समय निर्धारित हुआ था फिर यह 4.00 बजे कैसे हो गया?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

4.30 बजे का समय तय हुआ था यह सही है यह संशोधित हो जाएगा।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जब हम कार्य मंत्रणा की सिफारिश प्रस्तुत करें तो संशोधन करके रख देंगें।

श्री हुकुम सिंह-

अम्बिका चौधरी जी की चिन्ता यह है कि अधिक से अधिक विचार रखने और कहने का माननीय सदस्यों को मौका मिल जाए नेता प्रतिपक्ष और मुख्य मंत्री जी ने विचार रखें हैं। इस समय 2.10 हुआ है मेरा आग्रह है हम कई बार ऐसा करते आए हैं, आज भी मेरा आग्रह है कि और जो विषय हैं उनको आज न लिया जाए और सीधे अनुदान पर चर्चा हो जाए।

वर्तमान सत्र के प्रथम मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 को विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

कुछ याचिकायें हैं उसमें 2-4 सेकेण्ड का काम है। अम्बरीष जी की सूचना मैंने नियम 300 में पढ़ ली है मैं पत्रावली को देख लूंगा किस आधार पर विस्तीर्ण करने के लिए अनुरोध किया है।

श्री अम्बरीष कुमार-

इस तरह के और भी प्रश्न आ चुके हैं। जिनको उत्तरित किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर आया और नौ माह के बाद मंत्री जी ने कार्यवाही की सूचना नहीं दी मैं दोनों को निकालकर देख लूंगा और आवश्यकता होगी तो मंत्री जी को निर्देश दे दूंगा। वैसे मंत्री जी किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उनका उत्तर बाध्यकारी नहीं है कि माननीय सदस्य को सूचित करें और सूचना दें। मैं आपका प्रश्न और उत्तर देख लूंगा और यथोचित कार्यवाही कर ली जाएगी। शेष सूचनायें नियम 300 में नहीं आती हैं।

शासन द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने पर औचित्य का प्रश्न उठायें जाने का प्रयास

श्री दद्दू प्रसाद-

नियम 300 में मेरी सूचना है उसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने आश्वासन नहीं पूरा किया है यह आश्वासन है तो इसको आप आश्वासन समिति में संदर्भित करें।

श्री दद्दू प्रसाद-

आश्वासन का नहीं है संविधान के 164(2) को देखने का कष्ट करें "मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी"। यह पहला मौका नहीं है पहले कितने मौके आए मंत्री जी जो सदन में बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सूचना के अन्त में देखें इसमें मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा विधान सभा में दिए गये वचन का उल्लेख किया है इसमें लिखा है कि रोड साइट एक्ट का उल्लंघन किया।

श्री दद्दू प्रसाद-

रोड साइट की बात छोड़ दें। यह सदन आपसे चलता है सदन में जो कहा जाता है उसके प्रति प्रतिबद्धता होती है। सदन में कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं तो वह सदन की अवज्ञा है।

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। 12 मार्च को स्पष्ट रूप से हमारे माननीय सदस्य श्री भीमप्रसाद सोनकर जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह कहा था कि वहां पर मूर्ति न लगायी जाय और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम दिखवा लेंगे। वहां पर मूर्ति नहीं लगायी जा रही है उसके बावजूद 17 मार्च को जो टांडा के विधायक हैं उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है जो कि इललीगल है...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है यह लिखा नहीं जायेगा। माननीय दद्दू प्रसाद जी की सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए इस सूचना को मैं निरस्त कर रहा हूं। शेष सूचनाएं जो नियम-300 में हैं उनको भी निरस्त करता हूं।

इनायत नगर (फैजाबाद) जांच आयोग की रिपोर्ट

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इनायत नगर (फैजाबाद) जांच आयोग की रिपोर्ट को जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, द्वारा 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1999 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 12 मार्च, 1999 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत विधेयक, 1999 सूचित करता हूं:-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 मार्च, 1999 का वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश भागीरथी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :-

उत्तर प्रदेश भागीरथी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं:-

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं:-

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा

द्वारा दिनांक 23 मार्च 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है। मद संख्या-8 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-1999), का 19 वां प्रतिवेदन +

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99), समिति का 19 वां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1989-90) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99), समिति का 20 वां प्रतिवेदन +

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99), समिति का 20 वां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1982-83) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

उत्तर प्रदेश 13 वीं विधान सभा की याचिका समिति (1998-99) का प्रथम प्रतिवेदन +

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश 13 वीं विधान सभा की याचिका समिति (1998-99) का प्रथम प्रतिवेदन, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिल्लारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने सम्बन्धी श्री हनीफ आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री अकबर हुसैन-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मुरादाबाद की तहसील बिल्लारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री हनीफ तथा अन्य निवासीगण जनपद-मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

+ छापे नहीं गये।

++ छापी नहीं गयी।

जनपद उन्नाव के ग्राम पिपरी, ब्लाक-सिकन्दरपुर सरोसी में सिंचाई हेतु राष्ट्रीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र प्रधान आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री दीपक कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, (1) ग्राम पिपरी ब्लाक सिकन्दरपुर सरोसी जनपद उन्नाव में सिंचाई हेतु राष्ट्रीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र प्रधान तथा अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कानपुर के जाजमऊ में स्थित सड़कों की मरम्मत कराने एवं अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी श्री राजकुमार आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री दीपक कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद कानपुर के अन्तर्गत जाजमऊ में स्थित सड़कों की मरम्मत कराने एवं अक्रिमण हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार तथा अन्य निवासीगण कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

सन्त रविदास नगर के ग्राम आनन्द डीह, विकास खण्ड सुरियावां में पानी की टंकी स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री फूल चन्द्र आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ग्राम आनन्द डीह विकास खण्ड सुरियावां, जनपद सन्त रविदास नगर में पानी की टंकी स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री फूल चन्द्र तथा अन्य निवासीगण-सन्त रविदास नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर के ग्राम मड़ोर में केवानी नदी पर पुल या पीपे का पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री मोहीउद्दीन आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद सीतापुर के ग्राम मड़ोर में केवानी नदी पर पुल या पीपे का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में केवानी नदी पर पुल या पीपे का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहीउदीन प्रधान निवासी सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर के रेउसा या तम्बौर में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर बहादुर सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री महेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद सीतापुर के बेहटा विधानसभा क्षेत्र में रेउसा या तम्बोर में अग्नि शमन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री अमर बहादुर सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित हूं।

++ छापी नहीं गयी।

जनपद फैजाबाद में ग्राम घोड़वल, तहसील मिल्कीपुर में एक ओवर टैंक बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जस मिश्र आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री राम चन्दर यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, ग्राम घोडवल, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में एक ओवर टैंक बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजस मिश्र तथा अन्य निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फैजाबाद के कुमार गंज में निर्माणाधीन विद्युत स्टेशन चालू किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश प्रताप सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री राम चन्दर यादव-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से, जनपद फैजाबाद के कुमारगंज में निर्माणाधीन 132 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन को चालू किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश प्रताप सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के तहसील मनिकापुर मुख्यालय पर महिला अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद गोण्डा के तहसील मनिकापुर मुख्यालय पर महिला अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी वख्श सिंह की आदम कद प्रतिमा राजधानी लखनऊ और गोण्डा में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनाथ सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से, जनपद गोण्डा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बख्श सिंह की आदमकद प्रतिमा राजधानी लखनऊ और गोण्डा में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभू नारायन सिंह निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के मानिकापुर में श्रवण पाकर तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में श्री शीतला पाण्डेय की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनिकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया में श्रवण पाकर तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री शीतला पाण्डेय निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

++ छापी नहीं गई।

जनपद सीतापुर के ग्राम सभा जार में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नन अली की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री रमेश राही-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के ग्रामसभा जार में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नन अली, निवासी जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया से होकर सीतापुर बड़ागांव मितौली (लखीमपुर) तक मार्ग बनाये जाने सम्बन्धी श्री मुन्ना लाल आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री रमेश राही-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया से होकर सीतापुर, बड़ागांव मितौली (लखीमपुर) तक के शेष 16 कि0मी0 मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल तथा अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर के ग्राम-मूसेपुर से रामपुर के मध्य में नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभाल आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री रमेश राही-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के ग्राम मूसेपुर से रामपुर के मध्य में नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभाल, निवासी जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के मुख्यालय इमिलिया सुल्तानपुर इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री रमेश राही-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के मुख्यालय इमिलिया सुल्तानपुर में इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम रजुवापुर पेरिहा के बीच कढ़ना नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका++

श्री रमेश राही-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम रजुवापुर बेरिहा के बीच कढ़ना नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

++ छापी नहीं गयी।

जनपद मिर्जापुर में सोन पम्प नहर परियोजना को बन्द न करने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका++

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मिर्जापुर में सोन पम्प नहर परियोजना को बन्द न करने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर के ग्राम पूरेकेशी नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशीधर उपाध्याय की हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सन्त रविदास नगर के ग्राम पूरेकेशी के नाले पर पुलिया का नर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशीधर उपाध्याय, निवासी जनपद सन्त रविदासनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 के प्रस्तुतीकरण का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं साढ़े चार बजे के समय को इसमें संशोधित करके पढ़ रहा हूं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, चूंकि काफी माननीय सदस्य विचार रख चुके हैं कल संक्षेप में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात रखी थी संभवतः एक घन्टा वे आज लेंगे। अतः साढ़े चार बजे के बजाय साढ़े पांच बजे बढ़ा दिया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है सारा सदन सहमत है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 24 मार्च, 1999 से एक अप्रैल, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

---

++ छापी नहीं गई।

(1) दिनांक 30 मार्च, 1999 को सदन की बैठक न रखी जाय और दिनांक 31 मार्च, 1999 तथा एक अप्रैल, 1999 को सदन की बैठकें रखी जाये तथा दोनों दिन प्रश्नकाल न रखा जाय एवं नियम 51,56,300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जाये।

(2) दिनांक 30 मार्च, 1999 को पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम को दिनांक 31 मार्च, 1999 को तथा दिनांक 31 मार्च, 1999 के लिये निर्धारित कार्यक्रम को दिनांक एक अप्रैल, 1999 को रखा जाय।

(3) सदन के दिनांक 24 मार्च, 1999 से एक अप्रैल, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखा जाय:-

मार्च, 1999

---

24 बुधवार — 1-निधन के निर्देश (शोक प्रस्ताव)
2-वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
(5.30 बजे अपराह्न तक)
3-5.30 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

25 गुरूवार — (राम नवमी का अवकाश)
26 शुक्रवार
27 शनिवार
28 रविवार — बैठक नहीं होगी।
29 सोमवार — ईदुज्जुहा (बकरीद) तथा महावीर जयन्ती का अवकाश।
30 मंगलवार
31 बुधवार — 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:-
(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 -- आधा घण्टा।
(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 -- आधा घण्टा।
2-प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-दो घण्टा।
3-निजी क्षेत्रों के अन्तर्गत बस्ती एवं वाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर वर्ष 1991-92 में वसूली चार्ज की धनराशि को समितियों को वापस न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम ललित चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा- आधा घण्टा।

4- प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों द्वारा एन0सी0आर0 तथा हुडकों की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रलोभन दिखाकर जनता को अप्रत्यक्ष रूप से ऋणग्रस्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

5- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरख नाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--एक घण्टा।

6- लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम0 एस-सी0(टेक) फार्मास्युटिकल कैमिस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा - आधा घण्टा।

7- गोरखपुर तथा बस्ती कमिश्नरी में ईसाई मिशनरी द्वारा पैसे एवं आवास का प्रलोभन देकर व्यापक पैमाने पर हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा - एक घण्टा।

8- जनपद बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित इन्दिरा आवास के आवंटन में पात्रता सम्बन्धी नियमों की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री राजधारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा - एक घण्टा।

9- प्रदेश के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को इकाई मानते हुए शासन की विकेन्द्रीकरण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 10 प्रमुख विभागों की स्थानीय निकायों के स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 सरजीत सिंह डंग, श्री बाल चन्द्र मिश्र, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, डा0 राम बाबू हरित तथा श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-दो घण्टा।

10- वर्ष 1998-99 में जनपद सीतापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 1.20 करोड़ के दुरुपयोग के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

11- श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर आधे घण्टे की चर्चा:-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिह्न "विधि" रख दिया जाय।"

12- श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर आधे घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाय।"

13- श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान की जाय।"

14- डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा:-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

अप्रैल, 1999

1 गुरूवार

1-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं मण्डी समितियों में 10-10 वर्षों से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

2- उत्तर प्रदेश के मल्लाह समुदाय के परम्परागत व्यवसाय नदी तल से बालू व मौरंग खनन के पट्टों का आवंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

3- कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

4- प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा - एक घण्टा।

5- उत्तर प्रदेश में पीलिया रोग के तेजी से हो रहे प्रसार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

6- उत्तर प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के विकास हेतु "विकास निधि" स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा - एक घण्टा।

7- संसद की भांति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में बजट समितियों (विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों) के गठन के प्रयोजनार्थ गठित विधान सभा की अध्ययन समिति के प्रतिवेदन पर नियम 216 (4) के अन्तर्गत श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की सूचना दिनांक 16 मार्च, 1999 पर सदन में विचार हेतु आधे घण्टे की चर्चा।

8- श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा:-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाय।"

9- श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमिततओं की जांच करायी जाय तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय।"

10- श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद देहरादून में जनजातीय क्षेत्र तहसील चकराता में प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को नियत मानदेय पर अध्यापक नियुक्त किया जाय।"

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीयकार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 22 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में लम्बित को विधान सभा से वापस लेने का प्रस्ताव

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन से लम्बित उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनांए

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर इससे पूर्व भी कई अवसर ऐसे आये हैं जब कि कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं लिया गया है। मेरा विचार है यदि विपक्ष सहमत हो तो आज भी विषय के महत्व को देखते हुए इसे न लिया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर मात्र 2-2 मिनट सुन लिया जाये।

श्री हुकुम सिंह-

अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। यह तो परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है लेकिन माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए कम समय पायेंगे।

आज दिनांक 24-03-99 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गई। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री आर0के0 चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रामललित चौधरी, श्री अयोध्या प्रसाद पाल की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सूचित किया है कि श्री आर0के0 चौधरी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। दूसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह व श्री अम्बरीष कुमार की है, तीसरी सूचना श्री मुन्ना चौहान की है। चौथी सूचना श्री श्रीरामपाल की है। पांचवी सूचना श्री रामकृपाल की है। छठी सूचना डा0 अशोक बाजपेयी की है। श्री दद्दू प्रसाद की सातवी सूचना है। आठवीं सूचना श्री भोला शंकर मौर्य, श्री योगेन्द्र कुमार एवं श्री प्रेम पाल सिंह यादव की है। नवीं सूचना श्री रामजग, श्री विनोद मणि तिवारी, श्री रामऔतार शाक्य, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है तथा दसवीं सूचना श्री दीपक कुमार की है।

श्री अध्यक्ष-

श्री चौधरी, अति संक्षेप में कहेंगे।

श्री आर0के0 चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय की मेरी सूचना है और मान्यवर, आपने ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश के महापुरूषों में भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मान्यवर, विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जैसी मेरी सूचना है, इस देश में तमाम महापुरूष हुए हैं, उनमें से बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर ऐसे महापुरूष हैं, जिनकों इस देश में मानने वाले सबसे अधिक लोग हैं। मान्यवर, आने वाले दिनों में अप्रैल के महीने में 14 तारीख आने वाली है। 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की जयन्ती होगी। पूरे देश के लोग शहर में, गांव में, देहात में, गली-गली में बाबा साहब की जयन्ती इस कदर मनाते हैं, वह तो अप्रैल में मनाते हैं, जब संतुष्ट नहीं होते तो बरसात के पहले तक लगातार मनाया करते हैं। मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर ने इस देश को संविधान दिया। दुनियां में बहुत से देश हैं लेकिन हमें फक्र है कि हमारे देश के संविधान जैसा अन्य कहीं का संविधान नहीं है, जिसे बाबा साहब ने एडाप्ट किया और ऐसा संविधान दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है।

मान्यवर, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और सबसे अच्छी जगह गोमती नदी के किनारे बाबा साहब अम्बेदकर के नाम से एक अम्बेदकर उद्यान का निर्माण कराना शुरू किया। मान्यवर, एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत अरबों रुपये लगाकर एक आकर्षक स्थल का निर्माण शुरू किया गया, ऐसा निर्माण स्थल मान्यवर, बन जाने के बाद, उसे देखने के लिए, नसीहत लेने के लिए, दूर-दूर से लोग आने लगे। मान्यवर, यह पूरा प्रदेश जानता है कि लखनऊ में अम्बेदकर उद्यान के नाम से जो निर्माण किया जा रहा था, ऐसा लगता था कि यह दुनिया का आठवां आश्चर्य बन कर उभरेगा।

मान्यवर, सुश्री मायावती जी की सरकार गयी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सुश्री मायावती के शासनकाल में जो की ऐसा निर्माण कराया गया था, सभी निर्माणों को रोक दिया गया। अम्बेदकर उद्यान के निर्माण कार्यों को रोकना तो एक बहाना था, जांच एक बहाना था, उसका निर्माण न हो पाये दुनिया भर में बाबा साहब अम्बेदकर के नाम पर सन्देश न जाने पाये। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस निर्माण को रोक दिया गया। मान्यवर, बाबा साहब अम्बेदकर दुनिया के जाने-माने विद्वान हैं। यह स्थल बन जाने से इसी लखनऊ से पूरी दुनिया मे मानवता का सन्देश जाता। यह फक्र की बात है कि दुनिया में जो इने-गिने ऐसे पर्यटन स्थल है, उनमें से लखनऊ में बाबा साहब अम्बेदकर के नाम से पर्यटन स्थल बनता, लोग दर्शन करते, देखते, समझते और नसीहत लेते। बाबा साहब इतने विद्वान, इतने महान थे कि यदि उनकी बताई राहों का अक्षरसः पालन किया जाये तो निश्चित रूप से हमारा देश तरक्की कर जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

समय का ध्यान रखें।

* श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, लेकिन भारतीय जनता पार्टीकी सरकार ने उस निर्माण कार्य को बदले की भावना से रूकवा दिया, उस निर्माण को ही नहीं रुकवाया, वहां की बिजली, पानी भी काट दिया। डा0 अम्बेदकर उद्यान पुलिस चौकी बनायी गयी थी, उसमें से डा0 अम्बेदकर उद्यान का नाम हटा दिया गया, सिर्फ पुलिस चौकी रह गयी है।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अम्बेदकर उद्यान के किनारे-किनारे दीवाल बनी थी और ग्रिल लगी थी लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद लोहे की ग्रिल तोड़ डाली गयी। वहां की देखभाल के लिये वहां पर 37 कर्मचारी सुरक्षा के लिये तैनात किये गये थे लेकिन वहां सभी कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर तैनात थे जिसमें से 25 स्वीपर थे और 12 माली थे जिनको 40 रुपया प्रति दिन दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था उनको भाजपा सरकार के आने के बाद वेतन नहीं दिया गया है इसलिये वहा उद्यान वीरान पड़ा है मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार बाबा साहब अम्बेदकर जो दुनियां के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम भाजपा की सरकार बर्दाश्त नहीं करपा रही है। यद खेद की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछलें वर्ष सत्र के दौरान यह बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर उठायी गयी थी पीठ से निर्देश हुआ था कि जो बिजली काटी गयी है वह जोड़ दी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप ग्राह्यता पर एक वाक्य नहीं बोले हैं।

श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, यह विषय तात्कालिक और लोक महत्व का है। इससे बढ़कर दूसरा और कोई लोकमहत्व का प्रश्न नहीं होगा। मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि डा0 अम्बेडकर उद्यान का जो पानी और बिजली काट दी गयी है उसको जोड़ दिया जाये और दर्शन के लिये खोल दिया जाय देश के कोने-कोने से लोग दर्शन के लिये वहां आते हैं। वहां का जो निर्माण कार्य रोक दिया गया है उसको चालू करवाया जाय। मान्यवर, यह अतयंत अविलम्बनीय लोकमहत्व का तात्कालिक प्रश्न है। इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

इससे पहले कि मैं इस पर ग्राह्यता के लिये अन्य माननीय सदस्यों को आमंत्रित करुं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सूचना पर 5 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिसमें केवल 2 सदस्य बोल लें। माननीय मौर्य जी अब आप बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय संविधान के निर्माता, परमपूज्य डा0 भीमराव अम्बेडकर जिनको भारत सरकार ने भारतरत्न की उपाधि से विभूषित किया विश्व के 6 बड़े विद्वानों में से एक थे भारत के प्रथम कानून वेत्ता के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डा0 अम्बेडकर उद्यान एवं स्थल की स्थापना और निर्माण कार्य 1997 में तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा प्रारम्भ कराया गया था।

बहुत ही तेजी से कार्य हुआ अम्बेडकर उद्यान और स्थल जहां एक ओर परम पूज्य बाबा साहब डा0 अम्बेडकर को सम्मान देने का कार्य था, भारत के संविधान निर्माता, कानूनविद भारत रत्न बाबा साहब को प्रतिष्ठापित करने का कार्य था वहीं पर दूसरी ओर ऐसे महान नेता व गरीबों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल बनने जा रहा था। कुण्ठा से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही सत्तारूढ़ होती है वैसे ही डा0 अम्बेडकर उद्यान और स्थल को द्वेष भावना रखते हुये उस काम को रोक दिया और बहाना लिया जांच कराये जाने का। मान्यवर, जांच का हम विरोध नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी के अन्दर परम पूज्य डा0. अम्बेडकर के प्रति सम्मान होता, निर्माण कार्य के प्रति उनकी चाहत होती तो जांच कार्य करवाते रहते लेकिन निर्माण कार्य बाधित नहीं करना चाहिए था।

जांच का एक बहाना लिया गया, मुख्य मकसद था डा0 अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखकर के भारत का नाम रोशन किया, अपनी विद्वता के बलबूते पर विश्व में भारत की पहिचान को प्रतिस्थापित किया, उनको अपमानित करने का था। उनको अपमानित करने की नीयत से ही निर्माण कार्य को बाधित किया गया। इसकी ग्राह्यता का प्रश्न इसलिए उठता है, लोक महत्व का प्रश्न इसलिए उठता है कि यह किसी ऐरे-गैरे के नाम पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा था यह भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के नाम पर, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक बहुत बड़े विद्वान एवं मनीषी के नाम पर हो रहा था। निर्माण कार्य रोक करके इस सरकार ने जो कुण्ठा जाहिर की कि हम किसी दलित समाज में पैदा होने वाले चाहे वह कितना बड़ा मसीहा क्यों न हो, भारत रत्न पाने वाला मसीहा क्यों न हो, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्यों न हो लेकिन चूंकि वह दलित समाज में पैदा हुआ है इसलिए हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं दावा करता हूं, चुनौती देता हूं कि इस सरकार के अन्दर थोड़ा भी कौल होता और बाबा साहब के प्रति थोड़ा भी सम्मान होता तो यह जांच कराती, दूध का दूध, पानी का पानी करती। जांच आज तक नहीं हुई है न आगे होगी क्योंकि मकसद निर्माण कार्य को रोकना था और निर्माण कार्य रुक गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस निर्माण के स्तूप को उखाड़ा जा रहा है, वृक्ष उखाड़े जा रहे हैं। बाबा साहब के सम्मान में उद्यान स्थल का निर्माण किया गया था। पूरे देश के करोड़ो-करोड़ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति स्नेह रखने वाले लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है। आज करोड़ों लोगों की जनभावनाओं को ठेस पहुंची है। यह लोक महत्व का विषय इसलिए है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी के घिनौने रूप को देख करके सारे लोगों को यह विश्वास हो गया है।

यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं दे सकती है। जिसके आते आज देश के 22 प्रतिशत दलित, 54 फीसदी पिछड़े समाज के, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक लोग पीड़ित हैं यह करोड़ो-करोड़ लोगों को आघत पहुंचा रहे हैं। उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहें है। भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया था उस संविधान को आघात पहुंचा रहें हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सारे नियमों का शिथिलीकरण कर इस पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो मजाक किया जा रहा है इस मनुवादी भारतीय जनता पार्टी की उससे मंशा जाहिर होती है।

श्री अधिष्ठाता-

नियम 56 में नियमों के शिथिलीकरण की बात नहीं होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और उनके आदर्शों में विश्वास है, उन्होंने जो देश की सेवा की उसके लिए राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर आप लोगों ने शोषण किया है। उनके नाम से करोड़ो रुपये खा गए। सारे पैसे को चारागाह बनाकर खा गए। आप चाहते हैं कि इसकी जांच न कराए। हमारे मन में दर्द हैं। ऐसे महापुरूष के नाम पर अधोमानक मैटीरियल लगाया गया मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आप ऐसे महापुरूष के नाम से राजनीति तो करना चाहते हैं लेकिन उनके नाम पर जो काम किया गया है उसको बताते हुए अच्छा नहीं लगता।

उनके नाम पर करोड़ो रुपये का फर्जी बिल बनाया गया। उसकी जांच चल रही है ऐसे मामले सामने आ रहें हैं कि सामान खरीदा नहीं गया पैसा खर्च कर दिया। हम चाहते हैं कि भीम राव अम्बेडकर के नाम पर जो निर्माण कार्य हो वह ऐसा हो जिसमें बेईमानी की बू न नजर आए। उसमें यह नजर न आए कि लोगों ने गबन कर लिया। हमारा तो विश्वास है हम उसी विश्वास पर कायम हैं कि जो काम होगा नियमानुसार होगा, सही काम होगा। हमें बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है इसमें हम आप लोगों से आतंकित होने वाले नहीं है, यह कार्य-स्थगन की सूचना नहीं बनती इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं खुद जांच की मांग कर रहा हूं। इस सरकार में अगर नैतिक जिम्मेदारी होती तो अब तक जांच हो गई होती। लेकिन यह निर्माण कार्य तत्कालीन नगर विकास मंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री कीं देखरेख में हुआ था। दोनों मंत्री श्री कल्याण सिंह जी के अगल-बगल बैठते हैं। सरकार में हैं। यह अगर दोषी हैं तो मैं दोषी लोगों के खिलाफ अलग से कार्यवाही की मांग करता हूं। सरकार में अगर नैतिक जिम्मेदारी है तो दोषी लोगों को दण्डित करने का काम करें।

जांच का बहाना लेकर निर्माण कार्य को रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो यह मनुवादी सोच है वह इससे परिलक्षित हो रही है। इसी सोच के तहत हजारों-हजार साल तक दलितों को यह फसाये रहें। निर्माण कार्य रोक करके दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को और उनके सम्मान को ठेस

पहुंचायी गई है। मैं मांग करता हूं कि आप जांच करवायें परन्तु निर्माण कार्य को शुरू कर दें। जो लोग दोषी हैं उन्हें आप दण्डित करें।

श्री अधिष्ठाता-

आप तो पुनरावृत्ति कर रहें हैं। आप स्पष्टीकरण पूछें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

दोषी लोगों को बचाने के लिये बी0एस0पी0 का कोई भी साथी सड़क पर नहीं आयेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अनुशासन से सदन चलेगा। अब मैं आपकों अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो आप बोल रहें हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा। माननीय नेता, बहुजन समाज पार्टी भावुक होकर धारा प्रवाह बोले जा रहें हैं। वह एक-दो स्पष्टीकरण जो चाहें पूछ लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम 56 में ग्राह्यता पर सुना जाता है। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है और पी0ए0सी0 की आडिट रिपोर्ट में यह आ चुका है और विजीलेन्स की इन्कवायरी इस पर चल रही है। इस प्रकार सदन में चर्चा करने से समय नष्ट करना व्यर्थ है।

श्री अधिष्ठाता-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। आपको भी ताल ठोंकते हुए मैंने देखा है। दो मुद्दे हैं एक भ्रष्टाचार की जांच का हम तो कहते है कि आप इसकी माइक्रोस्कोपिक जांच करवा लें और दूसरा है इसके निर्माण का, निर्माण कार्य को इस आधार पर रोक देना कि पहले किसी ने कुछ किया है।

अगर किसी ने किया है तो क्या दो साल का समय पार्याप्त नहीं है उसको सजा दिलाने के लिये। जो दोषी है उसकों सजा दिलानी चाहिए थी। आप दो साल में उसको सजा नहीं दे पाये। निर्माण कार्य जारी रखने में क्या दिक्कत आ रहीं है। निर्माण कार्य क्यों रोक दिया गया है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिससे अपेक्षा की गई थी कि इतने काम किये गये हैं उसका परीक्षण करें औचित्य के रूप में अपनी आख्या दें। मान्यवर, उसकी रिपोर्ट आई हैं और अनेक आपत्तियां ऐसी आई

हैं जिसका परीक्षण करना आवश्यक था। इसीलिये विलम्ब हुआ है। अभी 2 करोड़ 62 लाख रूपये की धनराशि के बारे में संस्तुति आई थी उसके बारे में जांच करके वह पैसा उपलब्ध करा दिया जोयगा।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। लाल जी वर्मा को मैंने अनुमति दे दी थी। लाल जी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसको अग्राह्य पाते हुए निरस्त कर रहा हूं। अगली सूचना कुंवर रेवती रमण जी की है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इन्हें चुप तो कराइये।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप बिना अनुमति के बोल रहें हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

मौर्य जी, यह अंकित नहीं हो रहा है। आपको मैंने अनुमति नहीं दी है। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। यह लिखा नहीं जा रहा है और सदन इसको संज्ञान में नहीं लेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- (× × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

न मैंने आपको अनुमति दी है न यह अंकित हो रहा है। जब तक आपको भला साथ दे बोलते रहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिठाता महोदय, (× × ×) यह जो इस तरह का व्यवहार कर रहें हैं इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिठाता महोदय, मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नियम-56 में जो लखनऊ शहर में पीलिया ज्वाइन्डिस महामारी के रूप में फैल गया है, अखबार में पढ़ा कि सरकार ने व्यवस्था की हैं। आज 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन्डिस और पीलिया से लखनऊ शहर में मर गये हैं यह बीमारी संभवतः बरसात के महीने में होती है। जून, जुलाई, अगस्त सितम्बर के महीने में होती है लेकिन लखरऊ में

नोटः- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशाअनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

महामारी के रूप में 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं किसी अस्पताल में जगह नहीं मिल रहीं है 100-50 मरीज रोज भर्ती हो रहें हैं इसका कारण है अशुद्ध पेयजल की व्यवस्था। लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है पानी इतना गन्दा है और नगर निगम उसको साफ नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, केन्द्रीय विशेषज्ञ दल दिल्ली से आया है वह अध्ययन कर रहा है इतना गम्भीर विषय है महामारी को रोकने में सरकार असफल हो गई हैं। प्रतिदिन लखनऊ में ज्वाइन्डिस पीलिया से मौतें हो रही हैं। हैपेटाइटिस से लोग मर रहें हैं मान्यवर यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इसमें नियमों को शिथिल करके सभी कार्य स्थगित किरके चर्चा करायें इससे महत्वपूर्ण और कोई मामला हो नहीं सकता है। सरकार को कई बार हम लोगों ने लिखा कई बार कहा लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की हम चाहते हैं इसमें तत्काल व्यवस्था कराई जाए।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, जिस प्रश्न की ओर माननीय रेवती रमण सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया मैं भी आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सैकड़ों लोगों की मृत्यु के बाद भी इस तथ्य के बावजूद भी कि राजधानी के चिकित्सालय में नित्य दर्जनों मरीज, दर्जनों रोगी हैपेटाइटिस जो पीलिया की एडवांस स्टेज है, भर्ती हो रहे हैं सदन में पहले भी यह प्रकरण आ चुका है और शासन से इस सम्बन्ध में बयान भी आया कि एक अधिकारी को हटा दिया गया। अगर एक अधिकारी जिम्मेदार था तो उसको हटाकर पीलिया रुक जाना चाहिए था। अगर पीलिया नहीं रुका तो निश्चित रूप से और लोग जिम्मेदार होगें तो क्या शासन ने जांच कराई हैं? पीलिया और हैपेटाइटिस - बी के रोगी अस्पतालों में भर्ती हो रहें हैं। लोग मर रहें हैं क्या सरकार की संवेदनशीलता का यही परिचय है? कि मरने वालों की तादाद रोकने के लिए, कोई कदम न उठाए। बड़े अफसोस की बात है जो लोग समृद्ध हैं वह तो एक्वागार्ड लगा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास सरकारी नल से पानी लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है एक्वागार्ड नहीं हैं, कोई साधन नहीं है, वह गरीब इन मौतों का शिकार हो रहें हैं। यह लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार है गरीबों की परवरिश करती है, और जिस राजधानी में स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद हो, डी0जी0 मौजूद हो, सैकड़ों डाक्टर्स मौजूद हों, मेडिकल कालेज मौजूद हों वहां पर बीमारी का प्रकोप नहीं रुक सकता है तो मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे रुकेगा?

मान्यवर, गुजरात में प्लेग फैला था तो उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई थी। भय का वातावरण पैदा हुआ था, अफरा तफरी मची हुई थी अराजकता थी तो यह मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जो कि देश के प्रधान मंत्री का क्षेत्र हैं पीलिया का प्रकोप नहीं रुक सकता है, सरकार इसकी जांच नहीं करा सकती है कि क्या तथ्य हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि अराजकता और भय का वातरवरण पूरे उत्तर प्रदेश में फैले तो हमारा स्वास्थ्य विभाग शासन किस तरह से रोक पायेगा यह सदन जानना चाहता है। इससे ज्यादा अविलम्बनीय

लोक महत्व का कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है। सैकड़ों लोग पीलिया और हैपीटाईटिस-बी से मर रहें हैं और ये लोग चैन की बंसी बजा रहें हैं। तो इससे ज्यादा लोक महत्व का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं हो सकता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह अति लोक महत्व, अविलम्बनीय और तात्कालिक प्रश्न है। जो कार्य स्थगन के लिए तीन बिन्दु आवश्यक है मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा बिन्दु नहीं हो सकता है। मान्यवर, कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था देखे। मान्यवर, एक डेढ़ महीने से निरन्तर प्रदेश की राजधानी में प्रत्येक अस्पताल में रोज सैकड़ों की संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं और काल कालवित हो रहें हैं और इसके बाबजूद भी सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मान्यवर, उड़ीसा से मेरे एक रिश्तेदार सपरिवार आने वाले थे। लेकिन वे मेरे घर अकेले आये। जब मैंने पीने के लिए पानी दिया तो उन्होंने यह कहा कि मैं पानी अपने साथ लाया हूं वे अपने साथ बिसलेरी की बोतल लेकर आये थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले क्यों आये हैं तो उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया था कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीलिया फैला हुआ है इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मैं अकेला ही आया हूं। मान्यवर,आज सरकारी आंकड़े के अनुसार 100 लोगों की मृत्यु हो गयी है। आज पीने का पानी प्रदूषित हो गया है क्योंकि सीवर लाइन और पाइप लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिसके कारण यह पानी प्रदूषित हो रहा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। इसमें तात्कालिकता भी है और अविलम्बनीयता भी है इसलिए इसपर चर्चा करायी जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं इसके तकनीकी पक्ष तक अपने को सीमित रख रहा हूं। मान्यवर, पानी से ज्यादा आवश्यकता और किसी चीज की नहीं हो सकती है। यह जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। जिनके कब्जे में नगर निगम और जिला पंचायत हो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री कब्जे में हो और जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, वह देश के प्रधान मंत्री हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक जिनका परचम लहरा रहा हो वहां पर सैकड़ो लोग पीलिया से मर रहें हैं और आप लोग उनको शुद्ध पानी नहीं मुहैय्या करवा पा रहें हैं। मान्यवर, अब यह तो नहीं कह सकते हैं कि यह पिछली सरकार का पानी है जो हम पिला रहें हैं। जो गड़बड़ी आयी है तो यह उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि प्रदेश की राजधानी में, नगर निगम जिनके कब्जे में हों, शुद्ध पनी नहीं दे पा रहें हैं। मान्यवर, 100 लोग मर गये हैं और लाखों लोग प्राभावित हैं। लखनऊ का पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उद्योग करने के लिए जो लोग लखनऊ की बाजार की तरफ आते थे आज वह पड़ोसी जनपदों में जा रहें हैं।

मान्यवर, इससे ज्यादा कोई दूसरी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। जब राजधानी को नहीं बचाया जा सकता तो प्रदेश के अन्य दूरदराज के इलाकों की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता हैं? मान्यवर, इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नगर निगम पर हमारा कब्जा नहीं है, वहां विधिवत् निर्वाचित मेयर बैठे हुए हैं। 27-2-99 में यह घटना की जानकारी मिली। तुरन्त बैठक बुलायी गयी इसमें सारे लखनऊ के स्वास्थ्य अधिकारी यहां के स्वास्थ्य निदेशक, महानिदेशक उपस्थित थे वहां पर नियंत्रण के उपायों पर विचार किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई 4-3-99 को इस बात पर बल दिया गया कि सुपर कलोनीरेशन होना चाहिए पानी का, मान्यवर, 4,76,285 क्लोरीन की गोलियां आम पब्लिक में वितरित की गयी। पाइप लाइनों को ठीक कराया गया है।

(व्यवधान)

एक घटना यह होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का काम किया गया जाता है। मान्यवर, कुल 15 लोगों की मृत्यु की बात आयी है हमारे सामने और 510 ऐसे रोगियों की जानकारी हुई है जो भर्ती हुए थे अस्पतालों में आज स्थिति पर नियंत्रण हैं। इसके लिए यहां के नागरिकों को यहां के स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले अधिकारियों को भी वास्तव में बधाई देते हैं कि इतने प्रभावी तरीके से इस पर नियंत्रण किया गया इस पर और महामारी का प्रकोप कम होता जा रहा है। जितनी शिकायतें आती हैं, इलाज के लिए तुरन्त व्यवस्था की जाती है। साढ़े सात बजे से साढ़े आठ बजे तक हमारे अधिकारी नमूने इकट्ठे करते हैं।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

हर जगह जा-जाकर के, हर बस्ती के लिये टीम बनी है जो देख रही है, पानी में मिलावट तो नहीं है, क्लोरीनेशन हुआ कि नहीं। यह सारे उपाय किये जा रहें हैं। खुले, कटे फल जो बाजार में बिकते हैं, उनको प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार सरकार पूरी तरह सजग है और इसके ऊपर नियंत्रण कर लिया गया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उम्मीद करता था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री वह कारण बतायेंगे कि अभी भी यह बीमारी क्यों जारी है। अभी कल तक मौतें हुई हैं। पीलिया और हैपेटाइटिस से मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और मंत्री जी कह रहें हैं कि कन्ट्रोल कर लिया गया है यदि कन्ट्रोल कर लिया गया है तो फिर दिल्ली से कल क्यों टीम बुलाई गई है, इससे स्पष्ट है कि जो सरकार ने उपाय किये हैं, वह उपाय कारगर नहीं हैं। मोतें होती जा रहीं है, पीलिया और हैपेटाइटिस बराबर फैल रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस बात की जांच करवायें कि जब इस मौसम में बरसात भी नहीं है तो यह बीमारी क्यों फैली? यह केवल लखनऊ का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश में महामारी के रूप में यह फैल रही है, इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किया है, यह बतायेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सरकार ने प्रभावी उपाय किये हैं, इसलिये यह बीमारी आगे नहीं फैल पाई, संख्या मैंने बता दी कि जो अधिकारिक सूचना है, उसके अनुसार केवल 15 मौतें हुई हैं, इसको हल्केपन से नहीं लेना चाहिये, अब इसको नियंत्रित कर लिया गया है और प्रभावी कार्यवाही की गई है, परिणाम सब सामने आ रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इतना गम्भीर विषय है और राजधानी में 100 लोग मरे हैं और मंत्री जी केवल 15 बता रहे हैं। लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह भी पता नहीं हैं, अभी कल तक मौतें हुई हैं। मुझे तो लगता है कि इस सरकार का पानी मर गया है, इस सरकार के निर्णय के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् अग्राह्य पाते हुए इस सूचना को निरस्त करता हूं। किन्तु मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और मेरा सुझाव है कि इस बात को सुनिश्चित करा लें कि क्या क्लोरीनेशन से हेपेटाइटिस के वायरस पर असर पड़ता है। यदि असर नहीं पड़ता है तो क्या कारगर कार्यवाही करके इस वायरस को रोका जा सकता है। अगली सूचना मुन्ना चौहान की है।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है मान्यवर, आपसे और मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जायेगा।

* श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय अचंल है, उत्तराचंल, वहां के बारे में एक शासनादेश है कि वहां तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां होगी तो इन नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को कन्सीडर किया जायेगा। निरन्तर विगत 2 वर्षो से यह सिलसिला चलता आ रहा है कि जब कभी भी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां होती है, जो शासनादेश में इन्तजामात किये गये हैं, उनको डाइल्यूट करके बाहर से भर्ती कर ली जाती है। इस शासनादेश को पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। यदि यह वर्तमान सरकार सिद्धान्ततः इससे सहमत नहीं है, यदि सरकार समझती है कि यह गैर कानूनी रियायत है तो इस सम्मानित सदन में ऐलान करें कि सरकार ने इस शासनादेश को वापस ले लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन जैसा हम सभी जानते हैं कि सरकार चलाने की अपनी एक प्रक्रिया है लेकिन यह कोई आधार नहीं है कि अगर पिछली सरकार के समय में कोई शासनादेश हुआ है या कोई आदेश जारी किया गया है उसका पालन न किया जाय। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तरांचल के नवयुवकों के विरुद्ध षडयंत्र कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड द्वारा भर्ती की प्रक्रिया वहां पर चल रहीं है लेकिन उत्तरांचल के जो ट्रेण्ड अप्रैन्टिस हैं उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इस प्रकार के शासनादेश हैं कि समूह 'ग' और 'घ' के लोगों की जो भर्ती होगी तो वहीं उत्तरांचल के लोगों को भर्ती किया जायेगा लेकिन मान्यवर, इस प्रकार के शासनादेशों का वहां पर खुल कर उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तरांचल क्षेत्र के जो पद हैं वह दूसरे लोगों से भरे जा रहे हैं।

उत्तरांचल क्षेत्र के जो पद हैं उनके लिए अलग से सूची बनायी जायेगी इस प्रकार के आदेश हैं लेकिन उनकों यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान नहीं रहीं है और जो वहां के गरीब और बेरोजगार हैं उनको अपनी नौकरी के सिलसिले में लखनऊ आना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। उत्तरांचल के जो लोग लखनऊ आते हैं उनको 7-8 सौ कि0मी0 आना पड़ता है और यहां लखनऊ में उन्हें दर-दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। चयन की प्रक्रिया आप वहीं कर सकते थे लेकिन आपने नहीं कराया मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश दिनांक 3-1-98 के द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिये गये थे कि अप्रैन्टिसों को उपलब्ध रिक्तियों पर समायोजित कर दिया जाय परन्तु विद्युत परिषद् ने उत्तराखण्ड क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखण्ड क्षेत्र के उन अप्रैटिंसों को समायोजित करने की कोई व्यवस्था नहीं की है जिन्होंने विद्युत परिषद् में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें, उनकी बात आ गयी है।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, दो-तीन मिनट और दे दें। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड0, एल0टी0 व सी0पी0एड0 प्रशिक्षित अध्यापकों की मेरिट लिस्ट प्रदेश स्तर पर बनाई जा रही है जबकि उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिए पृथक मेरिट लिस्ट वहीं के ही अभ्यर्थियों में से बनाई जानी चाहिए। लेकिन यह नहीं हो रहा है, आप उत्तरांचल के नौजवानों के साथ षडयंत्र कर रहें हैं आप उनको इस सुविधा से वंचित कर रहें हैं। मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में एल0टी0ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्तियों को यह कह कर रोका जा रहा है कि इसमें उत्तराखण्ड क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाय। इन सभी कारणों से उत्तरांचल के नौजवानों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

श्री अधिष्ठाता-

आप उदाहरण न बतायें, अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, यह सब मेरी सूचना में हैं मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं मैं केवल ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। आप मेरी बात सुन लें। मान्यवर, बेसिक शिक्षा नियमावली, 1993 उत्तरांचल के अन्तर्गत वर्ष 1995 में बी0एड0 एल0टी0 प्रशिक्षितों की वर्षवार वरीयता सूची एवं साक्षात्कार लेकर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्तियां की गयी जिसमें लगभग 400 प्रशिक्षितों को नियुक्तियां दी गयी, इसी क्रम में 27 प्रशिक्षितों ने भी आवेदन देकर साक्षात्कार दिया था लेकिन मान्यवर, निम्न वरीयता क्रम वाले लोगों को नियुक्तियां दी गयी। मान्यवर, इन लोगों ने न्याय पाने के लिए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की जिसका अन्तिम फैसला 17-12-96 को हुआ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया कि उनको नियुक्त किया जाय लेकिन प्रशासन ने उस निर्णय के विरुद्ध पुनः विचार याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर दी जिसे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 9-2-98 को निरस्त कर दिया और आदेश को लागू करने के लिए कहा लेकिन उन 27 लोगों को आज तक नौकरी नहीं दी गयी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सभी सूचनाओं पर एक-एक मिनट सुन लिया जाय लेकिन यह 56 का विषय अभी तक चल रहा है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज विनियोग विधेयक पास होना है। माननीय मुन्ना जी धारा प्रवाह में बोल सकते हैं मुझे उनकी विद्धता पर कोई शक नहीं है लेकिन आज मजबूरी है विनियोग विधेयक यहां से पास होकर दूसरे सदन में जाना है कम से कम इसको देख लें।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, आपके आदेशों का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल की जो रिक्तियां हैं उनको वहीं के नौजवानों से भरा जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग तो मेरा समर्थन करते ही नहीं हैं, इधर के लोग भी मेरी बात का समर्थन नहीं करते हैं मैं आपकी बात का संरक्षण चाहता हूं। मैंने आपसे 8-10 मिनट के लिए कहा था अगर इससे अधिक समय हो जाये तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सारी बातें आ गयी हैं, अब आप समाप्त करें।

(संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन्, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, आप मुझे संरक्षण दें। माननीय अध्यक्ष ने मेरी सूचना को स्वीकार किया है और इसी कारण मैंने इस पर अपनी बात रखी है। आप माननीय मंत्री से उत्तर दिला दें। सरकार की इस पर प्रतिक्रिया तो आ जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें तो।

धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। अपनी बात कहना भी एक गुण है लेकिन दूसरे की बात को सुनना उससे भी बड़ा गुण है। मैं प्रस्तुत सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री जिनकी ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया, निरस्त करता हूं किन्तु यदि कहीं शासनादेशों का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे प्रकरणों को निकलवा लिया जाये।

श्री श्रीराम पाल-

बुन्देलखण्ड के झांसी मण्डल के जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें झांसी डिवीजन जल संस्थान द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है और जो पीने के पानी के मूल्य की दरें हैं वह बहुत अधिक हैं। पहले यह दर 12 रुपये थी, फिर 20 रुपये हुई, फिर 40 रुपये हुई और अब 60 रूपये हो गई है। मान्यवर जलमूल्य की दरे निरंतर बढ़ रही हैं। मान्यवर प्रत्येक व्यक्ति दो रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पानी का मूल्य दे रहा है। मान्यवर वहां झांसी डिवीजन जल संस्थान की एक कमेटी हैं, उसमें सदस्य है और उन सदस्यों की बैठक होती है जिसमें कि जलमूल्य का निर्धारण होता है। लेकिन बड़े अधिकारियों की मनमानी के कारण वहां पर जलमूल्य की दरें निरंतर बढ़ाई जा रहीं हैं।

जब वर्ष 97-98 में जल मूल्य की दरें 60 रुपये हो गई तो सरकार ने शासनादेश जारी कर पिछली दरों पर वसूली के आदेश दिये और अब इस समय सरकार ने ऐसा असंवेदनशील काम किया है कि पिछली दरों और पिछले बकाये दोनों को एक साथ वसूल किया जा रहा है जिससे आम गरीब आदमी, रिक्शावाला, ठेले वाले से 2-2 हजार से 5-5 हजार रुपये तक जबरिया वसूल किया जा रहा है। जब सरकार प्राकृतिक चीज पानी निःशुल्क नहीं दे सकती है तो फिर क्या दे सकती है। आज मैंने जो यह विषय उठाया है यह लाखो लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। मान्यवर इस विषय पर सरकार द्वारा तत्काल कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर जालौन से लगा हुआ नगर है कानपुर जहां कि पानी सस्ता है और यमुना के पास यही पानी तीन गुने दामों में मिल रहा है। जैसा भेद-भाव उत्तरांचल के साथ किया जा रहा है ठीक वैसा ही भेद-भाव बुन्देलखण्ड के साथ किया जा रहा है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब जनता को देखते हुए वहां पानी पर सब्सिडी प्रदान करेगी?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय सदस्य ने यदि 17 फरवरी, 1999 का शासनादेश पढ़ लिया होता तो उनकी इस शंका का समाधान हो जाता। मान्यवर दो शासनादेश जारी किये गये हैं। शासनादेश 7-6-97 में था कि 31-12-94 को बढ़े हुए रेट की वसूली न की जाये तथा जलकर की कोई बकाया धनराशि यदि किसी पर है तो उसे बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था की जाये। मान्यवर 31-10-98 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि यदि झांसी जल संस्थान द्वारा जलमूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो बढ़ा हुआ मूल्य उपभोक्ता से उसी दिन से लिया जायेगा जिस दिन से मूल्य बढ़ाया जाये।

मान्यवर, तो स्पष्ट बात कही गयी है, यह तो वहां के उपभोक्ताओं के हित में किया गया है।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, एकमुश्त जो वसूली हो रही है, उससे गरीब आदमी परेशान हो रहा है मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शासनादेशों का हवाला दिया है, उनका अनुपालन किया जाये तथा अधिकारियों को मनमानी करने से रोका जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री श्रीराम पाल तथा संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम-56 के माध्यम से आपके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि प्रदेश में चलने वाले 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापकों से कार्य चलाया जा रहा है। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 से लेकर कक्षा-5 तक की पढ़ाई होती है, पांच क्लासेज होती हैं और पूरे विद्यालय को एक अध्यापक चलाता है, 60 प्रतिशत विद्यालयों में यही स्थिति है। मान्यवर, एक अध्यापक कैसे पठन-पाठन का कार्य सम्पन्न कर सकता है, उसको आये दिन ब्लाक स्तर की बैठकों में जाना होता है, और भी अनेक बैठकों में उसे जाना होता है, भवन निर्माण का दायित्व भी उसे ही सौंप दिया गया है, अनेक बैठकों में उसे जाना है।

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का घोर अभाव है, यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है। आज 2 करोड़ 70 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में छात्र हैं, और एक अध्यापक पर लगभग 80-90 की छात्र संख्या का औसत आता है और जो मानक है, वह 40 का है। बेसिक शिक्षा के साथ इस तरह की उदासीनता बरती जा रही है, नए स्कूल खोले जा रहें हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं और न ही उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, जितने अध्यापकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाता है, उससे अधिक रिटायर हो जाते है, प्रति वर्ष नये विद्यालयों का सृजन हो रहा है, करोड़ों रुपये विद्यालय भवन बनाने पर व्यय किये जा रहे हैं, लेकिन इन विद्यालयों के लिये अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मान्यवर, जो गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, अपने बच्चों को बेसिक विद्यालयों में पढ़ने भेजते हैं और पढ़ाई का ऐसा स्तर होने के कारण उनकी नींव कमजोर हो रही हैं।

मान्यवर, माध्यमिक विद्यालयों हेतु भी पिछले 15 वर्षों से नये पदों का सृजन नहीं हुआ है, उतने ही पद चले आ रहें हैं जब कि बच्चों की प्रवेश संख्या निरन्तर बढ़ रही है। मान्यवर, हाईस्कूल और जो अनुदानित विद्यालय हैं उनमें भी नये पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर माध्यमिक विद्यालयों तक सभी में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, मान्यवर, यह बहुत चिन्ता का विषय है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बारे में यदि ऐसा आचरण होगा, यही सरकार की प्राथमिकता होगी तो इससे ज्यादा ओर कोई गम्भीर विषय नहीं हो सकता है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की यदि यही स्थिति रही तो हम कैसे नये वैज्ञानिक तैयार कर सकेंगे, और कैसे हम समाजशास्त्री तैयार कर पायेंगे?

यह प्रदेश को पीछे ले जाने का एक प्रतिगामी कदम है। आज माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ज्यादा महत्व का कोई और विषय नहीं हो सकता है। इसलिये इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

सारे प्रदेश में 2 लाख 78 हजार, 229 सहायक अध्यापकों के पद हैं जिन पर 2 लाख 51 हजार अध्यापक कार्यरत हैं। 27 हजार पद रिक्त हैं जिनको भरने के लिये आपके सामने सारा कार्यक्रम चल रहा है। इस सम्बन्ध में बार-बार प्रश्न भी आ चुके हैं और चर्चा के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है। अध्यापकों के भरने की कार्यवाही जब पूरी हो जायेगी तो अध्यापक उपलब्ध हो जायेगें और माननीय सदस्य की शिकायत स्वतः दूर हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अशोक बाजपेयी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मुझे अवसर दे दें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री भोला शंकर मौर्य श्री योगेन्द्र कुमार श्री प्रेमपाल सिंह यादव की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री रामजग, श्री विनोदमणि, श्री राम औतार शाक्य की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री राम जग-

मान्यवर, मुझे सुन लें मेरी सूचना महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

अगली सूचना श्री दीपक कुमार की है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री अरविंद गिरि एवं श्री संजय गर्ग एवं श्री सरवर अली, श्री रामचन्द्र यादव कुंवर रेवती रमण सिंह एवं श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री कौकब हमीद एवं श्री राम नरेश यादव, एवं श्री चन्द्रनाथ सिंह, एवं श्री छोटेलाल गंगवार एवं श्री बाबू खां एवं श्री छोटेलाल, राजभर एवं श्री विनोद मणि एवं श्री उबैदुरहमान एवं श्री अवधेश प्रसाद एवं श्री बाबू लाल कुशवाहा श्री आर0 के0 सिंह पटेल एवं श्री विजय पाल सिंह एवं डा0 धर्मज्ञ मिश्र एवं श्री जगदीश नारायण राय एवं श्री सतीश जतारिया एवं श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद एवं श्री बुनियाद हुसैन अंसारी एवं श्री रामसिंह सैनी एवं श्री रामऔतार मिश्र एवं श्री सत्य प्रकाश सोनकर एवं श्री अम्बिका चौधरी व प्रभुनारायण सिंह यादव एवं श्री चेतराम की सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, यह सरकार गूंगी और बहरी हो गयी है। मेरी बात नहीं सुनी जा रही है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री दद्दू प्रसाद सदन त्याग कर चले गये)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं0-26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमागत

श्री रामवीर उपाध्याय का नाम पुकारा गया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

आप बता दें कि मुझे कितना समय देते हैं?

श्री अधिष्ठाता-

आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सदस्य संख्या को देखकर उसके आधार पर आप समय दें।

(श्री रामवीर उपाध्याय का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा अनुमति न दिये जाने के उपरान्त भी श्री राम जग अपने स्थान से कुछ कहते रहे।)

* श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में अपराध दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े हैं। अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता। इस सम्मानित सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक सचिवालय नही 3 समानान्तर सचिवालय काम कर रहें हैं। एक सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में काम कर रहा है और दूसरा सविचालय राज पैलेस, अलीगढ़ में मुख्यमंत्री के पुत्र द्वारा चलाया जा रहा है और इस मिनी सचिवालय के द्वारा प्रदेश का करोड़ों रूपया लूटा जा रहा है। रोजाना लालबत्ती और नीली बत्ती वाले अधिकारी जितना मुख्यमंत्री सचिवालय में नहीं आते हैं उससे ज्यादा मिनी सचिवालय में आते हैं। इसी डेढ़ साल के शासन में मिनी सचिवालय के द्वारा 700 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा चुका है। इसी के समानान्तर राजाजीपुरम् में भी सचिवालय चलाया जाता हैं और करोड़ो रुपया राजाजीपुरम् सचिवालय द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। इस तरह से पूरे प्रदेश में 3 सचिवालय चल रहें हैं। कल्याण सिंह का विरोध 50 माननीय सदस्यों ने किया, क्यों किया? इसलिए किया कि वहां के विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश के विधायक प्रताड़ित हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त रहें। रामवीर जी आप अपनी बात कहें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करें। मान्यवर, नेता सदन की नीयत में बहुत बड़ा फर्क है जिसके चलते कानून-व्यवस्था धवस्त हो गयी है। मुख्य मंत्री जी अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति को चुस्त-दुरुस्त कर रहें हैं। ....व्यवधान ..... सात सौ करोड़ रुपया कल्याण सिंह तथा उनके परिवार द्वारा, इकट्ठा किया गया है और मेरी बात का विश्वास न हो तो सदन की कमेटी से, सी0बी0आई0 से जांच करवा लें। मान्यवर, यह सरकार दलित विरोधी है प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे दुरूस्त होगी। मैं कह देना चाहता हूं कि श्रीराम अरूण को पुलिस प्रमुख

पद से हटाया गया। अगर पुलिस महानिदेशक बनाना था तो श्री द्विवेदी, आई0पी0एस0 अधिकारी थे जो कि ईमानदार, कतर्व्यनिष्ठ और सीनियर थे उनको बनाते लेकिन आपने उनको नहीं बनाया क्योंकि कल्याण सिंह (× × ×) विरोधी हैं। आपने प्रमुख सचिव व मुख्य सचिव के पद पर किसी दलित को नहीं बैठाया। केवल उन अधिकारियों का एप्वाइन्टमेंट किया जा रहा है जो तीनों मिनी सचिवालयों में (× × ×) व्यवधान.... में 9 फरवरी को भाजपा के कुछ सांसदों और विधायकों की मीटिंग हुई अध्यक्षता राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने की।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रामवीर अपाध्याय-

उस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रदेश का मुख्य मंत्री (×××) होना चाहिए।

(व्यवधान जारी)

साक्षी जी के साथ सुरक्षा की पूरी स्कवाड है, राजू के साथ जो विधायक भी नहीं है । कमाण्डों हैं। यह मुख्य मंत्री (×××) रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह लिखा नहीं जाएगा। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मैं सच-सच कह रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता जी आपने श्री उपाध्याय जी को जो समय दिया है उस समय में अगर उनकी बात को रखने नहीं दिया जाएगा तो आगे के वक्ता कैसे अपनी बात रखेगें ?

श्री अधिष्ठाता-

मैंने पांच मिनट का समय दिया था, वह पूरा हो गया।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मेरी बात को दो मिनट में ठीक से सुन लिया जाए।

नोट- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय उपाध्याय जी आप स्थान ग्रहण करें। यह तरीका ठीक नहीं है नहीं तो मुझे और नियमों का उपयोग करना पड़ेगा। आप दूराग्रह कर रहे हैं। 5 मिनट से निवेदन कर रहा हूं आप मान नहीं रहे हैं मुझे नियमों के तहत कड़ा आदेश देना पड़ेगा।

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री-

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रयास तो यह होना चाहिए था कि जिस गम्भीरता के साथ कल माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तथा अन्य माननीय नेतागण ने अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत कर माहौल बनाया था उसी माहौल में आज भी चर्चा होनी चाहिए थी परन्तु कुछ माननीय सदस्यों को इस बात की महारथ हासिल हो गयी है कि वे अनर्गल आरोप लगाकर सदन का माहौल खराब करना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक माननीय सदस्य आपके निर्देशों के बाबजूद भी खड़े होकर ऐसे व्यक्तियों का नाम लेकर (व्यवधान) मेरा आग्रह यह हैं कि नियमों परम्पराओं और शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही चले इसलिए आप एक समय सीमा निर्धारित कर दें। साढ़े चार बजे माननीय नेता सदन बोलना चाहते हैं और उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष भी आधा घन्टा बोलेंगे क्योंकि साढ़े पांच बजे इस विधेयक को पास होकर अपर हाऊस में जाना है इस बात से सभी लोग सहमत होंगे इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसी कार्यक्रम के अनुसार आप कार्यवाही चलाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय नेता विरोधी दल को आमंत्रित कर रहा हूं।

(श्री राम वीर उपाध्याय के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि अभी चार बज रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय उपाध्याय जी आप वही कार्य कर रहे हैं, आप पीठ के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। माननीय मौर्या जी आप श्री उपाध्याय जी को नियंत्रित करें।

श्री हुकुम सिंह-

आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप कार्यवाही करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप पीठ के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मौर्या जी मैं बार-बार निर्देशित कर रहा हूं लेकिन माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया उन्हें बैठायें।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

(माननीय सदस्यों के जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सीधे-सीधे इंगित करिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उपाध्याय जी, क्या कह रहे हैं?

(व्यवधान)

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री रंग नाथ मिश्र)-

मान्यवर, यह बोल चुके हैं। आधा घंटा हो गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त हो जायं।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

माननीय सदस्य ने कुसुम राय का नाम तो लिया नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। यह ठीक है कि माननीय उपाध्याय जी काफी देर से बोल रहे हैं। इससे पहले कि मैं कोई बात कहूं। एक दो बात मैं भी सुन लूं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं सामान्य प्रशासन के अलावा कोई बात नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में माननीय प्रमोद कुमार, स्वामी प्रसाद मौर्य व धनी राम वर्मा जी ने काफी विस्तार से कहा था। कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गयी? मंत्रिमण्डल में बहुत सारे हमारे साथी मंत्री (× × ×) हैं। इस तरह की बात कल कही गई थी।

नोट :-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह अपेक्षा करता हूं कि कोई संवेदनशील बात आप न कहिये तो अच्छा रहेगा इससे सदन का वातावरण भी उत्तेजित नहीं होगा।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जब हम पढ़ा करते थे तो माननीय कल्याण सिंह जी का भाषण सुना करते थे। नैतिकता, पारदर्शिता, सामाजिक समरसता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भयमुक्त समाज ऐसी बातें सुनने को मिलती थीं। बड़ी खुशी होती थी कि हमारे जनपद के इतने अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये व्यक्तिगत आक्षेप न लगायें। यह ठीक नहीं हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं बी0जे0पी0 के करीब 50 सम्मानित सदस्यों ने यह हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया कि कल्याण सिंह को हटाओ। यह परिस्थितियां क्यों पैदा हुई?

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये। जैसा कि आपको काफी समय हो गया है अपनी बात कहते हुए। मैं क्यों अनुरोध कर रहा हूं? साढ़े पांच बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होना है। माननीय नेता विपक्ष ने कटौती का प्रस्ताव रखा है और स्वाभाविक है कि वो उत्तर देंगें। मुझे जो अनुमान दिया गया है लगभग 25 मिनट आधे घंटे नेता विपक्ष बोलेंगे और उसके बाद आधे घंटे माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। आप लोगों की बातों का सार संक्षेप पहले भी आ चुका है। आपने बहुत विस्तारपूर्वक अपनी बात कह दी है। समय सीमा है। एक घंटे 10 मिनट का समय है उसके अन्दर सारे कार्य करने हैं जो मैंने बता दिया। माननीय नेता विपक्ष विवेकशील हैं अपने भाषण का समय के अनुसार समाप्त करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी भी उत्तर देंगे, इसलिए मेरा अनुरोध है अब कृपया समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री रामवीर उपाध्याय-

दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी इस सम्मानित सदन के सदस्य थे उनकी हत्या की गई उत्यारों को दुरुस्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, इसका क्या संदर्भ दे रहे हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ब्राह्मणों के बल पर यह सरकार आई है आप भी ब्राह्मण है अगर आपकी सहमति से ब्राह्मणों पर ज्यादती होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता विपक्ष को निमंत्रित कर रहा हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

9 फरवरी को बैठक हुई उसमें प्रस्ताव पारित किया गया।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं कहता हूं कि समय का ध्यान रखें तो मेरे अनुरोध को कोई स्वीकार नहीं करता है। मुझे आए हुए सात मिनट हो गए हैं।

(श्री रामवीर उपाध्याय)

आगे नहीं लिखा जाएगा। जो आपत्तिजनक होगा वह कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जब बहुजन समाज पार्टी के लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सत्तापक्ष के लोग सदन के अन्दर भी (× × ×) करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जांए आपकी बात आ गई है। सदन में सब बुद्धिमान हैं। आप जो कहना चाहते हैं उसे समझ लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक प्रार्थना है इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है पूरे सदन में माइनारिटी के किसी सदस्य ने अपनी बात नहीं रखी कृपया सौलत अली जी को दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल की अनुमति है। 4.15 पर आप समाप्त कर दीजिएगा, निगाह घड़ी पर रखिएगा हम सुनते रहेंगे।

नोटः- (×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

श्रीमन् सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बड़े आंकड़े गिनाए मा0 मुख्य मंत्री ने जो एयरकंडीशन कमरे में बैठकर अधिकारियों ने बनाए होंगे एक वाकया बताना चाहूंगा-रेगिस्तान में जब तूफान आता है तो शुतुर्मुर्ग जमीन में मुंह देकर बैठ जाता है वह समझता है तूफान थम गया और जब जमीन से मुंह ऊपर उठाता है, उसे तूफान की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है वह विचलित हो जाता है, माननीय मुख्य मंत्री जी की भी कुछ यही हालत है इस प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था की जो हालत है उसके बारे में कह रहे थे सरकार ने भयमुक्त समाज दिया है। जो आंकड़े हैं सही आंकड़े जो पत्रकार बन्धुओं ने आंधी-पानी में जाकर जान पर खेलकर इकट्ठे किये हैं वह बता दूं। आपकी सरकार में गत वर्ष 1998 में प्रति घंटा दो हत्यायें हुई हैं उत्तर प्रदेश में गतवर्ष 7,399 हत्यायें हुयी हैं। यह लखनऊ के आंकड़े बताये। 24 अपराधी पुलिस की हिरासत से फरार हुए हैं। इस वर्ष 1998 में 1800 घरों में चोरियां हुई हर दूसरे दिन एक हत्या हुई।

मान्यवर, 1999 में फरवरी के महीने में सीतापुर में 24 घन्टे में एक हत्या का औसत है सरकार की धमक और हनक का जिक्र बार-बार किया गया। तो उसका यह हाल है कि आज "गनर को भी गनर चाहिए"। डी0जी0पी0 के गेट के सामने दर्शन लाल की हत्या होती है, जो कि आरक्षी था उसकी कार्बाइन लेकर भाग जाते हैं, महानगर पुलिस चौकी के सामने मुख्य आरक्षी श्री पटेल की हत्या होती है उसकी भी कार्बाइन लेकर लोग भाग जाते हैं, वक्फ के मंत्री के गनर ए0यू0 खान की हत्या कर कार्बाइन ले जाते है और राजभवन के सामने जेल अधीक्षक रमाकान्त तिवारी की हत्या कर दी जाती है। तो यह इनके कारनामे हैं। यही नहीं इन राम भक्तों की सरकार ने अलीगंज में हनुमान भक्तों के ऊपर आतंक मचाया और उनकी पुलिस ने शराब पीकर वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उसको यह सजा नहीं दिला पाये हैं। मौलाना अली मियां जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और जो धार्मिक गुरू हैं उनके घर में नाजायज तरीके से तलाशी ली और उनको अपमानित किया। ओम प्रकाश पुत्र भोला नाथ लोधी के घर में, जो आलमबाग में रहते थे नं0 567/99 आनन्द नगर में है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, 4.15 हो गया है।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर सरनाम सिंह ने 1996 में जबरदस्ती उनके मकान पर कब्जा कर लिया उनकी दुकानों पर कब्जा कर लिया और वह 6 साल से शिकायतें और दरख्वास्त दे रहे हैं लेकिन यह कब्जा नहीं दिला पाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, अखबार में यह खबर छपी है कि अपराधियों के लिए यह लखनऊ एक सुन्दर अड्डा बनता जा रहा है। क्यों न हो एक डेढ़ दर्जन अब आपके मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे हैं जिनकी चर्चा यहां पर आये दिन होती है या शायद इसलिए कि आपकी सरकार का मुख्यालय इनकी शरणगाह बना हुआ है, या शायद इसलिये कि माननीय प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र यह है वहां पर ही अपराधियों की शरणगाह बना हुआ है तो क्या होगा? ईरान और ईराक का जिक्र कल किया गया कि वहां पर मा0 मुख्य मंत्री की बड़ी तारीफें हो रही है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अजादारी के जुलूस की तारीफ नहीं है। यहां से लखनऊ से जो अपराध के आंकड़े जा रहें हैं और आपकी सरकार के जो कारनामें जा रहे हैं इन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है कि आपने लखनऊ में क्या कर दिया है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इस बजट पर माननीय मंत्री जी की बातों का समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पहली बार।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े हो कर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप कृपया बैठ जायें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, पहली बार पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 17 अरब रुपये इसमें दिये हैं। मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस बल पर निर्भर होना पड़ता है। आज सदन में विपक्ष के सभी बन्धुओं ने सिर्फ आलोचना की, पुलिस की खिल्ली उड़ायी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कर दें।

श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यवर, पुलिस बल ने अच्छे-अच्छे काम भी किये हैं। जिन परिजनों की लाश नहीं उठती है या किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और लाश सड़ जाती है, ऐसे अवसर पर पुलिस उस काम को करती है। दुर्दान्त डाकुओं और आतंकवादियों को पकड़ने का काम जान जोखिम में डालकर करती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल्याण सिंह जी ने 17 अरब रूपये देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। 9 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती जिस ईमानदारी से करायी है शायद ही उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी के शासनकाल में ऐसी भर्ती की गयी हो। जहां तक अपराधियों के सम्बन्ध में का सवाल है.....

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

(व्यवधान)

मान्यवर, ददुआ के सम्बन्ध किस विधायक से हैं बसपा के दल के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहना चाहूंगा कि अपनी गिरेबान में झांककर देखें। मान्यवर, इसी तरह से (× × ×) को एक ब0स0पा0 के सांसद का संरक्षण प्राप्त है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो यह अनर्गल आरोप लगाये हैं उसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

अभी रामवीर उपाध्याय जी बोल रहे थे वे जब मंत्री थे उस काल का तो उन्होंने अभी तक (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, लिखा नहीं जायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

अभी ब्राह्मण विरोधी बात रामबीर उपाध्याय जी कर रहे थे मुख्य सचिव सुब्रहमणियम् को किसने बदला था, वे ब्राह्मण थे?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, कल भी यह बात हो रही थी कि व्यक्तिगत आक्षेप न लगाये जाएं।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी, कहीं भी व्यक्तिगत आक्षेप लगे होंगे तो मैं उन्हें निकाल दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी आरोप लगाया कि (× × ×) के सम्बन्ध हमारे एक विधायक से हैं।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

न उनका लिखा जायेगा और न अब आपका लिखा जायेगा। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो समय है उसी के हिसाब से विनियमित करना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बसपा के केवल एक माननीय सदस्य बोलें और सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए हमारे यहां रहने का क्या मतलब है? यह सरकार की (× × ×) सदन के अन्दर भी चलती है और बाहर भी इनके कृत्य हैं। सरकार की इस (× × ×) के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य बहिर्गमन करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपने दो मिनट का समय अपने समय में से जगदम्बिका पाल जी को दे दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने समय में से मुझे समय दिया है, मैं दो मिनट में अपनी बात रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मुझे कोई एतराज नहीं हैं, माननीय पाल जी बोल लें। मैं प्रातः कह रहा था कि नियम 300 में आप लोगों ने बहुत समय ले लिया। मेरी बात तो आप लोग मानते नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने...

श्री अध्यक्ष-

अब आप स्थान ग्रहण करें, मैंने केवल नेता विरोधी दल को ही आज्ञा दी है।

(श्री जगदम्बिका पाल द्वारा स्थान ग्रहण कर लेने पर)

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे। इन विचारों में बहुत सी बातें उभर कर सामने आई हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर कोई पकड़ नहीं हैं। पूरे प्रदेश में गुन्डाराज चल रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं और उसका जीता जागता उदाहरण मिल रहा है, वह यह है कि जब सत्ता पक्ष के लोग ही यह कह रहें हैं, अपने भाषण में, कि रिपोर्टो के दर्ज होने से कोई अपराधी नही हो जाता है तो श्रीमन् टाप टेन और टाप फाइव के नाम पर, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें, साधारण और आम जनता के खिलाफ कायम हुये हैं, इस प्रदेश के विभिन्न थानों पर तो उनके खिलाफ गुन्डा एक्ट और जिलाबदर तथा दूसरी कार्यवाहियां क्यों की जा रही हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इस सदन में सत्ता पक्ष में बैठे हुये कई ऐसे माननीय सदस्य, जिसमें कुछ मंत्रीगण भी हैं, जिनके खिलाफ 10-15-20 रिपोर्टें थाने में दर्ज हैं, तो फिर उनके खिलाफ गुन्डा एक्ट और दूसरी उत्पीड़न की कार्यवाही क्यों नहीं, सामान्य जनता के खिलाफ क्यों? मैं कहना चाहता हूं, कल यहां पर बहुत सी बातें ऐसी चलीं, मैं उनकी तह में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन हो रहा था तो कुन्डा में अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिये मुख्य मंत्री वहां गये थे और तब यह कहा था कि कुन्डा को गुन्डाविहीन कर देगें। मैं नहीं जानता, कुन्डा में गुन्डा कौन है, यह तो मुख्य मंत्री अपने भाषण में बतायेगें और यह भी बता दें कि कुन्डा में अमुक-अमुक गुन्डों को समाप्त कर दिया गया है और अब वहां कोई गुन्डा नहीं रह गया है अन्यथा यह बात फिर कोई महत्व नहीं रखती, जो बात उन्होनें वहां कही। क्या अब भी वहां पर गुन्डे मौजूद हैं? श्रीमन् सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह भी आरोप लगा डाला कि समाजवादी पार्टी के लोग हल्लाबोल में विश्वास रखते हैं। कहीं किसी पर हल्लाबोल करते हैं, कहीं किसी पर। श्रीमन् इनकी समझ में नहीं आता है कि यह हल्ला बोल है क्या? यह उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझतें हैं, हमारे उद्देश्य को नहीं समझते हैं। श्रीमन् यह हल्ला बोल हमारी पार्टी द्वारा उन व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने के लिये एलान करता है, जैसे किसान मजदूर का जब शोषण होता है, हमारी पार्टी आवाज उठाती है, नारा देती है।

बोल मजदुरवा हल्ला बोल, बोल किसनवा हल्ला बोल,यह इसलिए कहा गया कि किसान और मजदूर शोषित हैं और पीड़ित हैं इसलिये हल्ला बोलने का नारा दिया गया है। इसका आशय यह है कि अपनी बात जोरदार ढंग से कही जाय, जिससे गूंगी और बहरी सरकार, यह भाजपा की सरकार सुन सके और उनके दुख-दर्दों को समाप्त करें। पता नहीं इन्होंने कैसे अर्थ का अनर्थ कर डाला। बहुत से कवि हैं, उन्होंने कवितायें लिखी हैं उनकी कविताओं के एक से अनेक अर्थ होते हैं, कोई उसका कोई अर्थ निकाल लेता है और दूसरा कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता हैं, जो अपने लिये हितकर होता है वह उसका अर्थ निकाल लेता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो हल्ला-बोल कार्यक्रम है उसका अर्थ इन्होंने कुछ से कुछ निकाल लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि आई0एस0आई0 की गतिविधियां 23 दिनों तक सीमित हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के 83 जिलों में से 56 जिले ऐसे हैं जहां पर आई0एस0आई0 की गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही है और लगभग 20 हजार आई0एस0आई0 के ऐजेन्ट पूरी तरह से कार्यरत हैं। इस सरकार के पुलिस विभाग का बजट है, जो आज पेश है और जिस पर मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है। मेरा कटौती का प्रस्ताव इसलिए सार्थक है कि प्रदेश के 56 जिलों में आई0एस0आई0 के लोग सक्रिय हैं, आपकी पुलिस कहां है, आपकी सरकार कहां है। श्रीमन् अगर इसी तरह से इस सरकार का सोचने का ढंग रहा और विरोध पक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे, तो क्या होगा? अगर हमारी बात गलत है तो आप न माने लेकिन सुझाव के तौर पर विपक्ष के जो माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं उस पर विचार अवश्य होना चाहिए और विचार करने में अगर सत्यता होती है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए अन्यथा कार्यवाही करने के लिए बाध्य न हों। अगर हमारे पक्ष का कोई सदस्य गलत कहेगा तो हमें बता दीजिएगा कि बात गलत है तो मैं क्षमा याचना कर लूंगा। श्रीमन् मैं इस बात की अपेक्षा करुंगा एक विधायक के हाथ में कुछ है नहीं, वह तो बेचारे हैं, उनमें बहुत ज्यादा पीड़ा है कि उनकी बात यहां पर सुनी नहीं जा रही है, वह भी उत्पीड़ित है, हम लोग भी उत्पीड़ित हैं कि विपक्ष के हैं, लेकिन वह सत्ता पक्ष के हैं फिर भी उत्पीड़ित हैं, उनका कहना है कि उनका शोषण हो रहा है।

श्रीमन् इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण और मुख्य मंत्री जी उनका दोहन और शोषण करेंगे तो निश्चित तरीके से किसी न किसी दिन जो आग सुलग रही है, जिस पर राख डाल दी गई है वह जल उठेगी और फिर सर्वस्व स्वाहा हो जायेगा। फिर यह सरकार चलने वाली नहीं है। श्रीमन मैं यहां पर कह देना चाहता हूं, कुछ मसले ऐसे रह गये हैं, जो छूट गये हैं जो तत्काल 2-3 दिनों में ही घठित हुए हैं, जिन्हें यहां पर सदन में रखने का मौका नहीं मिला है, मैं एक दो मसलों के बारे में बताना चाहता हूं। पहला वाराणसी में चोलापुर थाना ग्राम दीवा का है जहां पाल समाज के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। श्रीमान उन पर कत्ल और डकैती का केस बनता है। जब उनकी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने जाया जाता है तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इससे ज्यादा और क्या दुराभाव हो सकता है। मात्र यह कहने से कि हमारी सरकार के समय में दंगें कम हुए, डकैतियां कम हुई, लूट कम हुई, मर्डर कम हुए, इससे कानून व्यवस्था ठीक तो नहीं हो जाती।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने रिपोर्ट ज्यादा लिखाई है इसलिए आंकड़े ज्यादा आये हैं। मान्यवर यह 17/18 का केस जो है इसमें रिपोर्ट नहीं लिखी गई। श्रीमान, इससे ज्यादा कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा कि जब मर्डर हो गया

और रिपोर्ट न लिखी गई हो। इसी तरह से जनपद सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के दामाद ने रेवसा थाने के अन्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी और रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मान्यवर यह आम बात हो गई है भाजपा सरकार के समय में। हमने तो 219 के नाम दिये, कार्यकर्ताओं की हत्यायें की गई हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास अभी बहुत कुछ कहने को है। श्रीमन् मैंने कल अपने कटौती के प्रस्ताव के दौरान कहा था कि जो पूर्व सांसद हैं, जो पूर्व विधायक हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो गनर दिये गये थे उनकी वापसी करवाई जा रही है। उनकी किसी भी समय हत्या हो सकती है। हत्या इसलिए हो सकती है क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं, वे कार्यकर्ता हैं, वे समाजसेवक हैं, उनके बहुत से गुण्डे और बदमाश दुश्मन होते हैं। क्योंकि वे नहीं बात उठाते हैं और सही बात पर बल देते हैं।

उनको सुरक्षा व्यवस्था से वंचित न किया जाये। उनको जैसे पहले गनर दिये जाते थे वैसे ही आज भी उनको गनर दिये जायें। मैं अपेक्षा करता हूं मुख्य मंत्री जी से। श्रीमन ।। तारीख को बुन्देलखण्ड बन्द के दौरान बांदा और जालौन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमें चलाये गये और वह भी बिल्कुल झूठे मुकदमे चलाये जा रहें है। उन दुकानदारों के माध्यम से मुकदमें दर्ज कराये गये और कहा गया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी दुकाने लूट ली। मान्यवर जब उन्हीं दुकानदारों ने यह कह दिया, एफिडेविट दे दिया कि उन रिपोर्टों पर उनके दस्तखत नहीं है, उनके द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस समाजवादी पार्टी के लोगों को भलीभांति जानता और पहचानता हूं। तो फिर इन झूठे मुकदमों के आधार पर उन कार्यकताओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही क्यों की जा रही है। ऐसे ही बांदा के लोगों ने लिख कर दिया है।

तो श्रीमन् यह लिख कर दिया जा चुका है। बांदा में तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने रिपोर्ट कराने की बात कही है, उससे कहा है कि उससे जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाई गयी और उसने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी और उसने घोषणा कर दी कि ऐसे झूठे लोगों के लिखाफ हम आवाज उठायेंगें और ऐसी पार्टी में कभी नहीं रहेंगे जो झूठों की हो, जिसकी कथनी और करनी में अन्तर हो। फिर भी मुकदमें वापस नहीं लिए गये।

श्रीमन्, 23 नवम्बर को बांदा में छात्रों ने एक जुलूस निकाला था और जैसा कल मैंने निवेदन कर दिया था श्रीमन् उन महाविद्यालयों के छात्रों के खिलाफ जो मुकदमें कायम हुए हैं, किसी जाति, धर्म, समुदाय के हों, हमें मालूम नहीं है लेकिन बांदा जाने पर मालूम हुआ कि 23 नवम्बर को उनके खिलाफ मुकदमें दायर हुए हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला था। जब समाज वादी पार्टी का बन्द ।। तारीख को हुआ और उन छात्रों ने बन्द में हिस्सा लिया तो उन छात्रों के खिलाफ मुकदमें कायम कर दिए गये। छात्रों को जेल में बन्द किया गया और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? मान्यवर, 23 तारीख का मुकदमा नहीं था तो अब क्यों दर्ज किया जा रहा है।

मान्यवर, इसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी जो पूर्व मुख्य मंत्री भी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 5 गाड़ियां उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से ही दी गयी थीं और शायद सभी पूर्व मुख्य मंत्रियों के लिए दी गयी हैं, लेकिन मान्यवर, 5 गाड़ियों की जगह 4 कर दी गयीं और जो गाड़ियां दी गयी हैं वह कन्डम गाड़ियां हैं और 2 लाख कि0मी0 चली हुयी हैं। गाड़ियां कहीं भी किसी भी जगह फेल हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, और हो रही हैं। श्रीमन् पार्टी के तो नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि अगर सरकार अच्छी गाड़ियां नहीं देती है तो हम चन्दा देकर अच्छी गाड़ियां खरीदवाने के लिए तैयार हैं। श्रीमन् एक नियम है, पहले से जो परम्परा चली आ रही है, उसको तो निभाया जाये और जेड प्लस की सिक्योरिटी जो उन्हें मिली हुई थी उसे तैनात रखा जाये, यह मेरा अनुरोध है।

श्रीमन् इसी तरीके से मैं अपनी राय देना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, अगर प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त रखना है तो इमानदार अधिकारियों को अच्छी जगह पर तैनात किया जाए और कम से कम 6 महीने तो देख ही लिया जाए कि उनका क्रिया-कलाप कैसा हैं, हाँ बहुत खराब है तो हटा दीजिए।

लेकिन कम से कम 6 महीने उनका काम देखकर उनको हटायें। साल भर में 4-5 बार बदले जाने से उनमें कुंठा होती है और फिर होता यह है कि क्यों हम इमानदारी से काम करें, क्यों अच्छा काम करे। प्रमुख सचिव या सचिव आदि जो अधिकारी हैं उनकी कार्यक्षमता को देखकर उनका तबादला करना चाहिये। अच्छे सक्षम अधिकारियों को प्रोत्साहन देना चाहिये तभी प्रदेश की शासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो सकती है। मान्यवर, इसी तरह से थानों की बात हैं उनमें 27 परसेंट पिछड़ी जाति, 23 परसेंट अनुसूचित जाति, 12 परसेंट अल्पसंख्यक वर्ग के थाना इंचार्ज होने चाहिये तभी लोगों में आत्मविश्वास होगा कि यह सरकार सबको ध्यान रखती है।

आप देख लें 5 परसेंट से ज्यादा पिछड़ी जाति और 5 परसेंट से ज्यादा दलित और मुस्लिम, एक परसेंट से ज्यादा थाना इंचार्ज नहीं है, आई0जी0 जोन और बड़े पदों की बात मैं नहीं कहता हूं। बहुत से थाने आज ऐसे हैं जहां पर गाड़ियां नहीं हैं। आज के युग में जब गाड़ी नहीं होगी और अगर कोई घटना होती हैं तो बदमाश, अराजक तत्व, वह अपराध करेंगे और उनको न पकड़ा जा सकेगा और वह सोचेंगे कि चाहे जहां अपराध करो जहां चाहो अपराध करके चले जाओ कोई देखने और सुनने वाला नहीं हैं। जो स्थायी चौकियां हैं वहां पर वायरलेस सेट प्रोवाइड किये जायं जिससे कि थानों और जिला मुख्यालय पर घटनाओं की सूचना तुरन्त मिल जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि जितनी बातें मैंने कही हैं कि उनका परीक्षण मुख्य मंत्री जी करायेंगे और अगर वास्तविकता है तो कार्यवाही जरूर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मेरा एक अनुरोध है कि हमारे पास उन अनुदानों पर, जिन पर चर्चा हो रही है वह 2 हैं और जो ऐसे अनुदान हैं जिन पर विवाद नहीं होगा वह 6 हैं लेकिन उन पर भी मतदान होगा। अतः यदि आपकी बात 5 बजकर 20 मिनट पर समाप्त हो जाये तो मुझे भी अनुदानों पर मतदान का समय मिल जायेगा।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन्, मैं प्रयास करुंगा। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की चर्चा पर उत्तर देने का आपने अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सभी नेताओं और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुये इस चर्चा में बड़े रुचि के साथ भाग लिया महत्वपूर्ण सुझाव आये, रचनात्मक सुझाव आये। निश्चित तौर पर इससे सरकार को लाभ मिलेगा। चूंकि समय कम है इसलिए बहुत विस्तार से न कह करके मैं अपनी बातों को कुछ बिन्दुओं में समेटना चाहता हूँ और चार खण्डों में अपने भाषण को सीमित कर दूंगा। पहले खण्ड में इन्फोर्समेंट सम्बन्धी जो रणनीति बनायी है वह बताना चाहता हूं। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसकी जानकारी देना चाहता हूं। दूसरे खण्ड में चर्चा में जो बिन्दु उठाये गये हैं उन बिन्दुओं पर अपनी ओर से कहना चाहूंगा। आंकड़ों की बात कल से चल रही है तो थोड़े से आंकड़े मैं ले करके आया हूं।

आज की स्थिति क्या है उस पर भी चर्चा करना चाहता हूं। ब्यूरोक्रेसी और लोकायुक्त के कुछ रिफरेन्सेस आये हैं उसके बारे में भी श्रीमन्, कुछ कहना चाहूंगा। चूंकि यह सरकार कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए बिना भेदभाव, जांत-पांत, मत-मजहब, वर्ग-सम्प्रदाय का भेद किये बिना हम सभी नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा, मां-बहनों की आबरू, इज्जत की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो कुछ परिवर्तन की नयी रणनीति अपनायी है उसके बारे में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं। श्रीमन् हम इस परिवर्तन की नई रणनीति के तहत पूरे प्रदेश में एक साथ एक अभियान चलाने वाले हैं जिसमें सात बातें मुख्य रूप से रहेगी-1- वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश, (2) अवैध शराब बनाने-की भट्ठियों पर छापे, 3-अवैध शस्त्र बनाने के कारखानों पर छापे, 4-आग्नेयास्त्रों के दुकानों की चेकिंग व सत्यापन, 5-जनपद के वार्डर पर चेकिंग, 6-जिला बदर अपराधियों की चेकिंग, 7-पुलिस थानों व चौकियों की पूरे प्रदेश में एक साथ चेकिंग सुनिश्चित करायी जायेगी और मुझे विश्वास है कि इस नई रणनीति के आधार पर हमको उत्तर प्रदेश में और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने में सफलता मिलेगी।

श्रीमन् कानून-व्यवस्था ठीक करने के लिए हम पुलिस संगठन का आधुनिकीकरण कर रहें हैं उसके लिए कुछ कदम उठाये हैं। पुलिस और अभियोजन विभाग का कम्प्यूटरीकरण कर रहें हैं जिला स्तर से डी0जी0पी0 और गृह विभाग तक अपराधों की विवेचना और अभियोजन के अनुश्रवण की व्यवस्था कम्प्यूटर के द्वारा करायेंगे। दूसरे अलीगढ़ और लखनऊ शहरों में डायल-100 प्रणाली स्थापित की जा चुकी हैं। 100 नम्बर पर उस नगर में कहीं पर भी टेलीफोन किया जायेगा 5-6 मिनट के अन्दर पुलिस वहां पर होगी।

हमने यह व्यवस्था चालू की है उसके अच्छे परिणाम आ रहें हैं। अभी इस प्रणाली की हमने अलीगढ़ और लखनऊ में शुरूआत की है। अगले स्टेज में गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, नोयडा, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर में भी यह 100 नम्बर के डायल सिस्टम को लागू करने वाले हैं जिससे अपराध तथा अपराधियों पर पूरा शिकंजा कसा जा सके। एस0टी0एफ0 की चर्चा हुई उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 10 अतिरिक्त वाहन, 10 सेलुलर फोन, 10 बुलेट प्रूफ जैकेट, 13 विदेशी स्वचालित पिस्टल, 04 टेलीफोन इन्फार्मेशन रिकार्डर की व्यवस्था की गयी है। पी0ए0सी0 के सुदृढ़ीकरण के लिए 7 पी0ए0सी0 कम्पनियों में पुरानी 303 रायफलों के स्थान पर आधुनिक एस0एल0आर0 स्वीकृत, 35 मोटर बोट पी0ए0सी0 बाढ़ कम्पनियों हेतु, 128 एण्टी रायट गन व अन्य आधुनिक उपकरण, वाराणसी व आगरा में पर्यटन पुलिस की स्थापना की गयी है। मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी में दंगा नियंत्रण हेतु आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। इसमें 36 सैट्स मोबाईल बैरियर, 100 एण्टी रायट गन, 500 पोली कार्बोनेट शील्ड, 500 हेल्मेट तथा पुलिस अधिकारियों के लिए छोटे शस्त्रों की कमी की पूर्ति हेतु 400 रिवाल्वर पिस्टल की स्वीकृत की गयी है।

हमने 400 रिवाल्वर/पिस्टल स्वीकृत कर दिए हैं। थानाध्यक्ष पद का सुदढीकरण किया जा रहा है। थाना वह इकाई है जहां से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाया जाता है। इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। जो वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। हमने यह तय किया है कि आरक्षी, मुख्य आरक्षी का वार्षिक मुल्यांकन थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा स्वीकारकर्ता अधिकारी के रूप में किया जायेगा। इसी प्रकार थानाध्यक्ष के कार्यों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जाएगा। सम्यक् समीक्षा मूल्यांकन की व्यवस्था की जा रही है। इसका सुदृढ़ीकरण कर रहें हैं। कम्प्यूटर के माध्यम से अपराधों के पंजीकरण से लेकर विवेचना और अभियोजन तक एकीकरण और मानीटरिंग की जाएगी।

एन्टीग्रेटेड मानीटरिंग सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। जिसमें महानगरों में प्रत्येक थाने में 5 अतिरिक्त उपनिरीक्षक केवल विवेचना का कार्य करेगें उनका और कोई काम नहीं होगा। यह व्यवस्था महानगरों से प्रारम्भ करने जा रहें हैं आगे चलकर इसका फैलाव करेंगें। यहां बजट में कुछ प्रश्न आए हैं, उनके बारे में कुछ संक्षेप में कहना चाहता हूं। यहां बात आई थी कि अधिकारियों की जाति के आधार पर ट्रांसफर, पोस्टिंग की जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो

व्यवस्था सपा की सरकार और बसपा की सरकारों ने की थी उन्होंने प्रशासन को जातिगत आधार पर बांट दिया था, उन्होंने जातिगत भावनाएं फैलाई वही बात कह रहें हैं। ब्यूरोक्रेसी के अन्दर जातिगत भावनाएं अगर फैल जायेगी, सम्प्रदायवाद की भावनाएं फैल जाऐगी उस ब्यूरोक्रेसी से आप काम नहीं ले सकते हैं जिस जनहित काम के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। यह मनोबल तोड़ने का काम होगा। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि इसी सदन में मैंने सूची पढ़कर बताया था कि एक अमुक जाति के लोग ही लगातार भरती हो रहे हैं क्या बाकी जातियों में योग्य लड़के नहीं थे, क्या बाकी बलिष्ठ लोग नहीं थे। हमने जो भरती की है 9,000 पुलिस कान्स्टेबुलों की कोई नहीं कह सकता है कि इस तरह की बात हुई। तीन हजार सब-इंसपेक्टरों की भरती होने जा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री कल्याण सिंह-

मैंने बीच में टोकाटोकी नहीं की थी। हमने नितान्त योग्यता के आधार पर नितांत मेरिट के आधार पर।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् आपने कहा कि जाति बिरादरी एवं सम्प्रदाय का भेदभाव किए बिना हम भरती कर रहें हैं। हमारी सरकार थी तो उसमें पुलिस की भरती में जाति बिरादरी के आधार पर भरती हुई और एक विशेष जाति के लोग रखे गये यह आपने कहा तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जमाने में एक विशेष जाति के कितने लोग भरती किए गये हैं? बाकी जातियों में भी योग्य व्यक्ति हैं, बलिष्ठ व्यक्ति हैं, सक्षम हैं, सर्वाधिक एक जाति विशेष के लोगों की भरती आपके राज्य में हुई हैं?

श्री कल्याण सिंह-

मैं यह मानता हूं कि एक जाति विशेष के लोग ही बलिष्ठ होते हैं, हिन्दुस्तान का हर नागरिक क्षमता रखता है, योग्यता रखता है। मेरी दृष्टि में हर जाति के अन्दर योग्यता होती है, क्षमता होती है।

श्रीमन् कल एक बात चली थी कि इस शासन के अन्दर अपहरण उद्योग का दर्जा बन गया है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अन्तर्गत अपहरण को उद्योग का दर्जा मिल गया था और बड़ी-बड़ी फिरौतियां बड़े-बड़े नेताओं के माध्यम से ली जा रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो आपको बड़ा कष्ट होगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1994 में 281 अपहरण हुए और 166 रोड होल्ड अप हुए, एस0पी0 और बी0एस0पी0 तथा राष्ट्रपति शासन, 1995 में 215 अपहरण हुए और रोड होल्ड अप हुए 121, राष्ट्रपति शासन, 1996 में 191 अपहरण हुए और रोड होल्ड अप हुए 147 और उसके बाद राष्ट्रपति शासन रहा।

इसके बाद बी0एस0पी0, बी0जी0पी0 तथा तीनों के कार्यकाल में अपहरण हुए 178, रोड होल्डस अप हुए 72 और 1998 में जब हमारा शासन है, जहां पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपहरण हुए 281, वहीं 1998 में हमारी सरकार में अपहरण हुए 183, जहां समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रोड होल्ड अप हुए 166, वहीं इस सरकार के जमाने में 71 हुए हैं। एक बात और कही गई कि बड़ा आतंक का वातावरण है और अपहरण हो रहे हैं जिसके कारण कोई उद्योगपति पैसा नहीं लगा रहा है। मान्यवर, एक बहुत ही प्रसिद्ध पार्टी है देवू, उन्होंने जो लिखा है, उसका मैं हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा। "देयर टुडे आर मिसप्लेस्ड एप्रीहंशस अबाडर ला एन्ड आर्डर एण्ड लाक आफ इनफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिस्टीज इन दि स्टेट कानट्रेरी टू दिस आई कैरी सेवरल गुड एण्ड सेटीसफैक्ट्री एक्सपैरीयेन्सज इन बोथ दीज एरियाज दी अप्रोच टुवार्ड्स एनी सच इशू ऐट एनी लेवेल्स आफ दी स्टेट एडमीनिट्रेशन हैज ए आलवेज बीन वेरी पाजीटिव, टु दी गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश, टु माई माइन्ड एण्ड नालेज इज क्वाइट कीन आफ सेटींग अप ऐन इनडस्ट्रीयल इनवायरन्मेन्ट विच इज नाट हैम्पर्ड बाई सच एक्सटरनल सिचुऐशन"।

उन्होंने खुद यह कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्दर पूंजी-निवेश का वायुमण्डल पैदा हुआ है। उनका यह पत्र बता रहा है कि पूंजी-निवेश करने वाले लोग हैं। विपक्ष का यह आरोप रहा है कि कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके नाते उद्योग लगने नहीं जा रहें हैं। आज पूंजी-निवेश करना लोग चाहते हैं। जो तथ्य रखे गये हैं विपक्ष के द्वारा, यह ठीक उसके विपरीत हैं।

हमारी सरकार आने के बाद औद्योगिक निवेश में जहां हमारा प्रदेश चौथे स्थान पर था वह दूसरे स्थान पर आ गया है। जब तक हम नहीं आये थे, तब तक इस मामलें में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर था। आज हमसे केवल महाराष्ट्र आगे है। हमारी कोशिश यह है कि इसमें हम प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। पूजीं निवेश के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 1998 में 287 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रस्तावित पूंजी निवेश 3850 करोड़ का है और इससे 43403 नवयुवकों को रोजगार मिलने की संभावना है। हमारी यदि कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होती तो पैसा लगाने वाले क्यों लगाते और वह सोचते कि यदि हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो फिर हमारी फैक्ट्री कैसे सुरक्षित रह सकती है? हमारे जो आज आंकड़े बोल रहें हैं, उन्हें आप झुठला नहीं सकते हैं? और श्रीमन् निवेश के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। प्रदेश में प्रस्तावों पर जो क्रियान्वयन हो रहा है उसका प्रतिशत 48 है जबकि आल इंडिया लेविल पर यह 27 प्रतिशत का है। प्रस्ताव आ रहें हैं उन पर इमप्लीमेन्टेशन हो रहा है। पूंजी निवेश का जहां नेशनल लेविल 27 प्रतिशत है वहां उत्तर प्रदेश का 48 प्रतिशत है। आज कहना होगा कि देश के अन्दर हम आगे बढ़ रहें हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि और आगे बढ़ सकें प्रथम स्थान पर पहुंच सकें। 1998 में कितने लोग हैं

जो पूजीं निवेश के लिये प्रस्ताव लेकर आये। देवू मोटर, गैस एथारिटी, एल0जी0 इलैक्ट्रानिक्स, आर0पी0 केबिल्स इत्यादि इत्यादि। हमने देखा है और इनके लिये पूरी तरह से इनकी सुरक्षा व्यवस्था की है। यह आरोप गलत है कि यहां पर औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। यह आरोप भी गलत है कि पूजीं निवेश नहीं हो रहा है। आंकड़े बता रहें हैं कि पूंजी निवेश बढ़ रहा है।

औद्योगीकरण तेज गति से हो रहा है। यह केवल इसलिये हो रहा है कि पहली बार बहुत दिनों के बाद लोगों को लगा है कि यह वह सरकार है जिसने अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर, गुण्डों के ऊपर, कहर बनकर टूट रही है। पूरे समाज के अन्दर से इन माफियाओं को, अपराधियों को खत्म करने का काम किया है। मान्यवर, यह आंकड़े बता रहें है। अब मैं केवल तीन सरकारों की तुलना करना चाहता हूं। मैं इसके बाद बी0एस0पी0 की चर्चा नहीं करुंगा क्योंकि उसके राज्य में अपराध छिपाये जाते थे। लोगों को आर्डर थे। श्रीमन् मैं 1998, 1994 1993 के आंकड़े रखना चाहता हूं। 1998 में हमारी सरकार है। 1994 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 1993 में राष्ट्रपति शासन था। श्रीमन् वर्ष 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान डकैती की घटनाएं 1383 हुई। इसी प्रकार से 1994 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस जमाने में लगभग इतनी ही डकैती की घटनाएं हुई और हमारे शासन काल में श्रीमन् 906 घटनाएं हुई। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपके शासनकाल में ज्यादा बढ़ी हैं। हम तो और घटाने की कोशिश कर रहें हैं। जहां तक लूट का सवाल है। 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान लूट की 5248 घटनाएं हुई।

1994 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस दौरान 4966 घटनाएं हुई और हमारी सरकार के जमाने में घटकर यह 4209 रह गई हैं। श्रीमन् यही हाल हत्याओं का है। 1993 में जब राष्ट्रपति शासन था तो उस समय 8,563 हत्याएं हुई, 1994 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय 6789 हत्याएं हुई और हमारे समय में यह 7999 हुई। यह कहना गलत है कि हमारे समय में बढ़ी हैं। श्रीमन् यह आंकड़े बता रहें हैं कि किस समय कितना हुआ है। 1993 में जब राष्ट्रपति शासन था फिरौती की 262 घटनाएं हुई। 1994 में जब समाज वादी पार्टी की सरकार थी उस जमाने में यह बढ़ गई और 281 हुई। श्रीमन् हमारे जमाने में यह घटकर 183 रह गई। रोड होल्ड अप घटनाएं 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान 157, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 1994 में 166 और बी0जे0पी0 के द्वारा चलाई जाने वाली इस संयुक्त सरकार के समय में कुल 71 रह गई हैं। इसी तरह से श्रीमन् बलात्कार की घटनाएं राष्ट्रपति शासन 1993 में 1595 और श्रीमन् मुलायम सिंह के राज्य में 1878 और बी0जे0पी0 के शासन काल में हम बलात्कार की घटनाओं पर पाबन्दी लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं।

1,382 श्रीमन एक पुस्तिका छपी है उत्तर प्रदेश के आंकड़े इसमें देखे जायें किताब है नेशनल क्राइम ब्यूरों 1997, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, पालिका-7 आर0के0 पुरम, दिल्ली से निकली है इनकी रिपोर्ट बताती है कानून व्यवस्था की दृष्टि से, अपराधों की दृष्टि से, प्रदेश कहां है। जहां बहुत ज्यादा अपराध हो रहें हैं, उसकी तुलना में पूरे देश के अन्दर, अपराधों में उत्तर प्रदेश 26 वें नम्बर पर है। 26 वें नम्बर पर आप सोचते होंगे कि पिछड़ रहा है। 25 और ऐसे प्रदेश हैं जहां हमसे ज्यादा अपराध हो रहें हैं। मध्य प्रदेश में प्रमोद कुमार जी के संज्ञान में बात होगी, हिन्दुस्तान में पांचवा स्थान आता है, हुकूमत किसकी है, आप जानते हैं। केरल अपराध में तीसरे नम्बर पर है, दो स्टेट उससे पहले हैं।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

आपने कल कहा सरकार पर ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा है, इस भ्रम को निकालना चाहता हूं, ब्यूरोक्रेसी पर हमारा पूरा नियंत्रण है, ब्यूरोक्रेसी हमारी नीतियों का पालन करती है, देखा नहीं था, आपके मुख्य मंत्री थे तो घबरा गये थे। बिजली के कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी, मुंह के बल आप और आपकी सरकार गिर गई थी।

(मेजें थपथपाई गई)

तो शिकजें में आप थे या हम थे, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, नीतियां बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया है, यह अधिकार निर्वाचित सरकार को है, यह अधिकार कर्मचारियों को, अभियन्ताओं को, ब्यूरोक्रेसी को नहीं दिया जा रहा है।

(मेजें थपथपाई गई)

हमारी जो नीति हैं उनका दायित्व है, कर्तव्य है, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए। शिकंजे में कौन है शिकंजे में वह हैं जिन्होने घुटने टेक दिए हैं। किसी सरकार के जमाने में एक्शन नहीं हुआ होगा।

(श्री रामजग के कुछ कहने पर)

मैं रामजग जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं मेरे मन में बड़ी दया है परमात्मा इनको शान्ति दे। पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से आपकी विचारधारा मिट रही है। मैं बताना चाहता हूं हमने आई0ए0एस0 के तीन अधिकारियों को सस्पेंड किया, सात के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की है। हमने 6 आई0पी0एस0 को सस्पेंड किया 9 के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की है। हमने 6 पी0पी0एस0 के खिलाफ सस्पेंशन की कार्यवाही की, 16 के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की।

पी0सी0एस0 16 सस्पेंड हुए और 35 के खिलाफ कार्यवाही की। तो हमारा ब्यूरोक्रेसी पर शिकंजा है। लेकिन हम इनका सहयोग भी मांगते हैं। हम उनमें सम्पूर्णता का भाव, प्रतिबद्धता के संस्कार जगाकर उनसे काम ले रहें हैं और इस काम में पूरा का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है अन्यथा जितने विकास के काम आज हो रहें हैं क्या मुलायम सिंह जी के जमाने में, मायावती जी के जमाने में या कांग्रेस के जमाने में हुए। माननीय अम्बिका जी ने एक सवाल उठाया था किसी आई0ए0एस0 अधिकारी के बारे में। लोक आयुक्त का रेफरेन्स दिया। मैंने सूचना कर ली है। दो मामले दिये। दोनों आई0ए0एस0अफसर थे।

उन्होंने कहा कि इसकी जांच सी0बी0आई0 से करा दी जाये। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो दो अधिकारी ऐसे थे। लोक आयुक्त ने कहा कि सी0बी0आई0 से जांच करायी जाय। उसमें एक सीनियम आई0ए0एस0 अफसर की जांच हुई। सारे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी लेकिन मायावती जी के हस्ताक्षर से उसको रद्द कर दिया। दूसरा जो केस था हमने लोक आयुक्त की संस्तुति को स्वीकार करते हुए सी0बी0आई0 को रैफर कर दिया और एक केस में, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच करा कर इसकी रिपोर्ट दें। जांच कराकर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गयी है और उस पर हम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहें हैं। इसमें हमारी सरकार की तरफ से लेश मात्र भी कोताही नहीं बरती गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जनता धोती के बारे में क्या हुआ?

श्री कल्याण सिंह-

जनता धोती वाले में फिर से परीक्षण कराया है। किसी को वार्निंग दी है और किसी के खिलाफ कार्यवाही की हैं। हम किसी को बख्शेंगे नहीं लेकिन बिना सबूत के दण्डित भी नहीं करेंगें यही नैचुरल जस्टिस है। एक केस का मामला माननीय राज्यपाल जी ने खत्म कर दिया था। दो तीन बातें और कही गयी। हल्ला बोल की बात कही गयी। परपज तो बहुत अच्छा हैं, अत्याचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ किया जाय तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विधान सभा में हिंसक हल्ला बोल किया जाय तो इसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है, रामपुर तिराहे पर हल्ला बोल किया जाये तो उसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है, 13 सितम्बर को इलाहाबाद में न्यायपालिका पर हल्ला बोल किया जाये तो उसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है, प्रेस की आजादी पर की जाय, मान्यवर, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रेस की आजादी पर आंच आयेगी, जो लेखक हैं उन पर आंच आयेगी तो कल्याण सिंह पहला व्यक्ति होगा जो लड़ाई में समाने आयेगा। 2 जून को गेस्ट हाऊस की घटना हुई। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या घटना हो सकती है? जब इस प्रकार की प्रवृत्ति मौजूद है तो ऐसे लोगों से गरिमा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह भी कहा जाता है कि सत्ता में आते हैं तो दंगें खत्म हो जातें है और बाहर होते हैं तो दंगे होने लगते हैं तो यह सही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आती है तो दंगाईयों के हौसले पस्त हो जाते हैं और जब हम बाहर होते हैं तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं। एक और बात कही गयी बांदा में कुछ के बारे में। मैं लोकतंत्र में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी बात रखना उचित मानता हूं।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

लेकिन बन्द के नाम पर कहीं कोई गुन्डागर्दी होती है, तो गुन्डागर्दी नहीं चलने देंगे। बांदा के अन्दर जो कुछ हुआ है, वह सब हमारी जानकारी में आ चुका हैं। यही समाजवादी पार्टी ने अपनी रैली की, हमने किसी को छुआ नहीं, कुछ नहीं किया लेकिन अगर बांदा में गुन्डागर्दी की जायेगी तो यह सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मान्यवर, यह भी आरोप लगाया गया कि यह सरकार अपने विरोधियों को समाप्त करना चाहती है। कौन से विरोधियों को समाप्त करना चाहती है, जो अपनी मौत मर रहा है। आज विरोध पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विरोध पक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है, आपने कह दिया कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अरे भाई, आप तो अपने कर्मो से मर रहे हो, हमें मारने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के चुनाव में आपको पता चला गया, विधान परिषद के चुनाव में 39 में से 26 सीटें हमने जीती, समय ने तो आपको बता दिया, अभी आगरा में उप चुनाव हुआ, आपका प्रत्याशी 4 हजार वोट पाया।

कांग्रेस का भी यही हाल है। एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी के 215-219 कार्यकर्ताओं की हत्यायें करा दी। मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार फर्जी मुठभेड़ को गम्भीरता से लेती है। भदोही में फर्जी मुठभेड़ पाई गई, एक साथ 12-14 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सहारनपुर का मामला हमारे जमाने का नहीं है, राष्ट्रपति शासन का है, इसलिये भारत सरकार को भेजा है। हमारी नजर में अपराधी अपराधी है, उसका कोई जात नहीं, पात नहीं, वर्ग नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, सम्प्रदाय नहीं। अगर कोई पार्टी कहती हैं कि हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तो इसके मायने हैं कि इन्होंने स्वीकार किया हुआ है कि इनकी पार्टी अपराधियों की पार्टी है और इनके दल में अपराधी भरे हुए हैं, इसलिये मैं इनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इन्ही शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम दे रहा हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने चूंकि पाल जी को भाषण की अनुमति नहीं दी थी, इसलिये स्पष्टीकरण की अनुमति दे रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं, जो आपने मुझे स्पष्टीकरण पूछने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह स्पष्टीकरण भी है और सुझाव भी है। कल जब गृह और सामान्य प्रशासन का बजट मुख्य मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे थे उस समय इस बात का उल्लेख नहीं आया था लेकिन आज भी अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में इनकी, इस सरकार की कार्यशैली क्या होगी, नई कार्य योजना क्या होगी, इसके सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला है, एक तो यह बता दें। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश में इस साल शून्य ट्रांसफर ईयर करेंगें।

मान्यवर, पुलिस के मार्डनाईजेशन के लिए भारत सरकार द्वारा जो पैसा मिल रहा है, प्रदेश सरकार उसमें मैंचिंग ग्रान्ट नहीं दे पा रही है, क्या उ0प्र0 सरकार पुलिस के मार्डनाईजेशन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं ?

श्री धनी राम वर्मा-

नहीं श्रीमन्, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को गलतफहमी में डाल रखा है, मिथ्या आंकड़ें दिये हैं, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया-और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 17,89,28,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष यह जो दूसरा आपका कटौती का प्रस्ताव है क्या आप उसे वापस ले रहे हैं ?

श्री धनी राम वर्मा-

मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी ने सारे मिथ्या आंकडे पेश किये हैं जब सारे (× × ×) मंत्रिमंडल में हैं,ऐसी स्थिति में मैं प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 29,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,94,92,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 15,94,92,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)

मुख्य मंत्री (कल्याण सिंह)-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,09,28,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,09,28,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

(वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 53,49,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 53,49,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 कार्यसूची की मद सं0-25(8) के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 को मद संख्या 25(8) के मतदान के बाद ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 को मद संख्या 25(8) के मतदान के पश्चात् लिया जाये ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। मैंने प्रश्न रख दिया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य-लाटरी)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकानेके लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,12,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,12,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 54,25,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 54,25,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 64,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 64,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 *

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो शुद्धि-पत्र लाया गया है और जो विनियोग विधेयक है इसमें फर्क है, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण है और नियमों के विपरीत है। मेरा अनुरोध है कि आप इसको पारित न करें, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, अगर आप पारित करते हैं तो मैं और मेरा दल इसमें शामिल नहीं होगा।

(कांग्रेस दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित की जायं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन प्रतियों में तो कोई त्रुटि नहीं है कि इसके लिए शुद्धि-पत्र की आवश्यकता हो।

श्री कल्याण सिंह-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :- * दिनांक 26-3-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छाप है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999

31 मार्च, 2001 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1999-2000 के लिये 4,41,45,30,93,000 रुपये का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2000 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4,41,45,30,93,000 रुपये (केवल चार सौ इकतालिस अरब, पैंतालिस करोड़, तीस लाख और तिरान्नबे हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व	247405	*10*	247415
		पूंजी	...	...	...
2	आवास विभाग	राजस्व	231241	*435000*	666241
		पूंजी	828761	*272500*	1101261

अनुसूची—(क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3	4	5
3	उद्योग विभाग	राजस्व	366881	200	367081
	(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी	97000	...	97000
4	उद्योग विभाग	राजस्व	72369	50	72419
	(खानें और खनिज)	पूंजी	...	...	...
5	उद्योग विभाग	राजस्व	167814	...	167814
	(खादी एवं ग्रामोद्योग)	पूंजी	...	...	...
6	उद्योग विभाग	राजस्व	302610	300	302910
	(हथकरघा उद्योग)	पूंजी	41001	572	41573
7	उद्योग विभाग	राजस्व	...	6500	6500
	(भारी एवं मध्यम उद्योग)	पूंजी	906800	8700	915500
8	उद्योग विभाग	राजस्व	418103	...	418103
	(मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	पूंजी	...	...	...
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	65149	...	65149
		पूंजी	12355000	...	12355000
10	कृषि तथा अन्य	राजस्व	735562	3707	739269
	सम्बद्ध विभाग	पूंजी	33000	...	33000
	(औद्यानिक विकास)				
11	कृषि तथा अन्य	राजस्व	49443390	310	4943700
	सम्बद्ध विभाग (कृषि)	पूंजी	1214859	50	1214909
12	कृषि तथा अन्य	राजस्व	635946	...	635946
	सम्बद्ध विभाग	पूंजी	...	...	...
	(भूमि विकास एवं जल संसाधन)				
13	कृषि तथा अन्य	राजस्व	12933035	400	12933435
	सम्बद्ध विभाग	पूंजी	3	...	3
	(ग्राम्य विकास)				
14	कृषि तथा अन्य	राजस्व	7997194	21	7997215
	सम्बद्ध विभाग	पूंजी	...	...	...
	(पंचायती राज)				
15	कृषि तथा अन्य	राजस्व	1724304	100	1724404
	सम्बद्ध विभाग	पूंजी	22113	...	22113
	(पशुधन)				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	74717	3	74720
विभाग (दुग्धशाला विकास)	पूंजी	11300	...	11300
17 कृषि तथा अन्य	राजस्व	190582	5	190587
सम्बद्ध विभाग	पूंजी	...	...	...
(मत्स्य)				
18 कृषि तथा अन्य	राजस्व	321128	110166	431294
सम्बद्ध विभाग	पूंजी	2868802	180000	3048802
(सहकारिता)				
19 कार्मिक विभाग	राजस्व	30116	...	30116
(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग	राजस्व	31797	89230	121027
एवं लोक सेवा अधिकरण)	पूंजी	...	...	...
21 खाद्य तथा रसद	राजस्व	961144	50120	1011264
विभाग	पूंजी	23759570	700050	24459620
22 खेल विभाग	राजस्व	157006	...	157006
	पूंजी	8210	...	8210
23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	387470	1161	388631
	पूंजी	...	1550	1550
24 गन्ना विकास विभाग	राजस्व	130530	135313	265843
(चीनी उद्योग)	पूंजी	130000	80000	210000
25 गृह विभाग	राजस्व	1037621	1200	1038821
(कारागार)	पूंजी	74420	...	74420
26 गृह विभाग	राजस्व	17587382	7234	17594616
(पुलिस)	पूंजी	305470	4944	310414
27 गृह विभाग	राजस्व	842472	...	842472
(नागरिक सुरक्षा)	पूंजी	...	...	...
28 गृह विभाग (राजनैतिक	राजस्व	574069	...	574069
पेंशन तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
*29 गोपन विभाग	राजस्व	...	27128	27128
(राज्यपाल सचिवालय)	पूंजी	...	...	...
30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट	राजस्व	11030	...	11030
अभिसूचना निदेशालय तथा	पूंजी	...	...	...
अन्य व्यय)				

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

विधान सभा

1	2	3	4	5
31 चिकित्सा विभाग	राजस्व	1580190	25	1580215
(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी	500000	...	500000
32 चिकित्सा विभाग	राजस्व	6385066	500	6385566
(एलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी	1426492	...	1426492
33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक	राजस्व	1158020	3	1158023
एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी	5000	...	5000
34 चिकित्सा विभाग	राजस्व	499458	20	499478
(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी	30000	...	30000
35 चिकित्सा विभाग	राजस्व	1540387	150	1540537
(परिवार कल्याण)	पूंजी	...	...	...
36 चिकित्सा विभाग	राजस्व	1655112	500	1655612
(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी	1270	...	1270
37 नगर विकास विभाग	राजस्व	4243214	...	4243214
	पूंजी	500001	...	500001
38 नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	61031	...	61031
	पूंजी	70000	...	70000
39 भाषा विभाग	राजस्व	35754	...	35754
	पूंजी	...	...	...
40 नियोजन विभाग	राजस्व	2355809	...	2355809
	पूंजी	2000004	...	2000004
41 निर्वाचन विभाग	राजस्व	125393	...	125393
	पूंजी	...	...	...
42 न्याय विभाग	राजस्व	2343396	362681	2706077
	पूंजी	451948	...	451948
43 परिवहन विभाग	राजस्व	281306	15	281321
	पूंजी	3500	...	3500
44 पर्यटन विभाग	राजस्व	99890	...	99890
	पूंजी	860695	...	860695
45 पर्यावरण विभाग	राजस्व	2487776	...	2487776
	पूंजी	1000002	...	1000002
46 प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	16270	...	16270
	पूंजी	...	...	...

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
47 प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1139083	75102	1214185
	पूंजी	34000	...	34000
48 मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1555398	250	1555648
	पूंजी	39000	...	39000
49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	2895829	...	2895829
	पूंजी	1002	...	1002
50 राजस्व विभाग	राजस्व	1612657	35	1612692
(जिला प्रशासन)	पूंजी	172640	...	172640
51 राजस्व विभाग (दैवी-	राजस्व	30608	1175451	1206059
विपत्तियों के संबंध	पूंजी	100	1	101
में राहत)				
52 राजस्व विभाग (राजस्व-	राजस्व	6077432	13734	6091166
परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी	2262	1052	3314
53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	697	...	697
	पूंजी	100	...	100
54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	3989335	400	3989735
	पूंजी	...	...	...
55 लोक निर्माण विभाग	राजस्व	231842	13725	245567
(भवन)	पूंजी	204864	100	204964
58 लोक निर्माण विभाग	राजस्व	4447331	500	4447831
(संचार साधन)	पूंजी	9113079	...	9113079
59 लोक निर्माण विभाग	राजस्व	294528	5	294533
(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी	55761	...	55761
60 वन विभाग	राजस्व	2338712	521	2339233
	पूंजी	14652	...	14652
61 वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व	15156252	68388434	83544686
तथा अन्य व्यय)	पूंजी	793000	64169927	64962927
62 वित्त विभाग (अधिवर्ष	राजस्व	17892800	11537	17904337
भत्ते तथा पेंशनें)	पूंजी	200000	...	200000
63 वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व	534940	500	535440
तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी	...	...	...
64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	11212	...	11212
	पूंजी	...	...	...

विधान सभा

1	2	3	4	5
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व	542512	...	542512
	परीक्षा, अल्प बचत आदि)	पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	6474	988623	995097
		पूंजी	...	...	...
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	75678	2204	77882
		पूंजी	...	...	...
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	238712	5636	244348
		पूंजी	...	...	...
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	...	...	...
	(विधान मण्डल)	पूंजी	12500	...	12500
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	238943	...	238943
	विभाग	पूंजी	900000	...	900000
71	शिक्षा विभाग	राजस्व	33279577	2923234	36202811
	(प्राथमिक शिक्षा)	पूंजी	...	...	...
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	19320585	1200770	20521355
		पूंजी	75001	...	75001
73	शिक्षा विभाग	राजस्व	6715440	70001	6785441
	(उच्च शिक्षा)	पूंजी	104706	...	104706
75	शिक्षा विभाग (राज्य	राजस्व	514825	50	514875
	शैक्षिक अनुसंधान एवं	पूंजी	...	...	...
	प्रशिक्षण परिषद्)				
76	श्रम विभाग	राजस्व	712050	5	712055
	(श्रम कल्याण)	पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग	राजस्व	832772	20	832792
	(सेवायोजन)	पूंजी	6011	...	6011
78	सचिवालय प्रशासन	राजस्व	1279376	5	1279381
	विभाग	पूंजी	...	...	...
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	624501	...	624501
	(समाज कल्याण)	पूंजी	9001	...	9001
80	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	6359350	...	6359350
	(अनुसूचित जातियों एवं	पूंजी	180105	...	180105
	पिछड़े वर्गों का कल्याण)				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	110542	*10*	110552
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	23300	...	23300
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	98726	*5908*	104634
		पूंजी	...	...	...
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2962	...	2962
		पूंजी	...	...	...
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	9350	...	9350
		पूंजी	...	...	...
86	सूचना विभाग	राजस्व	305598	...	305598
		पूंजी	50	...	50
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	142213	*7*	142220
		पूंजी	...	...	...
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	15368	*1*	15369
	(निदेशालय)	पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	1356121	*1103*	1357224
	(व्यापार कर)	पूंजी	289358	...	289358
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	55654	...	55654
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	279633	*3*	279633
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी	...	...	...
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	133755	*5*	133760
		पूंजी	11500	...	11500
93	सिंचाई विभाग	राजस्व	5335776	...	5335776
	(अधिष्ठान)	पूंजी	1239552	...	1239552
94	सिंचाई विभाग	राजस्व	6158624	*5*	6158629
	(निर्माण-कार्य)	पूंजी	8000587	*100*	8000687
95	उत्तराखण्ड विकास	राजस्व	4346414	*677*	4347091
	विभाग	पूंजी	3587663	*1693*	3589356
	योग,	राजस्व	225346326	*76110513*	301456839
		पूंजी	74575015	*65421239*	139996254
	कुल योग		299921341	*141531752*	441453093

उत्तराखण्ड विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-3, अनुसूची व खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्याण सिंह-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बी0आर0 वर्मा द्वारा प्रश्न को स्थानान्तरित करने तथा तत्कालीन सत्र में उत्तरित न होने की सम्भावना से उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 1999 की कार्यसूची की नत्थी "घ" के तारांकित प्रश्न संख्या-1, जिसे उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित होने के आधार पर 15 वे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के रूप में स्थानान्तरित किया गया था, के विषय में मा0 श्री बी0आर0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि उक्त प्रश्न के 15 वे मंगलवार के लिए स्थानांतरित कर दिये जाने के फलस्वरूप उसे इस सत्र में सदन में उत्तरित होने की संभावना क्षीण है। मैंने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्रावली देखकर और उसका परीक्षण करवाने के उपरांत व्यवस्था देने के लिए कहा था।

मैंने सम्बन्धित पत्रावली मंगवा कर देखी। उक्त प्रश्न गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के0जी0मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बन्धित होने के आधार पर दिनांक 21-12-98 को शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा गया था। मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री से दिनांक 4-2-99 को उक्त प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित होने एवं तद्नुसार उसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ग्रहण किये जाने की सूचना विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुई जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने उक्त प्रश्न उत्तरार्थ अपने यहाँ ग्रहण करने की सूचना चिकित्सा शिक्षा विभाग को 23 जनवरी, 1999 को दे दी थी। यदि उक्त पत्र विधान सभा सचिवालय को भी पृष्ठांकित कर दिया गया होता तो उक्त प्रश्न का निर्धारण पहले भी हो सकता था।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रश्नों में मंगलवार आवंटित है। चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-33(2) के अन्तर्गत एक माननीय सदस्य का एक ही तारांकित प्रश्न निर्धारित किया जा सकता है और मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य के तारांकित प्रश्न 14 वे मंगलवार तक के लिए पहले से सूचीबद्ध थे अतः उक्त प्रश्न 15वें मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या-1 के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध मेरे सचिवालय द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1999 को किया गया जिस पर उच्च शिक्षा विभाग ने दिनांक 4 मार्च, 1999 को वस्तुस्थिति से अवगत कराया किन्तु चिकित्सा शिक्षा विभाग से कोई सूचना प्राप्त न हो सकी। उक्त स्थिति से मैंने दिनांक 9 मार्च 1999 को मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री से अपने कक्ष में विचार विमर्श किया और उन्होंने मुझे वस्तुस्थिति से अवगत कराया और उसी क्रम में एक पत्र भी दिनांक 11 मार्च, 1999 को मुझे भेजा।

माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक 11 मार्च, 1999 में दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि 23 दिसम्बर, 1998 से 01 जनवरी, 1999 और 23 जनवरी, 1999 से 3 फरवरी, 1999 तक उक्त प्रश्न चिकित्सा शिक्षा विभाग और शेष अवधि में उच्च शिक्षा विभाग में लम्बित रहा। स्पष्टतया इस मामले में दोनों विभागों में विलम्ब हुआ है। यदि समय से प्रश्न के स्थानान्तरण की सूचना विधान सभा सचिवालय को भेज दी गयी होती हो तो संदर्भित प्रश्न को 15 वें मंगलवार में स्थानान्तरित न करना पड़ता।

मैं इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर तैयार किये जाने और उन्हें एतद्‌र्थ निर्धारित अवधि के भीतर विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने में तत्परता और सावधानी बरती जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शासन के विभागों के मध्य कार्य आवंटन के आधार पर किसी प्रश्न को एक विभाग से दूसरे विभाग को स्थानान्तरित कियाजाना आवश्यक होतो वह कार्य भी सर्वोच्च प्राथमिकता

के आधार पर करते हुए ऐसे प्रश्नको उसे सम्बन्धित विभाग में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना विधान सभा सचिवालय को समय से अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि प्रश्न को प्राप्त होने के उपरान्त वार आवंटन के अनुसार जिस वार के लिए वह प्रश्न प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया हो उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न न हो।

प्रश्नगत मामले में मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री अपने स्तर स्वयं से निर्णय लेकर कार्यवाही करेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 मार्च, 99 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल-56 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से प्रथम सूचना पर वक्तव्य तथा शेष सूचनाओं पर शासनका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। माननीय श्री अरविन्द गिरि की सूचना नियम-56 में प्राप्त हुई थी, उसे नियम-51 में परिवर्तित किया गया है। श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि द्वारा एक ही दिनमें एक ही नियम के अन्तर्गत दो सूचनायें दिये जाने के कारण एक सूचना निरस्त की गयी। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत हुई वे निम्नवत् हैं:-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री रणधीर सिंह, डा0 वकार अहमद शाह, श्री विनोद कुमार, श्री राम पाल सिंह, श्री विजय पाल सिंह, श्री राम प्यारे सिंह, डा0 रामबाबू, श्री अरूण प्रताप सिंह, श्री मुरली धर, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री ओमकार सिंह, श्री राम खिलाड़ी सिंह, श्री काशी नाथ, श्री दीपक कुमार, श्री रमेश राही, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री योगेन्द्र कुमार, श्री राम औतार शाक्य, श्री राजपाल सिंह, श्री शिवसिंह चक, श्री राम जग, डा0 कौशल किशोर, इकबाल महमूद, श्री उबैदुर्रहमान, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम चन्दर यादव, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकी श्री भोला शंकर मौर्य, श्री बाबू खां, श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री श्रीराम पाल, श्री अमित अग्रवाल, श्री अजय कुमार पोइया, श्री सीताराम निषाद, श्री मुन्ना चौहान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री जगदीश नारायण राय, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री बाबू लाल, श्री राजेन्द्र यादव, श्री लाखीराम जोशी, श्री परवेज हलीम, श्री तेज भान सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री राजधारी, श्री शिशुपाल सिंह, श्री दीपलाल भारती, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राम कृपाल (श्री अयोध्या प्रसाद पाल की सूचना नियम-300 में प्राप्त हुई थी और उसे 51 में परिवर्तित कर दिया गया) श्री मुरली धर की सूचनाएं स्वीकृत हुई।

मेरठ मण्डल पुलिस का आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्य योजनाओं को तत्काल सम्पूर्ण मण्डल में लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माननीय विधायक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में मेरठ मण्डल के सभी जिलों की पुलिस का आधुनिकीकरण किये जाने पर बल दिया गया है।

प्रदेश में पुलिस संगठन को उपलब्ध वाहनों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण हेतु चलाई जा रही योजना को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन मुख्य रूप से केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के तहत जुटाये जाते हैं, जिसका 50% अंश प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के चलते उक्त परियोजना को चरण बद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। विगत वर्षों में इसके तहत निम्न स्वीकृतियां जारी की गई हैं:-

वर्ष 1990-91	रु0 1,04,06,000/-
वर्ष 1991-92	रु0 2,24,20,000/-
वर्ष 1992-93	रु0 3,36,10,600/-
वर्ष 1993-94	रु0 2,40,00,000/-
वर्ष 1994-95	रु0 2,79,71,000/-
वर्ष 1995-96	शून्य
वर्ष 1996-97	रु0 3,36,30,000/-
वर्ष 1997-98	रु0 12,52,60,000/-
वर्ष 1998-99	रु0 8,72,60,000/- (स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं)

दिल्ली से सटे हुए प्रदेश के जनपदों में अपराध-प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने को शासन द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई हैं एवं इसके तहत पुलिस बल को उपलब्ध संसाधनों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गत वर्षों के दौरान इन जनपदों के लिए निम्नलिखित वाहन/उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं:-

(1) जनपद मेरठ में डाटा प्रोसेसिंग/विवेचना में सहायता हेतु वीडियों कैमरा।
(2) पुलिस अधीक्षक बागपत के वास्ते एक वाहन उपलब्ध कराया गया है।
(3) गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर को प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वाहन/उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

जहां तक गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर के पुलिस बल में त्वरित आधुनिकीकरण का प्रश्न है भारत सरकार द्वारा उक्त दोनों जनपदों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1997-98 में पृथक रूप से रुपये 2 करोड़ 40 लाख की विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई थी जिससे दोनों जनपदों में पुलिस बल का आधुनिकीकरण कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध

नियंत्रण की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सम्यक् आंकलन के उपरान्त उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी ।)

जनपद मुरादाबाद की कतिपय फैक्टरियों द्वारा आरिल नदी में दूषित जल छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(मैसर्स शाकुम्भरी स्ट्राप्रोडक्ट्स लिमिटेड, बिलारी, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1995 से कच्चे माल के रूप में बैगास व अन्य एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट, रद्दी कागज आदि का प्रयोग करते हुए मीडिया क्राफ्ट पेपर का उत्पादन किया जाता है । उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है जिसकी प्रमुख इकाइयां एनारोविक, लैगून, बार स्क्रीन व सम्प, प्राइमरीक्लेरीफायर,एरेशन टैंक (डिफयूज्ड एयर सिस्टि सहित) सेकण्ड्री क्लेरीफायर व स्लज डाइंग बैड है । दिनांक 13-1-99 को एकत्रित उत्प्रवाह के नमूने में विभिन्न परिचालकों की मात्रा निर्धारित मानक के अनुरूप पाई गई । उद्योग को वर्ष 1998 हेतु जल सहमति प्रदान की गई है तथा वर्ष 1999 हेतु सहमति आवेदन पत्र विचाराधीन है । उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह में रंग की समस्या रहती है । यद्यपि एग्रो वेस्ट पेपर मिल से जनित होने वाले उत्प्रवाह में से रंग को दूर करने की तकनीकी भारत में प्रचलित नहीं हैं फिर भी उद्योग को निस्तारित उत्प्रवाह में से रंग को यथासंभव न्यूनतम रखने के निर्देश दिये गये हैं । उत्प्रवाह का निस्तारण अंततः आरिल नदी में किया जाता है ।

2- मैसर्स रामचन्द्र स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, चन्दौसी मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1997 से कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज, बैगास, एलम, रोजिन आदि का प्रयोग करते हुए लगभग 36 मी0टन प्रतिदिन क्राफ्ट पेपर का उत्पादन किया जाता है । उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । उत्प्रवाह का निस्तारण शुद्धिकरण के बाद अंततः आरिल नदी में किया जाता है । उद्योग का शुद्धिकरण के बाद अंततः आरिल नदी में किया जाता है । उद्योग का शुद्धिकृत उत्प्रवाह हल्के भूरे रंग का रहता है । क्योंकि एग्रो वेस्ट पेपर इकाइयों से निस्तारित उत्प्रवाह में रंग को दूर करने की तकनीकी भारत में प्रचलित नहीं हैं । दिनांक 14-1-99 को एकत्रित उत्प्रवाह में विभिन्न परिचालकों की मात्रा निर्धारित मानक के अनुरूप पाई गई थी । उद्योग को वर्ष 1998 हेतु जल सहमति प्रदान की गई हैं तथा वर्ष 1999 हेतु सहमति आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

गागन नदी, रामगंगा नदी की सहायक नदी हैं । यह नजीबाबाद तहसील जिला बिजनौर से निकलकर जनपद मुरादाबाद में ग्राम मछरिया के पास राम गंगा नदी में मिलती

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं गागननदी में मुख्य रूप से जल प्रदूषणकारी उद्योगों का उत्प्रवाह तथा गागन नदी के किनारे स्थित गांवों, कस्बों, शहरों आदि का जल मल निस्तारित किया जाता है। गागन नदी में जल प्रदूषण की समस्या है। गागन नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है:-

(1) श्री बद्री केदार पेपर मिल्स लिमिटेड, नजीबाबाद, बिजनौर:-

उद्योग द्वारा वर्ष 1994 से कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज, बैगास, रोजिन, ऐलम आदि का प्रयोग कर लगभग 16 टन प्रतिदिन क्राफ्ट पेपर का उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक उत्प्रवाहके शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद स्तर से दिनांक 17-2-98 को किये गये निरीक्षण के समय एकत्रित उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या निर्धारित मानक के अनुरूप पाई गई थी। उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह में रंग की समस्या रहती है। पेपर उद्योगों के उत्प्रवाह से रंग को दूर करने की प्रभावी तकनीक अभी भारत में प्रचलित नहीं हैं। उद्योग को निस्तारित उत्प्रवाह में से रंग को दूर करने हेतु समुचित उपाय करने के निर्देश दिये गये है। उद्योग को वर्ष 1998 हेतु जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत सहमति प्रदान की गई थी। वर्ष 1999 हेतु सहमति आवेदन-पत्र बोर्ड में विचाराधीन है।

(2) मैसर्स मानसरोवर पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नजीबाबाद, बिजनौर:-

उद्योग द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित होकर रद्दी कागज, रोजिन, हाइपो आदि का प्रयोग कर डुप्लेक्स बोर्ड का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की वर्तमान उत्पादन क्षमता 50 टन प्रतिदिन है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक एवं सोकपिट में किया जाता है तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के लिए उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। शुद्धिकरण के उपरान्त उत्प्रवाह का निस्तारण नाले द्वारा अन्तिम रूप से गागन नदी में किया जाता है। बोर्ड द्वारा उद्योग के दिनांक 28-1-99 को किये गये निरीक्षण के दौरान एकत्रित अन्तिम निस्तारित उत्प्रवाह में विभिन्न परिचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। उद्योग को वर्ष 1998 हेतु जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत सहमति प्रदान की गई थी। वर्ष 1999 हेतु सहमति आवेदन-पत्र बोर्ड में विचाराधीन है।

(3) मैसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बुन्दकी, बिजनौर:-

उद्योग द्वारा वर्ष 1995 से गन्ने की पिराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान उत्पादन क्षमता 5000 टन प्रतिदिन गन्ने की पिराई कर चीनी उत्पादन की है। उद्योग एक सीजनल इकाई हैं। उद्योग से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह 2000 किलोलीटर प्रतिदिन के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह शुद्धिकरण के बाद अंततः गागन नदी में निस्तारित होता है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 30-11-98 को किया गया, निस्तारित उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई थी। उद्योग को वर्ष 1998 हेतु सहमति

प्रदान की गई है तथा वर्ष 1999 हेतु सहमति आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

4-मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स (शुगर एवं कैमिकल यूनिट) शुगर यूनिट:-

उद्योग द्वारा वर्ष 1933 से गन्ने की पिराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में उत्पादन क्षमता 9000 टन प्रतिदिन गन्ने की पिराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग एक सीजनल इकाई है। उद्योग से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह 4000 किलो लीटर प्रतिदिन के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह शुद्धिकरण के बाद अंततः गागन नदी में निस्तारित होता है। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 24-12-97 एवं 16-12-98 को किया गया था। निस्तारित उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया था। अतः उद्योग को जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के वांछित सुधार तथा प्रभावी संचालन व रख-रखाव किये जाने के निर्देश दिये गये। उद्योग द्वारा पिछले आफ सीजन में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में सुधार भी किये गये हैं।

कैमिकल यूनिट:-

उद्योग की कैमिकल इकाई द्वारा औद्योगिक एल्कोहल, एसिटिक एसिड, एनहाइड्राइट, इथाइल एसीटेट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की औद्योगिक प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्राथमिक व द्वितीय चरण का शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। परन्तु उद्योग द्वारा स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन न करने के कारण तथा निस्तारित उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण उद्योग के विरूद्ध जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत दिनांक 4-2-98 को बन्दी आदेश जारी किये गये थे। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में वांछित सुधार व संचालन कर, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की दक्षता का आंकलन के लिए, समय प्रदान करने हेतु बन्दी आदेश इसी दौरान निलम्बित भी किये गये थे। बन्दी आदेश दिनांक 26-6-98 को पुनः प्रभावी हो गये। वर्तमान में उद्योग में उत्पादन बन्द है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के परिपेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वर्णित इकाइयों की निरीक्षण आख्या से स्पष्ट है कि मात्र एक इकाई मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स (कैमिकल यूनिट) से प्रदूषण की समस्या होने के कारण उद्योग को बन्द कराया जा चुका है और अन्य इकाइयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है और निस्तारित उत्प्रवाह भी निर्धारित मानकों के अनुरूप है। ऐसी स्थिति में मिल मालिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राथमिक शिक्षकों के चयन में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा दी गई श्रेणियों के प्राप्तांको में भिन्नता तथा अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मा0 श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में एल0टी0,बी0एड0, सी0पी0एड0 एवं बी0पी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों के द्वारा शिक्षकों के पद नियुक्ति में गम्भीर अनियमितताऐं की जा रहीं है । उक्त प्रशिक्षितों की सूची मेरिट तैयार करायी है वास्तविक एवं न्याय से परे हैं । शिक्षण कार्य के अंक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अंक क्रमशः 12,6,3 निर्धारित किये गये है, जबकि अलग-अलग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में श्रेणी प्रतिशत अंक अलग-अलग निर्धारित किये गये हैं ।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि चयन का आधार अभ्यर्थी द्वारा अर्जित गुणवत्ता अंक है जो निम्न सूत्र के अनुसार निर्धारित किये गये हैं:-

परीक्षा/उपाधि का नाम			गुणवत्ता अंक
(क) शैक्षिक योग्यता			अंको का प्रतिशत / 10
(1) हाई स्कूल			
(2) इण्टरमीडिएट			अंकों का प्रतिशत × 2 / 10
(3) स्नातक उपाधि			अंकों का प्रतिशत × 3 / 10
(ख) प्रशिक्षण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
(1) सिद्धान्त	12	6	3
(2) प्रयोगात्मक	12	6	3

(ग) खेलकूद आदि के आधार पर पांच अंक निम्न प्रकार दिये जायेगें-

(1) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो पांच अंक देय होंगे ।
(2) यदि अभ्यर्थी प्रदेश स्तर का खिलाड़ी है तो तीन अंक देय होंगे ।
(3) एन0सी0सी0 के "सी" प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को 5 अंक देय होंगे ।
(4) एन0सी0सी0 के "बी" प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को 3 अंक देय होंगे ।

उक्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर अधिकतम पांच अंक ही देय होंगे भले ही अभ्यर्थी ने एक से अधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हो ।

उक्त सूत्र सभी शिक्षण संस्थाओं से एवं विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू है । श्रेणी विभाजन हेतु अंकों की प्रतिशतता का निर्धारण करना विश्वविद्यालय का अपना दृष्टिकोण है । चयन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों यथा बी0एड0 एल0टी0, सी0पी0एड0, बी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 प्रशिक्षण

प्राप्त अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आंकी गई श्रेणी के आधार पर समान महत्व प्रदान किया गया है। इसमें किसी अन्याय की बात नहीं हैं। सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन एक आधार पर ही किया जा रहा है। जहां तक आयु का प्रश्न है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आयु सीमा एतदर्थ प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार ही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित आम फल पट्टी बक्शी का तालाब लखनऊ का पुनः सर्वेक्षण कराकर अधिसूचना के निरस्तीकरण का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै0क्षे0) लखनऊ के पत्रांक-152-53/उद्यान-1/फ0प0/91-92, दिनांक 2-11-91 द्वारा विकास खण्ड बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया गया। निदेशक उद्यान (मै0क्षे0) द्वारा यह अवगत कराया गया कि लखनऊ जनपद के माल विकास खण्ड से जुड़ा होने के कारण बक्शी का तालाब क्षेत्र भी दशहरी, चौसा एवं लखनऊ सफेदा प्रजाति के आम हेतु विशिष्ट क्षेत्र है जिसको हानिप्रद अधिष्ठान तथा आवासीय क्षेत्र योजनाओं से बचाना जनहित में आवश्यक है एवं उक्त क्षेत्र में आम के बाग की निरन्तरता एवं प्रतिशतता भी उत्तम है। निदेशक मैदानी क्षेत्र के प्रस्ताव के अनुसार विकास खण्ड बक्शी का तालाब क्षेत्र के 82 ग्रामों में कृषि का कुल क्षेत्रफल 16082 हेक्टेयर, बागों का क्षेत्रफल 3998 हेक्टेयर एवं बागों का घनत्व 24.84 प्रतिशत था। निदेशक, उद्यान (मै0क्षे0)के उक्त प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या-3205/58-1-94-381/91, दिनांक 10-11-94 द्वारा उत्तर प्रदेश फल पट्टी वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना), अधिनियम, 1985 में निहित प्रावधानों के अनुसार बक्शी का तालाब क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के राज्य सरकार के आशय पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई।

उक्त अधिसूचना में यह उल्लिखित था कि समस्त आपत्तियां और सुझाव निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै0क्षे0) लखनऊ को अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर भेजे जायेंगे। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै0क्षे0) ने पत्रांक-156/उद्यान-1, दिनांक 2-12-95 द्वारा शासन को यह अवगत कराया कि प्रश्नगत फल पट्टी के सम्बन्ध में 7 ईट भट्ठा मालिकों की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जो निराधार हैं। अतः बक्शी का तालाब फल पट्टी क्षेत्र के 82 ग्रामों को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया जाये। तद्नुसार शासन द्वारा फल पट्टी क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए अधिसूचना संख्या-402/58-1-97-381/91, दिनांक 19-02-97 द्वारा विकास खण्ड बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया गया।

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-बक्शी का तालाब फल पट्टी क्षेत्र के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रसाद अवस्थी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भण्डार निगम, श्री प्रमोद चौधरी, महामंत्री, लखनऊ ब्रिक किलन एसोसिएशन एवं सीतापुर रोड ब्रिक किलन एसोसिएशन द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त फल पट्टी को अनियमित तरीके से घोषित किया गया है जिससे उक्त क्षेत्र के ईंट भट्ठा एवं अन्य कुटीर उद्योग समाप्ति की कगार पर हैं तथा फल पट्टी क्षेत्र के बागों का क्षेत्रफल अत्यन्त कम है। कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा भी उक्त फल पट्टी क्षेत्र से सम्बन्धित अधिसूचना को रद्द किये जाने का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया। बक्शी का तालाब फल पट्टी क्षेत्र को निरस्त किये जाने के प्रार्थना पत्र/ज्ञापन के विपरीत श्री सरस्वती प्रताप सिंह, मा0 मंत्री होमगार्ड राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, श्री रवीन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री बेसिक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन एवं डा0 गिरीश कुमार शुक्ला, यहियागंज, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराते हुए कि बक्शी का तालाब फल पट्टी को कतिपय ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा निरस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है जो बक्शी का तालाब फल पट्टी क्षेत्र के बागवानी के हित में नहीं है। अतः उक्त फल पट्टी क्षेत्र से सम्बन्धित अधिसूचना निरस्त न किया जाये।

3-शासन द्वारा बक्शी का तालाब फल पट्टी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद एवं फल पट्टी क्षेत्र को निरस्त करने अथवा न करने के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभासी प्रार्थना-पत्र/ज्ञापन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-741/58-1-99-381/91, दिनांक 17.2.99 द्वारा मुख्य उद्यान विशेषज्ञ औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र मलिहाबाद, लखनऊ, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ, प्रभारी संचल दल बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा नामित नायब तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी की एक समिति बनाकर बक्शी का तालाब फल पट्टी क्षेत्र के ग्रामों के ग्रामवार कुल क्षेत्रफल, कुल कृषि क्षेत्रफल तथा बागों के क्षेत्रफल का ग्रामवार सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 22-3-99 को प्राप्त हो गयी है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।)

जनपद एटा के थाना जैथरा की जमीन बिकवा कर थानाध्यक्ष, किरनवीर सिंह द्वारा लाखों रुपये हड़प लिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(वर्ष 1981 में श्री राजपाल सिंह, इन्सपेक्टर छविराम गिरोह के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गये थे। उनकी स्मृति में मुनि कोट में राजपाल सिंह पुलिस शहीद स्मारक

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय बना हुआ है। विद्यालय के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष क्षेत्राधिकारी अलीगंज हैं तथा प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक श्री नवीन कुमार पाठक हैं। स्व0 श्री राजपाल की स्मृति में ही थाना जैथरा के पास स्थित भूमि पर राजपाल सिंह पुलिस शहीद स्मारक गेस्ट हाऊस का निर्माण प्रस्तावित किया गया। उक्त गेस्ट हाऊस का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के बाद एक कमरे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। कुछ स्थानीय लोगों ने उक्त निर्माण कार्य पर आपत्ति उठायी जिसके चलते निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक तथा एस0डी0एम0 द्वारा जांच की जा रही हैं तथा जांचपूर्ण होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उन्नाव अन्तर्गत असेवित ब्लाक सिकन्दरपुर सरोसी में कोई हाईस्कूल व इण्टर कालेज न होने से छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(प्रदेश में ऐसे असेवित विकास खण्डों, जहां पूर्व में कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज संचालित नहीं है,में निजी प्रबन्धतंत्र के सहयोग से कन्या हाईस्कूल खोले जाने हेतु शासनादेश संख्या-1201/15-8-94/3009(5)/94, दिनांक 21 सितम्बर, 1994 के द्वारा प्रक्रिया और व्यवस्था का निर्धारण किया गया। तदोपरान्त समय-समय पर इस व्यवस्था में परिवर्तन और संशोधन किये गये और शासनादेश संख्या-1930/15-8-98/3070/98, दिनांक 28 दिसम्बर,1998 के द्वारा कार्यकारी सिद्धान्त जारी किये गये जिसके अन्तर्गत प्रकिया का विकेन्द्रीकरण करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस कार्यकारी सिद्धान्त के नियम-3 में असेवित विकास खण्ड की परिभाषा निम्नवत दी गई है:-

"असेवित विकास खण्ड" से तात्पर्य ऐसे विकास खण्डों से है, जिसमें पहले से कोई भी अशासकीय/शासकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेज नहीं हैं। ऐसे विकास खण्डों की सीमा में पड़ने वाले शहरी क्षेत्र भी उनमें सम्मिलित माने जायेंगे।

2-जनपद उन्नाव का विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरोसी असेवित विकास खण्ड की श्रेणी में नहीं हैं क्योंकि इस विकास खण्ड में "द्वारिका मोहिनी विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल, गंगाघाट, उन्नाव" एक मान्यता प्राप्त एवं राज्य सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय पूर्व से ही संचालित है। इस प्रकार विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरोसी असेवित विकास खण्ड की श्रेणी में न होने के कारण उपरोक्त योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति इस विकास खण्ड में दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3- शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 के द्वारा एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्डों के दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्र के सहयोग से कन्या माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु योजना संचालित की गई है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि द्वितीय कन्या विद्यालय हेतु एक विद्यालय सेवित विकास खण्ड का तात्पर्य ऐसे विकास खण्ड से है जिसमें केवल शासकीय अथवा अशासकीय एक कन्या विद्यालय खोला गया हो अथवा चल रहा हो परन्तु द्वितीय विद्यालय उस न्याय पंचायत में नहीं खोला जा सकता है जिस न्याय पंचायत में प्रथम विद्यालय संचालित हो। इस प्रकार विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में अर्ह प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपरोक्त योजनान्तर्गत विचार किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में निर्णय तथा समस्त कार्यवाही जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लिया जाना है। एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड के दूसरे न्याय पंचायत में कन्या विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जिला समिति द्वारा तभी प्रदान की जायेगी जब इस हेतु आय व्ययक में वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होगी।

श्री दीपक कुमार-

मान्यवर, यह गलत सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए निदेशों में व्यवस्था की गयी है, आप उसके अनुसार जब सूचना देंगें, तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।)

जनपद गोण्डा की मनकापुर तहसील के अन्तर्गत महिला अस्पताल न होने के कारण जन सामान्य को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(मा0 सदस्य द्वारा यह अवगत कराते हुए कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत तहसील मनकापुर में महिला अस्पताल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उक्त स्थल पर महिला अस्पताल खोले जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि तहसील मनकापुर जो जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, में वर्ष 1987-88 से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एंव क्रियाशील है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानकानुसार स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर में भी स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद सृजित है। इसके अतिरिक्त पी0पी0 सेन्टर पर भी महिला चिकित्सक का पद सृजित है। जिस पर डा0 ललिता तैनात हैं। क्षेत्रीय जनता को महिला चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में पृथक से महिला चिकित्सालय की स्थापना की शासन की कोई योजना नहीं हैं।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महिला चिकित्सा की सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर के अन्तर्गत 22 उपकेन्द्र भी कार्यरत हैं। एक उपकेन्द्र पर एक ए0एन0एम0 तथा एक अंशकालिक दायी की व्यवस्था रहती है। जहां तक आई0टी0आई0, मनकापुर का सम्बन्ध है, मनकापुर में आई0टी0आई0 का अपना एक चिकित्सालय स्थापित है। जहां तक आई0टी0आई0की महिला कर्मचारियों अथवा आई0टी0आई0 के कर्मचारियों के परिवारों की महिला सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने का प्रश्न है, मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पी0पी0 सेन्टर पर उपलब्ध सुविधायें उन्हें भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिला चिकित्सकों की सामान्य कमी है। फिर भी निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को निर्देशित किया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर में रिक्त पद पर महिला चिकित्सक की तैनाती तत्काल कर दे।

आगरा महानगर में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण तथा शास्त्रीपुरम एवं कालिन्दी बिहार के क्षेत्र में दिल्ली में हुये एशियाई खेलों के अनुरूप एक ग्राम की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 विधायक डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

खेल विभाग की नीति के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक क्रीड़ांगन, एक बहुउद्देशीय हाल व चुने हुए स्थानों पर तरणताल की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है इसी क्रम में वर्तमान में क्रीड़ा प्रतिष्ठानों की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) 56 क्रीड़ांगन निर्मित हैं एवं 14 निर्माणाधीन हैं।

(2) 40 बहुउद्देशीय हाल निर्मित हैं और 05 निर्माणाधीन हैं।

(3) 21 तरणताल निर्मित हैं 05 निर्माणाधीन हैं।

विभाग का मत है कि वर्तमान वित्तीय संसाधनों की सीमितता को दृष्टि में रखते हुए आगरा में अलग से स्टेडियम की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आगरा विकास प्राधिकरण जब अपनी कालोनी की स्थापना कर रहा है तो स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए अपने संसाधनों से अपनी योजनाओं के अन्तर्गत खेल सुविधा उपलब्ध करा सकता है। आगरा विकास प्राधिकरण अपनी कालोनियों को उत्कृष्ट कोटि की बहु-उपयोगी/लाभकारी बनाना चाहता है तो स्टेडियम के लिए कम से कम 40 एकड़ भूमि निःशुल्क एवं स्टेडियम के कर्मचारियों को अपने 10 आवास निःशुल्क खेल विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दे तो विभाग यथा-समय इसको गंभीरता से लेते हुए विचार करेगा।

जहां तक आगरा जनपद का सम्बन्ध है वहां पर 01 स्टेडियम, 01 बहुउद्देशीय हाल व 01 तरणताल पहले से ही उपलब्ध हैं, वर्तमान समय में यह प्रतिष्ठान आगरा की खेल आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और यहां पर खेल कार्यक्रम व प्रतियोगिता तथा प्रशिक्षण कार्य भलीभांति सुचारू रूप से संचालित किये जा रहे हैं।

जहां तक खेल ग्राम का प्रश्न है इस सम्बन्ध में दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत गाजियाबाद व मेरठ में स्टेडियमों को विकसित किया जा रहा है जो प्रदेश के पश्चिमी भाग की खेल आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त है।)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की भांति 25 वर्ष की आयु सीमा तक परिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 अशोक बाजपेयी, ध्यान नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(डा0 अशोक बाजपेयी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत की गयी:-

"देश की आजादी पर प्राणों की आहुति देने वाले महान योद्धाओं को आजादी के बाद राजनैतिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार के आश्रितों को राज्य कर्मचारियों की भांति फेमिली पेंशन प्रदान की गयी। फेमिली पेंशन स्कीम 1965 के आधार पर शासनादेश संख्या 3-2-93/दस-89-3/82, दिनांक 5 नवम्बर, 1989 द्वारा क्रमांक-1 एवं 2 में आयु सीमा को संशोधित कर 25 वर्ष तक के पुत्र एवं पुत्रियों को जब तक वह बेरोजगार हैं पारिवारिक पेंशन की सुविधा मिलेगी। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मामले में इस सुविधा का लाभ न देकर मात्र 18 वर्ष की आयु सीमा की आश्रितों को यह सुविधा प्रदान की गयी है जो कि शासनादेश और अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है। इस सम्बन्ध में कई बार शासन से अनुरोध भी किया गया परन्तु अभी तक कोई निर्देश नहीं जारी किये गये।"

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को अनुमन्य पारिवारिक पेंशन के लिए राज्य कर्मचारियों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों की भांति, आयु सीमा 25 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव समय-समय पर शासन में प्राप्त हुए हैं। इन पर निर्णय लिए जाने से पूर्व जिलाधिकारियों से कतिपय सूचनाएं मांगी गयी है। उनके प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।)

नोट :- () () यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों विशेषत: जनपद बहराइच में कैसरगंज में नाव डूबने से मरने वाले मृतकों के परिवारों को समुचित सहायता दिये जाने तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके जाने के सम्बन्ध में श्री राम तेज यादव एडवोकेट आदि द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज के ग्राम गोडहिया न0-3 में स्थित नौधन घाट (बेलवार बगला) पर प्राय: नाव चलती हैं जिसकी नीलामी जिला पंचायत/परिषद् बहराइच द्वारा की जाती है । उक्त घाट से बाबा नारायन दास ग्राम हेतमापुर, जिला बाराबंकी में लगने वाले मेले तक नावें चलायी जाती हैं । उक्त मेला प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को लगता है ।

दिनांक 17-5-98 को लगभग 10 बजे पूर्वान्ह उक्त मेले के लिये एक छोटी नाव जो ठेके पर चलती थी, जिस पर नाविक सहित 31 व्यक्ति सवार होकर नौधन घाट (बेलवार बंगला) गोडिहीया न0-3 से चली थी । नाव नदी की धारा में क्षमता से अधिक व्यक्तियों के सवार होने व तेज लहरों के कारण घाघरा नदी की धारा में डूब गयी । नाव के डूबने के कारण लगभग 15-16 व्यक्तियों की क्षमता वाली छोटी नाव पर क्षमता से अधिक 31 व्यक्तियों का होना पाया गया । 17 व्यक्ति दुर्घटना के समय नाव डूबने पर तैर कर नदी पार कर लिये जो जीवित बच गये । 14 व्यक्तियों की डूबकर मर जाने की आशंका व्यक्त की गई । जिसमें से दुर्घटना के दिन दिनांक 17-5-98 को 6 व्यक्तियों की लाशें दूसरे दिन 18-5-98 को 2 व्यक्तियों की लाशें तथा तीसरे दिन दिनांक 19-5-98 को दो व्यक्तियों की लाशे कुल 10 व्यक्तियों की लाशें नदी में जाल डालकर, गोता खोरों, स्टीमर एवं छोटी नावों के माध्यम से पर्याप्त तलाश के पश्चात निकाली गयी । शेष 4 व्यक्तियों की तलाश नहीं हो पायी है ।

नाव क्षमता से अधिक सवारियां होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई है । उक्त घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं आती है । इसी लिए मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार दैवी आपदा के अन्तर्गत कोई सहायता देय नहीं है । परन्तु मृतक आश्रितों की गरीबी एवं दयनीय स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मानवीय आधार पर प्रत्येक मृतक आश्रित व्यक्तियों के मुखिया को रु0 10-10 हजार के हिसाब से 140000/- रु0 की धनराशि स्वीकृत कर रु0 100000/- का वितरण किया जा चुका है । प्रत्येक मृतक आश्रित को मा0 मुख्य मंत्री कोष से राहत दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद जालौन थाना रेढ़र के अन्तर्गत ग्राम अतरौली में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की सामूहिक मारपीट से दलितों द्वारा गांव से पलायन कर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

जनपद जालौन के थाना रेढ़र के अन्तर्गत ग्राम अतरौली में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की सामूहिक मारपीट से दलितों द्वारा गांव से पलायन कर जाने एवं पुलिस द्वारा समुचित धाराओं में अभियोग दर्ज न करने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17-3-99 को प्रस्तुत की गयी नोटिस पर पुलिस अधीक्षक जालौन से जांच करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है:-

दिनांक 4-3-99 को प्रातः 8-30 बजे वादी श्री बरजोर सिंह ठाकुर पुत्र पंचम सिंह निवासी ग्राम अतरौली, थाना रेढ़र, जनपद जालौन ने तहरीरी सूचना अंकित करायी कि दिनांक 3-3-99 को समय करीब 18-30 बजे वह अपने लड़के चन्द्रभान सिंह के साथ घर पर था, कि उसके गांव के अभियुक्तगण महेन्द्रपाल सिंह ठाकुर, राजेन्द्र पाल सिंह ठाकुर, धर्मेन्द्र सिंह, अशोक सिंह निवासीगण ग्राम अतरौली, थाना रेढ़र उसके पड़ोसी श्री संतोष कुमार पुत्र धर्मपाल से आ कर कहने लगे कि वह वादी बरजोर सिंह ठाकुर के पास उठना बैठना छोड़ दे। विपक्षीगण के इस बात पर वादी बरजोर सिंह ठाकुर द्वारा तत्समय एतराज किया गया। इस बात को सुनते ही विपक्षीगण वादी बरजोर सिंह, ठाकुर की छत पर चढ़कर उसके साथ मारपीट की गयी और छत से नीचे गिरा दिया गया और गाली गलौज की गयी। विपक्षीगण द्वारा वादी के लड़के चन्द्रभान सिंह तथा संतोष को भी मारापीटा गया। मारपीट से बचने के लिए संतोष कुमार पुत्र धर्मपाल भागकर अपने घर में घुसकर कुण्डी लगा लिया तो उक्त चारों विपक्षीगण द्वारा उसके घर का दरवाजा तोड़कर अन्दर घुसकर संतोष कुमार, उसकी मां सुमेरा तथा पत्नी राजकुमारी को मारापीटा गया एवं उसके छप्पर को तोड़ दिया गया तथा चारा मशीन उखाड़ कर फेंक दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

वादी श्री बरजोर सिंह ठाकुर की इस सूचना पर थाना रेढ़र में मु0अ0सं0 33/99 धारा 308/452/323/504/506/336/342/427 भादंवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परतापूर्वक करते हुए दूसरे ही दिन दिनांक 5-3-99 को इस अभियोग के अभियुक्तगण महेन्द्रपाल सिंह ठाकुर व राजेन्द्रपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा शेष दो अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। प्रश्नगत घटना में घायल सभी व्यक्तियों का डाक्टरी चेकअप कराया जा चुका हैं। परीक्षण से चन्द्रभान सिंह को दो चोटें, श्रीमती भगवती को एक चोट, श्रीमती गंगा देवी को दो चोट, राम सेवक को, तीन चोट संतोष को दो चोट, श्रीमती राजकुमारी को दो चोटे तथा श्री बरजोर सिंह को 8 चोटे तथा श्रीमती सुमेरा को तीन चोटें पायी गयी है।

घटना के मध्य अभियुक्तगण द्वारा श्री संतोष कुमार की बैलगाड़ी को क्षति पहुंचाने, चारा मशीन उखाड़ देने तथा छप्पर उतार देने के सम्बन्ध में भादंवि की उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इस सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और विवेचना प्रचलित है। जांच से यह तथ्य सही नहीं पाया गया कि उक्त गांव से दलितों का मध्य प्रदेश को पलायन हो रहा है और उनकी फसलें सूख रहीं हैं तथा उनके मवेशी व घर लूट लिये गये हैं। सम्प्रति उक्त गांव में पूर्ण शान्ति व्यवस्था कायम है।

इस अभियोग का वादी श्री बरजोर सिंह सवर्ण जाति (ठाकुर) का है एवं दिनांक 4-3-99 को उसके द्वारा दी गयी सूचना में उसके द्वारा घायल किसी अनुसूचित जाति के सदस्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए इस मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अधीन अपराध पंजीकृत नहीं किया गया। पुनः इस अभियोग की विवेचना से पाया गया कि घटना के समय अभियुक्तगणों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। घटना के समय जाति सूचक शब्दों का प्रयोग न करने एवं जाति द्वेष की भावना से अपराध न होने के कारण अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीकरण की कार्यवाही का आधार बनना नहीं पाया गया है। प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 33/99 धारा 308/452/323/504/506/336/342/421 भादंवि में अभियुक्तगण महेन्द्र पाल सिंह एवं राजेन्द्र पाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं अन्य दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अभियोग की विवेचना तत्परतापूर्वक की जा रही है एवं गांव में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है।

जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत चार लोगों की हुई हत्या तथा बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए थाना का पुनः सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

दिनांक 15-3-99 को श्री शहजाद पुत्र युसुफ निवासी यकसराय भारती थाना कोतवाली देहात ने थाना कोतवाली देहात पर सूचना दर्ज कराई कि वह तथा उसका भाई इसरार, सहारनपुर में बाबू प्रदीप की दुकान पर पल्लेदारी का काम करते हैं तथा फूलकुमार सहारनपुर में ही साइकिल की मरम्मत का काम करता है। आज वह जब तीनों सहारनपुर से काम समाप्त करके अपने गांव वापस आ रहे थे, उनके साथ उनके गांव के हरपाल तथा इन्द्रपाल भी थे। समय करीब शाम 7-30 बजे जब वह सिकन्दर की पुलिया के पास पहुंचे और टार्च की रोशनी डाली तो देखा कि डाक्टर अरविन्द कुमार पुत्र माम चन्द्र शर्मा, निवासी मोहल्ला प्रेमपुरी, थाना कोतवाली देहात घायल पड़े हैं। पांच-छः बदमाशों ने तभी एकदम बाग से निकलकर हम लोगों पर हमला कर

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाठी डण्डों से तथा सरिया से मारपीट शुरूकर दी जिससे इसरार व फूलकुमार वहीं गिर पड़े। टार्च की रोशनी में वादी ने एक बदमाश अनिल पुत्र बारू, निवासी शालीमार गार्डन को पहचान लिया। वादी शाहजाद, हरपाल व इन्द्रपाल ने भागकर गांव में पहुंचकर शोर मचाया। गांव वालों ने साथ आकर देखा तो इसरार, डाक्टर अरविन्द तथा फूलकुमार मरे पड़े हैं। सड़क से करीब 50 कदम की दूरी पर हरीसिंह जो इसी गांव के रहने वाले हैं, भी मरा पड़ा है। उसके पैर बंधे हुए थे। बदमाशों को सामने आने पर पहचान सकते हैं। दो माह पूर्व भी ईद से एक दिन पहले इसी स्थान पर लूट की घटना हुई तो बारू जो पुलिस में है उसका लड़का अनिल पहचान लिया गया था। उस घटना में कुछ लोगों ने फैसला करा दिया था तथा लूट के 2000/- रुपये अनिल से वापस करा दिये थे। इसके बाद बारू व अनिल ने गांव वालों को देख लेने की धमकी दी थी।

2-उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 88/99, धारा 147/302 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना से उक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त अनिल उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 19-3-99 को इस घटना में सम्मिलित रहे अभियुक्त (1) सलीम पुत्र कासिम निवासी हुसैन पट्टी थाना कोतवाली देहात (2) जितेन्द्र पुत्र बाबूराम सैनी निवासी न्यू माधो नगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर एवं (3) छोटेलाल उर्फ पप्पू पुत्र बुद्धराम सैनी निवासी शंकरपुर थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने घटना का जुर्म इकबाल किया तथा अपने साथ एक अन्य अभियुक्त धर्मवीर उर्फ बबलू पुत्र बाबूराम सैनी निवासी न्यू माधो नगर थाना कोतवाली नगर को भी सम्मिलित होना बताया।

3- उक्त घटना का कारण मृतक डा0अरविन्द से अभियुक्त सलीम की पत्नी श्रीमती सफीना व उसकी बहिन नफीसा के साथ नाजायज सम्बन्ध होना बताया गया। शेष तीन मृतकों के बारे में बताया गया कि इन लोगों ने अभियुक्त गणों को घटना के समय पहचान लिया था अतः साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से इनकी भी हत्या कर दी गई। अभियुक्त धर्मवीर की गिरफ्तारी शेष है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

4- घटना का अनावरण हो चुका है तथा अभियुक्तगणों से हत्या में प्रयुक्त डण्डा आदि बरामद कर लिया गया है। क्षेत्र में किसी प्रकार का भय अथवा आतंक का वातावरण परिलक्षित नहीं है।

5- थाना कोतवाली देहात के पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोहल्ला ओजपुरा, जो वर्तमान में थाना कोतवाली देहात से नियंत्रित किया जा रहा है, को थाना कोतवाली देहात से निकाल कर थाना सदर बाजार, में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में विवरण पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए बने हितकारी केन्द्रों के चिकित्सालयों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के 01 अप्रैल, 1999 से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

श्रम विभाग में श्रमायुक्त संगठन के श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के सर्वांगीण विकास एवं मनोरंजन हेतु वर्ष 1952 से राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 19 केन्द्र खोले गये थे जिनकी संख्या वर्ष 1985 से बढ़कर 92 हो गई थी। श्रम हितकारी केन्द्रों के निष्क्रिय एवं अनुपयोगी होने के कारण वर्ष 1992 में 17 केन्द्रों को बन्दकर दिया गया और उनमें लगे स्टाफ को रिक्त पदों पर समायोजित किया गया। वर्तमान समय में प्रदेश में 75 श्रम हितकारी केन्द्र कार्यरत हैं।

श्रम हितकारी केन्द्र 2 श्रेणी में विभक्त हैं:-

(1) श्रेणी "क" के हितकारी केन्द्रों में एलोपैथिक चिकित्सालय मातृत्व एवं शिशु कल्याण, सिलाई, इनडोर, आउटडोर खेल, वाचनालय, रेडियों, टेलीविजन आदि की सुविधा की व्यवस्था है। इस श्रेणी के केन्द्रों की संख्या-28 है।

(2) श्रेणी "ख" के श्रम हितकारी केन्द्रों में होम्यों/आयु0/यूनानी चिकित्सालय मातृत्व एवं शिशु कल्याण, इनडोर, आउटडोर खेल, वाचनालय, रेडियो की व्यवस्था है। इस श्रेणी के केन्द्रों की संख्या-47 है।

उक्त 75 श्रमहितकारी केन्द्रों में 24 केन्द्र श्रम विभाग के अधीन सरकारी भवनों में, 14 श्रमिक बस्ती क्वार्टर में, 32 किराये के भवनों एवं 5 नि:शुल्क भवनों में स्थापित हैं।

इन श्रम हितकारी केन्द्रों के लिए वर्तमान में चिकित्साधिकारी से लेकर अन्य कर्मचारियों के कुल 864 पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में 652 पद भरे हैं व 212 पद रिक्त हैं।

4- अधिकांश श्रम हितकारी केन्द्र नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं। पठन-पाठन हेतु उपलब्ध पुस्तकों, समाचार पत्र-पत्रिकायें एवं वर्तमान में अन्यत्र सुगमता से अन्य सुविधायें उपलब्ध होने के कारण केन्द्र में वाचनालय की व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई है। नगरमहापालिका/नगर निगम द्वारा चलाये जा रहें पुस्तकालयों में पुस्तकें अधिकता से उपलब्ध होने के कारण पाठकवर्ग वहां जाना ठीक समझते हैं। रेडियों, टेलीविजन आदि की सुविधायें घरों में आसानी से उपलब्ध होने के कारण अधिकांश व्यक्ति जिनमें श्रमिक श्री सम्मिलित हैं, अपने घरों में ही इस सुविधा का उपभोग करने लगे हैं। सामान्यत: सभी नगरों में मैदान व पार्क की सुविधा आउटडोर खेलों के लिए

नगरमहापालिका द्वारा उपलब्ध हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्सों के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

5- इन केन्द्रों को चलाने हेतु बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन भत्ते आदि के मद में व्यय हो रहा है। इस योजना में लगे स्टाफ के वेतन भत्ते आदि के मद में होने वाले व्यय/बजटीय व्यवस्था का ब्यौरा निम्नवत् है:-.

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वेतन भत्ते/ कार्यालय मद आदि	औषधि तथा रसायन मद	औषधालयों की साज-सज्जा हेतु
(1)	1997-98	545.74	33.42	7.68
(2)	1998-99	569.55	1.00	0.50
(3)	1999-2000	699.46	1.00	0.25

6- यह निर्विवाद है कि 50-60 के दशक में जिन उद्देश्यों को लेकर इन केन्द्रों की स्थापना की गई थी वर्तमान में बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वे उद्देश्य अप्रासंगिक हो गये हैं इनके बन्द होने से किसी श्रमिक को नुकसान की संभावना नहीं के बराबर है और इन्हें चलाने में आ रहे व्यय को विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ करना, औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारना, बाल श्रम प्रथा, बन्धुआ श्रम प्रथा को समाप्त आदि में उपयोग लाया जा सकता है।

7- वर्तमान सरकार की नीति है कि प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुये वर्तमान में विद्यमान ऐसी योजनायें जो प्रासंगिक नहीं हैं अथवा जिनसे अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, को समाप्त करना या बन्द करना जनहित में होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि श्रम हितकारी केन्द्रों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधायें अन्य विभागों एवं संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं और जिसके लिए उन विभागों में स्थिर ढांचागत सुविधा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में श्रम हितकारी केन्द्रों को डाइंग कैडर घोषित किये जाने का मामला शासन में विचाराधीन है और यह कहना सही नही है कि इन केन्द्रों को 01 अप्रैल, 1999 से समाप्त किया जा रहा है।)

जनपद बाराबंकी में लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयनित लेखपालों को प्रशिक्षण पर न भेजे जाने के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(श्री फरीद महफूज किदवई मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18-3-1999 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है, कि जनपद बाराबंकी में 29-6-96 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने लगभग 19 नवयुवकों को शासन की नीतियों के अनुसार लेखपाल के प्रशिक्षण के लिये चयनित किया था। इसमें 18 लोग दलित वर्ग से थे। इस प्रक्रिया के विरुद्ध एक व्यक्ति ने मा0 न्यायालय को गलत सूचना देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। जिसके चलते प्रशिक्षण के लिये चयन की प्रक्रिया रोक दी गयी थी। बाद में सही तथ्य सामने आने पर मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने दिनांक 22-7-98 को अपना पहले का स्थगन आदेश वापस ले लिया, जिसकी विधिवत सूचना आयुक्त फैजाबाद, जिलाधिकारी बाराबंकी, अध्यक्ष राजस्व परिषद् आदि को कई बार भेजी जा चुकी है, फिर भी इन चयनित बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा जा रहा है। जिस कारण चयनित बेरोजगार लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं।

2- इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बारांबकी से आख्या प्राप्त की गयी है जिलाअधिकारी बाराबंकी को आख्यानुसार 19 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 29-6-96 को घोषित किया गया। उक्त चयन के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-3812(एस0एस0)/3812 (एस0 एस0)/1996 श्री रंजीत कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश दिनांक 5-7-96 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में जाने से निरुद्ध किया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22-7-98 द्वारा उक्त स्थगन आदेश दिनांक 5-7-96 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय का सत्र नहीं चल रहा है, अतएवं सत्र प्रारम्भ होते ही आगामी सत्र में इन चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों को लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय में भेज दिया जायेगा।)

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही सहित) कतिपय अन्य जनपदों में कालीन एवं दरी निर्माण कार्य में कार्यरत परिवारों को बाल श्रम के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही (सन्त रविदास नगर) जौनपुर एवं इलाहाबाद के कतिपय क्षेत्रों में कालीन बुनाई का कार्य व्यापक तौर से किया जाता है। ऊनी कालीन बुनाई उद्योग विकेन्द्रीकृत उद्योग हैं, जिसमें निर्यातकों/निर्माताओं द्वारा कच्चा माल जैसे-ऊन, डिजाइन इत्यादि लूम होल्डर को दिये जाते हैं और कालीन बुनाई का कार्य इन जनपदों में मुख्यतया ग्रामीण अंचलों में विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फैले हुए लूमों पर किया जाता है। अधिकांशतः इन लूमों में मजदूरी पर बाल श्रमिकों को नियोजित करके कालीन बुनाई का कार्य किया जाता है। इन बाल श्रमिकों में सन्निकट राज्यों-बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं नेपाल से आये बाल श्रमिक भी सम्मिलित हैं, जो कालीन बुनाई लूमों में लूम होल्डर के निवास में रहकर कालीन बुनाई का कार्य करते हैं।

प्रदेश के ऊनी कालीन बुनाई क्षेत्र में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रदेश शासन, भारत सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विगत वर्षों में गहन चिन्तन का विषय बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस समस्या की ओर निरन्तर ही ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिससे कालीन के निर्यात पर भी दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कालीन बुनाई क्षेत्र में विगत वर्षों में व्यापक तौर से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत व्यापक प्रवर्तन की कार्यवाही करवाई गई है।

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत व्यापक प्रवर्तन की कार्यवाही करवाई गई है।

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत कालीन बुनाई के कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित है। इसी सम्बन्ध में रिट पिटीशन सिविल संख्या-465/86-एम0सी0मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में 10-12-96 को पारित निर्णय के अनुपालन में प्रदेश के कालीन क्षेत्र सहित समस्त जनपदों में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण में चिन्हित बाल श्रमिकों का पुनर्वासन एवं दोषी सेवायोजकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है। किसी भी सेवायोजक को अकारण एवं अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया गया है और न ही किया जा रहा है।

कालीन क्षेत्र में बाल श्रमिकों का नियोजन विशेषकर प्रवासी बाल श्रमिकों का नियोजन कम उम्र में कार्य सीखने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है अपितु बाल श्रमिकों को कम मजदूरी दिलाकर उनसे अधिक कार्य लिये जाने के प्रयोजन से किया जा रहा है। यह स्थिति न तो बाल श्रमिकों के हित में है और न ही उनके परिवारों के हित में। इसके अतिरिक्त विदेशों में दुष्प्रचार के कारण कालीन उद्योग को अत्यधिक क्षति होने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार ने कालीन क्षेत्र सहित समस्त खतरनाक प्रक्रिया वाले उद्योगों/व्यवसायों में बाल श्रम प्रथा के समूल उन्मूलन का निर्णय लिया है। इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये एन0सी0एल0पी0 के अन्तर्गत परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा कालीन क्षेत्र के लिये बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (क्लैप) तथा प्रवर्तन मैनुअल तैयार किया गया है। इसके लागू होने से बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण एवं उनके पुनर्वासन की कार्यवाही सुगमतापूर्वक सम्पन्न की जा सकेगी।

जनपद मिर्जापुर की तहसील मड़िहान के मड़िहान बाजार निवासी श्री अनिल कुमार उर्फ पप्पू हलवाई के दो लड़कों श्री दीपक कुमार (कक्षा-3) तथा श्री किशन कुमार (कक्षा-4)के विरुद्ध वर्ष 1998 में चालान का मुकदमा कायम कराने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनिल कुमार उर्फ पप्पू हलवाई के विरुद्ध वर्ष 1998 में किसी भी श्रम अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी वाद दायर नहीं किया गया है और न ही विगत दो वर्षों में दीपक कुमार एवं किशन कुमार नाम के बच्चे बाल श्रमिक के रूप में चिन्हित किये गये।

जनपद चित्रकूट के थाना कोतवाली कर्वी के ग्राम सिद्धपुर निवासी श्री छोटा पुत्र लक्ष्मण को दिनांक 22-1-99 को थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा कथित रूप से हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ददुद प्रसाद, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

श्री0 सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि जनपद चित्रकूट के थाना कोतवाली कर्वी के अन्तर्गत ग्राम-सिद्धपुर निवासी श्री छोटा पुत्र लक्ष्मण उम्र 20 वर्ष को दिनांक 22-01-99 को थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा पुलिस बल के साथ पकड़ ले जाया गया तथा उसे थाने में मार-पीट कर बन्द कर दिया गया। श्री छोटा के पिता द्वारा उसको छुड़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र उच्चाधिकारियों तथा शासन को दिये गये परन्तु उसे नहीं छोड़ा गया। आशंका है कि थानाध्यक्ष मानिकपुर ने उसे जान से मारकर लाश गायब कर दी है। थानाध्यक्ष, मानिकपुर मु0अ0सं0 2/99 धारा 302/364/201 भा0द0वि0 थाना जी0आर0पी0 मानिकपुर में नामजद अभियुक्त है। इस घटना से स्थानीय जनता में भय व आतंक व्याप्त है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नांकित है:-

दिनांक 18-01-1999 को आई0एस0-112 ददुआ गिरोह से ग्राम रानीपुर में थाना मानिकपुर की पुलिस से हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 4/99 धारा 147/148/149/307 भा0द0वि0 में उक्त श्री छोटा पुत्र लक्ष्मण नामजद अभियुक्त हैं। उसकी तलाश की गयी किन्तु वह नहीं मिला। अतएवं यह सही नहीं है कि श्री छोटा को दिनांक 22-1-99 को थानाध्यक्ष मानिकपुर पकड़कर ले गये और मार-पीटकर बन्द कर दिया।

इस सम्बन्ध में यह सत्य है कि श्री छोटा के पिता श्री लक्ष्मण द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं। उक्त प्रार्थना पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी मऊ से करायी गयी। जांच से उक्त प्रार्थना पत्रों में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये। अभियुक्त को गिरफ्तारी से बचाने के लिये उक्त प्रार्थना-पत्रों में मनगढ़न्त, मिथ्या आरोप पुलिस को बदनाम करने एवं उसे मूल कर्तव्यों से विमुख करने के उद्देश्य से राजनैतिक दबाव में मात्र पेशबन्दी की गयी है। इस प्रकार उक्त पत्रों पर कोई कार्यवाही न किये जाने का आरोप सही नहीं है।

नोट :- (1) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा श्री छोटा को मारकर लाश गायब कर दिये जाने की आशंका निराधार है क्योंकि उसकी तलाश की जा रही है। स्थानीय जनता में भय, आक्रोश व्याप्त होने का कथन सही नहीं है। थानाध्यक्ष मानिकपुर मु0अ0सं0 2/99 धारा 302/364/201 भा0द0वि0 में नामित अभियुक्त होने का कथन सही है। इस अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष जी0आर0पी0 मानिकपुर द्वारा की जा रही है। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष, मानिकपुर उक्त मामले की जांच में दोषी नहीं पाये गये हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मा0 विधानसभा सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में लगाये गये आरोप आधारहीन हैं।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, इस पर स्पष्टीकरण दिलवा दें। मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आया है कि छोटा पुत्र लक्ष्मण का 3 फरवरी, का पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा है कि थाना अध्यक्ष छोटा को पकड़ कर ले गया, तो क्या पत्र के आधार पर जांच करायी जायेगी, कम से कम डी0आई0जी स्तर से, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत का मामला है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सी0ओ0 द्वारा की गयी है, किसी एस0आई0 द्वारा नहीं हुई हैं। जांच में जो आरोप लगाये गये थे वे गलत पाये गये।

जनपद बांदा के थाना जसपुरा के ग्राम बुधेला में कतिपय पट्टेदारों की फसल को दबंगों द्वारा जबरन काटे जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(जनपद बांदा के थाना जसपुरा अन्तर्गत ग्राम बुधेला के पट्टेदार श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री गजोधर, श्री सोमइया पुत्र श्री दुर्गा, श्रीमती मेड़िया। पत्नी श्री राजाराम सहित एक दर्जन लोगों की खड़ी फसल को उक्त ग्राम के ही असरदार एवं दबंग व्यक्तियों द्वारा दिनांक 12-3-99 को काट लिये जाने एवं फसल के गल्ले की मांग को लेकर पट्टेदार के थाने जाने पर पीड़ितों की फरियाद सुनने के बजाय डाटकर भगा दिये जाने के कारण जनता में भय व आक्रोश व्याप्त होने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 18-3-99 को सूचना दी गयी है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्निवत् है:-

दिनांक 13-3-99 को राजाराम पुत्र श्री कामता प्रसाद, निवासी ग्राम बुधेड़ा, थाना जसपुरा, जिला बांदा थाने पर आये और बताया कि उसके पिता श्री कामता प्रसाद

नोट :- ( ) यह अंश पढा हुआ माना गया।

पुत्र श्री गजोधर निषाद के नाम की पट्टे की भूमि में खड़ी फसल को गांव के पप्पू सिंह, पुतुआ सिंह, अर्जुन सिंह पुत्रगण गुलबदन सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 12-3-99 को काट ली गयी है। शिकायतकर्ता के कथन के आधार पर दिनांक 13-3-99 को थानाध्यक्ष, जसपुरा स्वयं मौके पर गये और जांचोंपरांत यह पाया कि पप्पू सिंह आदि ने उक्त खेत में स्वयं सरसों व चना की फसल बोई थी। उनके द्वारा ही फसल काटी गयी है। शिकायतकर्ता श्री कामता प्रसाद या श्री राजाराम द्वारा कोई फसल नहीं बोयी गयी थी। सोमइया व श्रीमती मेड़िया के पट्टों की फसल को किसी के द्वारा अथवा किसी असरदार व्यक्ति द्वारा नहीं काटी गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा लगया गया यह आरोप कि एक दर्जन व्यक्तियों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुचने, स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण जनता में भय व आक्रोश व्याप्त है, निराधार है।)

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित मेंहनगर डीहा मार्ग पर डीहा के पास मगई नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामजग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हुकुम सिंह-

(विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर (आजमगढ़) में मेंहनगर डीहा मार्ग के किमी 0-2 में डीहा के पास मगई नदी पर 20 मीटर स्पान का सेतु शासनादेश संख्या-5248 ई/23-सा0नि0अनु0-11-75 ई/87, दिनांक 27-08-87 द्वारा अनुमानित लागत रु0 10.50 लाख की जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत सेतु के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण कराने पर जलीय आंकड़ों के आधार पर उक्त स्थान पर 60 मीटर स्पान के सेतु का निर्माण कराया जाना उचित पाया गया है। 60 मीटर स्पान के सेतु निर्माण कार्यों हेतु रु0 78.00 लाख की लागत अनुमानित की गयी है। क्षेत्र से इस कार्य का आगणन प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि और विभिन्न विकास योजनाओं से सेन्टेज चार्जेज कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का प्रदेश के विभिन्न विभागों से निर्माण कार्यों

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के लिए जो धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, उसी के आधार पर सम्बन्धित विभागों के निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। निर्माण सम्बन्धी जिन कार्यों के लिए राज्य संसाधनों से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, उसमें से 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्जेज लिये जाने के निर्देश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए-2-225/दस/98/17(4)/75, दिनांक 19-8-98 द्वारा जारी किये गये हैं। यह शासनादेश सभी मण्डलायुक्तों को भी पृष्ठांकित हैं। मण्डलायुक्तों से भी इसी शासनादेश के अनुपालान की अपेक्षा की गयी है। इस शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्र पुरोनिधानित ग्रामीण रोजगार योजना, जैसे-जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चिति रोजगार योजना, 10 लाख कूप योजना तथा सांसद निधि योजना इत्यादि से सम्बन्धित डिपाजिट कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से सैण्टेज चार्जेज नहीं लिया जायेगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 19-8-98 में निर्धारित नीति के अनुसार ही ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा सैण्टेज चार्जेज की वसूली की जाती है, चूंकि पूर्वान्चल विकास निधि के माध्यम से जो भी धनराशि निर्माण कार्यों के लिए सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी जाती है वह धनराशि राज्य संसाधनों से ही उपलब्ध करायी जाती है, इसलिए शासन की वर्तमान प्रचलित नीति के अंतर्गत पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कराये जा रहें निर्माण कार्यों में 12.5 प्रतिशत सैण्टेज चार्जेज आगणनों में शामिल किया जाता है।()

जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जल निगम द्वारा उमैदोपुरा पेयजल योजना के अन्तर्गत उमैदोपुरा गांव में पानी की टंकी का निर्माण पूर्ण कराने तथा इसी योजना के अन्तर्गत ग्राम बरोली, में बोरिंग को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

(उमैदोपुरा ग्राम जनपद आगरा की तहसील किरावली विकास खण्ड अछनेरा में स्थित हैं। उमैदोपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना का मूल प्राक्कलन वर्ष 87-88 में रु0 23.60 लाख न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था तथा निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 में टेक्नालाजी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ कराये गये थे। योजना पर समय से धन अवमुक्त न होने के कारण तथा इसके फलस्वरूप निर्माण सामग्री की आपूर्ति समयान्तर्गत न होने के कारण तथा नलकूपों हेतु प्रस्तावित भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्यों में वृद्धि हो गयी तथा वर्ष 1991-92 में टेक्नालाजी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 42.32 लाख का पुनरीक्षित आगणन बनाया गया। इस योजना में कुल 5 राजस्व ग्राम (उमैदापुरा, मोरी, गुढ़हा, बरेली एवं विद्यापुर) सम्मिलित थे। तकनीकी दृष्टि से ग्राम उमैदोपुरा मध्य में होने के कारण जलकल हेतु चयनित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 70 लीटर प्रति

नोट:- () यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वर्ष 1990 में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था।

टेक्नालाजी मिशन से पुनरीक्षित आगणन रु0 42.32 लाख पर भी धन प्राप्त न होने के कारण पुनः प्राक्कलन वर्ष 1996 में अनुमानित लागत रु0 73.964 लाख का बनाया गया परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं। योजना में जो एक नलकूप चालू किया गया है उसका पानी भी खारा है तथा पीने योग्य नहीं है। जिसके कारण यह पानी ग्राम-वासियों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अतः जनता की पयेजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु 1999-2000 के जिला प्लान के अन्तर्गत दो नलकूपों पर पम्पिंग प्लान्ट लगाकर चालूकर पूर्व में कराये गये कार्यों को प्रयोग में लाने हेतु रु0 15.25 लाख की न्यूनतम धनराशि का प्राविधान किया गया है।)

जनपद ज्योतिवाफूले के ग्राम पखरौला जाने वाले सम्पर्क मार्ग को ग्राम सिहाली में जबरन बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रिफाकत हुसैन द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(जनपद ज्योतिबाफूले नगर, तहसील धनोरा के अन्तर्गत जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में कुमराला-बकनवाला मार्ग से पखरौला-हाशिमपुर मार्ग का निर्माण 1.30 कि0मी0 लागत 8.94 लाख का स्वीकृत किया गया है।

जिस सरेखण पर यह मार्ग निर्मित किया जा रहा है उस पर पिछले कई वर्षों से गांव का यातायात चालू है तथा मार्ग निर्माण हेतु मिट्टी का कार्य प्रगति पर है। मार्ग के आरम्भ में लगभग 150 मी0 लम्बाई में अभी लगभग 6 दिन पूर्व श्री छोटे सैनी, निवासी ग्राम सिघाली द्वारा अस्थाई झोपड़ी बना ली गई एवं कुछ पेड़ आदि लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 342/1 सी/अतिक्रमण, दिनांक 17-03-99 के द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु अतिक्रमण कर्ता को नोटिस जारी किया है। इस मार्ग निर्माण का स्थल निरीक्षण अधिक्षण अभियन्ता ने स्वयं 23-3-99 को किया एवम् उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह सूचित किया है कि श्री छोटे सैनी के परिवार जनों ने यह सूचित किया है कि यह भूमि उनकी है एवम् अदालत से भी मुकदमा जीत चुके हैं। श्री छोटे सैनी के परिवार जनों ने अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया है कि भूमि स्वामित्व के कागजात एवं मुकदमें से सम्बन्धित निर्णय दिनांक 24-3-99 को लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा देगें। भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में आवश्यक जांच अधिशासी अभियन्ता एवम् जिला प्रशासन के माध्यम से की जायेगी एवम् जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।)

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के मुजहेना एवं मनकापुर क्षेत्रों की जीर्ण-शीर्ण विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने तथा धानेपुर-मनकापुर के बीच विद्युत सबस्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल सिंह, श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

विधान सभा क्षेत्र-160, मुजेहना, जनपद गोण्डा एवं 159-मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति के लिए वर्तमान में निम्न 33/11 केवी उपकेन्द्र स्थापित है:-

1-33/11 केवी	- धानेपुर	- 1.5 एम0वी0ए
2-33/11 केवी	- ईटिया ठोक	- 3 एम0वी0ए
3-33/11 केवी	- खरगूपुर	- 3 एम0वी0ए
4-33/11 केवी	- मनकापुर	- 51-3 एम0वी0ए
5-33/11 केवी	- मसकनवां	- 1.5 एम0वी0ए
6-33/11 केवी	- डुमरियाडीह	- 1.5 एम0वी0ए

इन विद्युत उपस्थानों के लिए 33 केवी लाइनों की लम्बाई 20 से 30 कि0मी0 की सीमा में हैं तथा 11 केवी मुख्य पोषकों की लम्बाई भी सामान्य है। भार की दृष्टि से लाइनों तथा उपकेन्द्र सामान्यतः सक्षम हैं।

इस वर्ष 33/11 केवी मनकापुर तथा खरगूपुर 33/11 केवी विद्युत उपस्थान की क्षमता वृद्धि की गई है तथा उनकी वर्तमान क्षमता अब उपरोक्तानुसार है।

33/11 केवी विद्युत उपस्थानों में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

विगत वर्ष माह मई-जून, 1998 में तेज आंधी के कारण खम्भे टूटे थे तथा लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी। लाइनों की मरम्मत करके विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है। जहां कहीं खम्भे सड़-गल गये हैं उनका सर्वेक्षण कराके बदलने के निर्देश दे दिये गये हैं।

क्षेत्र में कटिया कनेक्शनों की योजना के अन्तर्गत नियमितीकरण के कारण परिवर्तकों पर नियमित अतिरिक्त भार आना प्रारम्भ हो गया है जिसके कारण परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। क्षमता वृद्धि के कार्यों हेतु परिवर्तक उपलब्ध कराकर स्थिति को सामान्य किया जा रहा है।

परिवर्तकों के मरम्मत के लिए संघन्य निरीक्षण का प्राविधान किया गया है ताकि घटिया किस्म के सामान से मरम्मत न हो तथा गुणवत्ता में सुधार हो। इसके अतिरिक्त परिवर्तकों के मरम्मत का कार्य बड़े पैमाने पर विभागीय कार्यशालाओं में कराने की योजना तैयार की जा रही है।

विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु ग्राम भरेहवा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार तकनीकी कारणों से आवश्यक नहीं है। यह ग्राम थानेपुर तथा मनकापुर से 8 कि0मी0 की दूरी पर है। थानेपुर तथा मनकापुर में क्रमशः 1:5 तथा 51:3 एम0वी0ए0 का उपकेन्द्र पहले ही स्थापित है। नए उपस्थान

के निर्माण से सम्बन्धित निर्माण तकनीकी दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण कराने के उपरान्त किया जाएगा।]

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड मेरठ के अधीन परीक्षा केन्द्रों में जारी हेरा-फेरी एवं गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में साधारणतया: जिन विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त किये जाते हैं। परन्तु जिस परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्य परिषद् के पारिश्रमिक कार्यों से वंचित किये गये हो अथवा जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र से वंचित किये गये हैं अथवा जो विगत तीन वर्षों में सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग के लिये दोषी/आरोपित रहे हो अथवा ऐसे विद्यालय जिनके विरुद्ध विगत वर्षों में जिलाधिकारी, स्थानीय जिला अधिकारियों एवं बाह्य केन्द्र निरीक्षकों द्वारा परिषद् परीक्षा की सुचिता न बनाये रखने की आख्या दी गई हों तथा विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद हो और अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया हो तो वहां बाह्य केन्द्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जाती है।

जहां तक महाकविदेव इण्टरमीडिएट कालेज कुसमरा मैनपुरी परीक्षा केन्द्र पर विद्यालय के अति कनिष्ठ प्रवक्ता श्री फुत्तुलाल यादव को केन्द्र व्यवस्थापक बनाये जाने का सम्बन्ध है। इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि संदर्भगत परीक्षा केन्द्र पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री महावीर सिंह यादव केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। चूंकि विद्यालय प्रधानाचार्य श्री महावीर सिंह यादव दिनांक 30-6-99 को अवकाश ग्रहण कर रहें है जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा इस वर्ष परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करने में पूर्व में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी जिसके कारण विद्यालय के प्रवक्ता श्री शिवराम सिंह को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त किया गया था, इनकी नियुक्ति के विरुद्ध इसी विद्यालय के प्रवक्ता श्री फुत्तुलाल ने वरिष्ठता का प्रश्न उठाते हुए आपत्ति की और उन्हें केन्द्र व्यवस्थापक बनाये जाने हेतु बल दिया गया।

उपरोक्त विवाद की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा श्री महावीर सिंह यादव, प्रधानाचार्य से पुन: केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया जिसे श्री यादव द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में श्री महावीर सिंह यादव ही केन्द्र व्यवस्थापक का कार्य कर रहें है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संदर्भगत विद्यालय में केन्द्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति में किसी प्रकार की अनियमितता एवं गड़बड़ी नहीं की गयी है।]

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-उन्नाव के श्रेणी-3 के जलाशयों, आसीवन ताल, कुण्डरा झील व रैण्ड झील के ठेके के सम्बन्ध में श्री मुश्ताक सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)-

(श्री राजकुमार, सचिव, उन्नाव मत्स्य जीवी सहकारी समिति के प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-07-1998 के सन्दर्भ में तत्कालीन निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 1998 को पांच वर्षों के लिये आसीवन ताल व कुण्डरा झील का 25 प्रतिशत वृद्धि आफर पर सहकारी समिति को तथा रैण्ड झील का 10 प्रतिशत वृद्धि आफर प्रति वर्ष पर श्री रामकुमार को ठेका स्वीकृत किया गया। इस सम्बन्ध में श्री राम सजीवन कहार, निवासी-कादिरपुर, आसीवन उन्नाव तथा मा0 विधायक श्री बाबूलाल करील, सफीपुर, उन्नाव से प्राप्त शिकायती पत्रों के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, लखनऊ द्वारा आबंटियों को ठेका निरस्त करने हेतु कारण बताओं नोटिस दिया गया, जिसका उत्तर आबंटियों से प्राप्त करके उप निदेशक, मत्स्य, लखनऊ मण्डल लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट निदेशक, मत्स्य को दिनांक 11-03-99 को प्रस्तुत कर दी है, जिसके विधिक परीक्षणों परान्त उक्त ठेकों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।)

जनपद आगरा के परगना व तहसील आगरा के ग्राम लश्करपुर विद्धयुतनगर दयालबाग से गन्दा पानी का नाला बनाने हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)-

(मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि जनपद आगरा की तहसील व परगना आगरा के ग्राम लश्करपुर के निवासी श्री गुरू प्रसाद सत्संगी की भूमि गाटा सं0-11 व 12 जिसका क्षेत्रफल 1-8-0 बीघा है, जो विद्धयुतनगर दयालबागों से गन्दा पानी का नाला बनाने हेतु का अर्जन दयालबाग टाउन एरिया द्वारा कराया गया था का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। मा0 सदस्य द्वारा यह भी कहा गया है कि मौके पर 01 फुट कच्ची नाली है जो खेत नं0-11 व 12 के बराबर से निकली है और आगे चलकर बन्द हो गई है जिससे 11 व 12 पूर्ण रूप से खाली है अतः इस सम्बन्ध संदर्भित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद आगरा में ग्राम लश्करपुर परगना व तहसील आगरा में विद्धयुतनगर दयालबाग गन्दा पानी का नाला बहाने हेतु कुल 5-3-0 बीघा भूमि का अर्जन दयालबाग टाउन एरिया द्वारा कराया गया था जिससे खसरा नं0-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्रभावित हुए थे खसरा सं0-11, 12 में से 1-8-0 बीघा भूमि अर्जन की गई थी जो अर्जन के समय श्री चिरंजी, लिक्खू पुत्र गप डल्ला निवासी नगलापदी, आगरा के नाम दर्ज कागजात था

उपरोक्त भूमि की धारा-4 (1)/17 की अधिसूचना सं0-590/59-60/8एन0एफ0/दिनांक 30-5-1960 एवं विज्ञप्ति धारा-6(1)/17 की अधिसूचना संख्या-3628टी/37-8 बी (13) 60, दिनांक 13-12-60 को निर्गत की गई। प्रभावित काश्तकारों की धारा-9 के अन्तर्गत आपत्तियां सुनने हेतु नोटिस दिनांक 18-6-61 को भेजी गई तथा आपत्तियां सुनी गई। प्रश्नगत भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 13-9-61 को घोषित कर प्रभावित काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान हेतु सूचित करके भुगतान किया गया तत्पश्चात् अर्जन निकाय चेयरमैन टाउन एरिया दयालबाग, आगरा को विधिवत दिनांक 19-12-61 को कब्जा हस्तान्तरित किया गया। उक्त भूमि अर्जन निकाय के नाम राजस्व अभिलेखों दिनांक 6-3-62 को इन्द्राज हो चुकी है। उक्त भूमि का एवार्ड दिनांक 13-9-61 घोषित कर खसरा सं0-11, 12 रकबा 1-8-0 बीघा भूमि का प्रतिकर मूल, भू-स्वामी श्री चिरंजी व लिक्खू पुत्रगण डल्ला के नाम मु0 35/- रुपये निर्धारित किया गया जिसे प्राप्त करने हेतु काश्तकारों पर दिनांक 13-9-61 को धारा-12(2) के नोटिस जारी कर दिनांक 6-10-61 नियत की गई परन्तु भूस्वामियों द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया गया और भुगतान प्राप्त नहीं किया गया। तत्पश्चात उक्त भूमि का प्रतिकर की धनराशि दिनांक 15-3-62 को रेवेन्यू डिपोजिट कर दी गई, जो आज भी जमा है और भूस्वामी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्नगत भूमि का कब्जा अर्जन निकाय को नियमानुसार दिनांक 19-12-61 को कब्जा हस्तगत कराया जा चुका है तथा भूमि अर्जन निकाय के नाम अमलदरामत हो चुकी है। अध्यक्ष नगर पंचायत दयालबाग, आगरा ने अपने पत्र संख्या-237/न0पं0 द0/99, दिनांक 22-3-99 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत गाटा सं0-11, 12 का रकवा 1-8-0 बीघा ग्राम लश्करपुर, जो दयालबाग के विध्युतनगर मोहल्ले के गन्दा पानी निकालने हेतु अर्जित किये गये थे, उनका प्रयोग आज भी उसी प्रयोजन के उपयोग में लाये जा रहें हैं, जिसके प्रयोजन हेतु पूर्व में अर्जित किये गये थे।

शासनादेश सं0-432/72-1243-1952-रा0-2, दिनांक 9-4-73 में की गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्व में अर्जित भूमि मूल भूस्वामी को उसी दशा में वापस की जा सकती है जब उक्त भूमि की आवश्यकता न हो एवं निष्प्रयोज्य खाली पड़ी हो। प्रश्नगत भूमि मोहल्ले के गन्दा पानी निकालंने हेतु अर्जित किया गया था और उनका उपयोग जनहित में उसी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है अतः शासनादेश सं0-432/72-1243-1952-रा-2, दिनांक 9-4-73 में की गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त भूमि को मूल, भूस्वामी को वापस किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा जनपद सीतापुर के परीक्षा केन्द्र भारतीय विद्या मन्दिर उ0मा0 विद्यालय कम्भरिया के 10 वीं कक्षा के 23 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्रों की उपलब्धता तथा पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्र के निर्धारण के लिए शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 1998 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया जिसमें यह स्पष्ट प्राविधान किया गया कि प्रत्येक पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्र से 400 (चार सौ) की अधिकतम सीमा तक व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाये, जिनमें से हाई स्कूल हेतु 250 तथा इण्टरमीडिएट हेतु 150 परीक्षार्थियों के ही अधिकतम आवेदन पत्र अग्रसारित/पंजीकृत किये जाये। यदि कोई प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन-पत्र अग्रसारित करता है, तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित सीमा से अधिक अग्रसारित किये गये आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों के अग्रसारण में कोई असुविधा न हो इसके लिए यह भी व्यवस्था की गयी कि जनपद में स्थित राजकीय इन्टर कालेज या राजकीय बालिका इण्टर कालेज में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण हेतु कोई सीमा नहीं होगी और जिन जनपदों में राजकीय विद्यालय नहीं है, वहां पर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुमति से बालक/बालिकाओं के लिए एक-एक अग्रसारण/पंजीकरण केन्द्र ऐसा बनाया जाय, जहां व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पंजीकरण हेतु कोई सीमा नहीं होगी।

2-माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर ने हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये आवेदन-पत्र अग्रसारित करने हेतु 89 एवं इण्टर हेतु 61 विद्यालयों को अग्रसारण केन्द्र बनाया गया और समस्त अग्रसारण केन्द्रों को यह निर्देश दिये गये कि उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किये जाय किन्तु भारतीय विद्या मंदिर हा0से0स्कूल, कम्भरिया, सीतापुर के प्रधानाचार्य ने नियमों के विरुद्ध हाईस्कूल के 273 आवेदन-पत्र अग्रसारित किये। जिला विद्यालय, निरीक्षक द्वारा नियमानुसार 250 आवेदन-पत्रों को क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद में प्रेषित किया गया और शेष 23 आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर वापस लौटा दिया गया।

3-उपरोक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्थानुसार संदर्भगत विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्धारित संख्या में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रसारित करने चाहिए थे किन्तु उन्होनें उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए अपने स्तर से 23 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अधिक अग्रसारित किया, जिसके लिए वे पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

चूंकि परिषद् की वर्ष 1999 की परीक्षायें दिनांक 23 मार्च, से प्रारम्भ हो गयी हैं अतः परिषद् परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परीक्षार्थियों के 23 आवेदन-पत्रों का सम्प्रति स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है।

कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर उत्तर प्रदेश से जाने वाले यात्रियों को हज यात्रियों की भांति सम्मानजनक आर्थिक सहायता व सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

कैलाश-मानसरोवर यात्रा भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस यात्रा हेतु प्रारम्भिक औपचारिकतायें जैसे यात्रियों का चुनाव, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा 3-4 दिन पूर्व यात्रियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिल्ली में बुला लिया जाता है। इस दौरान यात्रियों के निवास की व्यवस्था आशोक यात्री निवास में की जाती है, जिसका व्यय दिल्ली प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। यात्रा प्रारम्भ होने के पूर्व प्रति यात्री को रूपयों के बदले 650 डालर उपलब्ध कराये जाते हैं जिसमें से 500 डालर चीन में व्यय हेतु तथा 150 डालर अपने खर्चे हेतु दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में यात्रा का संचालन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कुमांऊ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा किया जाता है जिसमें यात्रियों को दिल्ली से चीन सीमा तक ले जाने तक व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1998 में दिल्ली से काठगोदाम तक यात्रियों की रेल तथा काठगोदाम से तवाघाट तक बस से ले जाने की व्यवस्था निगम द्वारा की गई। तवाघाट से यात्रा पैदल होती है तथा वहां से चीन की सीमा तक निगम द्वारा विभिन्न शिविर स्थापित किये जाते हैं जहां यात्री रात्रि विश्राम करते हैं। चीन की सीमा तक यात्रियों के भोजन, आवास की व्यवस्था निगम द्वारा करायी जाती है। इस यात्रा में यात्रियों को चिकित्सा

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुविधायें भी दी जाती है तथा वायरलेस कबर भी प्रदान किया जाता है जिससे कि यात्रियों के सम्बन्ध में सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहें । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार इस यात्रा में यात्रियों के लिये रु0 25 लाख अनुदान देती है जिसे यात्रा समाप्त होने के पश्चात् यात्रियों में वितरित किया जाता है । कुमांऊ मण्डल विकास निगम यात्रियों से प्रति यात्री 9 हजार रुपये भोजन, आवास सुविधा हेतु लेती है तथा भारत सरकार यात्री को प्रतियात्री रुपया 3250 सब्सिडी भी देता है । इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक यात्रीदल के साथ एक कुक, जो तिब्बती भाषा जानता हो को साथ में भेजा जाये और यहीं कुक चीन में यात्रियों हेतु द्विभाषी का कार्य भी करेगा । इस प्रकार कैलाश-मानसरोवर यात्रा में यात्रियों को पर्याप्त सुविधा अनुमन्य करायी जाती है ।

हज यात्रियों के लिये उ0प्र0 राज्य हज समिति नियमावली के अन्तर्गत एक राज्य हज समिति का गठन किया गया है । यह समिति एक परामर्शदात्री संस्था है और यह बम्बई की पोर्ट हज समिति और हाजीज फ्रेण्ड्स के बीच को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करती है । इस समिति के मुख्य कार्य यात्रियों के लिये उपयोगी सूचनायें एकत्र करना, जाने वाले यात्रियों को सभी मामलों में परामर्श देना, यात्रियों की मदद करना, यात्रियों के पास जारी करना, स्वास्थ्य निरीक्षण, चेचक का टीका लगाना तथा यात्रियों के लिये यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से रेलवे अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना है । हज यात्रियों को राज्य हज समिति द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाती है । हज समिति राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि जो कि कार्यालय को सुचारूरूप से चलाने हेतु दी जाती है, उससे हज यात्रियों का बीमा तथा यात्रियों के लिये हज गाइड व दुआ की किताब देती है । यह बीमा प्रतियात्री रु0 31.70 तथा हज गाइड एवं दुआ की किताब पर व्यय प्रति यात्री लगभग 27.00 रुपया होता है ।

हज यात्रा तथा कैलाश-मानसरोवर यात्रा के स्वरूप में काफी भिन्नता है । कैलाश-मानसरोवर यात्रा का अधिकांश भाग पैदल है । अतः इन यात्रियों हेतु सुविधाओं में भी भिन्नता स्वाभाविक है । इससे स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के यात्रियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि हज यात्रियों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध है ।)

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के मुख्यालय स्थित ज्ञान सरोवर का पानी गन्दा होने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

(माननीय सदस्य श्री पूर्णमासी पंकज ने सन्त रविदास नगर (भदोही) के मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थित ज्ञानसरोवर तालाब ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है, में नगर पंचायत, ज्ञानपुर के लोगों द्वारा गन्दा पानी तालाब में छोड़ने से पूरे तालाब

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

का पानी प्रदूषित एवं बदबूदार हो जाने और उक्त प्रदूषित जल को बाहर करने की कार्यवाही में विलम्ब करने वाले लापरवाह एवं अकर्मण्य अधिकारियों को दण्डित करने तथा यथाशीघ्र प्रदूषित जल से तालाब खाली करने के सम्बन्ध में मा0 विधान सभा में नोटिस देते हुए उक्त सरोवर का प्रदूषित जल शीघ्र खाली कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) की नगर पंचायत, ज्ञानपुर की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 8548 है। इस नगर क्षेत्र का प्रदूषित जल कई वर्षों से नगर के मध्य स्थित ज्ञानसरोवर में गिरता रहा है। प्रदूसित जल के सरोवर में गिरने तथा इसके बाहर निकास होने का कोई प्राविधान न होने के कारण इस सरोवर का सम्पूर्ण पानी प्रदूषित हो गया है जिसकी सफाई गन्दा पानी निकालने, साफ पानी सरोवर में भरने तथा सरोवर के सुन्दरीकरण हेतु पूर्वान्चल विकास निधि योजना के अन्तर्गत निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं यूनिट-34 उ0प्र0 जल निगम भदोही द्वारा प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष रुपया 6.00 लाख स्वीकृत किया गया है जो उक्त प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया। सरोवर का पानी प्रदूषित अवश्य है किन्तु वह इतना प्रदूषित नहीं है कि उसके कारण संक्रामक रोग फैलने अथवा हवा के रुख के साथ उसकी बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया हो। सरोवर में प्रदूषित जल के जाने से रोकने एवं सरोवर के जल की सफाई हेतु निकासी, तालाब का सुन्दरीकरण, तलाब के गन्दे जल की निकासी के पश्चात् नहर द्वारा स्वच्छ जल से भरे जाने आदि कार्यों हेतु रु0 41.733 लाख की धनराशि की आवश्यकता है। उक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हेतु पूर्वान्चल विकास निधि से स्वीकृत करने के लिये आवश्यक निर्देश आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को भेज दिये गये हैं।)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 31 मार्च को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर बुधवार दिनांक 31 मार्च 1999 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:

24 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र [illegible],
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र०सं० 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद, लखनऊ में उपचारिकाओं व अन्य कर्मचारियों को एक जनवरी, 1997 से एक जनवरी, 1998 तक के वेतन बिलों को कोषागार में जमा करने एवं भुगतान किये जाने के विषय में विस्तृत विवरण :—

क्र०-सं०	माह	उपचारिकाओं		अन्य कर्मचारी	
		कोषागार में बिल जमा करने की तिथि	भुगतान की तिथि	कोषागार में बिल जमा करने की तिथि	भुगतान की की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	जनवरी/97	03.02.97	07.02.97	03.02.97	07.02.97
2	फरवरी/97	12.03.97	20.03.97	05.03.97	18.03.97
3	मार्च /97	10.0497	23.04.97	10.04.97	15.04.97
4	अप्रैल /97	30.04.97	07.05.97	30.04.97	07.05.97
5	मई /97	25.05.97	04.06.97	25.05.97	04.06.97
6	जून /97	26.06.97	08.07.97	26.06.97	08.07.97
7	जुलाई /97	28.08.97	02.09.97	24.07.97	06.08.97
8	अगस्त /97	28.08.97	02.09.97	28.08.97	02.09.97
9	सितम्बर/97	26.09.97	07.10.97	26.09.97	07.10.97
10	अक्टूबर /97	22.10.97	28.10.97	22.10.97	28.10.97
11	नवम्बर/97	01.12.97	10.12.97	01.12.97	10.12.97
12	दिसम्बर /97	02.01.98	14.01.98	27.12.97	02.01.98
13	जनवरी /98	29.01.98	03.02.98	27.01.98	29.01.98

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र०सं० 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के छठे बुधवार हेतु निर्धारित श्री आर० के० सिंह पटेल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-57 का संलग्नक।

विकास खण्ड

कार्य	चित्रकूट धनराशि लाख रु० में	पहाड़ी धनराशि लाख रु० में	मानिकपुर धनराशि लाख रु० में	मऊ धनराशि लाख रु० में	रामनगर धनराशि लाख रु० में
प्रा० पा० भवन निर्माण	9.268	7.582	2.24	4.74	1.04
सम्पर्क मार्ग निर्माण	14.897	13.95	21.252	7.00	6.311
खण्डजा निर्माण	3.000	5.50	...	2.00	2.00
सुलभ काम्पलेक्स	...	...	...	1.00	...
भूमि संरक्षण कार्य	6.94	9.60	...	4.971	2.00
वनीकरण कार्य	3.39	...	17.155	10.496	11.42
सिंचाई नाली	2.00	...	...	...	...
चेकडैम /रपटा	...	3.20	...	10.50	8.00
विकास खण्डवार कुल धनराशि	39.495	39.832	40.647	40.707	30.771

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–1

नत्थी "ग"

(देखिये अता० प्र०सं० 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

सिंचाई खण्ड, एटा

लेखा शीर्षक 2701 सामान्य अनुरक्षण मद में खण्ड एवं उपखण्डवार व्यय की गई धनराशि

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	खण्ड को आवंटित	उपखण्डवार व्यय					
			प्रथम उपखण्ड		द्वितीय उपखण्ड		तृतीय उपखण्ड	
			आवंटन	प्रतिशत	आवंटन	प्रतिशत	आवंटन	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1993-94	38.61	13.48	34.91	15.15	39.24	9.98	25.85
2	1994-95	36.74	9.94	27.0	15.76	43.0	11.04	30.0
3	1995-96	42.06	13.70	32.57	17.06	40.56	11.30	26.87
4	1996-97	41.81	13.72	32.82	18.51	44.27	9.58	22.91
5	1997-98	51.70	11.70	22.63	28.22	54.58	11.78	22.79
	औसत धनावंटन प्रतिशत			29.99		44.33		25.68

संलग्नक–2

लेखा शीर्षक 2701 विशेष मरम्मत मद में खण्ड एवं उपखण्डवार व्यय की गई धनराशि

क्रमांक	वर्ष	खण्ड को आवंटित धनराशि	उपखंडवार व्यय		
			प्रथम उपखण्ड	द्वितीय उपखण्ड	तृतीय उपखण्ड
1	2	3	4	5	6
1.	1993-94	20.46	6.02	6.91	7.53
2	1994-95	5.26	2.68	1.00	1.58
3	1995-96	4.67	1.59	1.08	2.00
4	1996-97	19.45	0.00	13.04	6.41
5	1997-98	15.80	5.03	7.05	3.72
	औसत धनावंटन प्रशित		23.34	44.30	32.36

संलग्नक–3

लेखा शीर्षक 2711 बाढ़ एवं जलोत्सारण

क्रमांक	वर्ष	खण्ड को आवंटित	उपखण्डवार व्यय					
			प्रथम उपखण्ड		द्वितीय उपखण्ड		तृतीय उपखण्ड	
			आवंटन	प्रतिशत	आवंटन	प्रतिशत	आवंटन	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1993-94	10.69	3.937	36.83	3.615	33.82	3.138	29.35
2	1994-95	8.96	3.280	36.61	3.100	34.60	2.580	28.79
3	1995-96	6.01	2.210	36.77	2.160	35.94	1.640	27.29
4	1996-97	8.10	...	...	4.20	51.85	3.90	48.15
5	1997-98	7.40	1.51	20.41	5.24	70.81	0.65	8.78
	औसत धनावंटन प्रतिशत			26.12		45.41		28.47

विधान सभा पटना

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 2 वि०सभा—26-7-2000—(1059)—813—(आफसेट)।